रिपोर्ट संख्या–23

उत्तराखण्ड शासन

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड, पौड़ी

राज्य के भारत–चीन सीमान्त विकासखण्ड़ों में सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने, पलायन पर अंकुश लगाने एवं रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिये जाने हेतु सिफारिशें

जून 2024

अन्तर्वस्तु

अध्याय 01 –	भारत–चीन सीमावर्ती जनपदों का परिचय	01–17
अध्याय 02 –	सीमावर्ती विकासखण्ड भटवाड़ी	18–23
अध्याय 03 –	सीमावर्ती विकासखण्ड जोशीमठ	24–28
अध्याय 04 –	सीमावर्ती विकासखण्ड धारचूला	29–32
अध्याय 05 –	सीमावर्ती विकासखण्ड मुनस्यारी	33–36
अध्याय 06 –	सीमावर्ती जनपदों एवं विकासखण्डों के प्राथमिक ग्रामों में पलायन की स्थिति का सारांश	37–57
अध्याय 07 –	विकासखण्ड भटवाड़ी के प्राथमिक ग्रामों में पलायन की स्थिति	58–67
अध्याय 08 –	विकासखण्ड जोशीमठ के प्राथमिक ग्रामों में पलायन की स्थिति	68–80
अध्याय 09 –	विकासखण्ड धारचूला के प्राथमिक ग्रामों में पलायन की स्थिति	81–101
अध्याय 10 –	विकासखण्ड मुनस्यारी के प्राथमिक ग्रामों में पलायन की स्थिति	102–112
अध्याय 11 –	राज्य के भारत–चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिकी	113–152
अध्याय 12 –	सीमान्त क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने, पलायन पर अंकुश लगाने, रिवर्स पलायन एवं बसावट को बढ़ावा दिये जाने के लिए सिफारिशें	153–162

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी जनपदों से भारत–चीन की सीमा लगी है। इनमें धारचूला, मुनस्यारी, जोशीमठ एवं भटवाड़ी विकास खण्ड हैं। भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्ड धारचूला, मुनस्यारी, जोशीमठ एवं भटवाड़ी में क्रमशः 69, 29, 29 व 10 गांव सम्मिलित होते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य कि.मी. मानते हुए 10 कि.मी. की हवाई दूरी पर कुल 137 गांव हैं। जिनमें से 11 ग्राम वर्तमान में गैर आबाद हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में विकास की गति को तीव्रता प्रदान के लिए भारत सरकार द्वारा सीमांत क्षेत्र विकास योजना संचालित की गयी है। वर्तमान में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के विकास को सुदृढ़ करने हेतु एवं ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2020 से मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र योजना संचालित की जा रही है।

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में वर्ष 2017 से कार्य कर रहा है। इस क्रम में आयोग समय–समय पर राज्य सरकार को विभिन्न रिपोर्ट एवं सुझाव प्रस्तुत करता है। वर्तमान रिपोर्ट राज्य के भारत–चीन सीमांत विकास खण्डों में आर्थिकी को सुदृढ़ करने हेतु, पलायन पर अंकुश लगाने एवं रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिए जाने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करती है। इसमें इन चार विकास खण्डों की भौगोलिक, आर्थिक एवं पलायन की स्थिति के साथ–साथ विकास के संचालित कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। पलायन निवारण एवं रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिए जाने के लिए इस रिपोर्ट को तैयार करने में आयोग के सदस्यों द्वारा इन सीमांत क्षेत्रों में भ्रमण किया गया। विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी, स्थानीय पलायन की स्थिति का आंकलन किया गया तथा ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से एक विस्तृत सर्वे कराया गया। स्थानीय निवासियों से चर्चा की गई। यह रिपोर्ट उक्त प्रक्रिया के पश्चात् तैयार की गयी है, फलस्वरूप राज्य के सीमांत विकास खण्ड़ों से हो रहे पलायन को कम करने में भी लाभ मिलेगा।

आयोग अपने अध्यक्ष श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन; श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, श्रीमती राधिका झा, सचिव, ग्राम्य विकास, विभिन्न विभागो एवं जनपदों के अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी, माननीय सदस्य (श्रीमती रंजना रावत, श्री रामप्रकाश पैन्यूली, श्री सुरेश सुयाल, श्री दिनेश रावत 'घण्डियाल' एवं श्री अनिल सिंह शाही), ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड, श्री राजेन्द्र सिंह रावत, सदस्य सचिव, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड, श्री ए.के.राजपूत, उपायुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, श्री गजपाल चन्दानी, शोध अधिकारी ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग तथा श्री भूपाल सिंह रावत, वैयक्तिक सहायक द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने के अथक प्रयासों के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करता है।

जून, 2024

डॉ शरद सिंह नेगी
उपाध्यक्ष

अध्याय– 1

भारत-चीन सीमावर्ती जनपदों का परिचय

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद यथा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत एवं उधमसिंहनगर भारत–नेपाल एवं भारत–चीन सीमा से लगे हैं। संबंधित जनपदों के अन्तर्गत कुल नौ विकासखण्ड सीमावर्ती हैं, जिनमें जनपद पिथौरागढ़ के 04 (धारचूला, मूनाकोट, मुनस्यारी, कनालीछीना), चमोली का 01 (जोशीमठ), उत्तरकाशी का 01 (भटवाड़ी), चम्पावत के 02 (चम्पावत, लोहाघाट) एवं उधमसिंह नगर का 01 (खटीमा) सम्मिलित हैं। भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्ड धारचूला, मुनस्यारी, जोशीमठ एवं भटवाड़ी में क्रमशः 69, 29 , 29 व 10 गांव सम्मिलित होते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर कुल 137 गांव हैं। जिनमें से 11 ग्राम वर्तमान में गैर आबाद हैं।

भारत सरकार द्वारा संबंधित ग्रामों में निवास करने वाले ग्रामीणों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के सोपक्ष, इन क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढ़ांचें को विकसित करने वाली योजनाओं और ग्रामीणों के मध्य भागीदारी स्थापित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों को संतृप्त करना आवश्यक है, पर जोर दिया गया है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 में सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढ़ांचें के विकास और सीमा की आबादी के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा दिये जाने हेतु देश के 17 राज्यों में 111 सीमावर्ती जनपदों के 394 विकासखण्डों में ''सीमान्त क्षेत्र विकास योजना'' की शुरूवात राज्य सरकारों के माध्यम से किया गया। उद्देश्य यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों व ग्रामों में सम्पर्क सूत्रों को विकसित करना और उनमें सुधार करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप चीनी मॉडल गांवों के सापेक्ष भारतीय गांवों को संतृप्त विकास की डोर से जोड़ना। अर्थात छितरी जनसंख्या वाले सीमावर्ती गांवों में सीमित सम्पर्क और बुनियादी ढ़ांचा को सुदृढ़ एवं विकसित करने के उद्देश्य से ''सीमान्त क्षेत्र विकास योजना'' संचालित की गई। वर्तमान समय के परिपेक्ष में उक्त योजना के स्थान पर फरवरी 2023 से ''वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम'' योजना संचालित हो रही है।

राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र जो कि सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है, में पलायन पर अंकुश लगाने एवं रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन विकासखण्डों के निवासियों को सामुदायिक/समग्र विकास आधारित आजीविका सृजन, स्वरोजगार हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा मूल्य संवर्धन, विपणन आदि आवश्यक सतत् आजीविका के संसाधन एवं सुविधायें उपलब्ध किया जाना नितान्त आवश्यक हैं। सीमान्त क्षेत्र विकास योजना में सर्वप्रथम 0–10 किमी के सीमावर्ती क्षेत्र को ही संतृप्त किया जा रहा है तत्क्रम में 10 किमी से अधिक दूरी पर अवस्थित गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन पर अंकुश लगाने एवं संतृप्त विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ''मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना'' का जुलाई 2020 से सतत संचालन किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर अप्रैल 2018 एवं फरवरी 2023 में आयोग द्वारा प्रथम व द्वितीय अतंरिम रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्टों में सीमावर्ती जनपदों के सीमावर्ती विकासखण्डों एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित सीमा के पास दुर्गम क्षेत्रों/ग्रामों में भी पलायन के आंकड़ें प्राप्त हुए।

सरकार द्वारा भारत–चीन सीमा पर स्थित सीमावर्ती जनपदों के विकासखण्डों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित सीमा के पास दुर्गम क्षेत्रों/ग्रामों की सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने एवं पलायन पर अंकुश लगाने तथा रिवर्स पलायन को भी बढ़ावा देने हेतु आयोग से आख्या चाही गयी। तद्नुसार आयोग इस रिपोर्ट में

राज्यान्तर्गत भारत–चीन सीमावर्ती जनपदों के विकासखण्डों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित सीमा के पास दुर्गम क्षेत्रों/कुल 131 ग्रामों का विस्तृत सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण करके, ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सिफारिशें प्रस्तुत कर रहा हैं, इससे संबंधित क्षेत्रों/गांवों में देश और राज्य द्वारा की जाने वाली उचित देखभाल की सकारात्मक अवधारणा बनेगी और लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने हेतु प्रोत्साहित करने में मद्द भी मिलेगी साथ ही शहरों की ओर हो रहे पलायन पर अंकुश लगेगा एवं रिवर्स पलायन को भी बढ़ावा मिलेगा, परिणामस्वरूप हमारी सीमाएं और अधिक सुरक्षित होंगी।

भारत–चीन सीमावर्ती जनपदों यथा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ का परिचय अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर ग्राम स्थित है का संक्षिप्त परिचय इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहा है।

जनपद उत्तरकाशी

जनपद उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड, के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित है, इस जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई। सम्पूर्ण सीमान्त जनपद हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जनपद का विस्तार 144.84 किमी0 लम्बाई तथा 90.12 कि0मी0 चौड़ाई में फैला है। मैदानी क्षेत्र में स्थित वाराणासी (काशी), पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तरकाशी (काशी) दोनों पवित्र स्थान गंगा नदी के तट पर विराजमान है, जिनका नाम समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है।

➢ 1.1 भौगोलिक परिदृश्य

यह जनपद राज्य के शीर्ष के उत्तर–पश्चिम कोने में 8016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 15% है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। अधिकांश इलाके पहाड़ी और ऊँची–ऊँची चोटियों, पहाडियों और पठारों से युक्त हैं, जहाँ हिमालय पर्वतमाला, गंगा और यमुना नदियों का उद्‌गम स्थान भी मौजूद है, जो हजारों तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उत्तरकाशी जनपद उत्तर में हिमाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र, पश्चिम में देहरादून जनपद, पूर्व में चमोली तथा दक्षिण में टिहरी गढ़वाल और रूद्रप्रयाग जनपद से घिरा हुआ है। जनपद में विकासखण्ड मोरी का क्षेत्रफल 88.83 वर्ग कि0मी0, पुरोला का 56.00 वर्ग कि0मी0, नौगांव 421.00 वर्ग कि0मी0, डुण्डा का 127.00 वर्ग कि0मी0, चिन्यालीसौड का 133.00 वर्ग कि0मी0 तथा भटवाड़ी का 249.00 वर्ग कि0मी0 है।

➢ 1.2 ऋतु एवं जलवायु

उत्तरकाशी नाम से ही स्पष्ट होता है कि उत्तर की काशी, जो सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, समुद्र तल से 1352 मीटर की ऊँचाई पर प्रसिद्ध नदी भागीरथी के तट पर स्थित है। जहाँ देश–विदेश से बड़ी संख्या में यात्री आते हैं क्योंकि यहाँ बहुत आश्रम एवं मंदिर स्थित हैं।

उत्तरकाशी में गर्मी का मौसम मध्यम होता है और इस क्षेत्र में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ग्रीष्मकाल में न्यूनतम तापमान लगभग 15 डिगी सेल्सियस रहता है। अप्रैल, मई और जून का महीना गर्मियों के, मानसून का मौसम जुलाई, अगस्त और सितम्बर ये तीन महीने आम तौर पर अच्छी मात्रा में वर्षा का अनुभव कराते हैं। वर्षा का मुख्य कारण दक्षिण पश्चिम मानसून है।

उत्तरकाशी में सर्दियों का मौसम आम तौर पर अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के महीने में रहता है। इन पांच महीनों में आमतौर पर अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम शून्य डिग्री सेल्सियस के आसपास का अनुभव होता है।

जनपद में वर्षीय जलवायु एवं तापमान का विवरण

माह	माह के शुरू में		माह के अन्त में	
	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
जनवरी	19^0C	2^0C	16^0C	7^0C
फरवरी	18^0C	5^0C	14^0C	15^0C
मार्च	27^0C	12^0C	18^0C	15^0C
अप्रैल	31^0C	15^0C	37^0C	23^0C
मई	38^0C	22^0C	32^0C	20^0C
जून	34^0C	21^0C	37^0C	27^0C
जुलाई	38^0C	30^0C	34^0C	27^0C
अगस्त	31^0C	26^0C	33^0C	26^0C
सितम्बर	33^0C	26^0C	35^0C	22^0C
अक्टूबर	36^0C	22^0C	27^0C	6^0C
नवम्बर	27^0C	7^0C	18^0C	3^0C
दिसम्बर	18^0C	3^0C	14^0C	1^0C

➢ 1.3 संस्कृति और विरासत

उत्तरकाशी जनपद की भूमि उन युगों से भारतीयों द्वारा पवित्र रखी गई है जहां संतो और ऋषियों ने सांत्वना और आध्यात्मिक आकांक्षाएं पाई थी और उन्होंने तपस्या की और वैदिक भाषा ज्यादा प्रसिद्ध और बोली जाती थी। लोग वैदिक भाषा सीखने के लिए यहां आए थे। महाभारत में दिए गए एक तथ्य के अनुसार, जदाभारता के एक महान ऋषि ने उत्तरकाशी में तपस्या की। स्कंद पुराण के केदारखण्ड में उत्तरकाशी और नदियों भागीरथी, जाहनवी और भील गंगा का वर्णन है।

उत्तरकाशी में गढ़वाली और हिंदी भाषाऐं बोली जाती हैं। भेड़ की ऊन, लकड़ी की मूर्तियाँ, पर्यावरण के अनुकूल बास्केट, ऊनी कपड़े, गढ़वाली संगीत, उत्तरकाशी के लोगों द्वारा आनंदित पारंपरिक संगीत कलायें है। सांस्कृतिक मेलों, प्रसिद्ध माघ मेला और धार्मिक मेले, जिला प्रशासन द्वारा उत्तराखण्ड के कृषि मेले आदि के अवसर पर सभी विषयों के लोगों को आमंत्रित करते हैं। जिला मुख्यालय होने के कारण इन मेलों से बड़ी संख्या में आगंतुक और पर्यटक आकर्षित होते हैं।

➢ 1.4 भूमि व्यवस्था

उत्तरकाशी जनपद 8016 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्रफल में फैला है, जिसका श्रेणीवार एवं विकासखण्डवार विवरण तालिका में दर्शाया गया है। जनपद का अधिकांश भाग लगभग 721664 हेक्टेयर घने जंगलो से आच्छादित है। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2016–17 के मध्य कृषि योग्य बंजर भूमि के क्षेत्रफल में 37 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष 2017–18 में 5 हेक्टेयर की गिरावट देखी जा सकती है। इसी तरह वर्तमान परती भूमि, ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि में विचलन देखने को मिलता है, जबकि अन्य परती भूमि में लगातार गिरावट देखने को मिलती है।
विस्तृत तथा उबड़–खाबड़ क्षेत्र होने के कारण विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती है। मिट्टी का स्वरूप मूलतः अपनी मूल चट्टान पर निर्भर करती है। नदी घाटियों या बगड़ों में नवीन जलोढ़ मिट्टी खड़िया, डोलोमाईट तथा चूने के पत्थर के क्षेत्र में बलुई सफेद मिट्टी पायी जाती है, जिसका खनन कर घरों की पुताई में प्रयोग किया जाता है।

जनपद में विकासखण्डवार भूमि उपयोग (हेक्टेयर में)							
वर्ष / विकासखण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	वन	कृषि योग्य बंजर भूमि	वर्तमान परती	अन्य परती	उसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि
2015–16	812689	721664	2380	573	3473	40401	5932
2016–17	812689	721664	2417	826	2506	40401	5939
2017–18	812689	721664	2412	557	1796	40951	5984
विकासखण्डवार 2017–18							
मोरी	22153	3641	491	104	600	11575	422
पुरोला	11628	2877	446	97	97	5586	631
नौगांव	28283	2002	446	99	388	14012	1789
डुण्डा	17745	4586	156	75	95	4574	1245
चिन्यालीसौड	14084	3694	148	90	89	4415	986
भटवाड़ी	15330	1398	725	92	527	4089	931
योग गमीण	109223	18198	2412	557	1796	40951	5984
वन क्षेत्र	703466	703466	0	0	0	0	0
ग्रामीण क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0
योग जनपद	812689	721664	2412	557	1796	40951	5984

source : DSTO UTK

➢ 1.5 प्रशासनिक व्यवस्था

जनपद उत्तरकाशी 06 तहसीलों क्रमशः मोरी, भटवाड़ी, पुरोला, राजगढ़ी (बड़कोट), डुण्डा व चिन्यािलीसौड़ के साथ–साथ छः विकासखण्डों में विभाजित है जो क्रमशः मोरी, पुरोला, नौगांव, डुण्डा, चिन्यािलीसौड एवं भटवाड़ी हैं। जनपद में 03 नगरपालिका परिषद उत्तरकाशी, बड़कोट और चिन्यािलीसौड़ तथा 03 नगर पंचायत गंगोत्री, नौगांव, पुरोला का सृजन किया गया है। जनगणना वर्ष 2019 के अनुसार जनपद उत्तरकाशी में कुल 508 ग्राम पंचायतें तथा 36 न्याय पंचायतें हैं, जिनके अन्तर्गत कुल 663 ग्राम मौजूद हैं, जिनका विवरण निम्न तालिकाओं में दर्शाया गया है।

जनपद	तहसील	नगरपालिका	नगरपंचायत	विकासखण्ड़	न्याय पंचायत की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या
उत्तरकाशी	मोरी	उत्तरकाशी	नौगांव	मोरी	4	68
	पुरोला			पुरोला	3	43
	भटवाड़ी	बड़कोट	पुरोला	भटवाड़ी	7	84
	बड़कोट			नौगांव	10	131

	डुण्डा	चिन्याली	गंगोत्री	डुण्डा	6	101
	चिन्यालीसौड़			चिन्यालीसौड़	6	81
योग	6	3	3	6	36	508

DPRO UTK

क्र0स0	ग्राम	जनगणना वर्ष 2012–13 के अनुसार ग्राम	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ग्राम	अन्तर
1	आबाद ग्राम	672	663	–9
2	गैर आबाद ग्राम	7	8	1
3	आबाद वन ग्राम	28	28	0
4	गैर आबाद वन ग्राम	0	0	0
कुल ग्राम		707	699	8

DSTO UTK

❖ 1.6 जनसंख्या विवरण

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तरकाशी की कुल जनसंख्या 3.29 लाख है, जिसमें राज्य की कुल आबादी का 3.25 प्रतिशत है। 13 जनपदों के मध्य लिंगानुपात के लिए यह जनपद 9वें स्थान पर है, क्योंकि प्रति 1000 पुरूषों पर 959 महिलाओं का अनुपात देखा गया। उत्तरकाशी में प्रति वर्ग किमी में 41 लोगों का जनसंख्या घनत्व है जो उत्तरकाशी को सबसे कम घनी आबादी वाला जनपद का दर्जा देता है। राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 19.17% है जबकि उत्तरकाशी जनपद की वृद्धि दर 11.75% है। जनपद में शहरी जनसंख्या 7.35% है जबकि राज्य में शहरी जनसंख्या 30.55% है।

जनपद उत्तरकाशी की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 2,95,013 है, जो वर्ष 2011 की जनगणना में बढ़कर 3,30,086 हुई, इनमें 1,68,597 पुरूष तथा 1,61,489 महिलाएं हैं। जनपद उत्तरकाशी की जनसंख्या, सम्पूर्ण प्रदेश की जनसंख्या का कुल 3.25 प्रतिशत है, जिसका जनसंख्या घनत्व 41 व्यक्ति प्रति वर्गकिलोमीटर है, जो वर्ष 2001 में 37 व्यक्ति प्रति वर्गकिलोमीटर था।

जनपद में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या वृद्धि दर 23.07% थी जो वर्ष 2011 में 11.18% गिरावट होने के पश्चात 11.89% हो जाता है। वर्ष 2001 की अपेक्षा वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व में 11% की वृद्धि हुई है जो बहुत कम है जिसका विवरण तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या वृद्धि दर	कुल जनसंख्या			जनसंख्या घनत्व
				पुरूष	महिला	योग	
2001	उत्तरकाशी	8016	23.07%	152016	142997	295013	37

2011	,,	8016	11.89%	168597	161489	330086	41
दशकीय परिवर्तन ±			-11.18%	16581	18492	35073	4
			–	10.91%	12.93%	11.89%	11%

CENCUS UTK

जनपद की कुल जनसंख्या में 0 से 59 आयु वर्ग द्वारा कुल जनसंख्या में 91% का योगदान किया जाता है, जबकि इससे अधिक आयु वर्ग के पुरूष व महिलाओं द्वारा मात्र 9% का ही योगदान रहता है, अर्थात जनपद में औसत आयु दर कम है। परन्तु 0 से 24 साल की आयु वर्ग के भीतर यह देखने को मिलता है कि पुरूषों की जनसंख्या की अपेक्षा स्त्रियों की जनसंख्या में 2% की गिरावट हुई है जो कि जनपद उत्तरकाशी में लिंगानुपात के लिए मामूली अन्तर है। आंकड़ें तालिका से स्पष्ट होते है।

जनपद में आयु वर्गानुसार जनसंख्या (जनगणना – वर्ष 2011)							
आयु वर्ग	कुल			ग्रामीण		नगरीय	
	पुरूष	स्त्रियां	योग	पुरूष	स्त्रियां	पुरूष	स्त्रियां
सभी आयु	168597	161489	330086	155375	150406	13222	11083
5—09	35610	32830	68440	33782	31401	2228	1029
10—14	21165	19707	40872	19585	18492	1580	1215
15—19	18761	17412	36173	17271	16118	1490	1294
20—24	15614	15467	31081	14350	14433	1264	1034
योग	91150	85416	176566	84988	80444	6562	4572
25—29	13012	12848	25860	11976	11775	1036	1073
30—34	11161	10868	22029	10109	9904	1052	964
35—39	10508	10433	20941	9559	9526	949	907
40—44	9024	8730	17754	8136	8016	888	714
45—49	7770	7503	15273	6957	6885	813	618
50—54	6652	6180	12832	5985	5723	667	457
55—59	5048	4910	9958	4582	4661	466	249
योग	63175	61472	124647	57304	56490	5871	4982
60—64	5621	5888	11509	5368	5637	253	251
65—69	3365	3440	6805	3207	3267	158	173
70—74	2472	2506	4978	2315	2377	157	129
75—79	1289	1220	2509	1215	1147	74	73
>=80	1291	1363	2654	1182	1284	109	79
आयु नहीं बताई	234	184	418	196	160	38	24

योग	14272	14601	28873	13483	13872	789	729
महायोग	168597	161489	330086	155775	150806	13222	10283

DSTO UTK

तालिका 1.6

उत्तरकाशी जनपद में वर्ष 1901 से वर्ष 2011 के मध्य जनसंख्या में हुए दशकीय बदलाव को निम्न तालिका में दर्शाया गया है, जिसमें वर्ष 1951 से वर्ष 1981 के मध्य जनसंख्या में वृद्धि दर देखी गयी है जबकि वर्ष 1981 में बढ़कर 29.19% हो गया था। वर्ष 1991 से जनसंख्या में हर दशक में गिरावट होते हुए वर्ष 2011 तक जनसंख्या में 11.89% की वृद्धि दर पर पहुँच चुकी है, जिससे जनपद से पलायन की पुष्टि होती है।

वर्ष 1901 की स्थिति से वर्ष 2011 के मध्य जनसंख्या में दशकीय बदलाव						
जनपद	जनगणना वर्ष	जनसंख्या	पूर्ववर्ती जनगणना के बाद से बदलाव		पुरूष	महिला
			शुद्व बदलाव	प्रतिशत		
उत्तरकाशी	1901	69,209	–	–	34,343	34,866
	1911	77,429	+8,220	+11.88	38,213	39,216
	1921	81,958	+4,529	+5.85	40,282	41,676
	1931	89,978	+8,020	+9.79	44,611	45,367
	1941	1,02,280	+12,302	+13.67	51,758	50,522
	1951	1,06,058	+3,778	+3.69	53,214	52,844
	1961	1,22,836	+16,778	+15.82	62,534	60,302
	1971	1,47,805	+24,969	+20.33	77,832	69,973
	1981	1,90,948	+43,143	+29.19	1,01,533	89,415
	1991	2,39,709	+48,761	+25.54	1,24,978	1,14,731
	2001	2,95,013	+55,304	+23.07	1,52,016	1,42,997
	2011	3,30,086	+35,073	+11.89	1,68,597	1,61,489

CENCUS UTK

जनपद में कुल जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत ग्राम								
वर्ष / विकासखण्ड	200 से कम	200–499	500–999	1000–1499	1500–1999	2000–4999	5000 या अधिक	योग
2015–16	262	286	98	14	7	2	0	669
2016–17	200	298	127	27	5	8	0	665
2017–18	186	309	142	41	7	8	1	694
विकासखण्डवार 2017–18								
मोरी	20	49	19	3	1	0	0	92
पुरोला	27	30	17	2	1	2	0	79

नौगांव	55	88	29	7	1	1	0	181
डुण्डा	27	53	24	13	2	2	0	121
चिन्यालीसौड	23	45	25	7	1	0	1	102
भटवाड़ी	17	41	26	9	1	3	0	97
योग विकासखण्ड	169	306	140	41	7	8	1	672
वन क्षेत्र	17	3	2	0	0	0	0	22
योग जनपद	186	309	142	41	7	8	1	694

DSTO UTK

200 से कम या 10000 से ऊपर जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या का विवरण उपरोक्त तालिका में वर्षवार एवं विकासखण्ड़वार उपलब्ध है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद में 200 से कम जनसंख्या वाले 186 ग्राम, 200 से 499 तक की जनसंख्या वाले 309 ग्राम, 500 से 999 की जनसंख्या वाले 142 ग्राम तथा 1000 से 1499 की जनसंख्या वाले 41 ग्राम हैं, इससे अधिक जनसंख्या वाले मात्र 16 ग्राम हैं।

क्र0स0	विकासखण्ड का नाम	जनसंख्या		दशकीय परिवर्तन	
		वर्ष 2001	वर्ष 2011	संख्या	प्रतिशत
1	भटवाड़ी	51995	56405	4410	8.48%
2	चिन्यालीसौड	43962	49641	5679	12.92%
3	डुण्डा	55848	59843	3995	7.15%
4	नौगांव	57685	65668	7983	13.84%
5	पुरोला	27187	31863	4676	17.20%
6	मोरी	33374	39691	6317	18.93%
विकासखण्ड योग		270051	303111	33060	12.24%
वन बस्तियों की जनसंख्या		2044	2670	626	30.63%
नगरीय जनसंख्या		22918	24305	1387	6.05%
महायोग		295013	330086	35073	**11.89%**

DSTO UTK

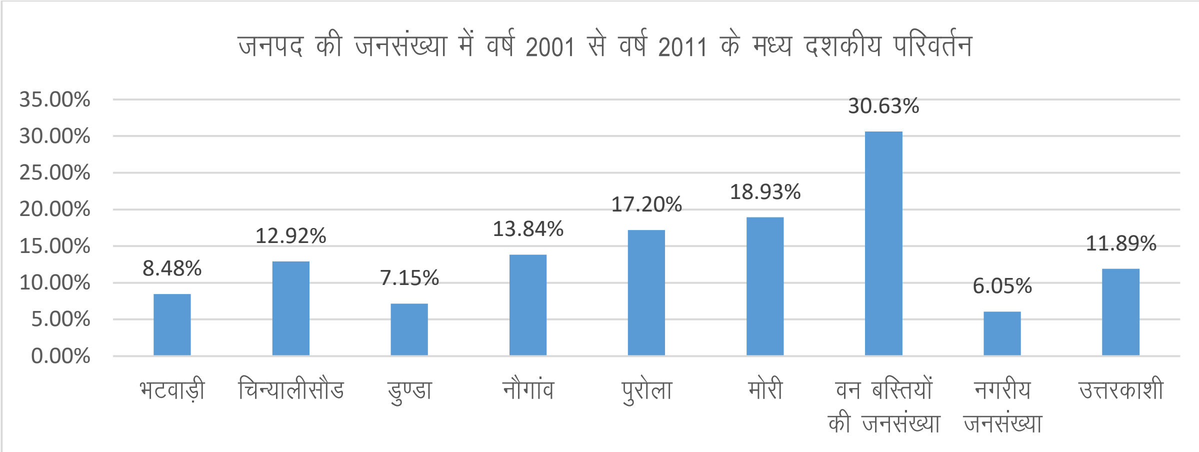

जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्डवार जनसंख्या में वर्ष 2011 के लिए दशकीय परिवर्तन देखें तो आंकड़ों से ज्ञात होता है कि विकासखण्ड मोरी में सबसे अधिक 19.93% व विकासखण्ड डुण्डा में सबसे कम 7.15% दशकीय परिवर्तन देखा जा सकता है। जबकि इसके विपरीत वन बस्ती जनसंख्या में 30.63% व नगरीय जनसंख्या में 6.05% दशकीय परिवर्तन हुआ है।

❖ 1.7 अर्थव्यवस्था

जनपद उत्तरकाशी में मौजूदा कीमतों पर अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वर्ष 2011–12 में 227097 लाख रूपये, वर्ष 2012–13 में 252692 लाख रूपये, वर्ष 2013–14 में 297209 लाख रूपये, वर्ष 2014–15 में 305338 लाख रूपये, वर्ष 2015–16 के लिए 327121 लाख रूपये अनुमानित एवं वर्ष 2016–17 के लिए अनंतिम रूप से 361225 लाख रूपये का अनुमान है। अर्थव्यस्था की वृद्धि यानि जीडीपी लगातार कीमतों पर वर्ष 2011–12 में 227097 रूपये, वर्ष 2012–13 में 223977 रूपये, वर्ष 2013–14 में 252930 रूपये, वर्ष 2014–15 में 263741 रूपये, वर्ष 2015–16 के लिए 276800 एवं वर्ष 2016–17 के लिए 293578 रूपये अनंतिम रूप से अनुमानित है।

प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2011–12 में 61471 रूपये, वर्ष 2012–13 में 67402 रूपये, वर्ष 2013–14 में 76362 रूपये, वर्ष 2014–15 में 77596 रूपये, वर्ष 2015–16 के लिए 81954 एवं वर्ष 2016–17 के लिए 89190 रूपये अनंतिम रूप से अनुमानित है।

जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण वर्ष 2011

श्रमिक और गैर श्रमिक							
कुल श्रमिक	मुख्य कर्म करों की जनसंख्या	सीमान्त कमकरों की जनसंख्या	गैर श्रमिक की जनसंख्या	कुल श्रमिकों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	मुख्य कर्म करों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	सीमान्त कमकरों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	गैर श्रमिक का कुल जनसंख्या से प्रतिशत
157276	128367	28909	172810	47.65%	38.89%	8.76%	52.35%

DSTO UTK

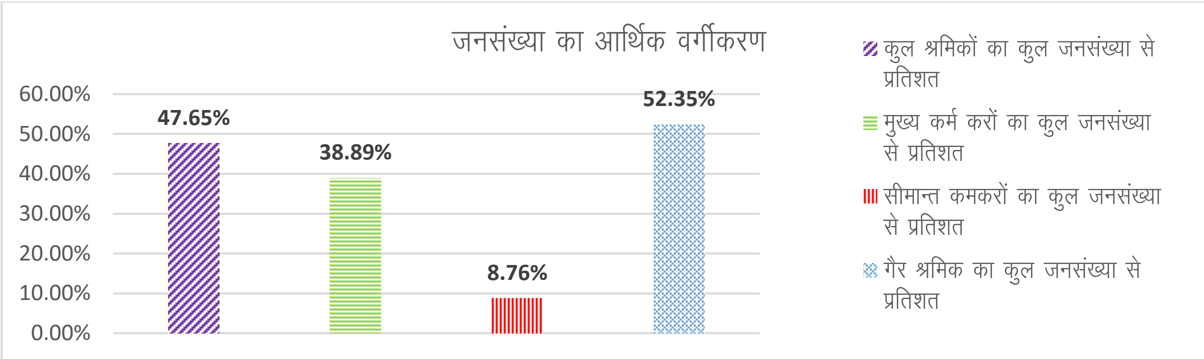

जनपद में जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि गैर श्रमिकों का आंकड़ा अन्य से अधिक है जिसका आशय है कि जनपद में रोजगार हेतु मानव शक्ति (मैन पावर) उपलब्ध है जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है। जिसे तालिका और ग्राफ के आकडों से समझा जा सकता है।

कुछ प्रमुख मदों के विकासखण्डवार संकेतक							
क्र0 सं0	विकासखण्ड	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी0 वर्ष 2011	अनु0जाति/जनजाति का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 2011	कुछ मुख्य कर्मकरों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 2011	कृषि में लगे कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत वर्ष 2011	पारिवारिक उद्योग में कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत वर्ष 2011	साक्षर व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 2011
1	मोरी	446.57	29.98	47.18	90.92	0.79	63.49
2	पुरोला	569.02	36.62	41.53	85.62	0.73	73.82
3	नौगांव	155.98	30.17	42.22	87.77	1.62	73.3
4	डुण्डा	471.2	26.14	37.12	82.69	1.06	76.12
5	चिन्यालीसौड	373.24	26.71	32.68	81.88	0.55	74.73
6	भटवाड़ी	226.53	13.1	39.21	62.97	2.62	82.72
समस्त विकासखण्ड		282.00	26.29	39.67	81.73	1.33	74.69

DSTO UTK

जनपद में विकासखण्डवार प्रमुख मदों के संकेतांक तालिका में दिये गये है, जिसके आंकडों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011 के लिए विकासखण्ड नौगांव में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम 155.98 प्रति वर्ग किमी तथा सबसे अधिक पुरोला विकासखण्ड का 569.02 प्रति वर्ग किमी रहता है अर्थात नौगांव विकासखण्ड से पलायन अधिक हुआ है तत्पश्चात भटवाड़ी व चिन्यालीसौड विकासखण्ड से हुआ है।

विकासखण्ड भटवाड़ी में अनु0 जाति/जनजाति का कुल जनसंख्या में अन्य विकासखण्डों की अपेक्षा एवं सभी विकासखण्ड के औसत से भी कम 13.1 व्यक्ति निवास करते है। इसी कारण से इस विकासखण्ड में कृषि में लगे कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत सभी विकासखण्डों के औसत से भी कम 62.97 प्रतिशत रहता है। जनपद में पारिवारिक उद्योग में कर्मकरों

का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत सबसे कम चिन्यालीसौड में देखने को मिलता है, जो जनपद के लिए मात्र 1.33 प्रतिशत पर रूक जाता है जिसे बढाने की अति आवश्यकता है जिससे जनपद से हो रहे पलायन को रोका जा सकता है।

जनपद में विकास खण्डवार जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

वर्ष / विकासखण्ड	मुख्य कर्मकर					सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर
	कृषक	कृषि श्रमिक	पारिवारिक उद्योग	अन्य	कुल		
1991	89177	1516	819	23481	114993	6438	121431
2001	85990	941	1467	26444	114842	21062	135904
2011	96836	2389	1960	27182	128367	28909	157276
विकासखण्डवार 2011							
मोरी	16206	821	148	1552	18727	2228	20955
पुरोला	11085	244	96	1807	13232	1589	14821
नौगांव	23762	573	448	2942	27725	5182	32907
डुण्डा	18154	215	236	3608	22213	7122	29335
चिन्यालीसौड	13209	76	89	2850	16224	6475	22699
भटवाड़ी	13545	383	579	7612	22119	4838	26957
समस्त विकासखण्ड	95961	2312	1596	20371	120240	27434	147674
वन क्षेत्र	340	12	101	522	975	418	1393
ग्रामीण क्षेत्र	96301	2324	1697	20893	121215	27852	149067
नगर क्षेत्र	535	65	263	6289	7152	1057	8209
योग जनपद	96836	2389	1960	27182	128367	28909	157276

तालिका के आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनपद के सभी विकासखण्ड में कृषक कर्मकरों की संख्या की अपेक्षा पारिवारिक उद्योगों की संख्या बहुत कम है। वर्ष 1991 से वर्ष 2011 के मध्य मुख्य कर्मकरों की संख्या में मामूली वृद्धि देखने को मिलती है, जबकि सीमान्त कर्मकरों की संख्या में इन दशकों के मध्य अधिक वृद्धि वाले आंकड़ें दर्ज हुए है।

प्राथमिक क्षेत्र

उत्तराखण्ड कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट वर्ष 2009–10 के अनुसार जनपद का लगभग 88.6% भूमि जंगल से आच्छादित है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 3.38% खेती के लिए उपलब्ध है। चावल, गेहूँ, मक्का और बाजरा जनपद की प्राथमिक फसलें हैं। जनपद में उगाए जाने वाली मुख्य दालें राजमा, काले चने, गहत और सोयाबीन है। 30975 हैक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 6241 हेक्टेयर में सिंचाई होती है अर्थात 20.15% में सिंचाई होती है, जबकि 79.85% क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। जनपद की अर्थवयवस्था मुख्य रूप से कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों पर निर्भर है।

द्वितीयक क्षेत्र

राज्य के अन्य जनपदों की तुलना में जनपद में औद्योगीकरण बहुत कम है। एक भी बड़ा और मध्यम उद्यम नहीं है, इसका श्रेय कठिन भूभाग और पहाड़ी क्षेत्रों के स्थलाकृति को दिया जा सकता है। जिला औद्योगिक केन्द्र के अनुसार जनपद में 2349 लघु उद्योग पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 4685 दैनिक श्रमिक काम करते हैं। वर्ष 2010–11 के लिए उद्योगों के लिए कुल निवेश 2941.32 लाख रूपये था। जनपद में कुछ प्रमुख सूक्ष्म, छोटे और रेडीमेड परिधान और कढ़ाई (610 इकाइयाँ), लकडी पर आधारित इकाइयाँ 189, कृषि–आधारित प्रसंस्करण इकाइयाँ 102, ऊनी रेशम कृत्रिम धागा आधारित कपडे इकाइयाँ 45, हथकरघा इकाइयाँ 29, और हस्तकला इकाइयाँ 26 आदि हैं।

तृतीयक क्षेत्र

जनपद सुन्दर, मनमोहक परिदृश्यों के दुर्लभ दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है जो धार्मिक व साहसिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जनपद दो महत्वपूर्ण तीर्थस्थानों यानि गंगोत्री और यमुनोत्री के कारण महत्व प्राप्त करता है। इसके अलावा अन्य आकर्षण स्थलों में विश्वनाथ मन्दिर, शक्ति मन्दिर, गोविन्द नेशनल पार्क, हर की दून, दयारा बुग्याल और हर्षिल आदि है। वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को अनुदान का समर्थन मिला है।

जनपद चमोली

जनपद चमोली को दिनांक 14 फरवरी, 1960 को तत्कालीन जनपद पौड़ी की तहसील चमोली को उच्चीकृत कर जनपद का दर्जा प्रदान किया गया था। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8030 वर्गकिलोमीटर है। जनपद के उत्तर–पश्चिम में जनपद उत्तरकाशी, दक्षिण–पश्चिम में जनपद पिथौरागढ़, दक्षिण–पूर्व में जनपद अल्मोड़ा, दक्षिण–पश्चिम में जनपद रूद्रप्रयाग, पश्चिम में जनपद टिहरी गढ़वाल तथा उत्तर में तिब्बत की सीमा लगती है। जनपद की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 3,91,605 है। जनपद में 9 विकास खण्ड, 12 तहसील तथा 1244 राजस्व ग्राम हैं। यहाँ का अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण यहाँ की मिट्टी पथरीली तथा उबड़–खाबड़ है। अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इनका मुख्य व्यवसाय खेती तथा पशुपालन है। कुल जनसंख्या का 81.78 प्रतिशत आबादी गाँवों में तथा 18.22 प्रतिशत आबादी नगर क्षेत्र में निवास करती है।

2.1 भूमि संरचना

भौतिक संरचना की दृष्टि से जनपद चमोली का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। इसमें हिमशिखरों, हिमानियों, तप्तकुण्ड़ों, सरोवरों, नदियों, जंगल एवं झाड़ियों की भरमार है। जनपद का समस्त उत्तरी भाग हिमाच्छादित है। पूरे जनपद में 24 से 26 तक ऐसी हिमाच्छादित चोटियाँ हैं जो 20 हजार फीट से अधिक ऊंची है। प्रमुख पर्वत शिखरों में नन्दादेवी, नन्दाघूंघटी, स्वर्गारोहण, नीलकण्ठ एवं हाथी/घोड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं। नन्दा देवी चोटी की ऊंचाई 7818 मीटर है। उत्तरी श्रेणी के दक्षिण में उसी के समान्तर लघु हिमालय की श्रेणी हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। यहाँ शीत ऋतु में 3–4 माह हिमपात होता है। इस क्षेत्र की चट्टानें बहुत पुरानी है जिसमें स्लेट चूना पत्थर तथा क्वाटर्स की अधिकता पाई जाती है। इस भाग में कोणधारी वन मिलते हैं तथा ढ़ालों पर छोटे–छोटे घास के मैदान पाये जाते हैं जिन्हें बुग्याल कहा जाता है।

2.2 प्रवाह प्रणाली

जनपद की सबसे बड़ी नदी अलकनन्दा है जो बद्रीनाथ के समीप तिब्बत की सीमा के निकट 7800 मीटर की ऊंचाई से निकलती है तथा नीती दर्रे के निकट जास्कर श्रेणी से धौलीगंगा निकलती है जो विष्णुप्रयाग में अलकनन्दा से मिलकर एक हो जाती है तथा नन्दाकिनी, नन्दप्रयाग नामक स्थान पर अलकनन्दा में मिल जाती हैं इसकी एक अन्य सहायक नदी पिण्डर,

पिण्डारी हिमनद से निकलकर कर्णप्रयाग में अलकनन्दा में मिल जाती है। उक्त नदियों के अतिरिक्त यहाँ अनेक ताल एवं कुण्ड भी हैं।

Description	Year 2011	Year 2001
Population	3.92 lakhs	3.70 lakhs
Actual Population	391605	370359
Male	193991	183745
Female	194617	186614
Population Growth	5.74%	13.87%
Area Sq. Km.	8030	8030
Density/km2	49	48
Proportion to Uttarakhand Population	3.88%	4.36%
Sex Ratio (Per 1000)	1019	1016
Child Sex Ratio (0-6 Age)	889	935
Average literacy	82.65	75.43
Male Literacy	93.40	89.66
Female Literacy	72.32	61.63

Description	Rural	Urban
Population	84.83%	15.17%
Total Population	332209	59396
Male Population	160369	33622
Female Population	171840	25774
Sex Ratio	1072	767
Child Sex Ratio (0-6)	899	829

	Population in lakhs (2011 census)	Districts share in states population (%)	Percentage of urban population (2011 census) *	Area in sqkms.	Percentage of state's geographical area
Chamoli	3.91	3.87	15.17	7692	14.38

**State Urban population % is 30.55(2011 census)*

Demographic Data

Census wise data

Year	Pop.	±%p.a.
1901	102,602	--
1911	114,599	+ 1.11%
1921	115,924	+0.12%

1931	127,559	+ 0.96%
1941	143,861	+ 1.21%
1951	152,823	+ 0.61%
1961	182,606	+ 1.80%
1971	213,629	+ 1.58%
1981	265,216	+ 2.19%
1991	325,247	+ 2.06%
2001	370,359	+ 1.31%
2011	391,605	+ 0.56%

Block's whose population has declined between 2001 and 2011

Chamoli	31.10 %(Rural poverty)	Dasholi-2.88% Pokhari-13.39% Karanparyag-8.45% Tharali-12.43% Gairsain-6.96%

2.3 जिला घरेलू उत्पाद

सकल राज्य/जनपद सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) Gross State/District Domestic Product (At current prices) :— सकल राज्य एवं घरेलू उत्पाद जिसे सामान्यतः राज्य आय (State Income) के नाम से भी जाना जाता है किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदण्ड है। यह अनुमान राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को भी प्रदर्शित करता है। वर्ष 2017—18 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 2016—17 (त्वरित) के रू0 195606/—करोड की तुलना में रू0 217609 करोड़ अनुमानित है, जोकि 11.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान विनिर्माण (37.57 प्रतिशत), निर्माण (8.70 प्रतिशत), व्यापार होटल एवं जलपान गृह (12.72 प्रतिशत), तथा परिवहन भण्डारण संचार एवं प्रसारण (8.07 प्रतिशत) से सम्बन्धित सेवा आदि आर्थिक गतिविधियों को जाता है। राज्य आय के अनुमान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, गैर वित्तीय संस्थाओं, सरकारी, निजी, गैर सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों, पारिवारिक उद्यमों आदि की आर्थिक गतिविधियों का आंकलन कर राज्य उत्पादन के आंकड़े तैयार किये जाते हैं। जनपद में वर्ष 2016—17 (अनन्तिम) में चमोली का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) राज्य में रू0 573115.00 लाख है।

सकल राज्य/जनपद सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव पर) (Gross District Domestic Product at Constant Prices):— स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के वास्तविक आकार एवं राज्य की विकास दर को प्रदर्शित करता है। प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017—18 के स्थिर भाव पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद रू0 173444 करोड़ अनुमानित है, जबकि वर्ष 2016—17 (त्वरित) में यह रू0 162451 करोड़ अनुमानित है जो कि प्रदेश की आर्थिक विकास की दर वर्ष 2017—18 मे ंस्थिर भावों (आधार वर्ष 2011—12) पर 6.77 प्रतिशत दर्शाता है। वर्ष 2016—17 (अनन्तिम) अनुमान के अनुसार चमोली का सकल घरेलू उत्पाद राज्य में रू0 467071 लाख है।

आर्थिक विकास दर (स्थिर भाव पर):– स्थिर भाव (वर्ष 2011–12) के अनुसार जनपद चमोली की आर्थिक विकासदर 6.23 प्रतिशत है।

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) :– राज्य निवल घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product) के आधार पर वर्ष 2016–17 (अनन्तिम) अनुमानों में जनपद चमोली की प्रतिव्यक्ति आय रू0 118448 अनुमानित है।

District wise percentage contribution to domestic product (at current prices) of various sectors (DES 2015 and 2018)

Name of district	Primary sector 2004-05	Secondary sector 2004-05	Tertiary sector 2004-05	Primary sector 2013-14	Secondary sector 2013-14	Tertiary sector 2013-14
Chamoli	37.16	24.50	38.34	25.87	31.43	42.70
Uttarakhand	23.48	27.02	49.50	15.61	35.06	49.34

State/ District wise Domestic Product (in Rs lakhs at current prices) (DES 2015 and 2018)

Name of district	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2016-17 PE
Chamoli	252969	297199	335188	381241	439764	573115
Uttarakhand	6668324	8396895	9785772	10786835	12243330	21760900

District wise rate of annual growth of gross domestic product (in % at constant prices) (DES 2015 and 2018)

Name of district	2009-10	2010-11	2012-12	2012-13	2013-14	2016-17(as 2011-12 prices)
Chamoli	10.08	-0.49	6.11	4.48	7.20	6.23
Uttarakhand	11.61	16.44	9.37	5.61	5.65	6.95

District wise per capita income (in Rs) (DES 2015 and 2018)

Name of district	2010-11	2012-12	2012-13	2013-14	2016-17
Chamoli	62,269	69543	78371	90,173	1,18,448
Uttarakhand	73,819	85,372	92,191	1,03,349	1,61,102

Uttarakhand Human Development report 2019 salient data on Chamoli district

1- District growth rate 2016-17….6.2%, state average 7.0%
2- District poverty rate 17….27.7%, state average 15.6 %
3- District average per capita income (2016-17) Rs 1,18,000/ State Per capita income Rs 1,61,000
4- District % of rural households receiving remittances from migrants 61.8%

जनपद पिथौरागढ़

वर्ष 1960 में अल्मोड़ा जिले को विभाजित कर निर्मित जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। औसत समुद्र तल से 1650 मीटर की ऊँचाई पर स्थित, जिला मुख्यालय एक सुंदर घाटी में स्थित है जिसे सौर घाटी के नाम से जाना जाता है। इस खूबसूरत घाटी, सुरम्य परिदृश्य और भव्य मौसम के कारण इस जिले को छोटा कश्मीर के रूप में भी जाना जाता है। जिले की पूर्वी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है, जो काली नदी के साथ दो देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, और उत्तरी सीमा को तिब्बत (चीन) के साथ साझा करती है। जिले के दक्षिण में चम्पावत और अल्मोड़ा जिला हैं, और पश्चिम में चमोली और बागेश्वर जिला हैं। कुल 7,090 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र वाला, उत्तरकाशी और चमोली के बाद पिथौरागढ़ राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। पिथौरागढ़ अपने खूबसूरत परिदृश्य, बुग्याल एवं दर्रों, वनस्पतियों और जीवों, मंदिरों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जाना जाता है। जिले से होकर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ शारदा, धौलीगंगा, सरयू, रामगंगा आदि हैं।

3.2 जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की कुल आबादी 4,83,439 है, जिसमें 2,39,306 पुरुष और 2,44,133 महिलाएं हैं। वर्ष 2011 के लिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि 4.58% है और इस वृद्धि में पिछले चार जनगणना में गिरावट का रुझान रहा है, वर्ष 2001 की जनगणना में यह लगभग 11% था।

3.3 टोपोग्राफी (स्थलाकृति)

पिथौरागढ़ एक पहाड़ी जिला है जो चारों ओर बर्फ से ढकी हिमालय और घाटियों से घिरा हुआ है। जिले की ऊँचाई 2,000 फीट से 20,000 फीट तक है। जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में ऊंची पर्वत चोटियाँ, मैदान और मार्ग मौजूद हैं।

3.4 प्रशासनिक व्यवस्था

जिले को 11 तहसीलों और 8 विकास खण्डों (ब्लॉक) में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त 64 न्याय पंचायतें, 690 ग्राम पंचायतें और 1657 गाँव हैं। थल, गणाईगंगोली, कनालीछीना, बंगापानी और देवलथल चार नव निर्मित तहसील हैं।

तालिका 1.1: प्रशासनिक व्यवस्था		
क्रम सं.	तहसील का नाम	ब्लॉक का नाम
1	मुनस्यारी	मुनस्यारी
2	धारचूला	धारचूला
3	डीडीहाट	डीडीहाट
4	गंगोलीहाट	गंगोलीहाट

5	पिथौरागढ़	बिन
6	बेरीनाग	बेरीनाग
7	गणाईगंगोली	मुनाकोट
8	बंगापानी	कनालीछीना
9	थाल	
10	कनालीछीना	
11	देवलथल	

□□□□□: *https://pithoragarh.nic.in/*

3.5 शहरी क्षेत्र

जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ लगभग 1,66,801 (2011 की जनगणना) की आबादी वाला सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है, जिसमें जिले की आबादी लगभग 35% है। इसमें सेना, आई.टी.बी.पी. और एस.एस.बी. से संबंधित कई छावनी क्षेत्र हैं। इसके अलावा जिले में चार नगरपालिकाएं डीडीहाट, बेरीनाग, धारचूला और गंगोलीहाट हैं।

3.6 जलवायु

संपूर्ण जिला पर्वतीय है और ग्रीष्मकाल में हल्की गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक ठंडी जलवायु होती है। तिब्बत/चीन की सीमा से सटे जिले का ऊपरी क्षेत्र साल भर बर्फ से ढकां हुआ रहता हैं और मैदानी क्षेत्र साल में छह महीने बर्फ से ढकां रहता हैं। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान हिमपात और मानसून में वर्षा होती है।

❖ प्रक्रिया और पद्धति

यह रिपोर्ट भारत–चीन सीमावर्ती जनपदों यथा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सीमावर्ती विकासखण्डों एवं अर्न्तराष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित ग्रामों की सामाजिक–आर्थिक मानकों का, विशेषतः उन कारणों के संदर्भ में जो पलायन पर असर डालती है का विस्तार से जांच करती है। माध्यमिक जानकारी का आधार जनपद के रेखीय विभागों के जनपदस्तरीय अधिकारियों की प्रकाशित और अप्रकाशित सूचनाएं हैं। प्राथमिक जानकारी, आयोग की टीम, खण्ड विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र भ्रमण से संकलित की गई सूचनाओं पर आधारित है। विकास खण्डवार आंकडे एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

इस रिपोर्ट में सीमावर्ती ग्रामों की ग्रामीण सामाजिक–अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये सिफारिशें प्रस्तुत की गयी हैं जिससे पलायन को कम किया जा सकेगा, साथ ही रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिलेगा।

अध्याय–2

सीमावर्ती विकासखण्ड भटवाड़ी

परिचय

भारत–चीन सीमावर्ती जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी के अंतर्गत हर्षिल न्याय पंचायत में कुल 10 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायत मुखवा की दो राजस्व ग्राम नेलांग और जादुंग में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 29 व 48 जनसंख्या के आंकड़ें प्राप्त हुए है, जबकि वर्तमान में उल्लिखित दोनों ग्राम गैर–आबाद हैं। इस अध्याय में विकासखण्ड एवं सीमावर्ती ग्रामों का संक्षिप्त परिचय वर्णित है।

2.1 भौगोलिक परिदृश्य :– जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी से लगभग 30 किमी दूर स्थित भटवाड़ी विकासखण्ड समुद्र तल से 1569 मीटर की ऊँचाई पर अवस्थित है जो कि 14784.491 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड भटवाड़ी की 240 किमी लम्बी सीमा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है। जिसके उत्तर पूरब में चीन, उत्तर पश्चिम में उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय, दक्षिण पश्चिम में टिहरी, दक्षिण में रूद्रप्रयाग तथा दक्षिण पूरब में चमोली जनपद स्थित है। भटवाड़ी के आसपास के घाटी में ग्रीष्म ऋतु सुखद होती है हालांकि सर्दियां ठण्डी होती है, मासिक औसत तापमान जनवरी में न्यूनतम 3.4^0C तापमान तथा मई में अधिकतम 28.4^0C के बीच रहता है

2.2 जनसांख्यिकी :– जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार विकासखण्ड भटवाड़ी में कुल 84 ग्राम पंचायत व 97 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। जिनकीं कुल जनसंख्या 56405 हैं, जो कि विकासखण्ड में निवासरत कुल 13087 परिवारों के 29903 पुरूष तथा 26502 महिला संवर्ग का योग है। विकासखण्ड के 24610 पुरूष तथा 16284 महिला संवर्ग द्वारा साक्षरता में अपना योगदान देते हुए 82.73 प्रतिशत साक्षरता दर से सहयोग किया जाता है। विकासखण्ड में जनसंख्या वृद्धिदर जनगणना वर्ष 2001 एवं जनगणना वर्ष 2011 के मध्य विकासखण्ड मोरी के बाद सबसे कम 8.5 प्रतिशत की दर से दूसरे स्थान पर जनपद के अन्य विकासखण्डों के सापेक्ष रहा है। विकासखण्ड द्वारा जनपदान्तर्गत जनसंख्या घनत्व में 1095.89 प्रति वर्ग किमी की दर से योगदान रहता है।

जनपद उत्तरकाशी में जनसांख्यिकीय बदलाव							
विकासखण्ड / जनपद	जनगणना वर्ष 2001	जनगणना वर्ष 2011	जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या बदलाव	बदलाव प्रतिशत	आयोग की द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष सितम्बर 2022 तक की जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 से 2022 के मध्य जनसंख्या बदलाव	बदलाव प्रतिशत
भटवाड़ी	51995	56405	4410	8.5%	53579	-2826	-5.0%
चिन्यालीसौड	43962	49641	5679	12.9%	51868	2227	4.5%
डुण्डा	**55848**	**59843**	3995	7.2%	**71943**	**12100**	20.2%
नौगांव	57685	65668	7983	13.8%	74406	8738	13.3%
पुरोला	27187	31863	4676	17.2%	31774	-89	-0.3%
मोरी	33374	39691	6317	18.9%	46316	6625	16.7%

वन बस्ती	2044	2670	626	30.6%	…………	………	……
जनपद उत्तरकाशी में जनसांख्यिकीय बदलाव	272095	305781	33686	12.4%	329886	26775	8.8%

आयोग द्वारा वर्ष 2022 में करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार जनपद के विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत वर्ष 2011 से वर्ष 2022 के मध्य जनसंख्या वृद्धिदर में 5.0% के ऋणात्मक आंकड़ें प्राप्त होना पलायन की पुष्टि करते हैं। जनसांख्यिकीय आंकड़ों को उपरोक्त तालिका में वर्णित किया गया है।

2.3 विकासखण्ड भटवाड़ी की विशेषताएं :– भारत एवं विश्व में सुप्रसिद्ध गंगोत्री धाम जनपद उत्तरकाशी के इसी विकासखण्ड भटवाड़ी में ही स्थित है, जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शनार्थ आते हैं, जो कि भटवाड़ी विकासखण्ड में आजीविका के संसाधनों में अपनी अहम भूमिका निभाते है। विकासखण्ड भटवाड़ी में पर्यटन के साथ–साथ स्थानीय निवासियों द्वारा राजमा, आलू, तथा सेब का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है। अर्थात विकासखण्ड के स्थानीय निवासियों द्वारा आय के मुख्य स्रोत के रूप में कृषि, बागवानी के अलावा पर्यटन को भी प्रमुखता से अपनाया हुआ है। विकासखण्ड भटवाड़ी में हिन्दी, उर्दू भाषा के साथ–साथ गढ़वाली बोली प्रमुखता के साथ उच्चारित की जाती है। विकासखण्ड में मात्र दो ही ग्राम नेलांग व जादुंग वर्तमान में गैर–आबाद हैं जो कि विकासखण्ड मुख्यालय से लगभग 80 से 96 किमी दूर तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से लगभग 108 से 124 किमी की दूरी पर स्थित हैं। विकासखण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किमी हवाई दूरी पर मात्र 08 राजस्व ग्राम ही मौजूद हैं।

2.4 विकासखण्ड में पहुँच संसाधन :– भटवाड़ी विकासखण्ड के अन्तर्गत सरलतम रूप से बस, टैक्सी, बाईक आदि के माध्यम से पहुँचा जा सकता है जिसके लिए मसूरी केम्टीफॉल एवं ऋषिकेश चम्बा मुख्य मोटर मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। भटवाड़ी विकासखण्ड की सड़क पहुँच की दूरी देहरादून मसूरी कैम्टीफॉल से लगभग 169 किमी तथा देहरादून ऋषिकेश चम्बा से लगभग 222 किमी है। दोनों मोटर मार्ग मनोरम प्राकृतिक दृश्यों एवं हिमालयन व्यू जैसे अपार सम्पदा से भरा हुआ है। जहाँ भारी मात्रा में पर्यटक हर वर्ष घूमने आते हैं। पर्यटकों की ठहरने एवं भोजन हेतु उचित व्यवस्था लगभग हर प्रसिद्ध स्थान पर मौजूद है। भटवाड़ी विकासखण्ड के अन्तर्गत पर्यटकों की सुविधा के लिए होटल, लॉज, रेस्टोरेन्ट, ए0टी0एम0, पैट्रोल पम्प, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी, स्वास्थ्य संबंधी आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं।

गंगोत्री तथा हर्षिल तक पहुँचने के संसाधन			
कहाँ से	कहाँ तक	दूरी (लगभग किमी में)	सेवा
भटवाड़ी	हरिद्वार	220	सड़क सेवा
भटवाड़ी	दिल्ली	450	सड़क सेवा
भटवाड़ी	ऋषिकेश	197	सड़क सेवा
भटवाड़ी	उत्तरकाशी	31	सड़क सेवा
भटवाड़ी	हर्षिल	47	सड़क सेवा
भटवाड़ी	गंगोत्री	67.6	सड़क सेवा
भटवाड़ी जानकी चट्टी	जानकी चट्टी यमनोत्री	153 06	सड़क सेवा पैदल
नई दिल्ली		जौलीग्राण्ट हवाई अड्डा	हवाई सेवा
नई दिल्ली		ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार के लिए विभिन्न ट्रेनें	रेलवे सेवा

2.5 प्रशासनिक व्यवस्था :– विकासखण्ड भटवाड़ी को प्रशासनिक रूप से 07 न्याय पंचायत में सम्मिलित 84 ग्राम पंचायतों की 97 राजस्व ग्रामों में विभाजित किया गया है। जो कि गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र एवं टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। विकासखण्ड के अन्तर्गत तहसील भटवाड़ी एवं नगर पंचायत गंगोत्री भी प्रशासनिक रूप से अपना योगदान देते हैं। विकासखण्ड की समस्त जनमानस हेतु आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में जनपद के सभी राजकीय विभाग, NGO एवं अन्य संस्थाएं कार्य कर रहे हैं।

2.6 पर्यटन की दृष्टि में विकासखण्ड भटवाड़ी :– विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत गंगोत्री धाम के अतिरिक्त मृत्युंजय महादेव मन्दिर, मन्धेश्वर मन्दिर, माता मल्ला देवी मन्दिर, रिंगांली देवी मन्दिर, ज्वाल्पा देवी का मन्दिर, नाग देवता मन्दिर, पंचनाम देवता मन्दिर, कल्प केदार, सोमेश्वर, बौद्ध मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, नातिन मन्दिर जैसे कई धार्मिक स्थलों के साथ ही ऋषि वन बुग्याल, ब्रह्मीताल, क्यारीकोटी बुग्याल, झिण्डा ताल, सात ताल, पोखरी बुग्याल, कण्डारा बुग्याल, बंदर पूँछ ट्रैक, अवाना बुग्याल, हर्षिल आदि पर्यटक स्थल भी मौजूद हैं। विकासखण्ड के अन्तर्गत हरदूद व सेलकू का मेला भी काफी प्रसिद्ध है जिन्हे स्थानीय जनमानस द्वारा बड़े हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाता है। उक्त सभी धार्मिक, पर्यटक और मेलों से आकर्षित होकर हजार तीर्थ यात्रियों के साथ–साथ पर्यटकों का यहाँ आना–जाना लगा रहता हैं। विकासखण्ड में लगभग 10 से 58 किमी की समीपवर्ती क्षेत्रों में खटवा गाड़, काली गंगा, खुटवा गाड, यमुना नदी, भागीरथी नदी, वासुकी गंगा, रानो गाड़, भिलंगना नदी, कमल नदी, अस्ज गंगा, बडयार गाड़, रिखनार गाड, इन्द्रावती गाड़, बिन्सी गाड़, मन्दाकिनी नदी, बोरूना गाड़ आदि गाड व नदियों का निरन्तर बहाव बना रहता है। जो कि वर्ड वाचरों एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रेमियों को आकर्षित करने के केन्द्र बने रहते हैं।

प्रमुख पर्यटक स्थल

नेलांग घाटी :– नेलांग उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी ब्लॉक का समुद्र तल से 11000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक सुन्दर पहाड़ी गांव है। नेलांग घाटी के लिए प्रसिद्ध यह गांव उत्तरकाशी से 115 किमी0 की दूरी पर स्थित है। हर्षिल से नेलांग की दूरी 40 किलोमीटर एवं भैरव घाटी से लगभग 20 किलोमीटर है। यहां के सुहावने दृश्य, मौसम एवं जलवायु लद्दाख/स्पीति घाटी से मेल खाते हैं, जिस कारण नेलांग घाटी को उत्तराखण्ड का लद्दाख भी कहा गया है। इस सुन्दर घाटी की ऊँची–ऊँची पर्वत चोटियां, ताल एवं लुभावने दृश्य पर्यटकों को अपनी सुन्दरता की ओर आकर्षित करती हैं। नेलांग घाटी चीन सीमा से सटी हुई है, इसलिए सामरिक दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण इस क्षेत्र को इनर लाइन क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्ष 2015 से पहले नेलांग घाटी में पर्यटकों का प्रवेश निषेध था, लेकिन वर्ष 2015 में 60 सालों के बाद इस घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। सुरक्षा कारणों से विदेशी पर्यटकों का घाटी में प्रवेश अभी भी वर्जित है। नेलांग घाटी अपनी साहसिक गतिविधियों के लिए भी जानी जाती है। पर्यटक यहां पर भारतीय सेना की अनुमति से ही प्रवेश कर सकते हैं। भारत–चीन सीमा पर भारत की सुमला, मंडी, नीला पानी, त्रिपानी, पीडीए और जादूंग नामक भारतीय सेना की अंतिम चौकियां हैं।

हर्षिल :– हर्षिल समुद्रतल से 7860 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी विकासखण्ड के भागीरथी नदी के तट पर स्थित हर्षिल घाटी एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह हिल स्टेशन हर्षिल वैली के नाम से सुप्रसिद्ध है। यहां से 30 किमी0 की दूरी पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान एवं 21 किमी0 की दूरी पर गंगोत्री है। हर्षिल की खोज ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत अंग्रेज फेड्रिक विल्सन ने की थी। इस जगह ने उन्हें इतना लुभाया कि वे अपनी नौकरी को छोड़ यहां स्थानीय लड़की से शादी कर यहीं के निवासी बन गए। फेड्रिक विल्सन यहां का एक सेब का पौधा इंग्लैंण्ड लेकर गए एवं तभी से वहां पर सेब की खेती व व्यापार होने लगा। इसी कारण विल्सन नाम से विख्यात सेब की प्रजाति आज भी हर्षिल में प्रसिद्ध है। यहां से इतना लगाव होने के कारण विल्सन ने हर्षिल को स्विट्जरलैण्ड की उपाधि भी दी थी। हर्षिल

घाटी अपनी बर्ड वॉचिंग और ट्रैकिंग के अन्य प्रकृति से भरे सुन्दर स्थानों के लिए भी जानी जाती है। यहां हर वर्ष हजारों की तादाद में पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं। यहां के मुख्य पर्यटन स्थल निम्न प्रकार से हैं :–

धराली :– हर्षिल से लगभग 3 किमी0 दूरी पर स्थित धराली एक खूबसूरत छोटा सा गांव है। जो कि अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है। धराली भागीरथी नदी के तट पर स्थित है जिस कारण यह पर्यटको को अपनी ओर लुभाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार धराली में कुल 137 परिवारों के कुल 583 लोग निवासरत हैं, जिनमें 307 पुरूष एवं 276 महिलाएं हैं। यहां पर भागीरथी नदी के पानी का सुन्दर दृश्य देखने के लिए आगंतुको की भीड़ लगी रहती है। ऐसी मान्यता है कि धराली में ही राजा भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्था की थी। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव शंकर जी की पालनहार के रूप में पूजा की जाती है।

मुखवा :– हर्षिल से लगभग 2 किमी0 की दूरी पर मुखवा गांव है। यह गांव अपनी प्राकृतिक अद्भुत खूबसूरती एवं मन को लुभाने वाले दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मुखवा में 124 परिवारों के 680 लोग निवास करते हैं जिनमें 352 पुरूष एवं 328 महिलाएं हैं। भागीरथी के अलावा इस गांव के निवासी ही गंगोत्री मंदिर के पुजारी हैं। प्रत्येक वर्ष जब सर्दियों में गंगोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं, तो देवी गंगा की प्रतिमा को पूरे विधि–विधान, गाजे–बाजे एवं जुलूस के साथ इस गांव में लाया जाता है तथा सर्दियों में 6 महीने बसंत आने तक देवी गंगा की पूजा यहीं पर की जाती है। यहां की ठंडी–ठंडी बहती हुई हवा की संगीतमय आवाज की धुन कानों को सुकून देती है। यहां हर वर्ष बर्फबारी होती है, जिसका कि पर्यटकों द्वारा खूब आनंद उठाया जाता है। इस जगह को देवी गंगोत्री का घर भी कहा जाता है। यह स्थान देवदार के हजारों तरह के वृक्ष एवं बर्डवॉचर्स के लिए भी अत्यधिक आकर्षित स्थान है। यहां पर पक्षियों की 500 से भी अधिक प्रजातियां हैं। जिनकी मधुर वाणी दिल, दिमाग और कानों में सुकून पैदा करती हैं।

बगोरी :– हर्षिल के इस गांव को सेब का भंडार भी कहा जाता है। यहां पर चारों तरफ सेब के ही बगीचे दिखायी देते हैं। मीठे एवं रसीले सेबों के लिए प्रसिद्ध यह गांव हर्षिल को चार चांद लगा देता है। यहां पर स्थित झील में पर्यटक नौका विहार का आंनद भी उठाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बगोरी में कुल 145 परिवारों के 567 लोग निवासरत हैं जिनमें 280 पुरूष एवं 287 महिलायें हैं। हर्षिल पहुंचने के लिए हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। यहां से लोकल टैक्सी क्रय कर पहुंच सकते हैं। यहां घूमने एवं भ्रमण हेतु फरवरी के महीने को सबसे सही माना जाता है।

दयारा बुग्याल :– दयारा बुग्याल उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले से 40 किमी की दूरी पर स्थित एक लोकप्रिय बुग्याल है। दयारा बुग्याल ट्रैकिंग के साथ–साथ कैंपिग के लिए भी प्रसिद्ध है। इस बुग्याल की औसतन ऊंचाई 3639 मीटर है। यह बुग्याल देवदार एवं बुरांस (रोडोंडेड्रोन) के खूबसूरत पेड़ों के बीच बसा वनस्पतियों और जीव जन्तुओं के लिए विख्यात है। सर्दियों में यह बुग्याल बर्फ की चादर ओढ़े अपनी सुन्दरता, स्कीइंग और बर्फीली गतिविधियों के लिए जाना जाता है। दयारा बुग्याल में ट्रक करने लिए सबसे अच्छा मौसम मई से नवम्बर माना जाता है। यह ट्रैक मानसून को छोड़कर वर्ष भर खुला रहता है। यह ट्रैक रायथल उत्तरकाशी से शुरू होता है। यह एक आसान एवं सुरक्षित ट्रैक है। दायरा बुग्याल से जौनली, रूद्रगैरा, श्रीखंड महादेव, नदां देवी, बंदरपूंछ, स्वर्गारोहणी एवं अन्य हिमालयी चोटियों के सुन्दर नजारे देखते को मिलते हैं।

बंदरपूंछ ग्लेशियर :– 3616 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की गोद में बसा बंदरपूंछ ग्लेशियर उच्च हिमालय श्रृंखला के पश्चिमी किनारे में बसा एक ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर लगभग 12 किमी लम्बा है। यह ग्लेशियर गंगोत्री हिमालय की रेंज में पड़ता है। यमुना नदी के उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद भी बंदरपूंछ चोटी का हिस्सा माना जाता है। इस पर्वतमाला की 3 प्रमुख चोटियों में पहली व्हाइट पीक (6102 मीटर) जिसे बैंडरपंच भी कहा जाता है, दूसरी बंदरपूंछ मुख्य शिखर (6316 मीटर) एवं तीसरी कालानाग (6387 मीटर) है। यहां पर ट्रेकिंग के लिए मार्च से अक्टूबर तक के महीनों को सही माना जाता है।

गंगोत्री :– गंगोत्री उत्तराखण्ड के चार धामों में से एक पवित्र धाम है। गंगोत्री उत्तराखण्ड राज्य में स्थित गंगा का उद्गम स्थल है, जोकि गंगोत्री मंदिर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊँचाई पर स्थित गंगोत्री का गंगाजी मंदिर, सूर्य, विष्णु और ब्रह्मकुण्ड आदि पवित्र स्थल यहीं पर हैं। यह पवित्र एवं उत्कृष्ठ मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। पतित पावनी मां गंगा का यह मंदिर अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खुलता है, और दीपावली पर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। मंदिर के निकट में भैरवनाथ जी का एक मंदिर है, जिसे राजा भगीरथ का तपोस्थल भी कहा जाता है। इसी स्थान पर जिस शिला पर बैठकर भगीरथ ने तपस्या की थी उस शिला को भगीरथ शिला कहा जाता है, तथा इसी शिला पर लोग पिंडदान भी किया करते हैं। यद्यपि मान्यता यह है कि गंगा मैया का उद्गम स्थल गोमुख के आकार के एक कुंड से हुआ है। यह दृश्य अत्यधिक मनोहर होने से दैवीय शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इस स्थान पर सूर्य, विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम पर अनेक कुंड हैं। गंगोत्री धाम के मंदिर की भव्यता के दर्शन कर श्रृद्धालु मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

ब्राह्मीताल :– समुद्र तल से 4600 मीटर (15091 फीट) की ऊंचाई पर स्थित एक अति मनमोहक झील ब्राह्मीताल उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले की उच्च ऊंचाई वाली झील है। इस ताल की यात्रा 5 दिन की होती है। जो जसपुर बेंड से शुरू और समाप्त होती है, जिसमें पंचमिलिया, अंगथेवड़ा, खदाथथरा और आडू टॉप में शिविर स्थल हैं। ब्राह्मीताल ट्रैक सुंदर घाटियों, शांत बस्तियों, नदियों, और ओक के जंगलों के रास्तों से होकर जाता है। सर्दियों में यह स्थल बर्फ से ढका रहता है, यहां से हिमालय के मनमोहक कर देने वाले दृश्य अतिआर्कषक दिखते हैं। उत्तरकाशी से ब्राह्मीताल की दूरी 22 किमी है। यहां ट्रेक के लिए सबसे अच्छा समय दिसम्बर से मार्च तक का माना जाता है।

सात साल :– उत्तरकाशी जनपद से 75 किमी की दूरी पर धराली गांव पड़ता हैं जिससे 05 किमी की पैदल दूरी पर श्रीकांठा पर्वत के नीचे दो किमी वर्ग क्षेत्र में फैला गंगोत्री हिमालय की गोद में बसा सात तालों का एक बहुत ही आर्कषक समूह है। यहां के स्थानीय लोग इस कहानी को पांडवो के स्वर्गारोहणी यात्रा से जोड़ते हैं। इन सात तालों के समूह में छटगिया ताल सबसे बड़ा ताल है।

सेलकू मेला :– उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में सेलकू मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। इस मेले का अपने आप में एक बहुत महत्व है। इस त्योहार के मनाए जाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। सोमेश्वर मंदिर के पुजारी बताते हैं, किरात में मशाल जलाकर इस त्योहार की शुरुआत की जाती है, दूसरे दिन दोपहर में देव पूजा की जाती है। गंगा घाटी के गांवों में धान, मंडुवा, आलू आदि फसलें तैयार हो जाती हैं तो इन्हें काटने के लिए इस पवित्र भूमि में सर्वप्रथम देव अनुमति लेने की परम्परा है।

अवाना बुग्याल :– समुद्र तल से 9580 फीट की ऊंचाई पर स्थित अवाना बुग्याल उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी विकासखण्ड में भारत–चीन सीमा पर एक बहुत ही सुंदर ट्रैक है। यह उत्तरकाशी के सीमान्त ग्राम झाला से शुरू होता है। सीमान्त ग्राम झाला अच्छी सड़क सुविधा होने के साथ उत्तरकाशी शहर से 69 किमी की दूरी पर स्थित है। यहां की छोटी–छोटी नदियों, झरनों के सुंदर दृश्यों के साथ–साथ ओक, रोडोडेंड्रोन और पेड़ों के घने जंगल इस ट्रेक की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अवाना बुग्याल पहुंचने पर यहां से नीचे घाटी का भी अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। अवाना बुग्याल से बंदरपूंछ, गंगोत्री की बर्फ ओढे हिमालय की ऊंची–ऊंची चोटियां सबका मन मोह लेती हैं।

कंडारा बुग्याल :– उत्तराखण्ड राज्य अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के लिए जाना जाता है, यहां का उत्तरकाशी जनपद बुग्यालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन्हीं सुन्दर बुग्यालों में भटवाड़ी विकासखण्ड के हर्षिल घाटी का एक खूबसूरत कंडारा बुग्याल सीमान्त ग्राम सुखी से शुरू होते हुए 05 किमी की दूरी पर स्थित है। उत्तरकाशी से लगभग 60 किमी की दूरी पर सुखी गांव

उत्तरकाशी चीन–सीमा से सटा हुआ गांव है। यह एक विशाल सुन्दर घास का मैदान है। कंडारा बुग्याल की औसत ऊंचाई 3850 मीटर है।

क्यारकोटी बुग्यालः– उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का यह बुग्याल अत्यंत मन को मोहित कर देने वाला ट्रैक है। 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह बुग्याल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। क्यारकोटी बुग्याल उच्च हिमालय का बर्फ से ढका अल्पाइन घास का मैदान है। इस ट्रैक की शुरूआत भागीरथी नदी के तट पर स्थित सीमान्त ग्राम हर्षिल से शुरू होती है। क्यारकोटी ट्रैक एक मध्यम स्तर का ट्रैक है, इस ट्रैक को करते हुए रास्ते में घने जंगलों, खूबसूरत घास के मैदानों और सुंदर घाटियों के मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। इस ट्रैक को करने में लगभग 6–7 दिन लग जाते हैं। यह ट्रेक सुंदर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों जैंसे माउंट श्रीकांत, हॉर्न ऑफ हर्षिल और बंदरपूंछ के शानदार दृश्यों से परिपूर्ण है। यह हिमालयी बुग्याल ट्रैकिंग के लिए प्रकृति प्रेमियों के बीच एक अच्छा विकल्प है। जो कि उत्तराखण्ड के हिमालय की सुंदरता को प्रदर्शित करता है।

कल्पकेदार मंदिर :– कल्पकेदार मंदिर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 75 किमी दूर गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित सीमान्त ग्राम धराली से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थापित है। शिवजी का यह मंदिर कत्यूर शिखर शैली में बना हुआ है।

अध्याय–3

सीमावर्ती विकासखण्ड जोषीमठ

परिचय

भारत–चीन सीमावर्ती जनपद चमोली में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी के अतर्गत जोशीमठ विकासखण्ड के न्याय पंचायत मलारी, तपोवन और पाण्डुकेशर में क्रमश 16, 08, व 08 राजस्व ग्रामों को जोड़ते हुए कुल 29 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। 29 राजस्व ग्रामों में से तीन राजस्व ग्राम रेवलचक कुरकुटी, फागती और लमतोली वर्तमान में गैर–आबाद हैं। इस अध्याय में विकासखण्ड एवं सीमावर्ती ग्रामों का संक्षिप्त परिचय वर्णित है।

3.1 विकासखण्ड में तीन प्राथमिक सीमावर्ती राजस्व ग्राम लमतोली, रेवल चेक कुरकुटी और फागती वर्तमान समय में गैर आबाद हैं। जो कि विकासखण्ड मुख्यालय से लगभग 75 किमी दूर तथा अर्न्तराष्ट्रीय सीमा रेखा से लगभग 25 किमी की दूरी पर स्थित हैं। विकासखण्ड में अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से 10 किमी हवाई दूरी पर मात्र 29 राजस्व ग्राम ही मौजूद हैं।

3.2 भौगोलिक परिदृश्य :– जनपद मुख्यालय गोपेश्वर से लगभग 58 किमी दूर स्थित विकासखण्ड जोशीमठ समुद्र तल से 6107 फिट की ऊँचाई पर अवस्थित है जिसका पुराना नाम कार्तिकेयपुर है। जो कि 2449.55 वर्ग किमी के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विकासखण्ड जोशीमठ की 103 किमी लम्बी सीमा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है। जिसके पूरब में जनपद पिथौरागढ़ और बागेश्वर, पश्चिम में जनपद उत्तरकाशी एवं रूद्रप्रयाग, उत्तर चीन देश तथा दक्षिण में जनपद बागेश्वर एवं विकासखण्ड दशोली और थराली की सीमाएं स्थित है। जोशीमठ के अन्तर्गत वर्षभर दिन में औसतन तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस रहता है जोशीमठ में जनवरी माह के दिन में लगभग 4^0C अधिकतम तापमान तथा जून और जुलाई माह के दिन में 19^0C अधिकतम तापमान रहता है जबकि जनवरी माह के रात में लगभग -4^0C न्यूनतम तापमान तथा जुलाई माह के रात में 13^0C न्यूनतम तापमान रहता है।

त्रिशूल शिखर से उतरती ढाल पर, संकरी जगह पर अलकनंदा के बायें किनारे पर जोशीमठ स्थित है। इसके उत्तर में एक ऊंचा पर्वत उच्च हिमालय से आती ठंडी हवा को रोकता है। यह तीन तरफ बर्फ से ढके शिखरों से घिरा स्थान है जिसमें दक्षिण दिशा में त्रिशूल (7,250 मीटर), उत्तर पश्चिम में बद्री शिखर (7,100 मीटर), तथा उत्तर में कामेट (7,750 मीटर) शिखर से घिरा है। हाथी की शक्ल धारण किये हाथी पर्वत को हर तरफ से देखा जा सकता है। फिर भी इसकी सबसे अलौकिक विशेषता एक ऐसा पर्वत है, जो एक लेटी हुई महिला की तरह है जिस कारण इसे स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से पुकारा जाता है।

3.3 जनसांख्यिकी :– विकासखण्ड जोशीमठ की 05 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 58 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित 103 राजस्व ग्रामों में 7608 परिवार निवास करते हैं जिनमें 15784 पुरूष व 13269 महिलाएं के योग से कुल 29053 जनसंख्या रहती है। विकासखण्ड के 13018 पुरूष तथा 8542 महिला संवर्ग द्वारा साक्षरता में अपना योगदान दिया जाता है। विकासखण्ड की जनसंख्या वृद्धिदर जनगणना वर्ष 2001 एवं जनगणना वर्ष 2011 के मध्य विकासखण्ड जोशीमठ में जनसंख्या वृद्धिदर जनपद के अन्य विकासखण्डों के सापेक्ष प्रथम स्थान पर सबसे अधिक लगभग 16.8 प्रतिशत तथा वर्ष 2011 से वर्ष 2022 के मध्य भी चौथे स्थान पर रहते हुए लगभग 12 प्रतिशत रहा। अर्थात विकासखण्ड में वर्ष 2011 से वर्ष 2022 के मध्य पलायन का प्रभाव रहा। विकासखण्ड द्वारा जनपदान्तर्गत जनसंख्या घनत्व में 11.86 प्रति वर्ग किमी की दर से योगदान रहता है।

जनपद चमोली में जनसांख्यिकीय बदलाव							
विकासखण्ड / जनपद	जनगणना वर्ष 2001	जनगणना वर्ष 2011	जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या बदलाव	बदलाव प्रतिशत	आयोग की द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष सितम्बर 2022 तक की जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 से 2022 के मध्य जनसंख्या बदलाव	बदलाव प्रतिशत
जोशीमठ	**24869**	**29053**	**4184**	**16.8%**	**32526**	**3473**	**12.0%**
घाट	33576	37408	3832	11.4%	49324	11916	31.9%
दशोली	36826	39475	2649	7.2%	42312	2837	7.2%
गैरसैंण	58942	61996	3054	5.2%	79440	17444	28.1%
देवाल	23110	23925	815	3.5%	28156	4231	17.7%
पोखरी	35417	35868	451	1.3%	36507	639	1.8%
थराली	33848	34124	276	0.8%	34866	742	2.2%
नारायणबगड़	31131	30919	**-212**	**-0.7%**	34318	3399	11.0%
कर्णप्रयाग	41551	39232	**-2319**	**-5.6%**	42170	2938	7.5%
जनपद चमोली में जनसांख्यिकीय बदलाव	319270	332000	12730	4.0%	379619	47619	14.3%

3.4 विकासखण्ड में पहुँच संसाधन :– जोशीमठ विकासखण्ड के अन्तर्गत सरलतम रूप से बस, टैक्सी, बाईक आदि के माध्यम से पहुँचा जा सकता है जिसके लिए बद्रीनाथ मुख्य मोटर मार्ग का उपयोग किया जाता है। जोशीमठ विकासखण्ड की सड़क से पहुँच दूरी हरिद्वार से लगभग 280 किमी तथा दिल्ली से लगभग 511 किमी है। यहाँ बहुतायत मात्रा में पर्यटक हर वर्ष घूमने आते हैं। पर्यटकों की ठहरने एवं भोजन हेतु उचित व्यवस्था लगभग हर प्रसिद्ध स्थान पर मौजूद है। जोशीमठ विकासखण्ड के अन्तर्गत पर्यटकों की सुविधा के लिए होटल, लॉज, रेस्टोरेन्ट, ए0टी0एम0, पैट्रोल पम्प, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी, स्वास्थ्य संबंधी आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं।

कहाँ से	कहाँ तक	दूरी (लगभग किमी में)	समय (लगभग)	सेवा
जोशीमठ	हरिद्वार	280	7 घण्टे 50 मिनट	सड़क सेवा
जोशीमठ	दिल्ली	511	12 घण्टे 13 मिनट	सड़क सेवा
जोशीमठ	बद्रीनाथ	41	1 घण्टे 24 मिनट	सड़क सेवा
जोशीमठ	माणा	45	1 घण्टे 30 मिनट	सड़क सेवा
जोशीमठ	नीति	90	2 घण्टे 47 मिनट	सड़क सेवा
जोशीमठ	भविष्यबद्री	21	41 मिनट	सड़क सेवा
जोशीमठ	द्रोणागिरी वयू प्वांइट	49	1 घण्टे 25 मिनट	सड़क सेवा
नई दिल्ली		जौलीग्राण्ट हवाई अड्डा		हवाई सेवा
नई दिल्ली		ऋषिकश, देहरादून, हरिद्वार के लिए विभिन्न ट्रेनें		रेलवे सेवा

3.5 प्रशासनिक व्यवस्था :– विकासखण्ड जोशीमठ को प्रशासनिक रूप से 05 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 58 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित 103 राजस्व ग्रामों में फैला हुआ है। जो कि बद्रीनाथ विधान सभा क्षेत्र एवं पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। विकासखण्ड के अन्तर्गत तहसील जोशीमठ एवं नगरपालिका जोशीमठ भी प्रशासनिक रूप से अपना योगदान देते हैं। विकासखण्ड की समस्त जनमानस हेतु आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में जनपद के सभी राजकीय विभाग, NGO एवं अन्य संस्थाएं कार्य कर रहे हैं।

3.6 पर्यटन की दृष्टि में विकासखण्ड जोशीमठ :– जोशीमठ अपने आप में 3000 वर्ष पुराना इतिहास लिये हुए है जिसके धार्मिक महत्ता यहाँ मौजूद कई मन्दिरों से जाना जाता है। भगवान बद्रीनाथ का जाड़े का निवास स्थान अथवा गद्दी जोशीमठ ही है। जो कि यात्रियों के लिए असामान्य आकर्षण का अनुभव कराता है। जोशीमठ में औली रोपवे, कल्पवृक्ष, शंकराचार्य गुफा, ट्रोटकाचार्य गुफा एवं ज्योतिर्मठ, ज्योतेश्वर महादेव मंदिर, श्री विष्णु मंदिर, नरसिंह मंदिर, वासुदेव एवं नवदुर्गा मंदिर, तपोवन, सलधर–गर्म झरना, नीति घाटी, वृद्ध–बदरी, ट्रैकिंग, औली रोपवे आदि खूबसूरत प्रसिद्ध स्थल मौजूद हैं। इसके अलावा जोशीमठ के आसपास 06 से 61 किमी की दूरी में पचुगाड़, बुफूगाड़, गोरीगंगा, त्रिशूल नाला, लस्तर गाड़, वासुकी गाड़, मदमहेश्वर गंगा, ऋषि गंगा, कल्प गंगा, काली गंगा, बिरही गंगा रोन्ती गाड़, जुमा गाड़, विष्णु गाड़ जैसे कई गाड/नदी प्रवाहित होती हैं। जिनके आच्छादन क्षेत्र में कई प्रकार की वनस्पति एवं जीवजन्तु पाये जाते हैं। उक्त सभी धार्मिक, पर्यटक स्थलों और मेलों से आकर्षित होकर हजारों तीर्थ यात्रियों के अलावा प्रकृति प्रेमी पर्यटकों का यहाँ आना–जाना लगा रहता हैं।

मुख्य पर्यटक स्थल

आदि शंकराचार्य गुफा एवं कल्पवृक्ष :– माना जाता है कि सनातन धर्म के पुनरूद्धार के लिए आदि शंकराचार्य 8वीं सदीं के दौरान उत्तराखण्ड के जोशीमठ में शहतूत (कल्पवृक्ष) पेड़ के नीचे पूजा–अर्चना की थी और यहीं पर ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह भी माना जाता है कि राज–राजेश्वरी देवी ने उन्हें इसी स्थान पर उनके समुख एक ज्योति/प्रकाश के रूप में दर्शन दिये और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की मूर्ति को पुर्नस्थापित करने की शक्ति एवं सार्मथ्य प्रदान किया था, कारणवश आदि शंकराचार्य द्वारा राज–राजेश्वरी देवी को अपना ईष्ट देवी माना गया। जोशीमठ, ज्योतिर्मठ का बिगड़ा स्वरूप है, जो इस घटना से संबद्ध है।

वासुदेव एवं नवदुर्गा मंदिर :– नरसिंह मंदिर के सामने एक इतना ही प्राचीन एवं पवित्र मंदिर भगवान विष्णु के एक अवतार वासुदेव या भगवान कृष्ण को समर्पित है।

श्री विष्णु मंदिर :– पंच प्रयागों में से एक विष्णु प्रयाग जहाँ धौली और अलकनन्दा का संगम होता है यही पर भगवान श्री विष्णु का मन्दिर स्थापित है। जो कि जोशीमठ नगरपालिका के क्षेत्र में ही लगभग 10 किमी की दूरी अवस्थित है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मन्दिर की स्थापना तब की थी जब उन्हें सपने में भगवान विष्णु की एक और मूर्ति अलकनन्दा नदी में तैर रही है दिखाई दिया। आज इस मंदिर का प्रशासन बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा किया जाता है।

नृसिंह मंदिर :– एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के नृसिंहावतार के मन्दिर का निर्माण कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान 8वीं सदी में करवाया गया है। यह भी मान्यता है कि इस मन्दिर की स्थापना पाण्डवों की थी, जब वे स्वर्गरोहिणी की यात्रा पर थे।

ट्रैकिंग :– साहसिक पर्यटकों के लिए जोशीमठ से कई ट्रेक उपलब्ध हैं। इनमें फूलों की घाटी का ट्रैक सर्वाधिक सुंदर, पर दुर्गम है। अन्य ट्रैकों में नंदप्रयाग का कुआरी पास, जिसे कर्जन का ट्रैक भी कहते हैं, शामिल हैं। नंदा देवी पक्षी विहार का ट्रैक भी है। जहाँ साल में कई साहसिक पर्यटकों का आना–जाना लगा रहता है।

तपोवन :– जोशीमठ से तपोवन जाते हुए आप एक अधिक शांत घाटी में पहुंचते हैं, जहां हरे एवं पीले खेतों के अलावा द्रोणगिरि एवं भविष्य बद्री के पर्वतों का दृश्य आपके मन को मोह लेते हैं, जो जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर नीति घाटी के मार्ग पर पड़ता है। तपोवन अपने गर्म कुण्ड़ों एवं जलाशयों के लिये प्रसिद्ध है। यहां गुनगुने पानी का एक बड़ा जलाशय है। जिसका गर्म जल वर्षभर तैरने योग्य रहता है।

नीति घाटी :– नीति घाटी कभी तिब्बती व्यापारिक पथ का व्यस्त स्थल था और यहां के वासी भोटिया, मारछा एवं तोरछा आदि उन्नतशील व्यापारी थे। इस घाटी से कैलास मानसरोवर के प्रवेश का एक अन्य वैकल्पिक रास्ता निकलता था, जो कुछ लोगों के अनुसार सर्वाधिक सहज था। इसलिए सीमा बंद हो जाना इस क्षेत्र एवं यहां के लोगों के लिए एक बड़ा झटका था जिसने उनके जीवन, जीवन शैली तथा जीविका को प्रभावित किया। नीति घाटी विश्वप्रसिद्ध पर्वतीय नंदादेवी पक्षी–विहार का प्रवेश द्वार भी है। आज यह यूनेस्को का विश्व–विरासत स्थल है, जिसे नंदादेवी जैविक संरक्षण के नाम से जानते हैं जो पर्यावरणीय जैविक विविधता एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अलौकिक खजाना है। यहां के एक गांव लाटा में नंदा देवी को समर्पित एक पुराना मंदिर भी है। भारत के इस भाग के अंतिम गांव नीति में पहुंच के लिए एक सड़क है।

औली : समुद्र तल से 3,000 मीटर ऊंचाई पर औली का बुग्याल जोशीमठ से सड़क द्वारा 16 किलोमीटर दूर तथा पैदल 8 किलोमीटर दूर है। इस प्रत्येक यात्रा में एक अनुपम एवं उन्नत अनुभव प्राप्त होता है। गर्मी तथा बरसात में औली से गोरसों तक पैदल यात्रा की जा सकती है और यहां से कुआरी रास्ते तक और इस पथ पर हिमालयी पशु–पक्षियों से भरपूर तथा ढलानों पर ऊंचे पेड़–पौधे दिखाई देते हैं।

वृद्ध–बदरी :– ऋषिकेश मार्ग पर जोशीमठ से 8 किलोमीटर दूर, वृद्ध बदरी या पुराना बदरी भगवान विष्णु को समर्पित प्राचीन मंदिर गढ़वाल के पंच बद्रियों में से एक है, मुख्य सड़क पर मंदिर द्वार के नीचे आधा किलोमीटर पैदल जाने पर ऊनीमठ गांव है। इसे वृद्ध बद्री कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु वृद्ध स्वरूप में यहां नारद के सम्मुख प्रकट हुए थे। एक छोटे शांत गांव में एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में मंदिर स्थित है। यह स्पष्टतः एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है जो इस बात से प्रमाणित होता है कि कभी यहां का प्रबंधन दक्षिण भारत के एक रावल के हाथों था। आजकल यह मंदिर बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति की देखरेख में है।

ब्रदीनाथ :– समुद्र तल से 3133 मीटर (10279 फीट) की ऊंचाई पर चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम उत्तराखण्ड राज्य के चमोली जनपद में अलकनन्दा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ नगर जोशीमठ तहसील की एक नगर पंचायत है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 2438 थी। भगवान विष्णु को समर्पित इस प्राचीन मंदिर में हिंदू धर्म के देवता भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनारायण की पूजा होती है। दक्षिण भारत के केरल राज्य के रावल कहे जाने वाले नम्बूदरी सम्प्रदाय के ब्राह्मण यहां के मुख्य पुजारी होते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थानों में से एक यह तीर्थस्थली हिमालय पर्वतमाला के ऊँचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में बसे बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं–9वीं शताब्दी में होने के प्रमाण मिलते हैं। दुनिया भर से लोग यहां तीर्थ यात्रा पर आते हैं। यहां पाए जाने वाले बद्री यानी की बेर के वृक्षों के कारण इस क्षेत्र को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को बद्रीविशाल नाम से भी पुकारते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित निकटस्थ चार अन्य मंदिरों योगध्यान–बद्री, भविष्य–बद्री, वृद्ध–बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को 'पंच–बद्री' के रूप में जाना जाता है। मंदिर के कपाट अप्रैल–मई से नवम्बर तक खुले रहते हैं।

फूलों की घाटी :– फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखण्ड राज्य के चमोली जनपद में 87 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला है। फूलों की घाटी विश्व संगठन, यूनेस्को द्वारा सन् 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नन्दा देवी अभयारण्य, नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। इस हिमालयी क्षेत्र को पिंडर घाटी या पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन किंवदंती के अनुसार रामायाण काल में हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में आये थे। समुद्रतल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस घाटी को 'वैली ऑफ फ्लॉवर्स' कहा जाता है। 1931 में कामेट पर्वत के अभियान से लौटते समय ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ एवं उनके साथी आर एल होल्डसवर्थ द्वारा इस घाटी की खोज की गयी। इसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर स्मिथ 1937 में दोबारा यहां आये और 1938 में इस पर "वैली ऑफ फ्लॉवर्स" नाम से एक किताब का प्रकाशन किया। यहां पहुँचने के लिए चमोली जिले का अन्तिम बस अड्डा गोविन्दघाट 275 किमी की दूरी पर है। जोशीमठ से गोविन्दघाट की दूरी 19 किमी है। यहाँ से प्रवेश स्थल की दूरी लगभग 13 किमी है जहाँ से पर्यटक 3 किमी लम्बी व आधा

किमी चौड़ी फूलों की घाटी में घूम सकते हैं। इस घाटी से उप–अल्पाइन वन बर्ड और रोडोंडेड्रोन पार्क के क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों के दृश्यों के साथ–साथ झरनों के आकर्षक नजारे दिखाई देते हैं। यहां पर हिम तेंदुआ, हिमालयी मोनाल, ग्रे लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयी नेवला और काले भालू, लाल लोमड़ी, नींबू तितली जैसी दुर्लभ और अद्भुत वन्यजीव प्रजातियां भी निवास करती हैं।

हेमकुण्ड साहिब :– उत्तराखण्ड के चमोली जनपद में सिक्खों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुण्ड साहिब समुद्रतल से 4632 मीटर (15192.96 फीट) की दूरी पर एक बर्फीली झील के किनारे सात पहाड़ों के बीच स्थित है। हेमकुण्ड एक संस्कृत का नाम है जिसमें हिम का अर्थ बर्फ और कुण्ड का अर्थ कटोरा है। श्री हेमकुंड साहिब सिक्ख तीर्थयात्रा एक लोकप्रिय केंद्र के रूप में उभरी है, जहाँ हर साल गर्मियों में हजारों भक्त आते हैं। यह स्थान सिक्खों के 10 वें गुरू श्री गोविन्द सिंह जी की तपस्थली के नाम से भी जाना जाता है। गुरू गोविन्द सिंह द्वारा रचित दसम ग्रंथ के अनुसार यह वह स्थान है जहां राजा पाण्डु अभ्यास योग करते थे। हेमकुण्ड चारों ओर से बर्फीले ग्लेशियरों से घिरा है इन्हीं ग्लेशियरों का बर्फीला पानी जलकुण्ड का निर्माण करता है।

अध्याय–4

सीमावर्ती विकासखण्ड धारचूला

परिचय

भारत–चीन सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़ में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी के अतर्गत धारचूला विकासखण्ड के न्याय पंचायत गूंजी, सोसा, दुग्तू, खेत, धारचूला देहात और बरम में क्रमश 07, 18, 09, 14, 14 व 07 राजस्व ग्रामों को जोड़ते हुए कुल 69 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। 69 राजस्व ग्रामों में से चार राजस्व ग्राम गुमकाना, लुम, खिमलिंग और सांगरी ढकधोना गैर–आबाद हैं। इस अध्याय में विकासखण्ड एवं सीमावर्ती ग्रामों का संक्षिप्त परिचय वर्णित है।

4.1 भौगोलिक परिदृश्य :– लिपूलेख दर्रा पर स्थित, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा का द्वार धारचूला जनपद मुख्यालय पिथौरागढ़ से लगभग 92 किमी की दूरी पर काली नदी के किनारे, समुद्रतल से लगभग 940 मीटर की ऊँचाई पर अवस्थित है। जो कि विकासखण्ड के साथ–साथ तहसील और नगरपालिका के प्रशासनिक स्वरूप में गमन होता है। धारचूला नाम ''दार्च्यो'' और ''ला'' शब्द से मिलकर बना है। जिसका अर्थ होता है ''सफेद रंग का पवित्र ध्वज''। जहाँ कुमाऊँनी और रंग भाषा, परम्पराओं और संस्कृति का मिश्रण मिलता है। जहाँ जनवरी माह में अधिकतम तापमान 16^0C व न्यूनतम तापमान 05^0C तक रहता है। वहीं जून माह में अधिकतम तापमान 30^0C व न्यूनतम तापमान 18^0C तक रहता है। अर्थात विकासखण्ड का तापमान जड़ी–बूटी, उद्यानीकरण के साथ–साथ पर्यटन के लिए बहुत अनुकूल है।

4.2 जनसांख्यिकी :– वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विकासखण्ड धारचूला की 06 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 62 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित 73 राजस्व ग्रामों में 12952 परिवार निवास करते हैं जिनमें 29320 पुरूष व 29093 महिलाएं के योग से कुल 58413 जनंसख्या निवास करती है। जिनमें से 22674 पुरुष तथा 16338 महिला संवर्ग द्वारा साक्षरता में अपना योगदान दिया जाता है। विकासखण्ड की जनसंख्या वृद्धिदर जनगणना वर्ष 2001 एवं जनगणना वर्ष 2011 के मध्य जनपद के अन्य विकासखण्डों के सापेक्ष प्रथम स्थान पर 14.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2011 से वर्ष 2022 के मध्य भी सबसे अधिक लगभग 23.4 प्रतिशत रहा। अर्थात विकासखण्ड में पलायन का प्रभाव न्यूनतम है। विकासखण्ड द्वारा जनपदान्तर्गत जनसंख्या घनत्व में 1095.89 प्रति वर्ग किमी की दर से योगदान रहता है।

जनपद पिथौरागढ़ में जनसांख्यिकीय बदलाव							
विकासखण्ड / जनपद	जनगणना वर्ष 2001	जनगणना वर्ष 2011	जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या बदलाव	बदलाव प्रतिशत	आयोग की द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष सितम्बर 2022 तक की जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 से 2022 के मध्य जनसंख्या बदलाव	बदलाव प्रतिशत
धारचूला	51026	58413	7387	14.5%	72058	13645	23.4%
विण	**57216**	**64200**	**6984**	12.2%	**62075**	**-2125**	-3.3%
गंगोलीहाट	70364	71920	1556	2.2%	73331	1411	2.0%
मूनाकोट	46030	46557	527	1.1%	49864	3307	7.1%
बेरीनाग	50413	50757	344	0.7%	58991	8234	16.2%
मुनस्यारी	46546	46520	-26	-0.1%	54095	7575	16.3%

डीडीहाट	35632	33505	-2127	-6.0%	37599	4094	12.2%
कनालीछीना	45162	41652	-3510	-7.8%	47777	6125	14.7%
जनपद पिथौरागढ़	402389	413524	11135	2.8%	455790	42266	10.2%

4.3 विकासखण्ड धारचूला की विशेषताएं :– धारचूला विकासखण्ड उच्च हिमालय का वो भू–भाग है जो कि भारत–चीन और भारत–नेपाल सीमाओं से घिरा है। माना जाता है कि द्वापर कालीन इतिहास के अवशेष आज भी यहाँ के गांवों के नाम में प्रलक्षित होते है, जैसे कुटी गांव। समुद्रतल से लगभग 11500 फीट की ऊँचाई पर अवस्थित कुटी गांव प्रथम भारतीय गांव है। जहाँ पांड़वों ने स्वर्गारोहण के समय लम्बे समय के लिए प्रवास किया था, माता कुन्ती को यह गांव अधिक भा गया था जिसके चलते इस गांव का नाम कुटी रखा गया। यहाँ पांडव पर्वत भी है इसमें पाँच चोटियाँ है जिन्हें पाँच पांडवों का प्रतीक माना जाता है। कहते है कि इसी गांव के समीप अतीत में ''निखुर्च'' मण्डी हुआ करती थी जहाँ सन् 1962 के भारत–चीन युद्ध से पूर्व भारत–तिब्बत व्यापार हुआ करता था। क्योंकि यहीं से ही तिब्बत और कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता हुआ करता था जो भारत–चीन युद्ध के बाद वर्जित किया गया। विश्व विख्यात ''आदि कैलाश'' इसी गांव में बहने वाली नदी कुटी–यांगटी के तट पर स्थित है। यहाँ से कुछेक दूरी पर ''ओम पर्वत'' भी स्थित है। जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विकासखण्ड धारचूला में मूल निवासियों द्वारा आय के संसाधन के रूप में मुख्यतया कृषि, बागवानी, मजदूरी, पर्यटन तथा कीड़ा–जड़ी का व्यवसाय प्रमुखता से अपनाया हुआ है। विकासखण्ड धारचूला के स्थानीय निवासियों द्वारा रंगलो बोली के साथ–साथ हिन्दी, नेपाली, कुमाऊँनी प्रमुखता से बोली जाती है।

4.4 विकासखण्ड में पहुँच संसाधन :– विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत आदि कैलाश तक पहुँचने के लिए बस, टैक्सी, बाईक आदि का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही पंतनगर सिविल हवाई सेवा तथा काठगोदाम, टनकपुर तक रेलवे सेवा की भी सहायता ली जा सकती है। विकासखण्ड मनोरम प्राकृतिक दृश्यों एवं हिमालयन व्यू के साथ–साथ कई धार्मिक पवित्र स्थलों की सम्पदा से भरा हुआ है, जहाँ भारी मात्रा में पर्यटक हर वर्ष घूमने आते हैं। विकासखण्ड के अन्तर्गत पर्यटकों की सुविधा के लिए होटल, लॉज, रेस्टोरेन्ट, ए0टी0एम0, पैट्रोल पम्प, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी, स्वास्थ्य संबंधी आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छी कनेक्टीविटी हेतु नेटवर्क के क्षेत्र में भी कार्य गतिमान है। नेपाल का संचार सुविधा विकासखण्ड के अधिकांश क्षेत्रों में काम करता है।

आदि कैलाश तथा धारचूला तक पहुँचने के संसाधन				
कहाँ से	कहाँ तक	दूरी (लगभग किमी में)	समय (लगभग)	सेवा
धारचूला	आादि कैलाश	90	3 घण्टे 40 मिनट	सड़क सेवा
धारचूला	नारायण आश्रम	55	2 घण्टे 30 मिनट	सड़क सेवा
अल्मोड़ा	धारचूला	208	6 घण्टे 35 मिनट	सड़क सेवा
टनकपुर	धारचूला	238	7 घण्टे	सड़क सेवा
काठगोदाम	धारचूला	272	8 घण्टे 51 मिनट	सड़क सेवा
पिथौरागढ़	धारचूला	92	2 घण्टे 51 मिनट	सड़क सेवा
रूद्रप्रयाग	धारचूला	291	9 घण्टे 05 मिनट	सड़क सेवा
नई दिल्ली		पंतनगर सिविल हवाई अड्डा		हवाई सेवा
नई दिल्ली		काठगोदाम, टनकपुर लालकुंआ के लिए विभिन्न ट्रेनें		रेलवे सेवा

4.5 प्रशासनिक व्यवस्था :– विकासखण्ड धारचूला को प्रशासनिक रूप से 06 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 62 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित 73 राजस्व ग्रामों में विभाजित किया गया है। जो कि धारचूला विधान सभा क्षेत्र एवं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के

अन्तर्गत आता है। विकासखण्ड के अन्तर्गत तहसील धारचूला एवं नगरपालिका धारचूला भी प्रशासनिक रूप से अपना योगदान देते हैं। विकासखण्ड के समस्त जनमानस हेतु आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में जनपद के सभी राजकीय विभाग, BRO, NGO एवं अन्य संस्थाएं कार्य कर रहे हैं।

4.6 पर्यटन की दृष्टिकोण से विकासखण्ड धारचूला :— विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत आदि कैलाश, ओम पर्वत, छिपला मन्दिर, देवी माता मन्दिर, काली मन्दिर, भोलेनाथ मन्दिर, धौलीगंगा बांध, कैलाश मानसरोवर, जौलजीबी, धारचूला सैन्य स्टेशन, नारायण आश्रम, कण्डाली महोत्सव, जैसे कई धार्मिक और पर्यटन स्थल एवं त्योहार मौजूद हैं। श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ के त्योहारों एवं धार्मिक स्थलों से मोहित होकर हजारों की संख्या में यहाँ आते—जाते रहते हैं। विकासखण्ड में लगभग 10 से 58 किमी की समीपवर्ती क्षेत्रों में माहेश्वरी नदी, लेटी रौली, भगुना गदेरा, थाली गाड़, जकुला गाड, धर्मा यांक्ती, काली गाड, रामगंगा, गुरघटिया गाड, भुज गाड, भरतोला गाड, रेवती गंगा, गोरी गंगा, नेत्रा गंगा, कुलुर नदी, खमिया गाड, जिम्बा गदेरा, जैसे कई गाड व नदियों का निरन्तर प्रवाह बना रहता है। जो कि धार्मिक और साहसिक पर्यटकों के साथ—साथ बर्ड वॉचर एवं प्रकृति प्रेमी पर्यटकों हेतु आर्कषण के केन्द्र बन रहे हैं।

प्रमुख पर्यटन स्थल

ओम पर्वत :— हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों में 6191 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत अत्यंत प्रभावशाली व मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ओम पर्वत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विकासखण्ड के नाबीडांग से कुट्टी गांव होते हुए छोटा कैलाश, आदि कैलाश, बाबा कैलाश जोकि जोंगलिंगकोंग के नाम से प्रचलित स्थान पर स्थित है।

अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य :— उत्तराखण्ड राज्य के जनपद पिथौरागढ़ से 54 किमी की दूरी पर स्थित अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य कस्तूरी मृगों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। समुद्रतल से 5412 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस अभ्यारण्य में हिम तेंदुए, हिमालयी काले भालू, भरल, तहर, भील, चिर, सीरो, गोरल, हिमालयी जंगली बिल्ली, सिवेट, कोकलस, तीतर, चकोर और कस्तूरी मृग सहित विभिन्न प्रजातियों के जीव निवास करते हैं। इस अभ्यारण्य के आस—पास कई अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जिनसे के हिमालय की बर्फ की ढकी चोटियों के दृश्यों का नजारा देखने को मिलता है। यहां बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी व वन्यजीव उत्साही लोगों द्वारा भ्रमण किया जाता है।

जौलजीबी :— पिथौरागढ़ जनपद में भारत—नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदियों के संगम पर स्थित एक छोटा शहर जौलजीबी स्थित है। बर्फ से ढका पहाड़ों से घिरा जौलजीबी शहर नदी के दोंनो किनारे स्थित गांवो और बाजारों की झलक प्रदर्शित करता है। यहां हर वर्ष नवम्बर में एक व्यापार मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि कुमाँउनी महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। आस—पास के क्षेत्र के हजारों लोग व्यापार करने, संगीत, गायन, नृत्य और भोजन के साथ मेले का आनंद लेते हैं। यह मेला अपने व्यापारिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है।

नारायण आश्रम :— उत्तराखण्ड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पिथौरागढ़ का नारायण आश्रम उच्चकोटि का आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। पिथौरागढ़ से 129 किमी दूरी पर स्थित नारायण आश्रम 2734 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1936 में नारायण स्वामी द्वारा नारायण आश्रम की स्थापना की गयी थी। श्री नारायण स्वामी द्वारा स्थापित यह आश्रम मन को असीम शांति देने वाली जगह है। इस वजह से इस स्थान को नारायण स्वामी से नाम से भी जाना जाता है।

आदि कैलाश :— उत्तराखण्ड हिमालय की सबसे खूबसूरत पवित्र पर्वत चोटियों में एक पवित्र चोटी आदि कैलाश है। समुद्र तल से 6191 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में स्थित है। आदि कैलाश के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम कैलाश मानसरोवर की तरह ही यात्रा का संचालन करता है। धारचूला से आदि कैलाश की दूरी 157 किमी है, जिसमें 105 किमी की यात्रा पैदल करनी पड़ती है। इस चोटी की पवित्रता के कारण इस भारत का कैलाश पर्वत माना जाता है। पंच

कैलाशों में एक कैलाश आदि कैलाश भी है, जिसे दूसरे स्थान एवं छोटा कैलाश का दर्जा प्राप्त है। आदि कैलाश हिन्दुओं की आस्था का प्रतीक है जोकि लोगों के मन में गहरी श्रद्धा लिये हुए है। आदि कैलाश के प्रति हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं।

थल केदार :– उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद से 16 किमी की दूरी पर स्थित यह पवित्र धार्मिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। थल केदार समुद्रतल से 880 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। थलकेदार श्रेणी पूर्वी कुमाऊँ में सौर–पिथौरागढ़ अंचल की दक्षिण सीमा में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुयी है। थलकेदार चोटी अत्यधिक ऊंची होने के कारण यहां से पूर्वी कुमाऊँ का लगभग सम्पूर्ण भूभाग दिखता है। यहाँ से दूर–दूर सौ किमी तक की पर्वत श्रेणियों को पहचाना जा सकता है।

गुंजी गांव :– गुंजी उत्तराखण्ड के धारचूला विकासखण्ड के भारत–तिब्बत–नेपाल सीमा से सटा एक छोटा सा गांव है। यह गांव कुथी घाटी के पूर्वी छोर पर कुथी यांकटी और कालापानी नदी का संगम स्थल है। गुंजी गांव धारचूला से 68 किमी की दूरी पर स्थित है। गुंजी गांव से चीन सीमा केवल 22 किमी की दूरी पर है। गुंजी गांव हिमालयी क्षेत्र के काफी नजदीक बसा गांव है इस क्षेत्र को महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि माना जाता है इस कारण इस क्षेत्र को व्यास वैली के नाम से भी जाना जाता है।

कपिलेश्वर महादेव मंदिर :– पिथौरागढ़ शहर से 3 किमी की दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। प्राचीन चट्टान से निर्मित यह मंदिर 25 फीट गहरी कपिलेश्वर महादेव गुफा के अंदर स्थित है। यह गुफा एक प्राचीन गुफा है जो कि यहां आने वाले सभी लोगों को रोमांचित करती है।

ध्वज मंदिर :– समुद्रतल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव और देवी जयंती को समर्पित है। पिथौरागढ़ मुख्यालय से इस मंदिर की सड़क मार्ग से दूरी 10 किमी है। पैदल यात्री मंदिर की 4 किमी की लम्बी चढ़ाई चढ़ते हुए रास्ते में प्रकृति के खूबसूरत नजारों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जिससे चढ़ाई का पता भी नहीं लगता है।

नकुलेश्वर महादेव मंदिर :– पिथौरागढ़ मुख्यालय से 10 किमी दूरी पर स्थित नकुलेश्वर मंदिर अपनी पावन भव्यता के लिए जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर खजुराहो वास्तुकला शैली में बना हुआ है, जो कि इतिहासकारों, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

छिपला केदार :– छिपला केदार उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विकासखण्ड के सीमान्त क्षेत्र में स्थित है। बरम कस्बे से लगभग 50–55 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई के बाद छिपला कोट में यह बुग्याल क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता के साथ देवी–देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है। यहां से नंदा देवी, त्रिशूल, राजरंभा, पंचाचूली व नंदाखाट आदि हिमालयी चोटियां, मिलम, रालम व नामिक ग्लेशियर, खूबसूरत पहाड़ एवं बुग्यालों के नजारे देखने को मिलते हैं। यहां का मुख्य आकर्षण केन्द्र 4876 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चिपला कुंड नामक झील है, प्राचीन काल में इसे गुप्त कैलाश के नाम से भी जाना जाता था जिसका अर्थ छिपा हुआ कैलाश है, भगवान केदार के नाम से इसे छिपला केदार नाम से भी जाना जाता है।

अध्याय–5

सीमावर्ती विकासखण्ड मुनस्यारी

परिचय

भारत–चीन सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़ में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी के अंतर्गत मुनस्यारी विकासखण्ड के न्याय पंचायत दरकोट, लीलम, मदकोट, सिर्तोला और बॉस बगड में क्रमश 02, 14, 02 10 व 01 राजस्व ग्रामों को जोड़ते हुए कुल 29 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। 29 राजस्व ग्रामों में से दो राजस्व ग्राम सुम्तू और पोटिंग गैर–आबाद हैं। इस अध्याय में विकासखण्ड एवं सीमावर्ती ग्रामों का संक्षिप्त परिचय वर्णित है।

5.1 भौगोलिक परिदृश्य :– समुद्रतल से 2200 मीटर की ऊँचाई पर जोहार घाटी के मुख पर बसा मुनस्यारी उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में पिथौरागढ़ जनपद का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ से पंचाचूली पीक्स का अद्वितीय दृश्य नजर आता है जिसमें नंदा देवी और नंदाकोट सम्मिलित हैं। मुनस्यारी से हिमालयी पर्वत श्रृखलाओं का अद्वितीय दृश्य के अलावा ग्लेशियर, जलप्रपात एवं साल के सभी ऋतुओं का एहसास छोटी–बडे ट्रैकिंग मार्गों का आनन्द लेते हुए किया जा सकता है। मुनस्यारी को प्राचीन काल में ''तिकसेन'' नाम से जाना जाता था। 401.77 वर्ग किमी के कुल क्षेत्रफल में फैले मुनस्यारी विकासखण्ड की सीमाएं उत्तर दिशा में चीन, दक्षिण दिशा में जनपद के डीडीहाट विकासखण्ड, पूरब दिशा में धारचूला विकासखण्ड तथा पश्चिम दिशा में जनपद बागेश्वर के कपकोट विकासखण्ड और पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग विकासखण्ड से लगी हुई हैं। जहाँ जनवरी माह में अधिकतम तापमान 8^0C व न्यूनतम तापमान -1^0C तक रहता है। वहीं जून माह में अधिकतम तापमान 22^0C व न्यूनतम तापमान 11^0C तक रहता है। पर्यटक यहाँ अपनी रूचि और समय की उपलब्धता के अनुसार भ्रमण कर सकता है। विकासखण्ड का तापमान जड़ी–बूटी, उद्यानीकरण के साथ–साथ पर्यटन के लिए बहुत अनुकूल है। विकासखण्ड के ग्रामीण का मुख्य व्यवसाय ही यही है।

मुनस्यारी में सालभर मौसम की तस्वीर (तापमान डिग्री सेल्सियस में)			
माह	अधिकतम	न्यूनतम	वर्षा (लगभग दिन)
जनवरी	8	-1	16
फरवरी	12	0	7
मार्च	13	2	22
अप्रैल	16	5	16
मई	20	8	8
जून	22	11	11
जुलाई	21	14	31
अगस्त	21	14	29
सितम्बर	21	12	25
अक्टूबर	19	8	5
नवम्बर	17	6	7
दिसम्बर	12	1	5

5.2 जनसांख्यिकी :– जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार विकासखण्ड मुनस्यारी की 09 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 99 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित 222 राजस्व ग्रामों में 11282 परिवार निवास करते हैं जिनमें 22886 पुरूष व 23634 महिलाएं के योग से कुल 46520 जनंसख्या रहती है। जिनमें से 17402 पुरूष तथा 13019 महिला संवर्ग साक्षर पाई गयी। विकासखण्ड की

जनसंख्या वृद्धिदर जनगणना वर्ष 2001 एवं जनगणना वर्ष 2011 के मध्य विकासखण्ड कनालीछीना, डीडीहाट के बाद 0.1 प्रतिशत की ऋणात्मक दर से तीसरे स्थान पर जबकि वर्ष 2011 से वर्ष 2022 के मध्य लगभग 16.3 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धिदर से जनपद में दूसरे स्थान पर अपना योगदान दिया जा रहा है। अर्थात विकासखण्ड में पलायन का स्तर कम हुआ। विकासखण्ड द्वारा जनपदान्तर्गत जनसंख्या घनत्व में 115.79 प्रति वर्ग किमी की दर से योगदान रहता है।

जनपद पिथौरागढ़ में जनसांख्यिकीय बदलाव							
विकासखण्ड / जनपद	जनगणना वर्ष 2001	जनगणना वर्ष 2011	जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या बदलाव	बदलाव प्रतिशत	आयोग की द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष सितम्बर 2022 तक की जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 से 2022 के मध्य जनसंख्या बदलाव	बदलाव प्रतिशत
धारचूला	51026	58413	7387	14.5%	72058	13645	23.4%
मुनस्यारी	46546	46520	-26	-0.1%	54095	7575	16.3%
बेरीनाग	50413	50757	344	0.7%	58991	8234	16.2%
कनालीछीना	45162	41652	-3510	-7.8%	47777	6125	14.7%
डीडीहाट	35632	33505	-2127	-6.0%	37599	4094	12.2%
मूनाकोट	46030	46557	527	1.1%	49864	3307	7.1%
गंगोलीहाट	70364	71920	1556	2.2%	73331	1411	2.0%
विण	57216	64200	6984	12.2%	62075	-2125	-3.3%
जनपद पिथौरागढ़	402389	413524	11135	2.8%	455790	42266	10.2%

5.3 विकासखण्ड मुनस्यारी की विशेषताएं :– समुद्रतल से 7240 फीट की ऊँचाई पर भारत, नेपाल और चीन के बीच बसा मुनस्यारी ट्रैकिंग गंतव्यों के लिए बहुतायत में चर्चित स्थान है। जहाँ से बर्फ से ढके उच्च हिमालयी श्रृंखलाओं को आसानी से आश्चर्यजनक दृश्यों को देखा जा सकता है। पंचाचुली, नंदाकोट, नंदादेवी, राजारंभा की मनमोहक चोटियों के साथ–साथ बहुतायत मात्रा में स्पर्श करने की दूरी पर नेपाल हिमालय को देखा जा सकता है। मुनस्यारी हर प्रकार के पर्यटकों जैसे ट्रैकर्स, साहसिक, पर्वतारोही, ग्लेशियर के प्रति उत्साही, साधक आदि को अपने ओर आकर्षित करता है, क्योंकि इसी क्षेत्र में मिलम, रालम और नामिक ग्लेशियर मौजूद है।

विकासखण्ड में मात्र दो ही प्राथमिक सीमावर्ती ग्राम सूम्तू व पोटिंग वर्तमान में गैर–आबाद हैं जो कि विकासखण्ड मुख्यालय से लगभग 54 से 40 किमी दूर तथा अर्न्तराष्ट्रीय सीमा रेखा से लगभग 24 से 19 किमी की दूरी पर स्थित हैं। विकासखण्ड में अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से 10 किमी हवाई दूरी पर मात्र 28 राजस्व ग्राम ही मौजूद हैं।

5.4 विकासखण्ड में पहुँच संसाधन :– जनपद के विकासखण्ड मुनस्यारी तक पहुँचने के लिए बस, टैक्सी, बाईक आदि का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही पंतनगर सिविल हवाई सेवा तथा काठगोदाम, टनकपुर तक रेलवे सेवा की भी सहायता ली जा सकती है। विकासखण्ड मनोरम प्राकृतिक दृश्यों एवं हिमालयन व्यू के साथ–साथ कई धार्मिक पवित्र स्थलों की सम्पदा से भरा हुआ है, जहाँ भारी मात्रा में पर्यटक हर वर्ष घूमने आते हैं। विकासखण्ड के अन्तर्गत पर्यटकों की सुविधा के लिए होटल, लॉज, रेस्टोरेन्ट, ए0टी0एम0, पैट्रोल पम्प, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी, स्वास्थ्य संबंधी आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अच्छी कनेक्टीविटी हेतु नेटवर्क के क्षेत्र में भी कार्य गतिमान है। नेपाल का संचार सुविधा विकासखण्ड के अधिकांश क्षेत्रों में काम करता है।

मिलम, रालम ग्लेशियर तथा मुनस्यारी तक पहुँचने के संसाधन				
कहाँ से	कहाँ तक	दूरी (लगभग किमी में)	समय (लगभग)	सेवा
मुनस्यारी	आादि कैलाश	182	6 घण्टे 53 मिनट	सड़क सेवा
मुनस्यारी	नारायण आश्रम	202	5 घण्टे 30 मिनट	सड़क सेवा
मुनस्यारी	मिलम	68	6 घण्टे 30 मिनट	सड़क/पैदल
अल्मोड़ा	मुनस्यारी	194	6 घण्टे 25 मिनट	सड़क सेवा
टनकपुर	मुनस्यारी	271	7 घण्टे 18 मिनट	सड़क सेवा
काठगोदाम	मुनस्यारी	274	8 घण्टे 40 मिनट	सड़क सेवा
पिथौरागढ़	मुनस्यारी	128	3 घण्टे 55 मिनट	सड़क सेवा
रूद्रप्रयाग	मुनस्यारी	265	7 घण्टे 53 मिनट	सड़क सेवा
नई दिल्ली		पंतनगर सिविल हवाई अड्डा		हवाई सेवा
नई दिल्ली		काठगोदाम, टनकपुर लालकुंआ के लिए विभिन्न ट्रेनें		रेलवे सेवा

5.5 प्रशासनिक व्यवस्था :– विकासखण्ड मुनस्यारी को प्रशासनिक रूप से 09 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 99 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित 222 राजस्व ग्रामों में विभाजित किया गया है। जो कि धारचूला विधान सभा क्षेत्र एवं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। विकासखण्ड के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी भी प्रशासनिक रूप से अपना योगदान देते हैं। विकासखण्ड की समस्त जनमानस हेतु आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में जनपद के सभी राजकीय विभाग, BRO, NGO एवं अन्य संस्थाएं कार्य कर रहे हैं।

5.6 पर्यटन की दृष्टिकोण से विकासखण्ड मुनस्यारी :– विकासखण्ड मुनस्यारी में बर्थी फॉल्स, मदकोट, नारायण आश्रम, चौकोरी, माहेश्वरी कुण्ड, बेतुलीधर, डार्कोज विलेज, खलिया टॉप, बलंती पोटैटो फार्म, मापांक, लस्पागाड़ी, रिलकोट, भरतोली, बिल्जु, रणगाड़ी, वुगडियार, नाहर देवी जैसे कई पर्यटक स्थलों के साथ–साथ पंचाचुली, नंदादेवी, नंदाकोट, राजारंभा की मनमोहक चोटियों और मिलम, रालम और नामिक ग्लेशियर मौजूद हैं। श्रद्धालु और पर्यटकों द्वारा यहाँ के त्योहारों एवं धार्मिक स्थलों, चोटियों एवं ग्लेशियरों से मोहित होकर हजार की संख्या में आना–जाना वर्षभर लगा रहता है।

मुख्य पर्यटक स्थल

मदकोट :– मुनस्यारी विकासखण्ड से 22 किमी की दूरी पर स्थित यह गांव गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है जिनके पानी में त्वचा रोग हेतु इलाज के गुण मौजूद हैं। साथ ही यह स्थान उन लोगों के एक मनमोहक और बेहतरीन जगह है जो प्रकृति प्रेमी है और फोटोग्राफी का शौक रखते हैं। क्योंकि यह गांव प्राकृतिक सुंदरता के साथ–साथ समृद्ध वनस्पतियों का भण्डार अपने में समाये हुए है।

मिलम ग्लेशियर :– गोरी गंगा भारत के उत्तराखण्ड राज्य में विकासखण्ड मुनस्यारी से 53.5 किमी की दूरी पर नन्दा देवी से पूर्वोत्तर में स्थित मिलम हिमानी और पंचाचुली पर्वतों के पश्चिमी मुख पर स्थित प्युनशनि हिमानी तथा उत्तरी और दक्षिणी हिमानियाँ के स्रोत से निकलती है। इसी नदी के साथ ही मिलम ग्लेशियर का एक मात्र रास्ता गुजरता है। गोरी घाटी की शुरूवात बुगदियार और रिलकोट के घने जंगलों से होती है। यहाँ हर वर्ष कई ट्रैकर ट्रैकिंग के लिए आते है क्योंकि यह जगह स्वर्ग के समान है।

चौकोडी :— आध्यात्म और शान्ति के खोजी श्रद्धालुओं के मध्य चौकोडी बहुत जाना—माना स्थान है लेकिन प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। चौकोरी मुनस्यारी से लगभग 96.6 किमी की दूर है। जहाँ हर साल कई श्रद्धालु और प्रकृति प्रेमियों का आना—जाना लगा रहता है।

खलिया टॉप :— समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खलिया टॉप उत्तराखण्ड के मुनस्यारी से 12 किमी की दूरी पर बसा हुआ है। खलिया टॉप बर्फ से ढका घुमावदार अल्पाइन घास का मैदान है। यह ट्रैक बेहद घने जंगलों से होकर गुजरता है, जिसमें कई प्रकार के जानवर और पक्षी मिलते हैं। इस ट्रैक को पार करते वक्त पंचाचुली, नंदादेवी, हरदेव, नंदाकोट और राजरंभा की पर्वत चोटियों के सुहावने दृश्य देखने को मिलते हैं।

नंदा कोट :— नन्दा कोट भारत के उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊँ हिमालय में स्थित एक 6,861 मीटर (22,510 फीट) ऊँचा पर्वत शिखर है। समुद्रतल से 6861 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत शिखर उत्तराखंड में 14 वें सबसे ऊंचे पर्वत और भारत में 42 वें सबसे ऊंचे पर्वत के स्थान पर है। यहां से नंदा देवी, त्रिशूल, चंगबांग, डुनगिरि, हाथी पर्वत, और रतबन नंदा कोट की सबसे पास की चोटियां के दर्शन किये जा सकते हैं। इस चोटी के नाम का शाब्दिक अर्थ नंदा का किला है जो हिंदू देवी पार्वती के घर को संदर्भित करता है। इस चोटी पर चढ़ने का सबसे पहला प्रयास वर्ष 1905 में खोजकर्ता और पर्वतारोही टी.जी. लॉन्गस्टाफ ने किया था। नंदा कोट एक उच्च पास के माध्यम से 5269 मीटर की ऊंचाई पर पिंडारी कांडा से नंदा देवी अभ्यारण्य की दीवार से जुड़ा हुआ है। पिंडारी कांडा, नंदा कोट और चोटी से दक्षिण की ओर जाने वाले रिज, पिंडर और गोरी गंगा नदी की घाटियों के बीच एक दाना धुरा दर्रा के साथ दो पक्षों को जोड़ते हैं। इस क्षेत्र में कफनी, पिंडर, लॉन और शलंग ग्लेशियर क्रमशः चोटी के दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व की ओर बहते हैं।

रालम ग्लेशियर :— रालम ग्लेशियर उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जनपद सीमावर्ती विकासखण्ड मुनस्यारी की प्रमुख हिमालयी ग्लेशियरों में से एक है। मुनस्यारी से रालम ग्लेशियर की दूरी 50 किमी है। यह खूबसूरत ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र के रालम खाल में रालम धुरा के पास समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर महान हिमालय की दीवार के आधार पर स्थित है। रालम ग्लेशियर को हिमनद रूप से ऊपरी रालम और निचला रालम नामक दो भागों में विभाजित किया गया है, कलाबलैंड, सुतेला और यांगचार नामक तीन अन्य ग्लेशियर भी रालम ग्लेशियर में मिलते हैं। रालम ग्लेशियर की यात्रा पूरी करने के लिए कम से कम 8—10 दिन लग जाते हैं। मुनस्यारी से रालम ग्लेशियर ट्रेक की यात्रा करते हुए लिलम, पैंटन और सापा ओडियार की सुन्दर वादियों के दृश्य भी देखने को मिलते हैं। रालम गांव से रालम ग्लेशियर लगभग 15 किमी की दूरी पर स्थित है।

अध्याय–6

सीमावर्ती जनपदों एवं विकासखण्डों के प्राथमिक ग्रामों में पलायन की स्थिति का सांराश

यह अध्याय भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपद के विकासखण्ड भटवाड़ी, चमोली, धारचूला और मुनस्यारी में सीमा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित सीमावर्ती ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार जनसांख्यिकी बदलाव, जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोग द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण वर्ष 2022 में जनसांख्यिकी बदलाव तथा आयोग द्वारा वर्ष 2018 एवं वर्ष 2022 में करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार पलायन की स्थिति में बदलाव की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है।

सीमावर्ती ग्राम :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जनपदों के विकासखण्डों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्रामों हेतु प्राप्त आंकड़ों के अध्ययन से निम्नवत बिन्दु स्पष्ट होते हैं :–

1. भारत–चीन सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुल 15 न्याय पंचायतों में 97 ग्राम पंचायत एवं 136 राजस्व ग्राम अवस्थित हैं।
2. 136 राजस्व ग्रामों से 11 राजस्व ग्राम वर्तमान समय में गैर आबाद हैं।
3. जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में सबसे अधिक कुल 69 राजस्व ग्राम अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित हैं। जबकि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में मात्र 10 राजस्व ग्राम ही भारत–चीन सीमा के पास स्थित हैं, जिनमें से दो प्राथमिक राजस्व ग्राम नेलांग और जादुंग वर्तमान में गैर आबाद हैं, जो कि चिन्ता जनक है। विवरण निम्नवत तालिका में दर्शाया गया है।

सीमावर्ती प्राथमिक आबाद एवं गैर आबाद राजस्व ग्रामों का विवरण						
क्र0स0	जनपद	विकासखण्ड	न्याय पंचायत	ग्राम पंचायत	आबाद राजस्व ग्राम	गैर आबाद राजस्व ग्राम
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	1	8	8	2
2	चमोली	जोशीमठ	3	20	26	3
3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	5	11	26	2
4		धारचूला	6	58	65	4
योग	3	4	15	97	125	11

भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में विगत दशकों के मध्य जनसांख्यिकीय बदलाव :– आयोग द्वारा इस खण्ड में विगत दशकों के मध्य जनसांख्यिकीय बदलाव हेतु जनसंख्यावार ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण में निम्ववत बिन्दु स्पष्ट होते हैं जिनका विवरण निम्नवत ग्राफ एवं तालिका में दर्शाया गया है।

1. 10 से 99 की श्रेणी में वर्गीकृत ग्राम पेचायतों की संख्या में हर दशक में गिरावट होते हुए अग्रिम श्रेणी में उन्नत होना जनसंख्या वृद्धिदर को दर्शाता है।
2. वर्ष 2022 में आयोग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में 500 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों की संख्या में वर्ष 2001 के सापेक्ष 38% तथा वर्ष 2011 के सापेक्ष 28% की वृद्धि का होना पलायन की गति पर अंकुश को दर्शाता है।

3. भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत जनसंख्या में अपेक्षाकृत बदलाव के लिए समस्त विभागीय योजनाओं में सरलीकरण–शिथलीकरण–विस्तारीकरण करते हुऐ और अधिक प्रभावी ढंग से संचालन करने की आवश्यकता है।

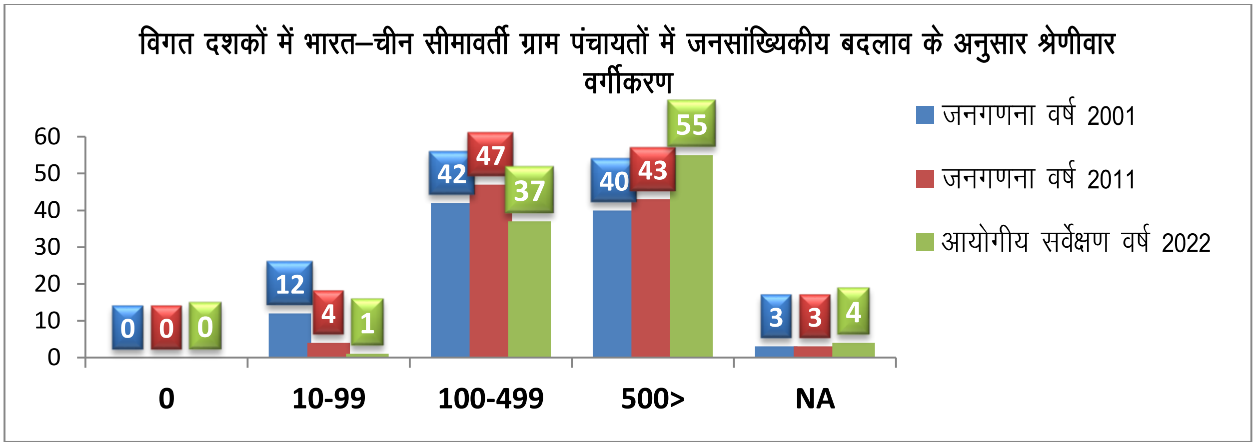

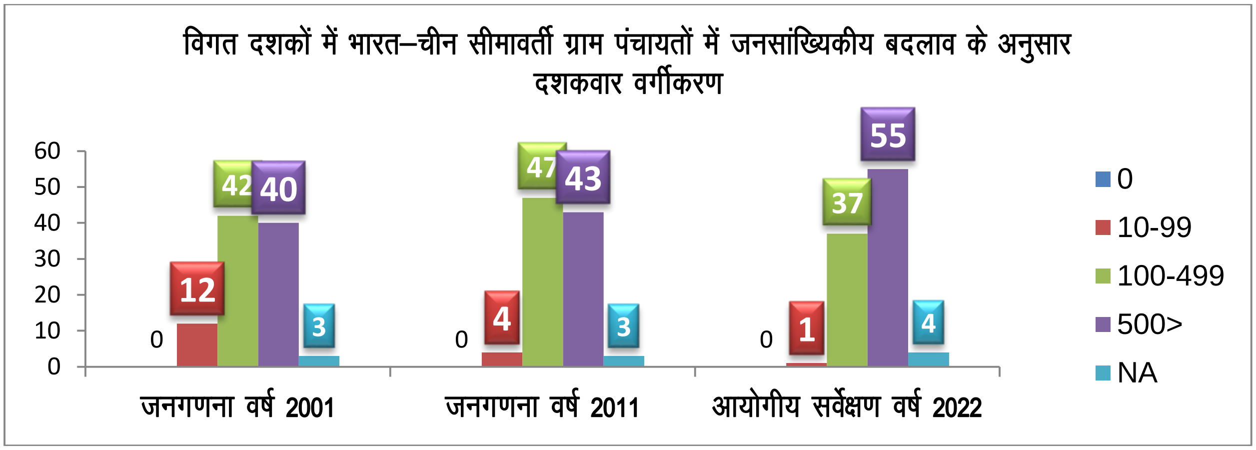

विगत दशकों में भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में जनसांख्यिकीय बदलाव के अनुसार वर्गीकरण						
विकासखण्ड / वर्ष	जनगणना वर्ष 2001					
वर्गीकृत श्रेणी	0	10-99	100-499	500>	NA	योग
भटवाड़ी	0	0	2	6	0	8
जोशीमठ	0	5	10	4	1	20
मुनस्यारी	0	1	8	2	0	11
धारचूला	0	6	22	28	2	58
योग	**0**	**12**	**42**	**40**	**3**	**97**
जनगणना वर्ष 2011						
वर्गीकृत श्रेणी	0	10-99	100-499	500>	NA	योग
भटवाड़ी	0	0	2	6	0	8
जोशीमठ	0	2	12	5	1	20
मुनस्यारी	0	0	9	2	0	11

धारचूला	0	2	24	30	2	58
योग	**0**	**4**	**47**	**43**	**3**	**97**
आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022						
वर्गीकृत श्रणी	0	10-99	100-499	500>	NA	योग
भटवाड़ी	0	0	2	6		8
जोशीमठ	0	1	11	7	1	20
मुनस्यारी	0	0	7	4		11
धारचूला	0	0	17	38	3	58
योग	**0**	**1**	**37**	**55**	**4**	**97**

एक दृष्टि में सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में जनसांख्यिकीय बदलाव :– विगत दशकों के मध्य सीमावर्ती ग्राम पंचायतों की जनसंख्या में हुए बदलाव को इस तालिका में वर्णित आंकड़ों के माध्यम से एक दृष्टि में समझा जा सकता है।

<table>
<tr><td colspan="7">भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में जनगणना वर्ष 2011 से पूर्व वर्ष 2001 की जनगणना के सापेक्ष और जनगणना वर्ष 2011 के बाद आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 के सापेक्ष जनसांख्यिकीय बदलाव</td></tr>
<tr><td>क्र0 स0</td><td colspan="3">जनगणना वर्ष 2011 से पूर्व का बदलाव</td><td colspan="2">जनगणना वर्ष 2011 के बाद का बदलाव</td><td rowspan="3">टिप्पणी</td></tr>
<tr><td colspan="6">क – ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धिदर वाले ग्राम पंचायत</td></tr>
<tr><td colspan="2">विकासखण्ड</td><td>प्रभावित ग्राम पंचायत के नाम</td><td>संख्या</td><td>प्रभावित ग्राम पंचायत के नाम</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td>1</td><td>धारचूला</td><td>धारपॉगूं, जम्कू, दूतीबगड, नावी, रौंग कौंग, पागला, रूंग, किमखोला, खेत, गर्गुवा, खेला, जुम्मा, समतोली, कालिका छारछुम, बलुवाकोट, दुगांतोली, तोली, सुवा स्यांकुरी</td><td>20</td><td>जिप्ती, न्यू</td><td>2</td><td rowspan="5">पलायन पर कुछ हद तक अंकुश लगा।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मुनस्यारी</td><td>बौना, तोमिक, बाता, ढिमडिमियॉ, शिलिंग, दारमा</td><td>6</td><td>बौना,</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>भटवाड़ी</td><td>मुखवा, धराली, बगोरी, सुक्की</td><td>4</td><td>मुखवा,</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जोशीमठ</td><td>नीती, फरकिया, खिरौं लामबगड़, कैलाशपुर, भल्लागांव, लाता,</td><td>6</td><td>जेलम</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3">योग</td><td>36</td><td>योग</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="7">ख – सीमावर्ती गैर–आबाद गांव</td></tr>
<tr><td colspan="2">विकासखण्ड</td><td>प्रभावित ग्राम के नाम</td><td>संख्या</td><td>प्रभावित ग्राम के नाम</td><td>संख्या</td><td>टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>1</td><td>धारचूला</td><td>गुमकाना, खिमलिंग, सांगरी ढुकधोना, लुम</td><td>4</td><td>वर्तमान में भी गैर–आबाद हैं।</td><td>0</td><td rowspan="3">पलायन पर अकुंश को दर्शाता है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मुनस्यारी</td><td>सुम्तू, पोंटिंग</td><td>2</td><td>,,</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>भटवाड़ी</td><td>नेलांग, जादुंग</td><td>2</td><td>,,</td><td>0</td></tr>
</table>

4	जोशीमठ	लमतोली, फागती, रेवल चेक कुरकटी	3	,,	0	
योग			11	,,	0	

ग – जगणना वर्ष 2001 की जनसंख्या श्रेणी 10–99 में वर्गीकृत सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में जनसंख्यावार बदलाव

विकासखण्ड		10–99 तक की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत	संख्या	100–499 की श्रेणी में उन्नत जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत	संख्या	500> की श्रेणी में उन्नत जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत	संख्या	टिप्पणी
1	धारचूला	नावी, नपलच्यूं, गुंजी, सीपू, मार्छा, फिलम	6	नपलच्यूं, सीपू, मार्छा, फिलम	4	नावी, गुंजी,	2	पलायन पर अकुंश को दर्शाता है।
2	मुनस्यारी	लीलम	1	लीलम	1	–	0	
3	भटवाड़ी	–	0	–	0	–	0	
4	जोशीमठ	नीती, द्रोणागिरी, बाम्पा, कागा, मेहरगांव	5	नीती, बाम्पा, कागा,	3	मेहरगांव	1	
योग			12	,,	8		3	

घ – जगणना वर्ष 2001 की जनसंख्या श्रेणी 100–499 में वर्गीकृत सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में जनसंख्यावार बदलाव

विकासखण्ड		100–499 की श्रेणी की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत	संख्या	500> की श्रेणी में उन्नत जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत	संख्या	टिप्पणी
1	धारचूला	गो, कुटी, बूंदी, रूंग, सोसा, बौन, गर्ब्याग, बुंग बुंग, लुमती	9	गो, कुटी, बूंदी, रूंग, सोसा, बौन, गर्ब्याग, बुंग बुंग, लुमती	9	पलायन पर अकुंश को दर्शाता है।
2	मुनस्यारी	तोमिक, ढिमढिमियॉ,	2	तोमिक, ढिमढिमियॉ,	2	
3	भटवाड़ी	–	0	–	0	
4	जोशीमठ	तोलमा, मलारी,	2	तोलमा, मलारी,	2	
योग			13		13	

च – जगणना वर्ष 2001 की जनसंख्या श्रेणी 500> में वर्गीकृत सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में जनसंख्यावार बदलाव

विकासखण्ड		500> की श्रेणी की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत	संख्या	100–499 की श्रेणी में अवनत जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत	संख्या	टिप्पणी
1	धारचूला	जिप्ती	1	जिप्ती	1	पलायन की निरन्तरता दर्शाता है।
2	मुनस्यारी	–	0	–	0	
3	भटवाड़ी	–	0	–	0	
4	जोशीमठ	–	0	–	0	
योग			1		1	

जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्रामों में जनसांख्यिकी बदलाव

जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन सीमा के पास अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित कुल 136 ग्रामों में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जनगणना वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के जनसांख्यिकीय आंकड़ों के अध्ययन से निम्नवत बिन्दु स्पष्ट होते हैं :–

1. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में प्राथमिक राजस्व ग्रामों की जनसंख्या अन्य विकासखण्ड की अपेक्षा सबसे अधिक लगभग 40% की दर से बढ़ी, जबकि विकासखण्ड भटवाड़ी के प्राथमिक ग्रामों में उक्त आंकड़े लगभग -2% की दर से ऋणात्मक रही।
2. विकासखण्ड धारचूला के प्राथमिक ग्रामों में जनसंख्या वृद्धिदर का आंकड़ा मात्र 3% की दर से बढ़ा, जो कि बहुत न्यूनतम है, क्योंकि विकासखण्ड धारचूला की मात्र 04 ग्राम पंचायतों के 04 राजस्व ग्राम ही अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी के भीतर नहीं आते हैं। जबकि विकासखण्ड के लगभग 95% गांव भारत–चीन सीमा के पास स्थित है।
3. सीमावर्ती विकास खण्डों से पलायन हो रहा है, की स्पष्ट पुष्टि होती है। आंकड़ों का विवरण निम्नवत तालिका में प्रदर्शित किया गया है–

भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक आबाद राजस्व ग्रामों में जनसांख्यिकी का विवरण

क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	आबाद राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 की जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	चमोली	जोशीमठ	26	7029	9813	2784	40%
2	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	26	3263	3594	331	10%
3	पिथौरागढ़	धारचूला	65	50574	52011	1437	3%
4	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	8	4918	4820	-98	-2%
योग	3	4	125	65784	70238	4454	7%

पुरूष जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन सीमा पर 10 किमी की हवाई दूरी के अन्तर्गत अवस्थित ग्रामों में यह देखना भी आवश्यक है कि इन गांवों में पलायन के प्रभाव से कौन सा संवर्ग अधिक प्रभावित हो रहा है। इसी उद्देश्य से इस पैरा में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 में पुरुष जनसांख्यिकी के आकड़ों का अध्ययन किया गया। उक्त अध्ययन से निम्नवत मुख्य बिन्दु, तालिका से स्पष्ट होते हैं :–

1. भारत–चीन सीमा के समीप स्थित विकास खण्डों के अन्तर्गत 10 किमी की दूरी पर अवस्थित राजस्व ग्रामों में पिछले दो दशकीय जनगणना में पुरूषों की जनसंख्या की वृद्धिदर 8% के करीब रही।
2. चारों विकास खण्डों में से सबसे अधिक पुरूष जनसंख्या जोशीमठ विकासखण्ड के अन्तर्गत बढ़ी, जबकि विकासखण्ड धारचूला में उक्त वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत कम रही।
3. जोशीमठ विकास खण्ड की भांति अन्य सभी विकासखण्डों में भी कई तीर्थाटन एवं पर्यटन स्थल मौजूद हैं। फिर भी स्थिति अच्छी नहीं है।

भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक आबाद राजस्व ग्रामों में पुरूष जनसांख्यिकी का विवरण

क्र0स0	जनपद	विकासखण्ड	आबाद राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल पुरूष जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल पुरूष जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 की पुरूष जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	चमोली	जोशीमठ	26	3891	5636	1745	45%
2	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	8	2668	3049	381	14%
3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	26	1656	1881	225	14%
4	पिथौरागढ़	धारचूला	65	25503	25779	276	1%
योग	3	4	125	33718	36345	2627	8%

महिला जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन सीमा पर 10 किमी की हवाई दूरी के अन्तर्गत अवस्थित ग्रामों में महिला संवर्ग की जनसंख्या वृद्धिदर हेतु भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के आंकड़ों का अध्ययन किया गया, आंकड़ों से निम्नवत मुख्य बिन्दु, तालिका से स्पष्ट होते हैं :–

1. भारत–चीन सीमा के समीप स्थित प्राथमिक ग्रामों के अन्तर्गत पिछली दो दशकीय जनगणना में महिलाओं की जनसंख्या वृद्धिदर 6% के करीब रही, जो कि पुरूष संवर्ग से 2% कम है
2. चारों विकासखण्डों में से सबसे अधिक महिला जनसंख्या वृद्धि जोशीमठ विकासखण्ड के अन्तर्गत 33% हुई, जबकि विकासखण्ड भटवाड़ी में उक्त वृद्धिदर -21% रही।
3. मुनस्यारी और धारचूला विकासखण्डों में भी महिला जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत कम ही रही। जो कि लिंगानुपात और पलायन की ओर संकेत करता है।

भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक आबाद राजस्व ग्रामों में महिला जनसांख्यिकी का विवरण							
क्र0स0	जनपद	विकासखण्ड	आबाद राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल महिला जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल महिला जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 की महिला जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	चमोली	जोशीमठ	26	3138	4177	1039	33%
2	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	26	1607	1713	106	7%
3	पिथौरागढ़	धारचूला	65	25071	26232	1161	5%
4	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	8	2250	1771	-479	-21%
योग	3	4	125	32066	33893	1827	6%

सीमावर्ती गांवों का जनसांख्यिकीय वर्गीकरण :– जनगणना वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के अनुसार भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित कुल 136 गांवों को जनगणना वर्ष 2001 और वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार श्रेणीवार निम्नवत वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत आंकड़ों एवं ग्राफ से निम्नवत बिन्दु स्पष्ट होते हैं :–

1. जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार सीमावर्ती विकासखण्डों में गैर आबाद गांवों की संख्या 06 से बढ़कर, जनगणना वर्ष 2011 में 09 हुई। जबकि खण्ड विकास अधिकारी, भटवाड़ी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत मुखवा के दो गांव नेलांग और जादुंग वर्तमान में गैर आबाद हैं।

विगत दशकों में जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत सीमावर्ती गांव

विकासखण्ड	जनगणना वर्ष 2001						जनगणना वर्ष 2011					
	0	1-9	10-99	100>	NA	योग	0	1-9	10-99	100>	NA	योग
भटवाड़ी	0	0	1	9	0	10	0	0	2	8	0	10
जोशीमठ	2	0	9	17	1	29	3	0	7	18	1	29
मुनस्यारी	2	2	10	14	0	28	2	0	10	16	0	28
धारचूला	2	2	9	54	2	69	4	0	5	58	2	69
योग	**6**	**4**	**29**	**94**	**3**	**136**	**9**	**0**	**24**	**100**	**3**	**136**

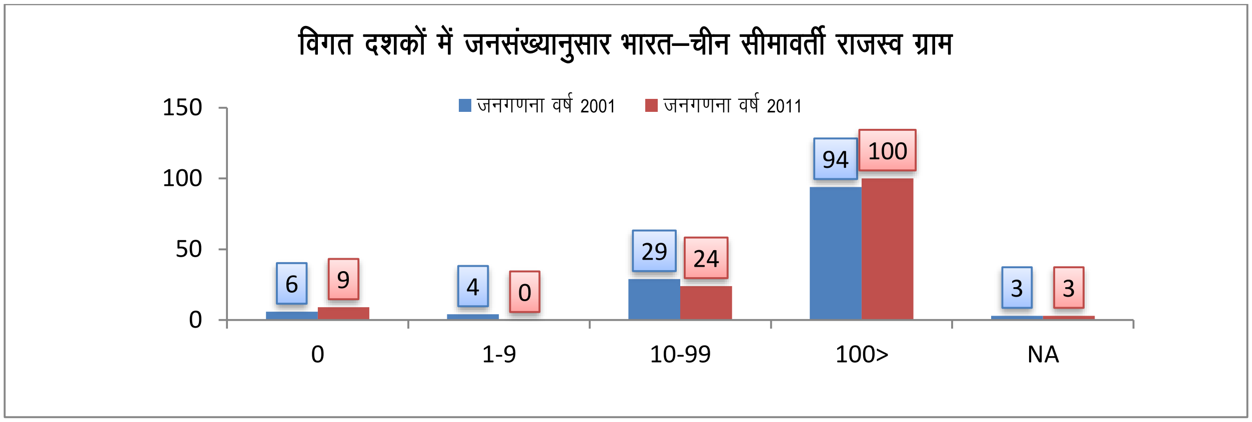

2. भारत–चीन सामा से 10 किमी की हवाई दूरी पर कुल 11 प्राथमिक गांव मार्च 2024 में गैर आबाद हैं।

सीमावर्ती गैर आबाद गांव												
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनसंख्या			जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या			टिप्पणी
					कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	
1	chamoli	joshimath	Dronagiri	lamtoli	0	0	0	0	0	0	गैर आबाद
2	chamoli	joshimath	Farkiagaon	Rewal Chak Kurkuti	**23**	**9**	**14**	0	0	0	
3	chamoli	joshimath	Tolma	fagati	0	0	0	0	0	0	
4	pithoragarh	munsiyari	Lilam	Sumatu	0	0	0	0	0	0	
5	pithoragarh	munsiyari	Laspa	Poting	0	0	0	0	0	0	
6	pithoragarh	dharchula	Jyoti Pangu	Sagri Dhakdhauna	**3**	**2**	**1**	0	0	0	
7	pithoragarh	dharchula	Dhar Pangu	Gumkana	0	0	0	0	0	0	
8	pithoragarh	dharchula	Go	Khimling	0	0	0	0	0	0	
9	pithoragarh	dharchula	Jamku	Lum	**6**	**3**	**3**	0	0	0	
10	Uttarkashi	bhatwari	Mukhawa	Jadung	102	48	54	29	29	0	वर्तमान में गैर आबाद
11	Uttarkashi	bhatwari	Mukhawa	Nelang	34	34	0	48	48	0	

3. जनगणना वर्ष 2001 की जनसंख्या हेतु श्रेणी 1–9 में वर्गीकृत 4 गांव का आंकड़ा, जनगणना वर्ष 2011 में शून्य हो जाता है। क्योंकि धारचूला विकासखण्ड की दो गांव सांगरी ढकधोना और लुम तथा विकासखण्ड जोशीमठ का एक

गांव रेवलचक कुरकुटी, सहित 03 गांव जनगणना वर्ष 2011 में जनशून्य हुए, जबकि विकासखण्ड मुनस्यारी के दो गांव पांछू गूठ और गन्घर जनसंख्या की श्रेणी 10–99 में उन्नत हुए।

जनसंख्या के अनुसार श्रेणी 1–9 व 10–99 से जनशून्य हुए सीमावर्ती गांव										
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 श्रेणी 1–9			जनगणना वर्ष 2011 श्रेणी जनशून्य		
					कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
1	chamoli	joshimath	Farkiagaon	Rewal Chak Kurkuti	23	9	14	0	0	0
2	pithoragarh	dharchula	Jyoti Pangu	Sagri Dhakdhauna	3	2	1	0	0	0
3	pithoragarh	dharchula	Jamku	Lum	6	3	3	0	0	0

जनसंख्या के अनुसार श्रेणी 1–9 से 10–99 में उन्नत हुए सीमावर्ती गांव										
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 श्रेणी 1–9			जनगणना वर्ष 2011 श्रेणी 10–99		
					कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
4	pithoragarh	munsiyari	Laspa	Pachhu Gunth	7	7	0	23	15	8
5	pithoragarh	munsiyari	Laspa	Ganghar	9	5	4	14	5	9

4. जनगणना वर्ष 2001 हेतु जनसंख्या श्रेणी 10–99 में वर्गीकृत 29 गांव का आंकड़ा, जनगणना वर्ष 2011 में 26 तक घटा, जबकि जनगणना वर्ष 2001 हेतु जनसंख्या श्रेणी 100 से अधिक में वर्गीकृत 94 गांव का आंकड़ा, जनगणना वर्ष 2011 में 100 तक बढ़ा। आंकड़ा निम्न प्रकार घटा–बढ़ा :–
   - जनसंख्या श्रेणी 10–99 में वर्गीकृत 29 गांवों में से कुल 09 गांव, जनसंख्या श्रेणी 100> में उन्नत होते हैं वहीं जनसंख्या श्रेणी 100> में वर्गीकृत 94 गांवों में से 03 गांव अवनत होकर जनसंख्या श्रेणी 10–99 में जुडते हैं। अर्थात जनसंख्या श्रेणी 100> में कुल 06 गांवों का आंकड़ा जुड़ा।
   - विकासखण्ड मुनस्यारी के 02 गांव पांछू गूठ और गन्घर जनसंख्या श्रेणी 1–9 से जनसंख्या श्रेणी 10–99 में उन्नत हुए।
   - विकासखण्ड जोशीमठ का 01 गांव रेवलचक कुरकुटी जनसंख्या श्रेणी 10–99 से जनशून्य में अवनत हुआ।
   - विकासखण्ड जोशीमठ के 02 गांव भ्यूंडार और खीरों तथा विकासखण्ड भटवाड़ी का 01 गांव जादुंग सहित कुल 03 गांव जनसंख्या श्रेणी 100> से जनसंख्या श्रेणी 10–99 में अवनत हुए।

श्रेणी 10–99 से 100> श्रेणी में उन्नत सीमावर्ती गांव										
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 श्रेणी 10–99			जनगणना वर्ष 2011 श्रेणी 100>		
					कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
1	Chamoli	Joshimath	Bampa	Bampa	74	34	40	192	85	107
2	Chamoli	Joshimath	Jalam	Jalam	98	54	44	344	224	120
3	Chamoli	Joshimath	Mahargaon	Mahargaon	26	14	12	269	139	130
4	Pithoragarh	Munsyari	Lilam	Milam	37	28	9	135	118	17
5	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Laspa	19	14	5	109	64	45
6	Pithoragarh	Dharchula	Gunji	Gunji	96	45	51	335	229	106

7	Pithoragarh	Dharchula	Marchha	Marchha	90	38	52	185	87	98
8	Pithoragarh	Dharchula	Philam	Philam	37	22	15	151	77	74
9	Pithoragarh	Dharchula	Sipu	Sipu	70	39	31	136	59	77

श्रेणी 100> से श्रेणी 10–99 में अवन्नत सीमावर्ती गांव										
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 श्रेणी 100झ			जनगणना वर्ष 2011 श्रेणी 10–99		
					कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
1	Uttarkashi	Bhatwari	Mukhawa	Jadung	102	48	54	29	29	0
2	Chamoli	Joshimath	Bhyudar	Bhyudar	106	51	55	61	33	28
3	Chamoli	Joshimath	Khiron	Khiron	132	64	68	90	47	43

सीमावर्ती विकासखण्डों के उपरोक्त जनसांख्यिकीय आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 136 सीमावर्ती गांवों में से 11 गांव गैर आबाद और 24 गांव की जनसंख्या 99 से कम है जो कि उक्त विकासखण्डों से नजदीकी कस्बों/शहरी क्षेत्रों की ओर हो रहे पलायन को दर्शाता है।

जनगणना वर्ष 2011 और आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसांख्किीय बदलाव :– जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसांख्किीय आंकड़ों में हुए बदलाव को इस खण्ड में दर्शाया गया हैं। बदलाव के मुख्य अंश निम्नवत हैं :–

1. भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्डों की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में वर्ष 2011 की जनगणना के सापेक्ष आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में जनसंख्या वृद्धिदर 21% रही। उक्त आंकड़े में महिलाओं का योगदान लगभग 23% रहा, जो कि पुरूषों की अपेक्षा 4% अधिक है।
2. सीमावर्ती उल्लिखित सभी विकासखण्डों में जनगणना वर्ष 2011 के सापेक्ष आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 हेतु महिलाओं की जनसंख्या वृद्धिदर पुरूषों की अपेक्षा अधिक रही।
3. सीमावर्ती विकासखण्डों की ग्राम पंचायत मुखवा, जेलम, बौना, जिप्ती और न्यू के अन्तर्गत उल्लिखित अवधि में जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रही जबकि माणा, खेला और कागा जैसी कुल 20 ग्राम पंचायतों में जनसंख्या वृद्धिदर अपेक्षाकृत कम है।

सीमावर्ती जनपदों के विकासखण्डों की ग्राम पंचायतों में जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या में बदलाव का विवरण											
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या			जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या			जनसंख्या में बदलाव प्रतिशत		
			पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	3138	1889	5027	3049	1771	4820	3%	7%	4%
2	चमोली	जोशीमठ	6335	4755	11090	5636	4177	9813	12%	14%	13%
3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	2496	2545	5041	1881	1713	3594	33%	49%	40%
4		धारचूला	31358	32429	63787	25779	26232	52011	22%	24%	23%
योग	**3**	**4**	**43327**	**41618**	**84945**	**36345**	**33893**	**70238**	19%	23%	21%

जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में ऋणात्मक एवं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धिदर वाली सीमावर्ती ग्राम पंचायतों का विकासखण्डवार एवं जनपदवार विवरण											
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या			जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या			बदलाव प्रतिशत	
				पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	चमोली	जोशीमठ	जेलम	302	183	485	201	112	313	-33%	-39%	-35%
2	पिथौरागढ	धारचूला	जिप्ती	310	328	638	246	239	485	-21%	-27%	-24%
3	पिथौरागढ	धारचूला	न्यू	229	224	453	180	195	375	-21%	-13%	-17%
4	पिथौरागढ	मुनस्यारी	बौना	164	180	344	104	205	309	-37%	14%	-10%
5	उत्तरकाशी	भटवारी	मुखवा	429	328	757	370	344	714	-14%	5%	-6%
6	चमोली	जोशीमठ	कागा	87	76	163	88	78	166	1%	3%	2%
7	चमोली	जोशीमठ	माणा	731	483	1214	745	497	1242	2%	3%	2%
8	पिथौरागढ	धारचूला	खेला	780	984	1764	802	1006	1808	3%	2%	2%
9	पिथौरागढ	धारचूला	दूतीबगड़	914	743	1657	950	750	1700	4%	1%	3%
10	उत्तरकाशी	भटवारी	हर्षिल	1157	48	1205	1190	51	1241	3%	6%	3%
11	पिथौरागढ	धारचूला	स्यांकुरी	595	637	1232	620	655	1275	4%	3%	3%
12	चमोली	जोशीमठ	पाण्डुकेश्वर	711	685	1396	745	705	1450	5%	3%	4%
13	पिथौरागढ	धारचूला	गर्ग्वा	479	507	986	502	525	1027	5%	4%	4%
14	पिथौरागढ	धारचूला	जुम्मा	1653	1730	3383	1740	1790	3530	5%	3%	4%
15	चमोली	जोशीमठ	खिरौं लामबगड	354	345	699	372	360	732	5%	4%	5%
16	उत्तरकाशी	भटवारी	धराली	307	276	583	322	289	611	5%	5%	5%
17	उत्तरकाशी	भटवारी	बगोरी	280	287	567	294	301	595	5%	5%	5%
18	उत्तरकाशी	भटवारी	सुक्की	258	267	525	271	281	552	5%	5%	5%
19	पिथौरागढ	धारचूला	तोली	847	854	1701	900	905	1805	6%	6%	6%
20	पिथौरागढ	धारचूला	सिर्दांग	406	406	812	432	432	864	6%	6%	6%
21	चमोली	जोशीमठ	द्रोणागिरी	47	45	92	50	48	98	6%	7%	7%
22	चमोली	जोशीमठ	भल्लागांव	164	177	341	180	184	364	10%	4%	7%
23	चमोली	जोशीमठ	लाता	145	160	305	155	172	327	7%	8%	7%
24	उत्तरकाशी	भटवारी	झाला	333	311	644	367	325	692	10%	5%	7%
25	पिथौरागढ	धारचूला	पय्यापौडी	849	957	1806	939	1024	1963	11%	7%	9%

राज्य स्तर में सीमावर्ती क्षेत्रों के पलायन का योगदान :– किसी स्थान के उत्थान और पतन में पलायन का अमूल्य योगदान रहा है और रहेगा भी। क्योंकि पलायन आवश्यक (पॉजिटिव) और अनावश्यक (नेगेटिव) दोनों प्रकार का होता है। आवश्यक और अनावश्यक पलायन भी दो प्रकार का होता है :– 1– अस्थायी पलायन 2– स्थायी पलायन

उत्तराखण्ड राज्य में पलायन की स्थिति पर आयोग द्वारा वर्ष 2018 एवं वर्ष 2022 में प्रथम एवं द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। प्रकाशित आंकड़ों में भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतें भी पलायन से प्रभावित रही, वर्शेते भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित ग्राम पंचायतों में प्रथम अंतरिम रिपोर्ट की अपेक्षा द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट के पलायन पर कुछ हद तक अंकुश लगा है। जिसकी स्पष्टता निम्नवत तालिका के आंकड़ों से होती है।

प्रथम अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार अस्थायी–स्थायी पलायन के प्रभाव का विवरण						
भारत–चीन सीमावर्ती जनपद						
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	अस्थायी पलायन (पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो)		स्थायी पलायन (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो)	
			प्रभावित ग्राम पंचायत	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित ग्राम पंचायत	प्रभावित जनसंख्या
उत्तराखण्ड			6338	383726	3926	118981
1	उत्तरकाशी		376	19893	111	2727
2	चमोली		556	32020	373	14289
3	पिथौरागढ़		589	31786	384	9883
योग			**1521**	**83699**	**868**	**26899**
भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्ड						
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	72	5263	3	51
2	चमोली	जोशीमठ	57	2756	23	449
3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	77	4822	38	566
4		धारचूला	57	6330	8	465
योग			**263**	**19171**	**72**	**1531**
भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायत						
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	8	316	0	0
2	चमोली	जोशीमठ	19	1526	11	253
3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	5	524	3	42
4		धारचूला	51	5822	7	463
योग			**83**	**8188**	**21**	**758**

द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2022 के अनुसार अस्थायी–स्थायी पलायन के प्रभाव का विवरण						
भारत–चीन सीमावर्ती जनपद						
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	अस्थायी पलायन		स्थायी पलायन	
			प्रभावित ग्राम पंचायत	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित ग्राम पंचायत	प्रभावित जनसंख्या
उत्तराखण्ड			6436	307310	2067	28531
1	उत्तरकाशी		377	19649	78	900
2	चमोली		478	16326	151	1722
3	पिथौरागढ़		585	25715	173	1713
योग			**1440**	**61690**	**402**	**4335**
भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्ड						
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	74	5354	1	2
2	चमोली	जोशीमठ	50	845	0	0
3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	95	5159	22	249
4		धारचूला	53	4630	8	43

योग			**272**	**15988**	**31**	**294**
भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायत						
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	7	1526	0	0
2	चमोली	जोशीमठ	12	315	0	0
3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	10	647	4	82
4		धारचूला	50	4475	8	43
योग			**79**	**6963**	**12**	**125**

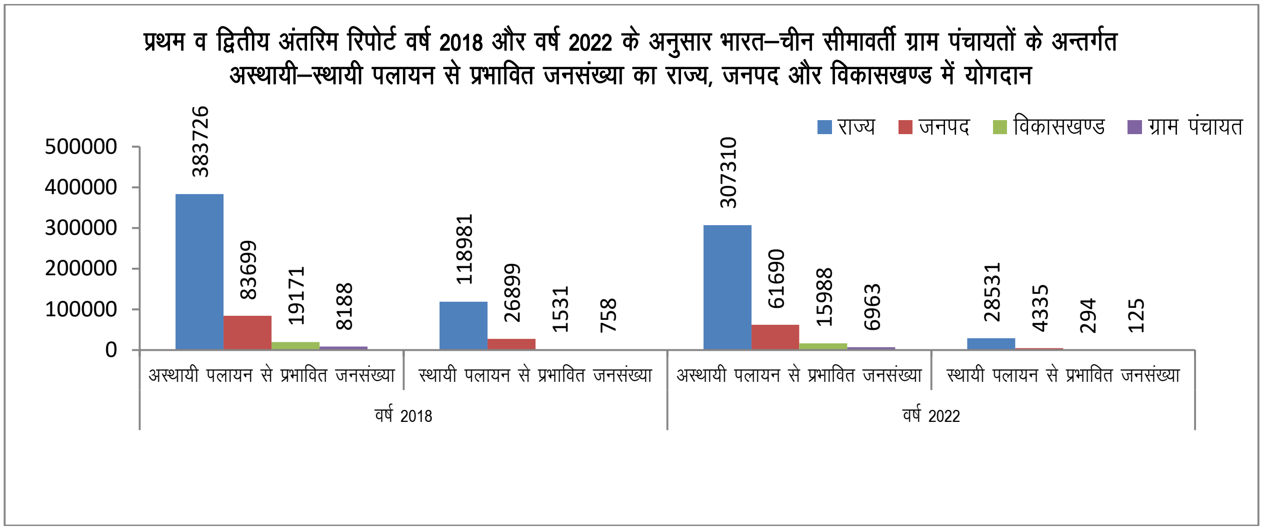

भारत–चीन सीमा पर अवस्थित ग्राम पंचायतों में पलायन :– आयोग द्वारा वर्ष 2018 एवं 2022 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की स्थिति पर सर्वेक्षण करवाया गया, जो कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की स्थिति पर आंकड़ें प्रस्तुत करते हैं। आयोग की प्रथम और द्वितीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति के मुख्य अंश निम्नवत हैं जो कि निम्नवत तालिकाओं से स्पष्ट होते हैं।

1. भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के समीप की कुल 97 ग्राम पंचायतों में से 94 ग्राम पंचायतें प्रथम तथा द्वितीय सर्वेक्षण के अनुसार पलायन से प्रभावित रहीं।
2. भारत–चीन सीमा से सटे चारों विकासखण्डों में से विकासखण्ड धारचूला की दो ग्राम पंचायत बरम और कनार दोनों सर्वेक्षणों में पलायन से अप्रभावित रही।

आयोगीय प्रथम व द्वितीय पलायन संबंधी सर्वेक्षण के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतों में पलायन के प्रभाव में हुए बदलाव का विवरण												
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत की संख्या	द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2022)			प्रथम सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2018)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
				अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	चमोली	जोशीमठ	20	315	0	315	1526	253	1779	-1211	-253	-1464
2	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	11	647	82	729	524	42	566	123	40	163
3	पिथौरागढ़	धारचूला	55	4475	43	4518	5822	463	6285	-1347	-420	-1767
4	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	8	1526	0	1526	316	0	316	1210	0	1210
योग	3	4	94	6963	125	7088	8188	758	8946	-1225	-633	-1858

पलायन से अप्रभावित भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतों का विवरण												
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	प्रथम सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2018)			द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2022)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
				अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	पिथौरागढ	धारचूला	बरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	पिथौरागढ	धारचूला	कनार	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. भारत–चीन सीमा के समीप की कुल 97 ग्राम पंचायतों में से 55 ग्राम पंचायतों में प्रथम सर्वेक्षण की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन के आंकड़ों में कमी आई जबकि 38 ग्राम पंचायतों में पलायन के आंकड़ों में वृद्धि हुई।
4. भारत–चीन सीमा से सटे चारों विकासखण्डों में से विकासखण्ड धारचूला की ग्राम पंचायत सीपू के अन्तर्गत दोनों सर्वेक्षणों में 40–40 व्यक्तियों द्वारा पलायन किया गया जबकि ग्राम पंचायत सिर्खा के आंकडें आयोग को उपलब्ध नहीं हो पाये।
5. भारत–चीन सीमा के समीप की कुल 97 सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में 57% ग्राम पंचायतों में पलायन पर अंकुश लगा। अर्थात आधे से अधिक ग्राम पंचायतों में पलायन के प्रभाव पर अंकुश लगा।

आयोगीय प्रथम व द्वितीय पलायन संबंधी सर्वेक्षण के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतों में पलायन के प्रभाव पर लगे अंकुश का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण												
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत की संख्या	द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2022)			प्रथम सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2018)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
				अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	चमोली	जोशीमठ	18	160	0	160	1494	205	1699	-1334	-205	-1539
2	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	3	30	0	30	394	42	436	-364	-42	-406
3	पिथौरागढ़	धारचूला	33	1673	37	1710	4697	463	5160	-3024	-426	-3450
4	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	1	0	0	0	14	0	14	-14	0	-14
योग	3	4	55	1863	37	1900	6599	710	7309	-4736	-673	-5409

भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के अनुसार पलायन के प्रभाव में हुई वृद्धि का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण													
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत की संख्या	द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2022)			प्रथम सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2018)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
				अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	चमोली	जोशीमठ	2	155	0	155	32	48	80	123	-48	75
2	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	8	617	82	699	130	0	130	487	82	569
3	पिथौरागढ़	धारचूला	21	2762	6	2768	1085	0	1085	1677	6	1683
4	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	7	1526	0	1526	302	0	302	1224	0	1224
योग	3	4	38	5060	88	5148	1549	48	1597	3511	40	3551

6. भारत–चीन सीमा के समीप की कुल 97 ग्राम पंचायतों में से 04 ग्राम पंचायतों में प्रथम सर्वेक्षण की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन से प्रभावित हुई।

प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में पलायन से प्रभावित भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतों का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण												
क्र0 स0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2022)			प्रथम सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2018)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
				अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	चमोली	जोशीमठ	माणा	25	0	25	0	0	0	25	0	25
2	पिथौरागढ	मुनस्यारी	शिलिंग	30	0	30	0	0	0	30	0	30
3	पिथौरागढ	मुनस्यारी	मदरमा	22	17	39	0	0	0	22	17	39
4	पिथौरागढ	मुनस्यारी	दारमा	20	0	20	0	0	0	20	0	20

7. भारत–चीन सीमा के समीप की कुल 97 ग्राम पंचायतों में से 15 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनमें प्रथम सर्वेक्षण की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन से अप्रभावित रही अर्थात पलायन पर अंकुश लगा।

प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में पलायन से अप्रभावित भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतों का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण												
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2022)			प्रथम सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2018)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
				अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	सुक्की	0	0	0	14	0	14	-14	0	-14
2	चमोली	जोशीमठ	गमशाली	0	0	0	89	27	116	-89	-27	-116
3	चमोली	जोशीमठ	औथ हनुमान चट्टी	0	0	0	227	12	239	-227	-12	-239
4	चमोली	जोशीमठ	तोलमा	0	0	0	35	8	43	-35	-8	-43
5	चमोली	जोशीमठ	कोषा	0	0	0	32	0	32	-32	0	-32
6	चमोली	जोशीमठ	भ्यूंडार	0	0	0	154	0	154	-154	0	-154
7	चमोली	जोशीमठ	पाण्डुकेश्वर	0	0	0	122	40	162	-122	-40	-162
8	चमोली	जोशीमठ	भल्लागांव	0	0	0	35	0	35	-35	0	-35
9	चमोली	जोशीमठ	लाता	0	0	0	42	8	50	-42	-8	-50

10	पिथौरागढ	मुनस्यारी	टॉगा	0	0	0	156	20	176	-156	-20	-176
11	पिथौरागढ	धारचूला	गो	0	0	0	20	0	20	-20	0	-20
12	पिथौरागढ	धारचूला	गलाती	0	0	0	174	0	174	-174	0	-174
13	पिथौरागढ	धारचूला	खुमती	0	0	0	150	35	185	-150	-35	-185
14	पिथौरागढ	धारचूला	छारछुम	0	0	0	20	0	20	-20	0	-20
15	पिथौरागढ	धारचूला	तोली	0	0	0	79	47	126	-79	-47	-126

8. सीमावर्ती 97 ग्राम पंचायतों में से 07 ग्राम पंचायतें प्रथम सर्वे की अपेक्षा द्वितीय सर्वे में स्थायी पलायन से भी प्रभावित हुई। किन्तु 22 ग्राम पंचायतें प्रथम सर्वे की अपेक्षा द्वितीय सर्वे में स्थायी पलायन से अप्रभावित रही। अर्थात सीमा के पास ग्राम पंचायतें स्थायी पलायन से कम प्रभावित हैं।

सर्वेक्षण वर्ष 2018 की अपेक्षा सर्वेक्षण वर्ष 2022 में स्थायी पलायन से प्रभावित भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतों का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण

क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2022)			प्रथम सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2018)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
				अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	पिथौरागढ	मुनस्यारी	ढिमढिमियॉ	197	45	242	30	0	30	167	45	212
2	पिथौरागढ	मुनस्यारी	मदरमा	22	17	39	0	0	0	22	17	39
3	पिथौरागढ	धारचूला	खेत	18	2	20	10	0	10	8	2	10
4	पिथौरागढ	धारचूला	गर्गुवा	22	3	25	52	0	52	-30	3	-27
5	पिथौरागढ	धारचूला	खेला	29	4	33	29	0	29	0	4	4
6	पिथौरागढ	धारचूला	जुम्मा	62	5	67	110	0	110	-48	5	-43
7	पिथौरागढ	धारचूला	पय्यापौडी	112	12	124	361	0	361	-249	12	-237

सर्वेक्षण वर्ष 2018 की अपेक्षा सर्वेक्षण वर्ष 2022 में स्थायी पलायन से अप्रभावित भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतों का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण

क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2022)			प्रथम सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2018)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
				अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	चमोली	जोशीमठ	नीती	12	0	12	52	20	72	-40	-20	-60
2	चमोली	जोशीमठ	गमशाली	0	0	0	89	27	116	-89	-27	-116
3	चमोली	जोशीमठ	बाम्पा	22	0	22	57	24	81	-35	-24	-59
4	चमोली	जोशीमठ	फरकिया	20	0	20	52	32	84	-32	-32	-64
5	चमोली	जोशीमठ	औथ हनुमान चट्टी	0	0	0	227	12	239	-227	-12	-239
6	चमोली	जोशीमठ	कैलाशपुर	10	0	10	43	22	65	-33	-22	-55
7	चमोली	जोशीमठ	मेहरगांव	130	0	130	32	48	80	98	-48	50
8	चमोली	जोशीमठ	तोलमा	0	0	0	35	8	43	-35	-8	-43
9	चमोली	जोशीमठ	थैंग	37	0	37	157	12	169	-120	-12	-132
10	चमोली	जोशीमठ	पाण्डुकेश्वर	0	0	0	122	40	162	-122	-40	-162
11	चमोली	जोशीमठ	लाता	0	0	0	42	8	50	-42	-8	-50
12	पिथौरागढ	मुनस्यारी	लास्पा	57	0	57	NA	NA	NA	57	0	57
13	पिथौरागढ	मुनस्यारी	बौना	5	0	5	140	10	150	-135	-10	-145
14	पिथौरागढ	मुनस्यारी	तोमिक	25	0	25	98	12	110	-73	-12	-85
15	पिथौरागढ	मुनस्यारी	टॉगा	0	0	0	156	20	176	-156	-20	-176

16	पिथौरागढ	धारचूला	रांथी	160	0	160	NA	NA	NA	160	0	160
17	पिथौरागढ	धारचूला	धारचूला देहात	170	0	170	NA	NA	NA	170	0	170
18	पिथौरागढ	धारचूला	रमतोली	15	0	15	0	27	27	15	-27	-12
19	पिथौरागढ	धारचूला	खुमती	0	0	0	150	35	185	-150	-35	-185
20	पिथौरागढ	धारचूला	तोली	0	0	0	79	47	126	-79	-47	-126
21	पिथौरागढ	धारचूला	बुंग बुंग	5	0	5	NA	NA	NA	5	0	5
22	पिथौरागढ	धारचूला	लुमती	5	0	5	39	22	61	-34	-22	-56

9. 62 ग्राम पंचायतें दोनों सर्वेक्षणों में केवल अस्थायी पलायन से प्रभावित हैं। अर्थात सीमा के पास 66% ग्राम पंचायतें अस्थायी पलायन से प्रभावित हैं।
10. सीमावर्ती चारों विकासखण्डों में विकासखण्ड भटवाड़ी ही ऐसा विकासखण्ड है जिसमें सीमावर्ती कुल 08 ग्राम पंचायतें सिर्फ अस्थायी पलायन से प्रभावित हैं।
11. सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन पर अंकुश लगाने की सम्भावनाएं अधिक हैं, क्योंकि अस्थायी पलायन इन क्षेत्रों में अधिक है।

भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के अनुसार केवल अस्थायी पलायन के प्रभाव का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण

क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत की संख्या	द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2022)			प्रथम सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2018)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
				अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	चमोली	जोशीमठ	9	84	0	84	618	0	618	-534	0	-534
2	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	3	321	0	321	100	0	100	221	0	221
3	पिथौरागढ़	धारचूला	42	3493	0	3493	4099	0	4099	-606	0	-606
4	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	8	1526	0	1526	316	0	316	1210	0	1210
योग	3	4	62	5424	0	5424	5133	0	5133	291	0	291

सीमावर्ती गांवों का पलायन के अनुसार वर्गीकरण :– आयोग द्वारा करवाये गये पलायन की स्थिति पर प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 और द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 के अनुसार भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित कुल 97 ग्राम पंचायतों से पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुसार 0, 1–9, 10–99 और 100 से अधिक में श्रेणीवार वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत आंकड़ों एवं ग्राफ से निम्नवत बिन्दु स्पष्ट होते हैं :–

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों का पलायन से प्रभावित जनसंख्या के अनुसार वर्गीकरण

विकासखण्ड	प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 में पलायन						द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में पलायन					
	0	1-9	10-99	100>	NA	योग	0	1-9	10-99	100>	NA	योग
भटवाड़ी	0	3	3	2	0	8	1	0	0	7	0	8
जोशीमठ	1	0	13	6	0	20	8	1	10	1	0	20
मुनस्यारी	3	0	1	4	3	11	1	1	7	2	0	11
धारचूला	2	0	25	27	4	58	7	4	29	17	1	58
योग	6	3	42	39	7	97	17	6	46	27	1	97

1. प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 के अनुसार सीमावर्ती विकासखण्डों में पलायन से अप्रभावित ग्राम पंचायतों की संख्या 06 से बढ़कर, द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में 17 हुई। उक्त आंकडें में विकासखण्ड धारचूला की 02 ग्राम पंचायत बरम और कनार, भी सम्मिलित हैं। जिनमें दोनों सर्वेक्षणों की समयावधि में पलायन नहीं हुआ।
2. 1–9 की श्रेणी में पलायन से प्रभावित ग्राम पंचायतों की संख्या प्रथम सर्वेक्षण हेतु 03 से बढ़कर द्वितीय श्रेणी में 06 तथा 10–99 श्रेणी में पलायन से प्रभावित ग्राम पंचायतों की संख्या 42 से बढकर द्वितीय सर्वेक्षण हेतु 46 होना पलायन के प्रभाव में आंशिक वृद्धि को दर्शाता है।
3. श्रेणी 100> की श्रेणी में प्रथम सर्वेक्षण हेतु पलायन से प्रभावित ग्राम पंचायतों की संख्या 39 से घटकर द्वितीय सर्वेक्षण हेतु 27 होना यह दर्शाता है कि प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 हेतु सीमावर्ती गांवों में हो रहे पलायन पर अंकुश तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिला।

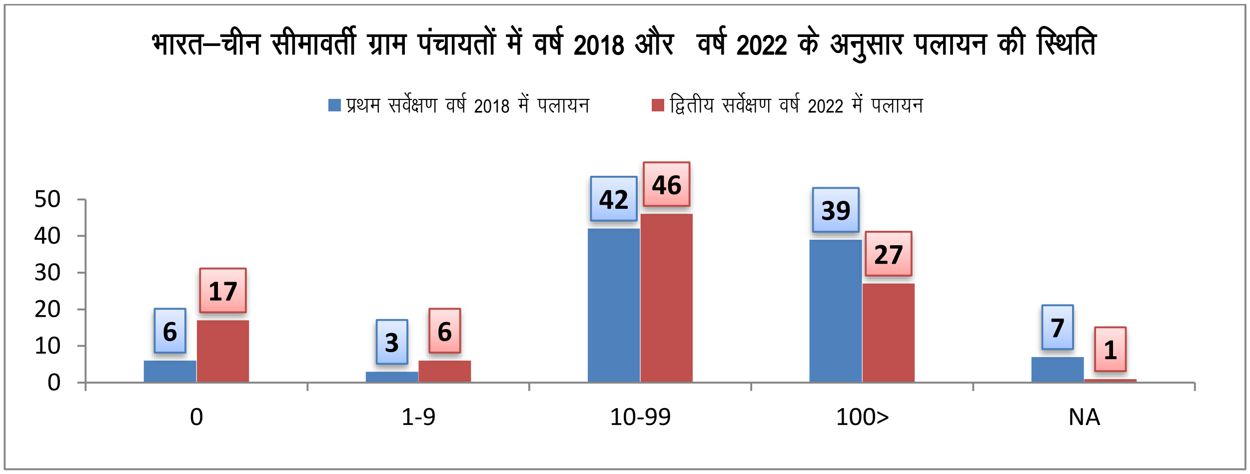

पलायन के मुख्य कारण :– राज्यान्तर्गत पलायन के प्रभाव को समझने के लिए पलायन के कारणों पर भी ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। जिसके लिए आयोग द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित प्रथम अंतरिम रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार राज्यान्तर्गत भारत–चीन सीमावर्ती जनपद, विकासखण्ड और सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन के कारणों का विवरण निम्नवत तालिका में दर्शाया गया है। आंकड़ों से सीमावर्ती ग्राम पंचायतों के लिए निम्नवत बिन्दुओं की स्पष्टता होती है।

1. संबंधित ग्राम पंचायतों में भी शिक्षा, आजीविका/रोजगार, चिकित्सा की सुविधाओं के अभाव में क्रमशः लगभग 29%, 26% व 14% सर्वाधिक पलायन का कारण रहा है।
2. संबंधित क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियाँ, राज्य के अन्य जगहों की अपेक्षाकृत अधिक भिन्न होती है, जहाँ मानव जीवन की सभी सुख–सुविधाओं का होना नितान्त आवश्यक हैं। जो कि वर्ष 2018 में पलायन की स्थिति पर करवाये गये सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नवत उपलब्ध हुए आंकड़ों से स्पष्ट होता है।

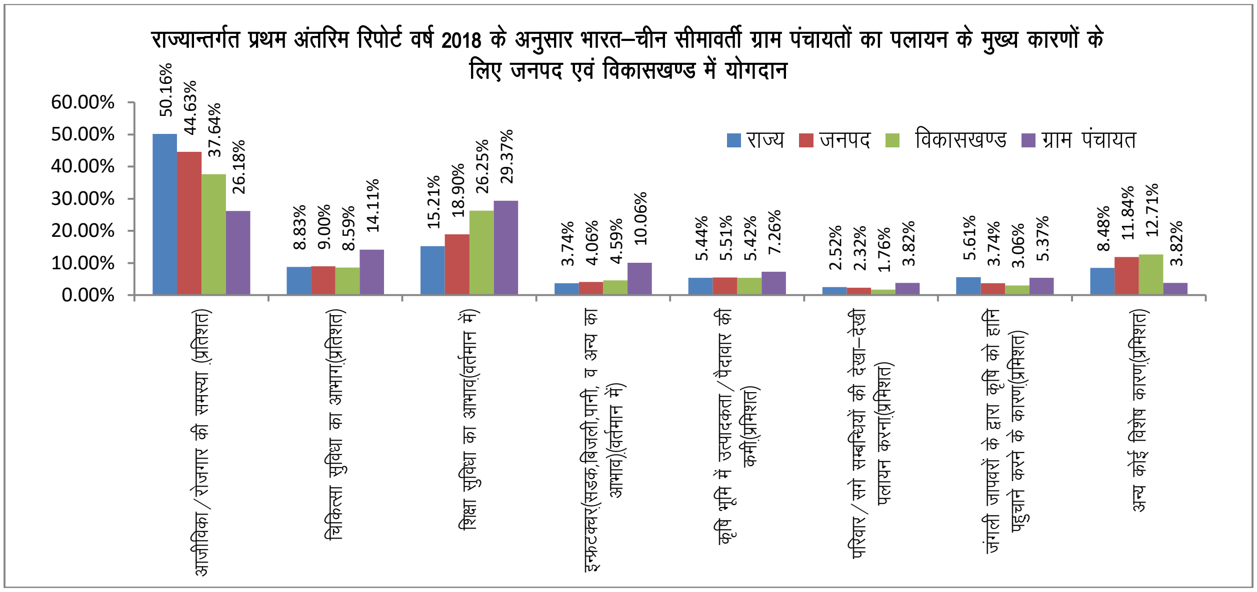

प्रथम अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार राज्य में पलायन के मुख्य कारण											
भारत–चीन सीमावर्ती जनपद											
क्र0 स0	जनपद	विकास खण्ड	आजीविका/रोजगार की समस्या .(प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाग .(प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का आभाव .(वर्तमान में)	इन्फ्रटक्चर(सड़क,बिजली,पानी, व अन्य का आभाव).(वर्तमान में)	कृषि भूमि में उत्पादकता/पैदावार की कमी .(प्रमिशत)	परिवार/सगे सम्बन्धियों की देखा–देखी पलायन करना .(प्रमिशत)	जंगली जापवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुचाने करने के कारण .(प्रमिशत)	अन्य कोई विशेष कारण .(प्रमिशत)	योग
उत्तराखण्ड			50.16%	8.83%	15.21%	3.74%	5.44%	2.52%	5.61%	8.48%	100%
1	उत्तरकाशी		41.77%	6.04%	17.44%	2.29%	7.14%	2.10%	4.04%	19.17 %	100%
2	चमोली		49.30%	10.83 %	19.73%	4.93%	4.73%	2.51%	3.09%	4.87%	100%
3	पिथौरागढ़		42.81%	10.13 %	19.52%	4.97%	4.66%	2.36%	4.08%	11.48 %	100%
योग			**44.63%**	**9.00%**	**18.90%**	**4.06%**	**5.51%**	**2.32%**	**3.74%**	**11.84 %**	**100%**
भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्ड											
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	32.64%	1.50%	24.64%	1.71%	9.14%	1.43%	5.07%	23.86 %	100%
2	चमोली	जोशीम ठ	36.13%	14.67 %	28.04%	9.04%	2.31%	2.11%	2.96%	4.75%	100%
3	पिथौरागढ़	मुनस्यार ी	48.20%	12.30 %	26.36%	4.41%	2.34%	0.86%	1.55%	4.05%	100%
4		धारचूला	33.59%	5.88%	25.96%	3.21%	7.89%	2.64%	2.64%	18.18 %	100%
योग			**37.64%**	**8.59%**	**26.25%**	**4.59%**	**5.42%**	**1.76%**	**3.06%**	**12.71 %**	**100%**
भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायत											
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	11.64%	19.29 %	21.15%	9.98%	14.14%	6.42%	12.73%	4.66%	100%
2	चमोली	जोशीम ठ	29.40%	14.91 %	34.42%	8.84%	2.11%	3.99%	2.83%	3.51%	100%
3	पिथौरागढ़	मुनस्यार ी	22.46%	13.10 %	32.06%	18.52%	4.72%	2.88%	2.74%	3.52%	100%

4		धारचूला	41.21%	9.16%	29.85%	2.90%	8.09%	2.00%	3.18%	3.60%	100%
योग			**26.18%**	**14.11 %**	**29.37%**	**10.06%**	**7.26%**	**3.82%**	**5.37%**	**3.82%**	**100%**

भारत–चीन सीमा पर प्रवासियों की आयु का राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड में योगदान :– यह खण्ड भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित ग्राम पंचायतों में प्रवासियों की आयु का विश्लेषण करता है। प्रवासियों में लगभग 43 प्रतिशत से अधिक 26 से 35 आयुवर्ग के बीच है। सीमावर्ती ग्राम पंचायतों द्वारा राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड में दिये जा रहे योगदान की विस्तृत जानकारी निम्नवत तालिका में दी गई है।

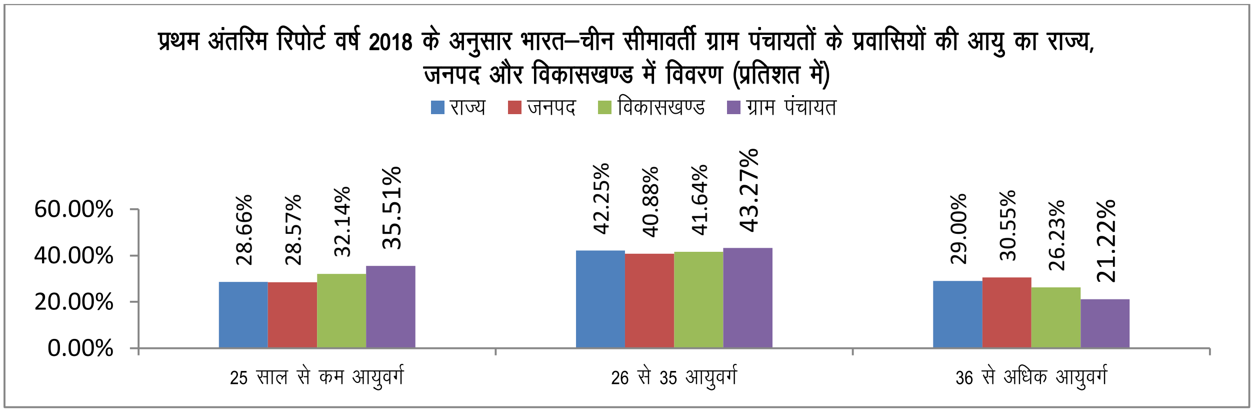

प्रथम अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों के प्रवासियों की आयु का राज्य, जनपद और विकासखण्ड में विवरण (प्रतिशत में)						
भारत–चीन सीमावर्ती जनपद						
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)			
			25 साल से कम आयुवर्ग	**26 से 35 आयुवर्ग**	**36 से अधिक आयुवर्ग**	**योग**
उत्तराखण्ड			28.66%	42.25%	29.00%	100%
1	उत्तरकाशी		30.68%	36.56%	32.77%	100%
2	चमोली		26.71%	43.49%	29.79%	100%
3	पिथौरागढ़		28.32%	42.58%	29.10%	100%
योग			**28.57%**	**40.88%**	**30.55%**	**100%**
भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्ड						
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	38.18%	33.09%	28.73%	100%
2	चमोली	जोशीमठ	34.84%	42.70%	22.46%	100%
3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	25.28%	48.36%	26.36%	100%
4		धारचूला	30.25%	42.39%	27.36%	100%
योग			**32.14%**	**41.64%**	**26.23%**	**100%**
भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायत						
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	24.09%	55.67%	20.24%	100%
2	चमोली	जोशीमठ	42.38%	36.93%	20.69%	100%

3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	42.56%	37.89%	19.55%	100%
4		धारचूला	33.01%	42.56%	24.42%	100%
योग			**35.51%**	**43.27%**	**21.22%**	**100%**

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन के गन्तव्य :– सीमावर्ती जनपदों एवं विकासखण्डों की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हुए पलायन हेतु आयोग की प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं। आंकड़ों का विवरण निम्नवत तालिका में प्रदर्शित किया गया है :–

1. प्रथम सर्वेक्षण में सीमावर्ती 97 ग्राम पंचायतों में से 84 ग्राम पंचायतों में पलायन के आंकडें प्राप्त हुए जबकि द्वितीय सर्वेक्षण में 79 ग्राम पंचायतों में, क्योंकि प्रथम सर्वेक्षण की 13 ग्राम पंचायतों की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण में 18 ग्राम पंचायतें पलायन से अप्रभावित रही।
2. सीमावर्ती जनपदों के अन्तर्गत सीमावर्ती विकासखण्डों की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में जनपद के भीतर हो रहे पलायन के आंकड़ों में लगभग 5% की कमी तथा राज्य से बाहर की ओर हो रहे पलायन के आंकड़ों में लगभग 3% वृद्धि का होना चिन्तनीय विषय है। उक्त आंकडें में सबसे अधिक योगदान विकासखण्ड धारचूला का है जो कि आयोग की प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षणों में प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है।
3. विकासखण्ड मुनस्यारी में राज्य के अन्य जनपदों में हो रहे पलायन के आंकड़ों में लगभग 16% बढ़ा है जबकि अन्य विकासखण्डों के आंकड़ें घटे हैं।
4. जनपद के भीतर हो रहे पलायन के आंकड़ों में सबसे खराब स्थिति सीमावर्ती अन्य विकासखण्डों की अपेक्षा विकासखण्ड मुनस्यारी की रहती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सीमावर्ती विकासखण्डों में हो रहे पलायन पर अंकुश लगाना आवश्यक कदम होगा क्योंकि सीमा की सुरक्षा में सेना की मौजूदगी के साथ मूल निवासियों का होना भी मूल आवश्यकता है।

प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण के अनुसार सीमावर्ती जनपदों एवं विकासखण्डों की ग्राम पंचायतों से हुए पलायन के गन्तव्यों का बदलता स्वरूप									
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश के बाहर	योग
प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018									
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	8	38.2%	36.0%	18.0%	7.9%	0.0%	100%
2	चमोली	जोशीमठ	19	59.5%	15.0%	18.8%	6.6%	0.0%	100%
3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	5	39.5%	34.9%	18.4%	7.2%	0.0%	100%
4		धारचूला	52	17.7%	28.7%	35.1%	18.5%	0.0%	100%
योग	**3**	**4**	**84**	**38.7%**	**28.7%**	**22.6%**	**10.0%**	**0.0%**	**100%**
द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022									
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	7	36.6%	36.9%	15.0%	10.3%	1.3%	100%
2	चमोली	जोशीमठ	12	31.8%	40.4%	17.7%	10.2%	0.0%	100%
3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	10	47.2%	12.5%	34.7%	5.5%	0.1%	100%
4		धारचूला	50	24.6%	22.2%	28.3%	23.9%	0.8%	100%
योग	**3**	**4**	**79**	**35.0%**	**28.0%**	**23.9%**	**12.5%**	**0.5%**	**100%**

प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण में बदलाव										
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	-1	-1.6%	0.9%	-3.0%	2.4%	1.3%	0%
2	चमोली	जोशीमठ	-7	-27.7%	25.4%	-1.2%	3.6%	0.0%	0%
3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	5	7.7%	-22.4%	16.3%	-1.7%	0.1%	0%
4		धारचूला	-2	6.9%	-6.5%	-6.7%	5.4%	0.8%	0%
योग	**3**	**4**	**-5**	**-3.7%**	**-0.7%**	**1.4%**	**2.4%**	**0.5%**	**0%**

सीमावर्ती गांवों में सड़क सुविधा :– आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्डों की ग्राम पंचायतों के राजस्व ग्राम/तोक/मजरों में सड़क सुविधा का इस खण्ड में विवरण दिया गया है।

1. भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित 154 राजस्व ग्राम/तोक/मजरे अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं।
2. सड़क सुविधा से वंचित सबसे अधिक राजस्व ग्राम/तोक/मजरे धारचूला विकासखण्ड में 114 हैं।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सड़क सुविधा के अभाव में सीमावर्ती इन सभी राजस्व ग्राम/तोक/मजरों से भविष्य में पलायन का होना स्वाभाविक है।

सर्वेक्षण वर्ष 2022 में सड़क मार्ग से वंचित सीमावर्ती राजस्व ग्राम/तोक/मजरों का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण						
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	सड़क मार्ग की दूरी (किमी में)			
			0–5	6–10	10 से अधिक	कुल योग
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	2	0	0	2
2	चमोली	जोशीमठ	12	3	2	17
3	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	0	4	17	21
4		धारचूला	101	7	6	114
योग	**3**	**4**	**115**	**14**	**25**	**154**

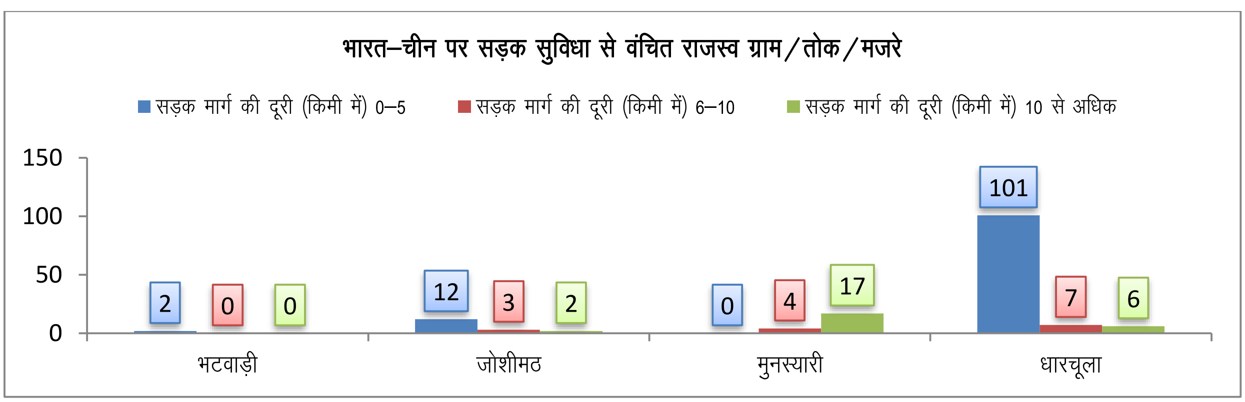

अध्याय–7

विकासखण्ड भटवाड़ी के प्राथमिक ग्रामों में पलायन की स्थिति

यह अध्याय भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपद के विकासखण्ड भटवाड़ी, के अन्तर्गत सीमा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित सीमावर्ती ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार जनसांख्यिकी बदलाव, जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोग द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण वर्ष 2022 में जनसांख्यिकी बदलाव तथा आयोग द्वारा वर्ष 2018 एवं वर्ष 2022 में करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार पलायन की स्थिति में बदलाव की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है।

सीमावर्ती ग्राम :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर 10 राजस्व ग्राम स्थित हैं। प्राप्त सूचना और आंकड़ों से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं :–

4. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर 10 राजस्व ग्राम (मुखवा, नेलांग, जादुंग, धराली, हर्षिल, बगोरी, पुराली, झाला, जसपुर और सुक्की) अवस्थित हैं।
5. 10 राजस्व ग्रामों से 02 राजस्व ग्राम नेलांग और जादुंग वर्तमान समय में गैर आबाद हैं।

विकासखण्ड भटवाड़ी के भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्रामों में जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित विकासखण्ड भटवाड़ी के 10 प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 हेतु भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जनसांख्यिकी आंकड़ों से निम्नवत मुख्य बिन्दु स्पष्ट होते है, आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:–

1. खण्ड विकास अधिकारी, भटवाड़ी द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार मुखुवा ग्राम पंचायत के दो राजस्व ग्राम नेलांग और जादुंग वर्तमान में गैर आबाद है। जबकि उल्लिखित राजस्व ग्रामों एवं ग्राम पंचायत मुखवा के अन्तर्गत जनगणना के दोनों दशकों में भी जनसंख्या वृद्धिदर में काफी गिरावट देखी जा सकती है।
2. विकासखण्ड भटवाड़ी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक सभी राजस्व ग्रामों में जनसंख्या वृद्धिदर अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है। क्योंकि इन सभी प्राथमिक राजस्व ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के दशकों में जनसंख्या वृद्धिदर में 2% की दर से गिरावट के आंकड़े स्पष्ट होते हैं। हर्षिल ग्राम पंचायत में जनसंख्या वृद्धिदर अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है जो कि भारतीय सेना के सापेक्ष प्रदर्शित होती है। अन्यथा जनसंख्या वृद्धिदर बहुत न्यूनतम रहेगी।
3. भटवाड़ी विकासखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित 10 राजस्व ग्रामों में पलायन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो कि सीमावर्ती क्षेत्र के लिए हानिकारक है।

जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड भटवाड़ी के भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य जनसांख्यिकी बदलाव								
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 की जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	Uttarkashi	bhatwari	Mukhawa	Mukhawa	1001	680	-321	-32%
1	Uttarkashi	bhatwari		Jadung	102	29	-73	-72%

1	Uttarkashi	bhatwari		Nelang	34	48	14	41%
2	Uttarkashi	bhatwari	Dharali	Dharali	1001	583	-418	-42%
3	Uttarkashi	bhatwari	Harshil	Harshil	594	1205	611	103%
4	Uttarkashi	bhatwari	Bagori	Bagori	573	567	-6	-1%
5	Uttarkashi	bhatwari	Purali	Purali	220	253	33	15%
6	Uttarkashi	bhatwari	Jhala	Jhala	557	644	87	16%
7	Uttarkashi	bhatwari	Jaspur	Jaspur	247	286	39	16%
8	Uttarkashi	bhatwari	Sukki	Sukki	589	525	-64	-11%
विकासखण्ड भटवाड़ी के सीमावर्ती प्राथमिक गांवों का जनसांख्यिकी योग					**4918**	**4820**	**-98**	-2%

भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्रामों में पुरूष जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार पुरूष जनसांख्यिकी हेतु उपलब्ध आंकड़ों से निम्नवत मुख्य बिन्दु स्पष्ट होते है आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

1. भटवाड़ी विकासखण्ड के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित 10 राजस्व ग्रामों में से मुखवा, जादुंग, नेलांग और सुक्की में पिछले दो दशकीय जनगणना में पुरूष जनसंख्या वृद्धिदर में गिरावट के आंकड़ें प्राप्त होते हैं।
2. निम्न तालिका में उल्लिखित 10 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से बगोरी और पुराली ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों में पुरूष जनसंख्या वृद्धिदर भी अपेक्षाकृत कम ही रही।
3. विकासखण्ड भटवाड़ी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक सभी राजस्व ग्रामों में पुरूष जनसंख्या वृद्धिदर में 14% की वृद्धिदर के आंकड़ें प्राप्त होते है, जो कि भारतीय सेना के सहयोग के बिना बहुत ही खराब है।

जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड भटवाड़ी के भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य पुरूष जनसांख्यिकी बदलाव								
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल पुरूष जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल पुरूष जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 की कुल पुरूष जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	Uttarkashi	bhatwari	Mukhawa	Mukhawa	569	352	-217	-38%
2	Uttarkashi	bhatwari	Mukhawa	Jadung	48	29	-19	-40%
3	Uttarkashi	bhatwari	Mukhawa	Nelang	34	48	14	41%
4	Uttarkashi	bhatwari	Dharali	Dharali	569	307	-262	-46%
5	Uttarkashi	bhatwari	Harshil	Harshil	299	1157	858	287%
6	Uttarkashi	bhatwari	Bagori	Bagori	271	280	9	3%
7	Uttarkashi	bhatwari	Purali	Purali	125	131	6	5%
8	Uttarkashi	bhatwari	Jhala	Jhala	285	333	48	17%
9	Uttarkashi	bhatwari	Jaspur	Jaspur	130	154	24	18%
10	Uttarkashi	bhatwari	Sukki	Sukki	338	258	-80	-24%
विकासखण्ड भटवाड़ी के सीमावर्ती प्राथमिक गांवों का पुरूष जनसांख्यिकी योग					**2668**	**3049**	**381**	14%

भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्रामों में महिला जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार महिला जनसांख्यिकी हेतु उपलब्ध आंकड़ों से निम्नवत मुख्य बिन्दु स्पष्ट होते हैं आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

1. भटवाड़ी विकासखण्ड के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित 10 राजस्व ग्रामों में से मुखवा, जादुंग, नेलांग, धराली, हर्षिल और बगोरी के अन्तर्गत पिछले दो दशकीय जनगणना में महिलाओं की जनसंख्या वृद्धिदर में गिरावट के आंकड़ें प्राप्त होते हैं।
2. निम्न तालिका में उल्लिखित 10 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से सुक्की ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में महिला जनसंख्या वृद्धिदर भी अपेक्षाकृत कम ही रही।
3. विकासखण्ड भटवाड़ी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक सभी राजस्व ग्रामों में महिला जनसंख्या वृद्धिदर में -21% की दर से ऋणात्मक आंकड़ें प्राप्त होते है। क्योंकि इस भूभाग में पुरूषों की सापेक्ष महिलाओं द्वारा भी समानान्तर पलायन किया गया। अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक राजस्व ग्रामों में पलायन पर अंकुश लगाना एवं रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक है।

जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड भटवाड़ी के भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य महिला जनसांख्यिकी बदलाव								
क्र0स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल महिला जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल महिला जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 की कुल महिला जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	Uttarkashi	bhatwari	Mukhawa	Mukhawa	432	328	-104	-24%
2	Uttarkashi	bhatwari	Mukhawa	Jadung	54	0	-54	-100%
3	Uttarkashi	bhatwari	Mukhawa	Nelang	0	0	0	0
4	Uttarkashi	bhatwari	Dharali	Dharali	432	276	-156	-36%
5	Uttarkashi	bhatwari	Harshil	Harshil	295	48	-247	-84%
6	Uttarkashi	bhatwari	Bagori	Bagori	302	287	-15	-5%
7	Uttarkashi	bhatwari	Purali	Purali	95	122	27	28%
8	Uttarkashi	bhatwari	Jhala	Jhala	272	311	39	14%
9	Uttarkashi	bhatwari	Jaspur	Jaspur	117	132	15	13%
10	Uttarkashi	bhatwari	Sukki	Sukki	251	267	16	6%
विकासखण्ड भटवाड़ी के सीमावर्ती प्राथमिक गांवों का महिला जनसांख्यिकी योग					**2250**	**1771**	**-479**	-21%

सीमावर्ती गांवों का जनसांख्यिकीय वर्गीकरण :– जनगणना वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के अनुसार विकासखण्ड भटवाड़ी में भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित 10 गांवों को जनगणना वर्ष 2001 और वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 0, 1–9, 10–99 और 100 से अधिक में श्रेणीवार वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत आंकड़ों से निम्नवत बिन्दु स्पष्ट होते हैं:–

5. विकासखण्ड भटवाड़ी में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 हेतु शून्य और 1–9 की जनसंख्या वाले श्रेणी में कोई गांव नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी की सूचना के अनुसार नेलांग और जादुंग वर्तमान में गैर आबाद हैं।
6. जनगणना वर्ष 2001 की अपेक्षा जनगणना वर्ष 2011 हेतु 100 से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी से गांवों के आंकड़ों में गिरावट का होना पलायन का द्योतक है।

जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत सीमावर्ती गांव												
विकासखण्ड	जनगणना वर्ष 2001						जनगणना वर्ष 2011					
	0	1-9	10-99	100>	NA	योग	0	1-9	10-99	100>	NA	योग
भटवाड़ी	0	0	1	9	0	10	0	0	2	8	0	10
भटवाड़ी	–	–	नेलांग	मुखवा, जादुंग, धराली, हर्षिल, बगोरी, पुराली, झाला, जसपुर, सुक्की	0	10	–	–	नेलांग, जादुंग	मुखवा, धराली, हर्षिल, बगोरी, पुराली, झाला, जसपुर, सुक्की	0	10
वर्तमान टिप्पणी	– –						नेलांग और जादुंग वर्तमान समय में गैर–आबाद					

जनगणना वर्ष 2011 और आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसांख्किीय बदलाव :– विकासखण्ड भटवाड़ी के सीमावर्ती ग्राम पंचायतों हेतु जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या में हुए बदलाव को इस खण्ड में दर्शाया गया हैं। बदलाव के मुख्य अंश निम्नवत हैं :–

4. भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्ड भटवाड़ी की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में वर्ष 2011 की जनगणना के सापेक्ष आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में जनसंख्या वृद्धिदर 4% रही, जबकि वर्ष 2001 के सापेक्ष यह आंकड़ा –02% की दर से ऋणात्मक रहा है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2022 के मध्य विकासखण्ड की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हो रहे पलायन पर कुछ हद तक अंकुश लगा है।
5. 4% वृद्धिदर के उल्लिखित आंकड़ें में महिलाओं का योगदान लगभग 7% रहा, जो कि पुरूषों की अपेक्षा 4% अधिक है। जबकि वर्ष 2001 के सापेक्ष वर्ष 2011 हेतु यह आंकड़ा –21% ऋणात्मक था। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2022 के मध्य विकासखण्ड की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से महिलाओं द्वारा हो रहे पलायन पर कुछ हद तक अंकुश लगा है।
6. सीमावर्ती विकासखण्डों की ग्राम पंचायत मुखवा के अन्तर्गत उल्लिखित अवधि में जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रही जबकि हर्षिल, धराली, बगोरी, सुक्की, और झाला में भी जनसंख्या वृद्धिदर अपेक्षाकृत कम है। आंकड़ा स्पष्ट करता है कि सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हो रहे पलायन पर अंकुश लगाने के लिए सभी योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाय।

भटवाड़ी विकासखण्ड की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या में बदलाव का विवरण												
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या			जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या			बदलाव प्रतिशत		
				पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	उत्तरकाशी	भटवाडी	मुखवा	370	344	714	429	328	757	-14%	5%	-6%
2	उत्तरकाशी	भटवाडी	धराली	322	289	611	307	276	583	5%	5%	5%
3	उत्तरकाशी	भटवाडी	हर्षिल	1190	51	1241	1157	48	1205	3%	6%	3%
4	उत्तरकाशी	भटवाडी	बगोरी	294	301	595	280	287	567	5%	5%	5%
5	उत्तरकाशी	भटवाडी	पुराली	153	146	299	131	122	253	17%	20%	18%
6	उत्तरकाशी	भटवाडी	झाला	367	325	692	333	311	644	10%	5%	7%
7	उत्तरकाशी	भटवाडी	जसपुर (टकनौर)	171	152	323	154	132	286	11%	15%	13%
8	उत्तरकाशी	भटवाडी	सुक्की	271	281	552	258	267	525	5%	5%	5%
योग				**3138**	**1889**	**5027**	**3049**	**1771**	**4820**	**3%**	**7%**	**4%**

ग्राम पंचायत स्तर पर पलायन :– पलायन की स्थिति पर आयोग द्वारा वर्ष 2018 एवं वर्ष 2022 में राज्य स्तर पर करवाये गये सर्वेक्षणों के अनुसार विकासखण्ड भटवाड़ी की भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति के मुख्य अंश निम्नवत हैं जो कि निम्नवत तालिकाओं से स्पष्ट होते हैं–

12. भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के समीप की कुल 8 ग्राम पंचायतों में से 7 ग्राम पंचायतें प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षणों में अस्थायी पलायन से प्रभावित रही।
13. विकासखण्ड भटवाड़ी की ग्राम पंचायत सुक्की प्रथम सर्वेक्षण की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन से अप्रभावित रही।
14. विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत भारत–चीन सीमा से 10 किमी की दूरी पर अवस्थित सभी ग्राम पंचायतें स्थायी पलायन से अप्रभावित रही। अर्थात संबंधित ग्राम पंचायतों में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने से अस्थायी पलायन पर भी अंकुश लगाया जा सकता है क्योंकि संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का अभाव बहुत न्यूनतम पाया जाता है। आधारभूत सुविधाओं के अभाव में ही संबंधित क्षेत्रों में अस्थायी पलायन हो रहा है जो कि निरन्तर बढ़ रहा है।

विकासखण्ड भटवाड़ी के भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतों में आयोगीय प्रथम व द्वितीय पलायन संबंधी सर्वेक्षणों के अनुसार पलायन प्रभाव में बदलाव												
				द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2022)			प्रथम सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2018)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	मुखवा	300	0	300	100	0	100	200	0	200
2	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	धराली	158	0	158	25	0	25	133	0	133
3	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	हर्षिल	200	0	200	5	0	5	195	0	195
4	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	बगोरी	300	0	300	150	0	150	150	0	150
5	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	पुराली	127	0	127	5	0	5	122	0	122
6	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	झाला	326	0	326	12	0	12	314	0	314
7	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	जसपुर (टकनौर)	115	0	115	5	0	5	110	0	110
8	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	सुक्की	0	0	0	14	0	14	-14	0	-14
योग				1526	0	1526	316	0	316	1210	0	1210

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों का पलायन के अनुसार वर्गीकरण :– आयोग द्वारा पलायन की स्थिति पर करवाये गये प्रथम और द्वितीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित विकासखण्ड भटवाड़ी की कुल 08 ग्राम पंचायतों में पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुसार 0, 1–9, 10–99 और 100 से अधिक जैसी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत आंकड़ों से निम्नवत बिन्दु स्पष्ट होते हैं :–

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों का पलायन से प्रभावित जनसंख्या के अनुसार वर्गीकरण												
विकासखण्ड	प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 में पलायन						द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में पलायन					
	0	1-9	10-99	100>	NA	योग	0	1-9	10-99	100>	NA	योग
भटवाड़ी	0	3	3	2	0	8	1	0	0	7	0	8
नामावली	–	हर्षिल, पुराली, जसपुर,	धराली, झाला, सुक्की,	मुखवा, बगोरी,	–	8	सुक्की,	–	–	हर्षिल, पुराली, जसपुर, धराली, झाला, मुखवा, बगोरी,	–	8

4. सीमावर्ती ग्राम पंचायत सुक्की प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की श्रेणी 10–99 से हटकर द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में शून्य श्रेणी में अवनयन हुई अर्थात सुक्की ग्राम पंचायत प्रथम सर्वेक्षण के सापेक्ष द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन से अप्रभावित रही।
5. प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की श्रेणी 1–9 एवं 10–99 में वर्गीकृत पलायन से प्रभावित हर्षिल, पुराली, जसपुर, धराली, झाला, मुखवा और बगोरी ग्राम पंचायतें द्वितीय सर्वेक्षण की श्रेणी 100> में उन्नत हुई। अर्थात उल्लिखित ग्राम पंचायत प्रथम सर्वेक्षण के सापेक्ष द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन से अधिक प्रभावित हुई।
6. विकासखण्ड भटवाड़ी की सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतें प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन से और अधिक प्रभावित हुई।

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन के मुख्य कारण :– यह खण्ड भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित ग्राम पंचायतों में पलायन के मुख्य कारणों का विश्लेषण करता है। पलायन के मख्य कारणों में लगभग 21%, 19% व 12% सर्वाधिक पलायन पलायन शिक्षा, चिकित्सा और आजीविका/रोजगार की सुविधाओं के अभाव में हुआ है। सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में हुए पलायन का कारणवार विस्तृत जानकारी निम्नवत तालिका में दी गई है।

प्रथम रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती जनपदों की ग्राम पचायतों से पलायन के मुख्य कारण (लगभग प्रतिशत में)											
क्र0 स0	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	आजीविका/रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाव(प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का आभाव(वर्तमान में)	इन्फ्रास्ट्रक्चर(सड़क,बिजली,पानी, व अन्य का आभाव)(वर्तमान में)	कृषि भूमि में उत्पादकता/पैदावार की कमी(प्रतिशत)	परिवार/सगे सम्बन्धियों की देखा–देखी पलायन करना(प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण(प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण(प्रतिशत)	योग
उत्तराखण्ड			50.16%	8.83%	15.21%	3.74%	5.44%	2.52%	5.61%	8.48%	100%
उत्तरकाशी			41.77%	6.04%	17.44%	2.29%	7.14%	2.10%	4.04%	19.17%	100%

भटवाड़ी			32.64%	1.50%	24.64%	1.71%	9.14%	1.43%	5.07%	23.86%	100%
1	भटवारी	मुखवा	13.33%	16.67%	23.33%	10.00%	13.33%	3.33%	16.67%	3.33%	100%
2	भटवारी	धराली	15.06%	21.08%	16.27%	9.04%	12.05%	7.23%	10.24%	9.04%	100%
3	भटवारी	हर्षिल	9.55%	22.29%	19.11%	9.55%	15.92%	6.37%	14.01%	3.18%	100%
4	भटवारी	बगोरी	14.08%	17.61%	21.13%	10.56%	7.04%	8.45%	14.08%	7.04%	100%
5	भटवारी	पुराली	13.16%	23.03%	16.45%	6.58%	14.47%	9.87%	11.18%	5.26%	100%
6	भटवारी	झाला	7.14%	17.86%	28.57%	10.71%	17.86%	3.57%	10.71%	3.57%	100%
7	भटवारी	जसपुर (टकनौर)	9.15%	16.46%	23.17%	13.41%	18.29%	6.10%	12.20%	1.22%	100%
योग			**11.64%**	**19.29%**	**21.15%**	**9.98%**	**14.14%**	**6.42%**	**12.73%**	**4.66%**	**100%**

भारत–चीन सीमा की ग्राम पंचायतों में प्रवासियों की आयु का राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड में योगदान:– यह खण्ड विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित ग्राम पंचायतों में प्रवासियों की आयु का विश्लेषण करता है। प्रवासियों में लगभग 55 प्रतिशत से अधिक 26 से 35 आयुवर्ग के बीच है। सीमावर्ती ग्राम पंचायतों द्वारा राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड में दिये जा रहे योगदान की विस्तृत जानकारी निम्नवत तालिका एवं ग्राफ में दी गई है।

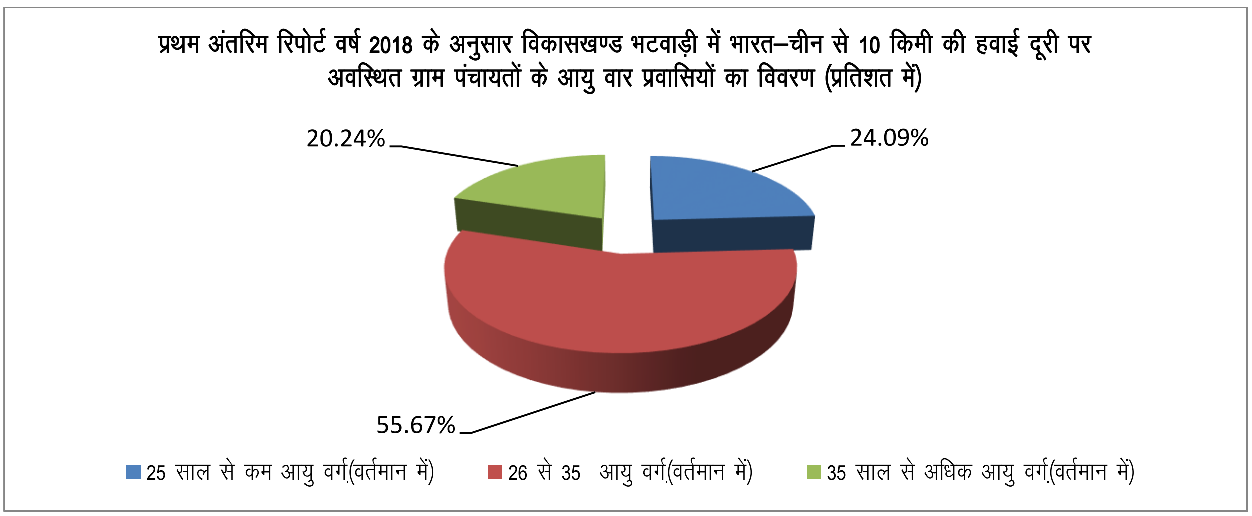

प्रथम अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों के प्रवासियों की आयुवार पलायन विवरण (प्रतिशत में)							
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम प्रचायत	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)			
				25 साल से कम आयु वर्ग(वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग(वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग(वर्तमान में)	योग
उत्तराखण्ड				28.66%	42.25%	29.00%	100%
उत्तरकाशी				30.68%	36.56%	32.77%	100%
भटवाड़ी				38.18%	33.09%	28.73%	100%
1	उत्तरकाशी	भटवारी	मुखवा	5.00%	55.00%	40.00%	100%
2		भटवारी	धराली	36.29%	52.42%	11.29%	100%
3		भटवारी	हर्षिल	27.52%	63.30%	9.17%	100%
4		भटवारी	बगोरी	33.96%	51.89%	14.15%	100%
5		भटवारी	पुराली	31.25%	56.25%	12.50%	100%
6		भटवारी	झाला	0.00%	45.45%	54.55%	100%
7		भटवारी	जसपुर (टकनौर)	34.62%	65.38%	0.00%	100%
योग				**24.09%**	**55.67%**	**20.24%**	**100%**

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन के गन्तव्य :– विकासखण्ड भटवाड़ी की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हुए पलायन हेतु प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नवत बिन्दु स्पष्ट होते हैं। आंकड़ों का विवरण निम्नवत तालिका में प्रदर्शित किया गया है :–

1. विकासखण्ड भटवाड़ी की भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन लगभग 04% राज्य और देश से बाहर बढ़ा है। जो कि प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण हेतु पलायन गन्तव्यों के बदलते हुए आंकड़ों से स्पष्ट होता है।
2. संबंधित सभी ग्राम पंचायतों से जनपद के भीतर एवं राज्य के अन्य जनपदों की ओर हो रहे पलायन के आंकड़ों में गिरावट का होना चिन्तनीय विषय है।
3. ग्राम पंचायत पुराली और सुक्की में, राज्य से बाहर हो रहे पलायन पर अंकुश लगा है।
4. ग्राम पंचायत हर्षिल, झाला, जसपुर टकनौर, व सुक्की में, राज्य के अन्य जनपदों में हुए पलायन के आंकड़ों में गिरावट का होना पलायन पर अंकुश लगा, का द्योतक है।
5. ग्राम पंचायत हर्षिल से जनपद के भीतर पलायन के आंकड़ों में वृद्धि का होना पलायन पर अंकुश लगने का संकेत है।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्नवत आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड भटवाड़ी की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में अधिकांश पलायन जनपद व राज्य से बाहर हुआ है, जो कि चिन्तनीय विषय है। क्योंकि सीमावर्ती ग्राम पंचातयों में पलायन के गन्तव्यों का जो आंकड़ा जितना अधिक प्रथम सर्वेक्षण में होता है उतना ही अधिक आंकड़ा द्वितीय सर्वेक्षण में घट–बढ जाता है। परिणास्वरूप जनपद और राज्य के भीतर की ओर हुए पलायन के आंकड़ों में गिरावट स्वाभाविक है। अर्थात विकासखण्ड की सीमावर्ती ग्राम पंचायतें पलायन से अधिक प्रभावित हुई।

प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण के अनुसार विकासखण्ड भटवाड़ी की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हो रहे पलायन के गन्तव्यों का बदलता स्वरूप							
क्र0 स0	ग्राम पंचायत का नाम	नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश के बाहर	योग
प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018							
1	मुखवा	38.0%	40.0%	15.0%	7.0%	0.0%	100%
2	धराली	24.5%	63.7%	9.8%	2.0%	0.0%	100%
3	हर्षिल	42.1%	18.7%	33.6%	5.6%	0.0%	100%
4	बगोरी	70.2%	19.2%	7.7%	2.9%	0.0%	100%
5	पुराली	49.3%	21.1%	0.0%	29.6%	0.0%	100%
6	झाला	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100%
7	जसपुर टकनौर	15.4%	50.0%	30.8%	3.8%	0.0%	100%
8	सुक्की	41.0%	25.0%	22.0%	12.0%	0.0%	100%
योग		**38.2%**	**36.0%**	**18.0%**	**7.9%**	**0.0%**	**100%**
द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022							
1	मुखवा	30.0%	45.0%	15.0%	10.0%	0.0%	100%
2	धराली	40.0%	35.0%	15.0%	10.0%	0.0%	100%
3	हर्षिल	45.0%	35.0%	15.0%	5.0%	0.0%	100%
4	बगोरी	20.0%	55.0%	15.0%	10.0%	0.0%	100%
5	पुराली	41.0%	32.0%	11.0%	13.0%	3.0%	100%
6	झाला	37.0%	29.0%	16.0%	13.0%	5.0%	100%
7	जसपुर टकनौर	43.0%	27.0%	18.0%	11.0%	1.0%	100%
8	सुक्की	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
योग		**36.6%**	**36.9%**	**15.0%**	**10.3%**	**1.3%**	**100%**
प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण में बदलाव							
1	मुखवा	-8.0%	5.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%
2	धराली	15.5%	-28.7%	5.2%	8.0%	0.0%	0.0%
3	हर्षिल	2.9%	16.3%	-18.6%	-0.6%	0.0%	0.0%
4	बगोरी	-50.2%	35.8%	7.3%	7.1%	0.0%	0.0%
5	पुराली	-8.3%	10.9%	11.0%	-16.6%	3.0%	0.0%
6	झाला	12.0%	-21.0%	-9.0%	13.0%	5.0%	0.0%
7	जसपुर टकनौर	27.6%	-23.0%	-12.8%	7.2%	1.0%	0.0%
8	सुक्की	-41.0%	-25.0%	-22.0%	-12.0%	0.0%	-100.0%
योग		**-1.6%**	**0.9%**	**-3.0%**	**2.4%**	**1.3%**	**0.0%**

सीमावर्ती गांवों में सड़क सुविधा :– विकासखण्ड भटवाड़ी की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 के अनुसार सड़क सुविधा से वंचित राजस्व ग्राम/तोक/मजरों का इस खण्ड में विवरण दिया गया है।

3. भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर राज्य में स्थित 155 राजस्व ग्राम/तोक/मजरे में से विकासखण्ड भटवाड़ी में मात्र 02 राजस्व ग्राम/तोक/मजरे ही सड़क सुविधा से वंचित हैं।

सर्वेक्षण वर्ष 2022 में सड़क सुविधा से वंचित विकासखण्ड भटवाड़ी के सीमावर्ती राजस्व ग्राम/तोक/मजरों का विवरण					
जनपद	विकासखण्ड	सड़क मार्ग की दूरी (किमी में)			
		0–5	6–10	10 से अधिक	कुल योग
उत्तरकाशी	भटवाड़ी	2	0	0	2
नामावली		बगोरी, जसपुर	–	–	2
उत्तरकाशी		**116**	**14**	**25**	**155**

अध्याय–8

विकासखण्ड जोशीमठ के प्राथमिक ग्रामों में

पलायन की स्थिति

भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार जनसांख्यिकी, जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोग द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण वर्ष 2022 में जनसांख्यिकी बदलाव, तथा आयोग द्वारा वर्ष 2018 एवं वर्ष 2022 में करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार पलायन की स्थिति संबंधी आंकड़ें इस अध्याय में प्रस्तुत हैं।

सीमावर्ती ग्राम :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में उल्लिखित सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर 29 राजस्व ग्राम स्थित हैं। प्राप्त सूचना और आंकड़ों से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं :–

1. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर 29 राजस्व ग्राम (माणा, नीति, द्रोणागिरी, लमतोली, गमशाली, बाम्पा, फरकिया, रेवल चेक कुरकुटी, कागा, गरपक, जुम्मा, जेलम, कैलासपुर, मेहरगांव, पगरासू, तोलमा, फागती, थैंग, कोषा, मलारी, भ्यूण्डार, पुलनाचक भ्यूण्डार, पाण्डुकेश्वर, भल्ला गांव, सूकी, लाता, खीरों, अरूणी पटुली, औथ हनुमान चट्टी) अवस्थित हैं।
2. 29 राजस्व ग्रामों से 03 राजस्व ग्राम लमतोली, रेवल चेक कुरकुटी और फागती वर्तमान समय में गैर आबाद हैं।

विकासखण्ड जोशीमठ के भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्रामों में जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन उल्लिखित सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित 29 प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 हेतु भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जनसांख्यिकी आंकड़ों से निम्नवत मुख्य बिन्दु स्पष्ट होते है आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

1. खण्ड विकास अधिकारी, जोशीमठ द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार द्रोणागिरी ग्राम पंचायत का लमतोली, फरकिया ग्राम पंचायत का रेवल चेक कुरकुटी तथा तोलमा ग्राम पंचायत का फागती राजस्व ग्राम वर्तमान में गैर आबाद है।
2. विकासखण्ड जोशीमठ में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक सभी राजस्व ग्रामों में जनसंख्या वृद्धिदर कुछेक राजस्व ग्रामों की अपेक्षा अच्छी नहीं है। क्योंकि इन सभी प्राथमिक राजस्व ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के दशकों में जनसंख्या वृद्धिदर में 40% की दर से बढ़ी प्रतीत होती है। जो कि भारतीय सेना के सापेक्ष प्रदर्शित होती है। अन्यथा की स्थिति में जनसंख्या वृद्धिदर बहुत न्यूनतम है।
3. सीमावर्ती कुल 29 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से जोशीमठ विकासखण्ड के अन्तर्गत 11 राजस्व ग्रामों की जनसंख्या में विगत दो दशकीय जनगणना में ऋणात्मक कमी देखी जा सकती है जबकि इन भू–भाग में तीन राजस्व ग्राम जनशून्य भी हो चके हैं, और जिन राजस्व ग्रामों में जनसंख्या वृद्धिदर बढ़ी प्रतीत होती है वो भारतीय सेना के सापेक्ष प्रतीत हो रही है।
4. जोशीमठ विकासखण्ड के अन्तर्गत भी निम्न तालिका में उल्लिखित 29 राजस्व ग्रामों के भीतर पलायन का प्रभाव स्पष्टता से देखा जा सकता है जो कि सीमावर्ती भू–भाग के लिए हानिकारक है।

जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ के भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य जनसांख्यिकी बदलाव								
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 की जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	Chamoli	Joshimath	Mana	Mana	594	1214	620	104%
2	Chamoli	Joshimath	Niti	Niti	98	47	-51	-52%
3	Chamoli	Joshimath	Dronagiri	Dronagiri	89	92	3	3%
4	Chamoli	Joshimath	Dronagiri	lamtoli	0	0	0	0
5	Chamoli	Joshimath	Gamsali	Gamsali	147	383	236	161%
6	Chamoli	Joshimath	Bampa	Bampa	74	192	118	159%
7	Chamoli	Joshimath	Farkiagaon	Farkiagaon	251	197	-54	-22%
8	Chamoli	Joshimath	Farkiagaon	Rewal Chak Kurkuti	23	0	-23	-100%
9	Chamoli	Joshimath	Kaga Laga Dronagiri	Kaga Laga Dronagiri	58	97	39	67%
10	Chamoli	Joshimath	Kaga Laga Dronagiri	Garpak	33	66	33	100%
11	Chamoli	Joshimath	Jalam	Jumma	315	141	-174	-55%
12	Chamoli	Joshimath	Jalam	Jalam	98	344	246	251%
13	Chamoli	Joshimath	Kailashpur	Kailashpur	245	158	-87	-36%
14	Chamoli	Joshimath	Mahargaon	Mahargaon	26	269	243	935%
15	Chamoli	Joshimath	Tolma	Pagrasu	94	56	-38	-40%
16	Chamoli	Joshimath	Tolma	Tolma	145	429	284	196%
17	Chamoli	Joshimath	Tolma	fagati	0	0	0	0
18	Chamoli	Joshimath	Thaing	Thaing	687	806	119	17%
19	Chamoli	Joshimath	Kosa	Kosa	194	302	108	56%
20	Chamoli	Joshimath	Malari	Malari	434	1933	1499	345%
21	Chamoli	Joshimath	Bhyudar	Bhyudar	106	61	-45	-42%
22	Chamoli	Joshimath	Bhyudar	Pulana Chak Bhyudar	227	285	58	26%
23	Chamoli	Joshimath	Pandukaswar	Pandukaswar	1334	1396	62	5%
24	Chamoli	Joshimath	Bhalgaon	Bhalgaon	205	167	-38	-19%
25	Chamoli	Joshimath	Bhalgaon	Sukhi	163	174	11	7%
26	Chamoli	Joshimath	Lata	Lata	342	305	-37	-11%
27	Chamoli	Joshimath	Khiron	Khiron	132	90	-42	-32%
28	Chamoli	Joshimath	Khiron	Arurhi Paturi	915	609	-306	-33%
29	Chamoli	Joshimath	othhaluman chatti	othhaluman chatti	NA	NA	NA	NA
विकासखण्ड जोशीमठ के सीमावर्ती प्राथमिक गांवों का जनसांख्यिकी योग					7029	9813	2784	40%

भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्रामों में पुरूष जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार पुरूष जनसांख्यिकी हेतु उपलब्ध आंकड़ों से मुख्य बिन्दु स्पष्ट होते हैं आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

1. विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित 29 राजस्व ग्रामों में से कुल 12 राजस्व ग्राम नीति, फरकिया, जुम्मा, कैलाशपुर, पगरासू, भ्यूण्डार, पाण्डुकेश्वर, भल्लागांव, लाता, खीरों, रेवल चेक कुरकुटी तथा अरूणी पटुली में पिछले दो दशकीय जनगणना में पुरूष जनसंख्या वृद्धिदर में गिरावट के आंकड़ें प्राप्त हुए।

2. निम्न तालिका में उल्लिखित 29 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से सुकी और कागा ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों में पुरूष जनसंख्या वृद्धिदर भी अपेक्षाकृत कम रही।
3. विकासखण्ड जोशीमठ में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक सभी राजस्व ग्रामों में पुरूष जनसंख्या वृद्धि 45% की दर के आंकड़ें प्राप्त होते है, जो कि भारतीय सेना के सहयोग के बिना बहुत ही खराब है।

जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ के भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य पुरूष जनसांख्यिकी बदलाव								
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल पुरूष जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल पुरूष जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 की कुल पुरूष जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	chamoli	joshimath	Mana	Mana	254	731	477	188%
2	chamoli	joshimath	Niti	Niti	43	22	-21	-49%
3	chamoli	joshimath	Dronagiri	Dronagiri	47	47	0	0%
4	chamoli	joshimath	Dronagiri	lamtoli	NA	0	0	0%
5	chamoli	joshimath	Gamsali	Gamsali	58	182	124	214%
6	chamoli	joshimath	Bampa	Bampa	34	85	51	150%
7	chamoli	joshimath	Farkiagaon	Farkiagaon	129	108	-21	-16%
8	chamoli	joshimath	Farkiagaon	Rewal Chak Kurkuti	9	0	-9	-100%
9	chamoli	joshimath	Kaga Laga Dronagiri	Kaga Laga Dronagiri	30	47	17	57%
10	chamoli	joshimath	Kaga Laga Dronagiri	Garpak	19	40	21	111%
11	chamoli	joshimath	Jalam	Jumma	164	78	-86	-52%
12	chamoli	joshimath	Jalam	Jalam	54	224	170	315%
13	chamoli	joshimath	Kailashpur	Kailashpur	124	80	-44	-35%
14	chamoli	joshimath	Mahargaon	Mahargaon	14	139	125	893%
15	chamoli	joshimath	Tolma	Pagrasu	47	27	-20	-43%
16	chamoli	joshimath	Tolma	Tolma	84	299	215	256%
17	chamoli	joshimath	Tolma	fagati	NA	0	0	0%
18	chamoli	joshimath	Thaing	Thaing	343	405	62	18%
19	chamoli	joshimath	Kosa	Kosa	99	153	54	55%
20	chamoli	joshimath	Malari	Malari	227	1427	1200	529%
21	chamoli	joshimath	Bhyudar	Bhyudar	51	33	-18	-35%
22	chamoli	joshimath	Bhyudar	Pulana Chak Bhyudar	105	135	30	29%
23	chamoli	joshimath	Pandukaswar	Pandukaswar	872	711	-161	-18%
24	chamoli	joshimath	Bhalgaon	Bhalgaon	92	76	-16	-17%
25	chamoli	joshimath	Bhalgaon	Sukhi	79	88	9	11%
26	chamoli	joshimath	Lata	Lata	150	145	-5	-3%
27	chamoli	joshimath	Khiron	Khiron	64	47	-17	-27%
28	chamoli	joshimath	Khiron	Arurhi Paturi	699	307	-392	-56%
29	chamoli	joshimath	othhaluman chatti	othhaluman chatti	NA	NA	NA	NA
विकासखण्ड जोशीमठ के सीमावर्ती प्राथमिक गांवों का जनसांख्यिकी योग					**3891**	**5636**	**1745**	**45%**

भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक ग्रामों में महिला जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार महिला जनसांख्यिकी हेतु उपलब्ध आंकड़ों से मुख्य बिन्दु स्पष्ट होते हैं आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

1. जोशीमठ विकासखण्ड के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित 29 राजस्व ग्रामों में से कुल 10 राजस्व ग्राम नीति, फरकिया, जुम्मा, कैलाशपुर, पगरासू, भ्यूण्डार, भल्लागांव, लाता, खीरों, तथा रेवल चेक कुरकुटी के अन्तर्गत पिछले दो दशकीय जनगणना में महिलाओं की जनसंख्या वृद्धिदर में गिरावट के आंकड़ें प्राप्त होते हैं।
2. निम्न तालिका में उल्लिखित 29 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से द्रोणागिरी और सुकी ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में महिला जनसंख्या वृद्धिदर भी अपेक्षाकृत कम ही रही।
3. विकासखण्ड जोशीमठ में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक सभी राजस्व ग्रामों में महिला जनसंख्या वृद्धि 33% की दर से बढ़ने के आंकड़ें प्राप्त होते है। जो कि सेना की जनसंख्या के सापेक्ष प्रतीत हो रहा है।

जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ के भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य महिला जनसांख्यिकी बदलाव								
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल महिला जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल महिला जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 की कुल महिला जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	chamoli	joshimath	Mana	Mana	340	483	143	42%
2	chamoli	joshimath	Niti	Niti	55	25	-30	-55%
3	chamoli	joshimath	Dronagiri	Dronagiri	42	45	3	7%
4	chamoli	joshimath	Dronagiri	lamtoli	NA	0	0	0%
5	chamoli	joshimath	Gamsali	Gamsali	89	201	112	126%
6	chamoli	joshimath	Bampa	Bampa	40	107	67	168%
7	chamoli	joshimath	Farkiagaon	Farkiagaon	122	89	-33	-27%
8	chamoli	joshimath	Farkiagaon	Rewal Chak Kurkuti	14	0	-14	-100%
9	chamoli	joshimath	Kaga Laga Dronagiri	Kaga Laga Dronagiri	28	50	22	79%
10	chamoli	joshimath	Kaga Laga Dronagiri	Garpak	14	26	12	86%
11	chamoli	joshimath	Jalam	Jumma	151	63	-88	-58%
12	chamoli	joshimath	Jalam	Jalam	44	120	76	173%
13	chamoli	joshimath	Kailashpur	Kailashpur	121	78	-43	-36%
14	chamoli	joshimath	Mahargaon	Mahargaon	12	130	118	983%
15	chamoli	joshimath	Tolma	Pagrasu	47	29	-18	-38%
16	chamoli	joshimath	Tolma	Tolma	61	130	69	113%
17	chamoli	joshimath	Tolma	fagati	NA	0	0	0%

18	chamoli	joshimath	Thaing	Thaing	344	401	57	17%
19	chamoli	joshimath	Kosa	Kosa	95	149	54	57%
20	chamoli	joshimath	Malari	Malari	207	506	299	144%
21	chamoli	joshimath	Bhyudar	Bhyudar	55	28	-27	-49%
22	chamoli	joshimath	Bhyudar	Pulana Chak Bhyudar	122	150	28	23%
23	chamoli	joshimath	Pandukaswar	Pandukaswar	462	685	223	48%
24	chamoli	joshimath	Bhalgaon	Bhalgaon	113	91	-22	-19%
25	chamoli	joshimath	Bhalgaon	Sukhi	84	86	2	2%
26	chamoli	joshimath	Lata	Lata	192	160	-32	-17%
27	chamoli	joshimath	Khiron	Khiron	68	43	-25	-37%
28	chamoli	joshimath	Khiron	Arurhi Paturi	216	302	86	40%
29	chamoli	joshimath	othhalumanch atti	othhalumanch atti	NA	NA	NA	NA
विकासखण्ड जोशीमठ के सीमावर्ती प्राथमिक गांवों का जनसांख्यिकी योग					3138	4177	1039	33%

सीमावर्ती गांवों का जनसांख्यिकीय वर्गीकरण :– जनगणना वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के अनुसार विकासखण्ड भटवाड़ी में भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित 10 गांवों को जनगणना वर्ष 2001 और वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 0, 1–9, 10–99 और 100 से अधिक में श्रेणीवार वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत आंकड़ों से निम्नवत बिन्दु स्पष्ट होते हैं:–

1. विकासखण्ड जोशीमठ में जनगणना वर्ष 2001 हेतु शून्य श्रेणी में वर्गीकृत 02 गांवों का आंकड़ा जनगणना वर्ष 2011 के लिए बढ़कर 03 हो जाना पलायन को दर्शाता है। अर्थात विकासखण्ड में कुल 03 गांव सीमावर्ती क्षेत्र में गैर–आबाद हैं।
2. विकासखण्ड में जनसंख्या की 1–9 श्रेणी हेतु दोनों दशकीय जनगणना में कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं हुआ। अर्थात विकासखण्ड में किसी भी गांव की जनसंख्या 1 से 9 के बीच नहीं है।
3. विकासखण्ड में जनगणना वर्ष 2001 की जनसंख्या हेतु श्रेणी 10–99 में वर्गीकृत राजस्व ग्राम बाम्पा, जेलम और मेहरगांव जनगणना वर्ष 2011 की श्रेणी 100> में उन्नत हुई जबकि राजस्व ग्राम रेवल चेक कुरकुटी गैर–आबाद हुआ।
4. जनगणना वर्ष 2001 की जनसंख्या हेतु श्रेणी 100> में वर्गीकृत राजस्व ग्राम भ्यूण्डार और खीरों का जनगणना वर्ष 2011 की श्रेणी 10-99 में अवनत होना पलायन को दर्शाता है।

उक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड के सीमावर्ती गांवों में पलायन की निरन्तरता की ओर संकेत करता है। अर्थात पलायन पर अंकुश लगाने की निरन्तरता पर कार्य किया जाना आवश्यक है।

जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत सीमावर्ती गांव												
विकासखण्ड	जनगणना वर्ष 2001						जनगणना वर्ष 2011					
	0	1-9	10-99	100>	NA	योग	0	1-9	10-99	100>	NA	योग
जोशीमठ	2	0	9	17	1	29	3	0	7	18	1	29

जोशीमठ	लमतोली, फागती,	–	नीति, द्रोणागिरी, बाम्पा, रेवल चेक कुरकुटी, कागा, गरपक, जेलम, महरगांव, पगरासू	माणा, गमशाली, फरकिया, जुम्मा, कैलासपुर, तोलमा, थैंग, कोषा, मलारी, भ्यूंडार, पुलनाचक भ्यूंडार, पाण्डुकेश्वर, भल्लागांव, सुकी, लाता, खिरौं, अरूणपाटूली,	औंध हनुमान चट्टी	29	लमतोली, रेवल चेक कुरकुटी, फागती,	–	नीति, द्रोणागिरी, कागा, गरपक, पगरासू, भ्यूंडार, खिरौं	माणा, गमशाली, बाम्पा, फरकिया, कैलासपुर, महरगांव, तोलमा, थैंग, कोषा, मलारी, पुलनाचक भ्यूंडार, जुम्मा, जेलम, पाण्डुकेश्वर, भल्लागांव, सुकी, लाता, अरूणपाटूली,	औंध हनुमान चट्टी	29

जनगणना वर्ष 2011 और आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 के मध्य जनसांख्यिकीय बदलाव :– जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 के मध्य जनसांख्यिकीय बदलाव को इस खण्ड में दर्शाया गया हैं। बदलाव के मुख्य अंश एवं आंकड़ें निम्नवत हैं :–

1. भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्ड जोशीमठ की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में वर्ष 2011 की जनगणना के सापेक्ष आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में जनसंख्या वृद्धिदर 13% रही। उक्त आंकड़ें में महिलाओं का योगदान लगभग 14% रहा, जो कि पुरूषों की अपेक्षा 2% अधिक है।
2. सीमावर्ती विकासखण्डों की ग्राम पंचायत जेलम के अन्तर्गत उल्लिखित अवधि में जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रही जबकि द्रोणागिरी, माणा, कागा, पाण्डुकेश्वर, खिरौं लामबगड, लाता और भल्ला गांव में भी जनसंख्या वृद्धिदर अपेक्षाकृत कम है।

सीमावर्ती विकासखण्ड जोशीमठ की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 के मध्य जनसांख्यिकीय बदलाव

क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या			जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या			बदलाव प्रतिशत		
				पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	चमोली	जोशीमठ	जेलम	201	112	313	302	183	485	-33%	-39%	-35%
2	चमोली	जोशीमठ	कागा	88	78	166	87	76	163	1%	3%	2%
3	चमोली	जोशीमठ	माणा	745	497	1242	731	483	1214	2%	3%	2%
4	चमोली	जोशीमठ	पाण्डुकेश्वर	745	705	1450	711	685	1396	5%	3%	4%
5	चमोली	जोशीमठ	खिरौं लामबगड	372	360	732	354	345	699	5%	4%	5%
6	चमोली	जोशीमठ	द्रोणागिरी	50	48	98	47	45	92	6%	7%	7%
7	चमोली	जोशीमठ	भल्लागांव	180	184	364	164	177	341	10%	4%	7%
8	चमोली	जोशीमठ	लाता	155	172	327	145	160	305	7%	8%	7%
9	चमोली	जोशीमठ	मलारी	1569	557	2126	1427	506	1933	10%	10%	10%
10	चमोली	जोशीमठ	भ्यूंडार	187	201	388	168	178	346	11%	13%	12%
11	चमोली	जोशीमठ	कोषा	177	166	343	153	149	302	16%	11%	14%
12	चमोली	जोशीमठ	गमशाली	232	249	481	182	201	383	27%	24%	26%
13	चमोली	जोशीमठ	थैंग	507	522	1029	405	401	806	25%	30%	28%

14	चमोली	जोशीमठ	फरकिया	146	108	254	108	89	197	35%	21%	29%
15	चमोली	जोशीमठ	तोलमा	409	227	636	326	159	485	25%	43%	31%
16	चमोली	जोशीमठ	कैलाशपुर	110	100	210	80	78	158	38%	28%	33%
17	चमोली	जोशीमठ	बाम्पा	117	163	280	85	107	192	38%	52%	46%
18	चमोली	जोशीमठ	मेहरगांव	296	249	545	139	130	269	113%	92%	103%
19	चमोली	जोशीमठ	नीती	49	57	106	22	25	47	123%	128%	126%
20	चमोली	जोशीमठ	औथ हनुमान चट्टी	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
योग				**6335**	**4755**	**11090**	**5636**	**4177**	**9813**	**12%**	**14%**	**13%**

ग्राम पंचायत स्तर पर पलायन :– आयोग द्वारा वर्ष 2018 एवं वर्ष 2022 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की स्थिति पर सर्वेक्षण के अनुसार विकासखण्ड जोशीमठ में भारत–चीन उल्लिखित सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति हेतु मुख्य अंश निम्नवत हैं जो कि निम्नवत तालिकाओं से स्पष्ट होते हैं।

1. विकासखण्ड जोशीमठ में भारत–चीन उल्लिखित सीमा रेखा के समीप की सभी 20 ग्राम पंचायतें द्वितीय सर्वेक्षण में नहीं तो प्रथम सर्वेक्षण में पलायन से प्रभावित रही। अर्थात विकासखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पलायन का असर रहा।
2. विकासखण्ड की माणा ग्राम पंचायत प्रथम सर्वेक्षण में पलायन से प्रभावित नहीं थी किन्तु द्वितीय सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत से 25 व्यक्ति अस्थायी पलायन करते हैं। जबकि उक्त ग्राम पंचायत बद्रीनाथ धाम से भी सटी हुई है।
3. विकासखण्ड की 20 ग्राम पंचायतों में से 11 ग्राम पंचायतें नीति, गमशाली, बाम्पा, फरकिया, औथ हनुमान चट्टी, कैलाशपुर, मेरगांव, तोलमा, थैंग, पाण्डुकेश्वर और लाता प्रथम सर्वेक्षण में स्थायी पलायन से प्रभावित हुई किन्तु द्वितीय सर्वेक्षण में अप्रभावित। अर्थात कोविड–19 के बाद ग्रामीणों में गांव की महता का बोध हुआ है इसलिए ग्रामीणों ने हमेशा–हमेशा के लिए गांव को छोडने का मन बदल दिया है, क्योंकि द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में सीमावर्ती सभी 20 ग्राम पंचायतें स्थायी पलायन से अप्रभावित रही।
4. विकासखण्ड की 20 ग्राम पंचायतों में से 08 ग्राम पंचायतें गमशाली, औथ हनुमान चट्टी, तोलमा, कोषा, भ्यूण्डार, पाण्डुकेश्वर, भल्ला गांव और लाता प्रथम सर्वेक्षण की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन से अप्रभावित रही। अर्थात प्रथम सर्वेक्षण की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण में सीमा पर सटी 40% ग्राम पंचायतें पलायन से अप्रभावित रही।
5. विकासखण्ड की सीमावर्ती 20 ग्राम पंचायतों में से 18 ग्राम पंचायतों में प्रथम सर्वेक्षण की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन के आंकड़ों में लगभग **28%** की ऋणात्मक कमी का होना विकासखण्ड की सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन में कमी को दर्शाते हैं।

विकासखण्ड जोशीमठ की भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के अनुसार पलायन के प्रभाव में हुए बदलाव का ग्राम पंचायतवार विवरण												
				द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2022)			प्रथम सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2018)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	चमोली	जोशीमठ	माणा	25	0	25	0	0	0	25	0	25
2	चमोली	जोशीमठ	नीती	12	0	12	52	20	72	-40	-20	-60
3	चमोली	जोशीमठ	द्रोणागिरी	10	0	10	69	0	69	-59	0	-59
4	चमोली	जोशीमठ	गमशाली	0	0	0	89	27	116	-89	-27	-116
5	चमोली	जोशीमठ	बाम्पा	22	0	22	57	24	81	-35	-24	-59

6	चमोली	जोशीमठ	फरकिया	20	0	20	52	32	84	-32	-32	-64
7	चमोली	जोशीमठ	कागा	10	0	10	30	0	30	-20	0	-20
8	चमोली	जोशीमठ	औथ हनुमान चट्टी	0	0	0	227	12	239	-227	-12	-239
9	चमोली	जोशीमठ	लामबगड	11	0	11	37	0	37	-26	0	-26
10	चमोली	जोशीमठ	जेलम	20	0	20	46	0	46	-26	0	-26
11	चमोली	जोशीमठ	कैलाशपुर	10	0	10	43	22	65	-33	-22	-55
12	चमोली	जोशीमठ	मेहरगांव	130	0	130	32	48	80	98	-48	50
13	चमोली	जोशीमठ	तोलमा	0	0	0	35	8	43	-35	-8	-43
14	चमोली	जोशीमठ	थैंग	37	0	37	157	12	169	-120	-12	-132
15	चमोली	जोशीमठ	कोषा	0	0	0	32	0	32	-32	0	-32
16	चमोली	जोशीमठ	मलारी	8	0	8	215	0	215	-207	0	-207
17	चमोली	जोशीमठ	भ्यूंडार	0	0	0	154	0	154	-154	0	-154
18	चमोली	जोशीमठ	पाण्डुकेश्वर	0	0	0	122	40	162	-122	-40	-162
19	चमोली	जोशीमठ	भल्लागांव	0	0	0	35	0	35	-35	0	-35
20	चमोली	जोशीमठ	लाता	0	0	0	42	8	50	-42	-8	-50
योग				315	0	315	1526	253	1779	-1211	-253	-1464

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों का पलायन के अनुसार वर्गीकरण :– आयोग द्वारा पलायन की स्थिति पर करवाये गये प्रथम और द्वितीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित विकासखण्ड जोशीमठ की कुल 20 ग्राम पंचायतों में पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुसार 0, 1–9, 10–99 और 100 से अधिक जैसी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत आंकड़ों से निम्नवत बिन्दुओं की स्पष्टता होती है :–

1. ग्राम पंचायत माणा का प्रथम सर्वेक्षण की शून्य श्रेणी से द्वितीय सर्वेक्षण की 10–99 श्रेणी में उन्नत होना तथा ग्राम पंचायत मेहरगांव का प्रथम सर्वेक्षण की 10–99 श्रेणी से द्वितीय सर्वेक्षण की 100> श्रेणी में उन्नत होना पलायन को दर्शाता है।
2. मलारी ग्राम पंचायत का प्रथम सर्वेक्षण की श्रेणी 100> से द्वितीय सर्वेक्षण की 1-9 श्रेणी में अवनत होना तथा ग्राम पंचायत गमशाली, औथ हनुमान चट्टी, भ्यूण्डार और पाण्डुकेश्वर का प्रथम सर्वेक्षण की श्रेणी 100> से द्वितीय सर्वेक्षण की शून्य श्रेणी में अवनत होना पलायन पर अंकुश को दर्शाता है।
3. विकासखण्ड की ग्राम पंचायत तोलमा, कोषा, भल्लागांव और लाता प्रथम सर्वेक्षण की श्रेणी 10–99 से द्वितीय सर्वेक्षण की शून्य श्रेणी में अवनत होना तथा ग्राम पंचायत थैंग का प्रथम सर्वेक्षण की श्रेणी 100> से द्वितीय सर्वेक्षण की 10–99 की श्रेणी में अवनत होना भी पलायन पर अंकुश को दर्शाता है।
4. विकासखण्ड की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में प्रथम सर्वेक्षण की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण हेतु प्राप्त पलायन के आंकड़ों में गिरावट का होना, पलायन पर लगे अंकुश को दर्शाता है।

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों का पलायन से प्रभावित जनसंख्या के अनुसार वर्गीकरण												
विकासखण्ड	प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 में पलायन						द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में पलायन					
	0	1-9	10-99	100>	NA	योग	0	1-9	10-99	100>	NA	योग
जोशीमठ	1	0	13	6	0	20	8	1	10	1	0	20

नामावली	माणा	–	नीति, द्रोणागिरी, फरकिया, बाम्पा, कागा, लामबगड़, जेलम, कैलाशपुर, मेहरगांव, तोलमा, कोषा भल्लागांव लाता	गमशाली, औंथ हनुमान चट्टी, थैंग, मलारी, स्यूपडार, पापड़ुकेश्वर	–	20	गमशाली, औंथ हनुमान चट्टी, तोलमा, कोषा, स्यूपडार, पापड़ुकेश्वर, भल्लागांव, लाता,	मलारी	माणा, नीति, द्रोणागिरी, बाम्पा, फरकिया, कागा, लामबगड़, जेलम, कैलाशपुर, थैंग	मेहरगांव	–	20

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन के मुख्य कारण :– यह खण्ड विकासखण्ड जोशीमठ में भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित ग्राम पंचायतों में पलायन के मुख्य कारणों का विश्लेषण करता है। पलायन के मख्य कारणों में लगभग 34%, 29% व 15% सर्वाधिक पलायन पलायन शिक्षा, आजीविका/रोजगार और चिकित्सा की सुविधाओं के अभाव में हुआ है। सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में हुए पलायन का कारणवार विस्तुत जानकारी निम्नवत तालिका में दी गई है।

प्रथम रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती जनपदों की ग्राम पचायतों से पलायन के मुख्य कारण (लगभग प्रतिशत में)											
क्र0 स0	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	आजीविका/रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाव(प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का आभाव(वर्तमान में)	इन्फ्राटक्चर(सड़क,बिजली,पानी, व अन्य का आभाव(वर्तमान में)	कृषि भूमि में उत्पादकता/पैदावार की कमी(प्रतिशत)	परिवार/सगे सम्बन्धियों की देखा–देखी पलायन करना(प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुचाने करने के कारण(प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण(प्रतिशत)	योग
उत्तराखण्ड			50.16%	8.83%	15.21%	3.74%	5.44%	2.52%	5.61%	8.48%	100%
चमोली			49.30%	10.83%	19.73%	4.93%	4.73%	2.51%	3.09%	4.87%	100%
जोशीमठ			36.13%	14.67%	28.04%	9.04%	2.31%	2.11%	2.96%	4.75%	100%
1	जोशीमठ	नीती	40.00%	15.00%	40.00%	0.00%	1.00%	2.00%	0.00%	2.00%	100%
2	जोशीमठ	द्रोणागिरी	10.00%	20.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
3	जोशीमठ	गमशाली	40.00%	12.00%	40.00%	0.00%	2.00%	2.00%	1.00%	3.00%	100%
4	जोशीमठ	बाम्पा	30.00%	12.00%	40.00%	0.00%	3.00%	5.00%	2.00%	8.00%	100%
5	जोशीमठ	फरकिया	30.00%	15.00%	40.00%	0.00%	3.00%	6.00%	1.00%	5.00%	100%
6	जोशीमठ	कागा	20.00%	20.00%	30.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
7	जोशीमठ	औथहनुमानचट्टी	42.00%	15.00%	15.00%	0.00%	0.00%	10.00%	5.00%	13.00%	100%
8	जोशीमठ	खिरौंलामबगड	11.11%	22.22%	22.22%	0.00%	0.00%	16.67%	27.78%	0.00%	100%
9	जोशीमठ	जेलम	40.00%	20.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
10	जोशीमठ	कैलाशपुर	40.00%	10.00%	45.00%	0.00%	3.00%	2.00%	0.00%	0.00%	100%
11	जोशीमठ	मेहरगांव	40.00%	15.00%	30.00%	0.00%	3.00%	6.00%	2.00%	4.00%	100%
12	जोशीमठ	तोलमा	15.00%	0.00%	75.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
13	जोशीमठ	थैंग	30.00%	30.00%	20.00%	10.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	100%
14	जोशीमठ	कोषा	30.00%	20.00%	40.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
15	जोशीमठ	मलारी	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
16	जोशीमठ	भ्यूंडार	10.00%	20.00%	20.00%	0.00%	15.00%	15.00%	10.00%	10.00%	100%

17	जोशीमठ	पाण्डुकेश्वर	55.56%	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	11.11%	0.00%	16.67%	100%
18	जोशीमठ	भल्लागांव	5.00%	5.00%	20.00%	70.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
19	जोशीमठ	लाता	40.00%	2.00%	50.00%	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
योग			**29.40%**	**14.91%**	**34.42%**	**8.84%**	**2.11%**	**3.99%**	**2.83%**	**3.51%**	**100%**

भारत–चीन सीमा की ग्राम पंचायतों में प्रवासियों की आयु का राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड में योगदान :– यह खण्ड विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित ग्राम पंचायतों में प्रवासियों की आयु का विश्लेषण करता है। प्रवासियों में लगभग 42 प्रतिशत से अधिक 25 से कम आयुवर्ग के बीच है। सीमावर्ती ग्राम पंचायतों द्वारा राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड में दिये जा रहे योगदान की विस्तृत जानकारी निम्नवत तालिका एवं ग्राफ में दी गई है।

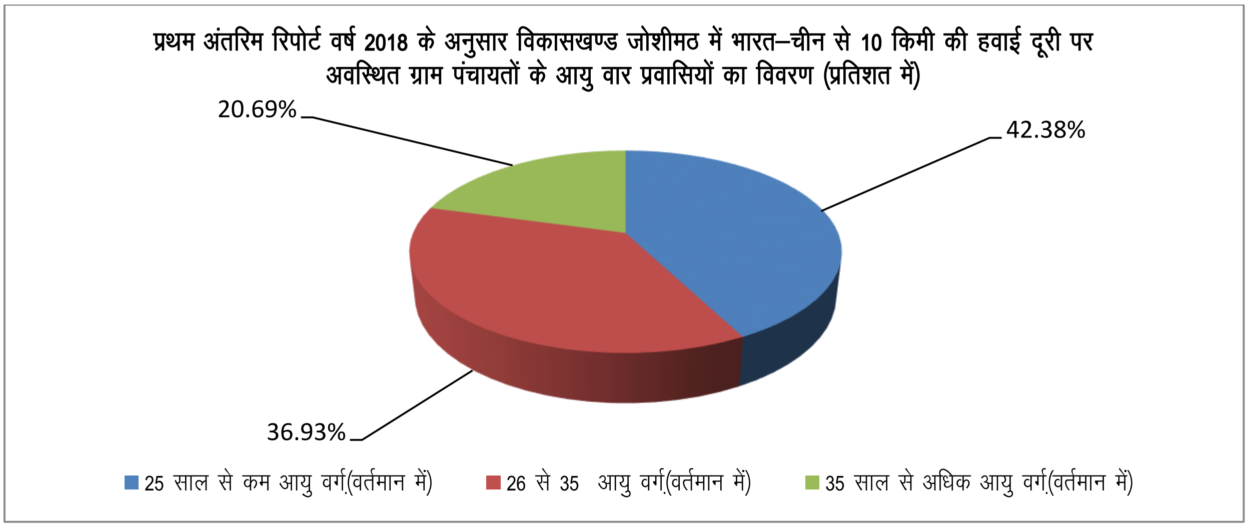

प्रथम अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों के प्रवासियो की आयुवार पलायन विवरण (प्रतिशत में)							
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम प्रचायत	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)			
				25 साल से कम आयु वर्ग(वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग(वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग(वर्तमान में)	योग
उत्तराखण्ड				28.66%	42.25%	29.00%	100%
चमोली				26.71%	43.49%	29.79%	100%
जोशीमठ				34.84%	42.70%	22.46%	100%
1	चमोली	जोशीमठ	नीती	30%	40%	30%	100%
2		जोशीमठ	द्रोणागिरी	40%	50%	10%	100%
3		जोशीमठ	गमशाली	30%	40%	30%	100%
4		जोशीमठ	बाम्पा	30%	50%	20%	100%
5		जोशीमठ	फरकिया	30%	48%	22%	100%
6		जोशीमठ	कागा	40%	30%	30%	100%
7		जोशीमठ	औथहनुमानचट्टी	50%	33%	17%	100%

8		जोशीमठ	खिरौं लामबगड	67%	33%	0%	100%
9		जोशीमठ	जेलम	30%	45%	25%	100%
10		जोशीमठ	कैलाशपुर	30%	40%	30%	100%
11		जोशीमठ	मेहरगांव	30%	50%	20%	100%
12		जोशीमठ	तोलमा	70%	25%	5%	100%
13		जोशीमठ	थैंग	50%	8%	42%	100%
14		जोशीमठ	कोषा	40%	35%	25%	100%
15		जोशीमठ	मलारी	40%	30%	30%	100%
16		जोशीमठ	भ्यूंडार	40%	30%	30%	100%
17		जोशीमठ	पाण्डुकेश्वर	50%	33%	17%	100%
18		जोशीमठ	भल्लागांव	58%	42%	0%	100%
19		जोशीमठ	लाता	50%	40%	10%	100%
योग				**42.38%**	**36.93%**	**20.69%**	**100%**

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन के गन्तव्य :– विकासखण्ड जोशीमठ की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हुए पलायन हेतु प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नवत बिन्दु स्पष्ट होते हैं। आंकड़ों का विवरण निम्नवत तालिका में प्रदर्शित किया गया है :–

6. विकासखण्ड जोशीमठ की भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में देश से बाहर पलायन नहीं हुआ है, जो कि प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण के पलायन गन्तव्यों हेतु प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है।
7. विकासखण्ड की सीमवर्ती ग्राम पंचायतों में प्रथम सर्वेक्षण की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण हेतु जनपद मुख्यालय में हुए पलायन का आंकड़ा लगभग 25% बढ़ा जबकि नजदीकी कस्बों का हुए पलायन का आंकड़ा लगभग 28% घटा। अर्थात सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से पलायन जनपद मुख्यालय की ओर हो रहा है, जो कि पलायन पर आंशिक रोक का द्योतक है।
8. संबंधित ग्राम पंचायतों में से ग्राम पंचायत कागा, लामबगड़, तोलमा, भ्यूण्डार, भल्ला गांव और लाता में राज्य से बाहर का पलायन नहीं हुआ।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्नवत आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड जोशीमठ की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में अधिकांश पलायन जनपद मुख्यालय की ओर हो रहा है, जिस पर अंकुश लगाया जा सकता है।

प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण के अनुसार विकासखण्ड जोशीमठ की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हो रहे पलायन के गन्तव्यों का बदलता स्वरूप							
क्र0 स0	ग्राम पंचायत का नाम	नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश के बाहर	योग
प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018							
1	माणा	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
2	नीती	72.0%	16.9%	9.3%	1.7%	0.0%	100%
3	द्रोणागिरी	50.0%	20.0%	20.0%	10.0%	0.0%	100%
4	गमशाली	85.0%	2.0%	11.0%	2.0%	0.0%	100%
5	बाम्पा	55.1%	3.9%	17.3%	23.6%	0.0%	100%
6	फरकिया	80.0%	5.0%	15.0%	0.0%	0.0%	100%

7	कागा	25.0%	55.0%	20.0%	0.0%	0.0%	100%
8	औथ हनुमान चट्टी	15.0%	25.0%	50.0%	10.0%	0.0%	100%
9	लामबगड	62.0%	0.0%	38.0%	0.0%	0.0%	100%
10	जेलम	70.0%	24.0%	5.0%	1.0%	0.0%	100%
11	कैलाशपुर	79.4%	1.9%	0.0%	18.7%	0.0%	100%
12	मेहरगांव	67.8%	16.9%	12.7%	2.5%	0.0%	100%
13	तोलमा	45.4%	30.1%	24.6%	0.0%	0.0%	100%
14	थैंग	98.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	100%
15	कोषा	30.0%	35.0%	25.0%	10.0%	0.0%	100%
16	मलारी	50.0%	30.0%	10.0%	10.0%	0.0%	100%
17	भ्यूंडार	73.3%	3.3%	23.3%	0.0%	0.0%	100%
18	पाण्डुकेश्वर	29.5%	4.3%	32.0%	34.2%	0.0%	100%
19	भल्लागांव	90.9%	6.1%	3.0%	0.0%	0.0%	100%
20	लाता	52.1%	6.3%	41.7%	0.0%	0.0%	100%
योग		59.5%	15.0%	18.8%	6.6%	0.0%	100%
द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022							
1	माणा	0.0%	0.0%	25.0%	75.0%	0.0%	100.0%
2	नीती	10.0%	80.0%	10.0%	0.0%	0.0%	100%
3	द्रोणागिरी	70.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
4	गमशाली	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
5	बाम्पा	10.0%	80.0%	10.0%	0.0%	0.0%	100%
6	फरकिया	20.0%	10.0%	60.0%	10.0%	0.0%	100%
7	कागा	10.0%	80.0%	10.0%	0.0%	0.0%	100%
8	औथ हनुमान चट्टी	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
9	लामबगड	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
10	जेलम	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
11	कैलाशपुर	10.0%	40.0%	40.0%	10.0%	0.0%	100%
12	मेहरगांव	48.0%	33.0%	12.0%	7.0%	0.0%	100%
13	तोलमा	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
14	थैंग	50.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100%
15	कोषा	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
16	मलारी	20.0%	40.0%	20.0%	20.0%	0.0%	100%
17	भ्यूंडार	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
18	पाण्डुकेश्वर	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
19	भल्लागांव	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
20	लाता	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
योग		**31.8%**	**40.4%**	**17.7%**	**10.2%**	**0.0%**	**100%**
प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण में बदलाव							
1	माणा	0.0%	0.0%	25.0%	75.0%	0.0%	100.0%
2	नीती	-62.0%	63.1%	0.7%	-1.7%	0.0%	0.0%

3	द्रोणागिरी	20.0%	10.0%	-20.0%	-10.0%	0.0%	0.0%
4	गमशाली	-85.0%	-2.0%	-11.0%	-2.0%	0.0%	-100.0%
5	बाम्पा	-45.1%	76.1%	-7.3%	-23.6%	0.0%	0.0%
6	फरकिया	-60.0%	5.0%	45.0%	10.0%	0.0%	0.0%
7	कागा	-15.0%	25.0%	-10.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8	औथ हनुमान चट्टी	-15.0%	-25.0%	-50.0%	-10.0%	0.0%	-100.0%
9	लामबगड	38.0%	0.0%	-38.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10	जेलम	-36.7%	42.7%	-5.0%	-1.0%	0.0%	0.0%
11	कैलाशपुर	-69.4%	38.1%	40.0%	-8.7%	0.0%	0.0%
12	मेहरगांव	-19.8%	16.1%	-0.7%	4.5%	0.0%	0.0%
13	तोलमा	-45.4%	-30.1%	-24.6%	0.0%	0.0%	-100.0%
14	थैंग	-48.0%	25.0%	25.0%	-2.0%	0.0%	0.0%
15	कोषा	-30.0%	-35.0%	-25.0%	-10.0%	0.0%	-100.0%
16	मलारी	-30.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%
17	भ्यूंडार	-73.3%	-3.3%	-23.3%	0.0%	0.0%	-100.0%
18	पाण्डुकेश्वर	-29.5%	-4.3%	-32.0%	-34.2%	0.0%	-100.0%
19	भल्लागांव	-90.9%	-6.1%	-3.0%	0.0%	0.0%	-100.0%
20	लाता	-52.1%	-6.3%	-41.7%	0.0%	0.0%	-100.0%
योग		**-27.7%**	**25.4%**	**-1.2%**	**3.6%**	**0.0%**	**0.0%**

सीमावर्ती गांवों में सड़क सुविधा :– आयोगीय सर्वेक्षण 2022 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्ड जोशीमठ की ग्राम पंचायतों के राजस्व ग्राम/तोक/मजरों में सड़क सुविधा का इस खण्ड में विवरण दिया गया है।

4. भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित विकासखण्ड जोशीमठ की 17 राजस्व ग्राम/तोक/मजरे अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं।
5. सड़क सुविधा से वंचित सबसे अधिक राजस्व ग्राम/तोक/मजरे 0–5 किमी के अन्तर्गत हैं।

सर्वेक्षण 2022 के अनुसार विकासखण्ड भटवाड़ी में सड़क मार्ग से वंचित सीमावर्ती राजस्व ग्राम/तोक/मजरों का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण					
जनपद	विकासखण्ड	सड़क मार्ग की दूरी (किमी में)			
		0–5	6–10	10 से अधिक	कुल योग
चमोली	जोशीमठ	12	3	2	17
नामावली		तोलमा, लोंग सेंगड़ी, फागती, पंगरासू, कुरपाणी, भल्लागांव, सूकी, कानाकोट, घिवाणी, हयूणा, इनाड़ा, फ्या चोरमी	खिरों लामबगड, भ्यूण्डार, घांघरिया	गरपक, द्रोणागिरी	17

अध्याय–9

विकासखण्ड धारचूला के प्राथमिक ग्रामों में

पलायन की स्थिति

यह अध्याय भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपद के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत सीमा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित सीमावर्ती ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार जनसांख्यिकी बदलाव, जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोग द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण वर्ष 2022 में जनसांख्यिकी बदलाव तथा आयोग द्वारा वर्ष 2018 एवं वर्ष 2022 में करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार पलायन की स्थिति में बदलाव की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है।

सीमावर्ती ग्राम :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर 69 राजस्व ग्राम स्थित हैं। प्राप्त सूचना और आंकड़ों से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं :–

1. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर 69 राजस्व ग्राम अवस्थित हैं।
2. 69 राजस्व ग्रामों से 04 राजस्व ग्राम वर्तमान समय में गैर आबाद हैं।

जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित 69 प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 हेतु भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जनसांख्यिकी आंकड़ों से मुख्य बिन्दुओं की स्पष्टता होती है आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

1. खण्ड विकास अधिकारी, धारचूला द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार जम्कू ग्राम पंचायत का लूम, धारपॉगूं ग्राम पंचायत का गुमकाना, गो ग्राम पंचायत का खिमलिंग तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ज्योतिपॉगूं ग्राम पंचायत का सांगरी ढकधोना, राजस्व ग्राम वर्तमान में गैर आबाद है।
2. विकासखण्ड धारचूला में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक सभी राजस्व ग्रामों में जनसंख्या वृद्धिदर कुछेक राजस्व ग्रामों का अपेक्षा अच्छी नहीं है। क्योंकि इन सभी प्राथमिक राजस्व ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के दशकों में जनसंख्या वृद्धिदर में 3% की दर से वृद्धि प्रतीत होती है। जो कि भारतीय सेना के सापेक्ष प्रदर्शित होती है। अन्यथा की स्थिति में जनसंख्या वृद्धिदर बहुत न्यूनतम है।
3. सीमावर्ती कुल 69 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से धारचूला विकासखण्ड के अन्तर्गत 22 राजस्व ग्रामों की जनसंख्या में विगत दो दशकीय जनगणना में ऋणात्मक रही है जबकि इस भू–भाग में चार राजस्व ग्राम जनशून्य हो चुके हैं।
4. निम्न तालिका में उल्लिखित 69 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से ज्योतिपॉगूं, सोसा और पुनलाभटका ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों में जनसंख्या वृद्धिदर अपेक्षाकृत कम ही है।
5. धारचूला विकासखण्ड के अन्तर्गत भी निम्न तालिका में उल्लिखित 69 राजस्व ग्रामों में से लगभग आधे राजस्व ग्रामों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धिदर देखी जा सकती है। अर्थात विकासखण्ड में पलायन का प्रभाव स्पष्टता से देखा जा सकता है जो कि सीमावर्ती भू–भाग के लिए उचित नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड धारचूला के भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य जनसांख्यिकी बदलाव								
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 की जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	Pithoragarh	Dharchula	Jipti	Galagar	218	281	63	29%
2	Pithoragarh	Dharchula		Jipti	392	357	-35	-9%
3	Pithoragarh	Dharchula	Chhalma chhilason	Chhalma chhilason	333	387	54	16%
4	Pithoragarh	Dharchula		Punla Bhataka	15	20	5	33%
5	Pithoragarh	Dharchula	Jyoti Pangu	Jyoti Pangu	224	232	8	4%
6	Pithoragarh	Dharchula		Sagri Dhakdhauna	3	0	-3	-100%
7	Pithoragarh	Dharchula	Dhar Pangu	Dhar Pangu	183	143	-40	-22%
8	Pithoragarh	Dharchula		Tanta Gaon Roto	126	163	37	29%
9	Pithoragarh	Dharchula		Gumkana	NA	0	0	0%
10	Pithoragarh	Dharchula	Go	Khimling	NA	0	0	0%
11	Pithoragarh	Dharchula		Go	124	343	219	177%
12	Pithoragarh	Dharchula	Umachiya	Umachiya	344	422	78	23%
13	Pithoragarh	Dharchula		Tejam	136	190	54	40%
14	Pithoragarh	Dharchula		Watan	75	54	-21	-28%
15	Pithoragarh	Dharchula	New	New	231	264	33	14%
16	Pithoragarh	Dharchula		Sobala	155	189	34	22%
17	Pithoragarh	Dharchula	Jamku	Jamku	730	708	-22	-3%
18	Pithoragarh	Dharchula		Lum	6	0	-6	-100%
19	Pithoragarh	Dharchula	Duti Bagad	Duti Bagad	1614	1599	-15	-1%
20	Pithoragarh	Dharchula		Tham	58	58	0	0%
21	Pithoragarh	Dharchula	Navi	Navi	95	78	-17	-18%
22	Pithoragarh	Dharchula	Metali	Metali	1685	1761	76	5%
23	Pithoragarh	Dharchula	Kuti	Kuti	111	363	252	227%
24	Pithoragarh	Dharchula	Napalachchu	Napalachchu	58	74	16	28%
25	Pithoragarh	Dharchula	Raung Kong	Raung Kong	163	118	-45	-28%
26	Pithoragarh	Dharchula	Gunji	Gunji	96	335	239	249%
27	Pithoragarh	Dharchula	Bundi	Bundi	285	665	380	133%
28	Pithoragarh	Dharchula	Tankul	Tankul	289	332	43	15%
29	Pithoragarh	Dharchula	Pangla	Pangla	1010	941	-69	-7%
30	Pithoragarh	Dharchula	Rung	Rung	473	389	-84	-18%
31	Pithoragarh	Dharchula	Jaykot	Jaykot	723	789	66	9%
32	Pithoragarh	Dharchula	Sirdang	Sirdang	667	812	145	22%
33	Pithoragarh	Dharchula	Sosa	Sosa	301	309	8	3%
34	Pithoragarh	Dharchula	Marchha	Marchha	90	185	95	106%
35	Pithoragarh	Dharchula	Kimkhola	Kimkhola	383	252	-131	-34%
36	Pithoragarh	Dharchula	Tidang	Tidang	115	296	181	157%
37	Pithoragarh	Dharchula	Baun	Baun	152	477	325	214%
38	Pithoragarh	Dharchula	Philam	Philam	37	151	114	308%
39	Pithoragarh	Dharchula	dhantu	dhantu	NA	NA	NA	NA
40	Pithoragarh	Dharchula	Bauling	Bauling	117	129	12	10%
41	Pithoragarh	Dharchula	Dugtu	Dugtu	170	234	64	38%
42	Pithoragarh	Dharchula	Himkhola	Himkhola	240	273	33	14%
43	Pithoragarh	Dharchula	Dar	Dar	544	560	16	3%
44	Pithoragarh	Dharchula	Khet	Khet	644	504	-140	-22%

45	Pithoragarh	Dharchula	Garguwa	Garguwa	1163	986	-177	-15%
46	Pithoragarh	Dharchula	Khela	Khela	1957	1764	-193	-10%
47	Pithoragarh	Dharchula	Syankuri	Syankuri	1384	1232	-152	-11%
48	Pithoragarh	Dharchula	Jumma	Jumma	3405	3383	-22	-1%
49	Pithoragarh	Dharchula	Ranthi	Ranthi	4873	4932	59	1%
50	Pithoragarh	Dharchula	Dharchula Dehat	Dharchula Dehat	NA	NA	NA	NA
51	Pithoragarh	Dharchula	Ramtoli	Ramtoli	783	454	-329	-42%
52	Pithoragarh	Dharchula	Galati	Galati	1763	2236	473	27%
53	Pithoragarh	Dharchula	Khumati	Khumati	1209	1267	58	5%
54	Pithoragarh	Dharchula	Kalika	Kalika	3538	2881	-657	-19%
55	Pithoragarh	Dharchula	Chharchhum	Chharchhum	481	302	-179	-37%
56	Pithoragarh	Dharchula	Baluwakot	Baluwakot	5707	5455	-252	-4%
57	Pithoragarh	Dharchula	Payya Pauri	Payya Pauri	1743	1806	63	4%
58	Pithoragarh	Dharchula	Dhunga Toli	Dhunga Toli	1086	1025	-61	-6%
59	Pithoragarh	Dharchula	Baram	Baram	904	1043	139	15%
60	Pithoragarh	Dharchula	Toli	Toli	1895	1701	-194	-10%
61	Pithoragarh	Dharchula	Bangapani	Bangapani	783	815	32	4%
62	Pithoragarh	Dharchula	Jarajibli	Jarajibli	1263	1335	72	6%
63	Pithoragarh	Dharchula	Kanar	Kanar	1222	1304	82	7%
64	Pithoragarh	Dharchula	Garvyang	Garvyang	210	426	216	103%
65	Pithoragarh	Dharchula	Bung Bung	Bung Bung	390	516	126	32%
66	Pithoragarh	Dharchula	Sirkha	Sirkha	310	552	242	78%
67	Pithoragarh	Dharchula	Sipu	Sipu	70	136	66	94%
68	Pithoragarh	Dharchula	Lumati	Lumati	372	386	14	4%
69	Pithoragarh	Dharchula	Suwa	Suwa	648	637	-11	-2%
विकासखण्ड धारचूला के सीमावर्ती प्राथमिक गांवों का जनसांख्यिकी योग					50574	52011	1437	3%

जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य पुरूष जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार पुरूष जनसांख्यिकी हेतु उपलब्ध आंकड़ों से मुख्य बिन्दुओं की स्पष्टता होती है आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

1. विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित 69 राजस्व ग्रामों में से कुल 24 राजस्व ग्रामों में पिछले दो दशकीय जनगणना में पुरूष जनसंख्या वृद्धिदर में गिरावट के आंकड़ें प्राप्त हुए।
2. निम्न तालिका में उल्लिखित 69 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से पुनलाभटका, तन्ता गॉव रौतो, न्यू और लुमती ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों में पुरूष जनसंख्या वृद्धिदर भी अपेक्षाकृत कम ही रही।
3. विकासखण्ड धारचूला में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक सभी राजस्व ग्रामों में पुरूष जनसंख्या वृद्धि 1% की दर के आंकड़ें प्राप्त होते है, जो कि भारतीय सेना के सहयोग के बिना बहुत ही खराब है।

जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड धारचूला के भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य पुरूष जनसांख्यिकी बदलाव

क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल पुरूष जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल पुरूष जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 की कुल पुरूष जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	Pithoragarh	Dharchula	Jipti	Galagar	115	143	28	24%
2	Pithoragarh	Dharchula	Jipti	Jipti	192	167	-25	-13%

3	Pithoragarh	Dharchula	Chhalma chhilason	Chhalma chhilason	179	190	11	6%
4	Pithoragarh	Dharchula	Chhalma chhilason	Punla Bhataka	9	12	3	33%
5	Pithoragarh	Dharchula	Jyoti Pangu	Jyoti Pangu	112	122	10	9%
6	Pithoragarh	Dharchula	Jyoti Pangu	Sagri Dhakdhauna	2	0	-2	-100%
7	Pithoragarh	Dharchula	Dhar Pangu	Dhar Pangu	95	67	-28	-29%
8	Pithoragarh	Dharchula	Dhar Pangu	Tanta Gaon Roto	61	64	3	5%
9	Pithoragarh	Dharchula	Dhar Pangu	Gumkana	NA	0	0	0%
10	Pithoragarh	Dharchula	Go	Khimling	NA	0	0	0%
11	Pithoragarh	Dharchula	Go	Go	56	171	115	205%
12	Pithoragarh	Dharchula	Umachiya	Umachiya	184	222	38	21%
13	Pithoragarh	Dharchula	Umachiya	Tejam	76	95	19	25%
14	Pithoragarh	Dharchula	Umachiya	Watan	43	30	-13	-30%
15	Pithoragarh	Dharchula	New	New	125	133	8	6%
16	Pithoragarh	Dharchula	New	Sobala	73	96	23	32%
17	Pithoragarh	Dharchula	Jamku	Jamku	414	342	-72	-17%
18	Pithoragarh	Dharchula	Jamku	Lum	3	0	-3	-100%
19	Pithoragarh	Dharchula	Duti Bagad	Duti Bagad	848	889	41	5%
20	Pithoragarh	Dharchula	Duti Bagad	Tham	26	25	-1	-4%
21	Pithoragarh	Dharchula	Navi	Navi	46	45	-1	-2%
22	Pithoragarh	Dharchula	Metali	Metali	832	849	17	2%
23	Pithoragarh	Dharchula	Kuti	Kuti	57	198	141	247%
24	Pithoragarh	Dharchula	Napala chchu	Napala chchu	31	43	12	39%
25	Pithoragarh	Dharchula	Raung Kong	Raung Kong	99	60	-39	-39%
26	Pithoragarh	Dharchula	Gunji	Gunji	45	229	184	409%
27	Pithoragarh	Dharchula	Bundi	Bundi	154	370	216	140%
28	Pithoragarh	Dharchula	Tankul	Tankul	142	160	18	13%
29	Pithoragarh	Dharchula	Pangla	Pangla	494	458	-36	-7%
30	Pithoragarh	Dharchula	Rung	Rung	225	181	-44	-20%
31	Pithoragarh	Dharchula	Jaykot	Jaykot	336	387	51	15%
32	Pithoragarh	Dharchula	Sirdang	Sirdang	324	406	82	25%
33	Pithoragarh	Dharchula	Sosa	Sosa	137	147	10	7%
34	Pithoragarh	Dharchula	Marchha	Marchha	38	87	49	129%
35	Pithoragarh	Dharchula	Kimkhola	Kimkhola	196	116	-80	-41%
36	Pithoragarh	Dharchula	Tidang	Tidang	65	191	126	194%
37	Pithoragarh	Dharchula	Baun	Baun	79	237	158	200%
38	Pithoragarh	Dharchula	Philam	Philam	22	77	55	250%
39	Pithoragarh	Dharchula	dhantu	dhantu	NA	NA	NA	NA
40	Pithoragarh	Dharchula	Bauling	Bauling	60	59	-1	-2%
41	Pithoragarh	Dharchula	Dugtu	Dugtu	88	128	40	45%
42	Pithoragarh	Dharchula	Himkhola	Himkhola	115	134	19	17%
43	Pithoragarh	Dharchula	Dar	Dar	299	285	-14	-5%
44	Pithoragarh	Dharchula	Khet	Khet	329	258	-71	-22%
45	Pithoragarh	Dharchula	Garguwa	Garguwa	613	479	-134	-22%
46	Pithoragarh	Dharchula	Khela	Khela	942	780	-162	-17%
47	Pithoragarh	Dharchula	Syankuri	Syankuri	719	595	-124	-17%
48	Pithoragarh	Dharchula	Jumma	Jumma	1798	1653	-145	-8%
49	Pithoragarh	Dharchula	Ranthi	Ranthi	2766	2463	-303	-11%
50	Pithoragarh	Dharchula	Dharchula Dehat	Dharchula Dehat	NA	NA	NA	NA
51	Pithoragarh	Dharchula	Ramtoli	Ramtoli	397	228	-169	-43%
52	Pithoragarh	Dharchula	Galati	Galati	848	1067	219	26%
53	Pithoragarh	Dharchula	Khumati	Khumati	601	616	15	2%
54	Pithoragarh	Dharchula	Kalika	Kalika	1606	1390	-216	-13%
55	Pithoragarh	Dharchula	Chharchhum	Chharchhum	239	145	-94	-39%
56	Pithoragarh	Dharchula	Baluwakot	Baluwakot	2829	2664	-165	-6%

57	Pithoragarh	Dharchula	Payya Pauri	Payya Pauri	826	849	23	3%
58	Pithoragarh	Dharchula	Dhunga Toli	Dhunga Toli	509	480	-29	-6%
59	Pithoragarh	Dharchula	Baram	Baram	490	561	71	14%
60	Pithoragarh	Dharchula	Toli	Toli	927	847	-80	-9%
61	Pithoragarh	Dharchula	Bangapani	Bangapani	383	442	59	15%
62	Pithoragarh	Dharchula	Jarajibli	Jarajibli	585	628	43	7%
63	Pithoragarh	Dharchula	Kanar	Kanar	566	645	79	14%
64	Pithoragarh	Dharchula	Garvyang	Garvyang	119	277	158	133%
65	Pithoragarh	Dharchula	Bung Bung	Bung Bung	194	271	77	40%
66	Pithoragarh	Dharchula	Sirkha	Sirkha	159	269	110	69%
67	Pithoragarh	Dharchula	Sipu	Sipu	39	59	20	51%
68	Pithoragarh	Dharchula	Lumati	Lumati	186	189	3	2%
69	Pithoragarh	Dharchula	Suwa	Suwa	336	309	-27	-8%
विकासखण्ड धारचूला के सीमावर्ती प्राथमिक गांवों का जनसांख्यिकी विवरण					25503	25779	276	1%

जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य महिला जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार महिला जनसांख्यिकी हेतु उपलब्ध आंकड़ों से मुख्य बिन्दुओं की स्पष्टता होती है आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

1. धारचूला विकासखण्ड के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित 69 राजस्व ग्रामों में से कुल 23 राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत पिछले दो दशकीय जनगणना में महिलाओं की जनसंख्या वृद्धिदर में गिरावट के आंकड़ें प्राप्त होते हैं।
2. निम्न तालिका में उल्लिखित 69 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से पुनलाभटका, थाम, नपलच्यू और कनार ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में महिला जनसंख्या वृद्धिदर भी अपेक्षाकृत कम ही रही।
3. विकासखण्ड धारचूला में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक सभी राजस्व ग्रामों में महिला जनसंख्या वृद्धि 5% की दर से बढ़ने के आंकड़ें प्राप्त होते है। अर्थात धारचूला विकासखण्ड में महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों के द्वारा पलायन अधिक किया जा रहा है।

जनपद पिथौरागढ में विकासखण्ड धारचूला के भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य महिला जनसांख्यिकी बदलाव								
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल महिला जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल महिला जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 की कुल महिला जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	Pithoragarh	Dharchula	Jipti	Galagar	103	138	35	34%
2	Pithoragarh	Dharchula	Jipti	Jipti	200	190	-10	-5%
3	Pithoragarh	Dharchula	Chhalma chhilason	Chhalma chhilason	154	197	43	28%
4	Pithoragarh	Dharchula	Chhalma chhilason	Punla Bhataka	6	8	2	33%
5	Pithoragarh	Dharchula	Jyoti Pangu	Jyoti Pangu	112	110	-2	-2%
6	Pithoragarh	Dharchula	Jyoti Pangu	Sagri Dhakdhauna	1	0	-1	-100%
7	Pithoragarh	Dharchula	Dhar Pangu	Dhar Pangu	88	76	-12	-14%
8	Pithoragarh	Dharchula	Dhar Pangu	Tanta Gaon Roto	65	99	34	52%
9	Pithoragarh	Dharchula	Dhar Pangu	Gumkana	NA	0	0	0%
10	Pithoragarh	Dharchula	Go	Khimling	NA	0	0	0%
11	Pithoragarh	Dharchula	Go	Go	68	172	104	153%
12	Pithoragarh	Dharchula	Umachiya	Umachiya	160	200	40	25%
13	Pithoragarh	Dharchula	Umachiya	Tejam	60	95	35	58%

14	Pithoragarh	Dharchula	Umachiya	Watan	32	24	-8	-25%
15	Pithoragarh	Dharchula	New	New	106	131	25	24%
16	Pithoragarh	Dharchula	New	Sobala	82	93	11	13%
17	Pithoragarh	Dharchula	Jamku	Jamku	316	366	50	16%
18	Pithoragarh	Dharchula	Jamku	Lum	3	0	-3	-100%
19	Pithoragarh	Dharchula	Duti Bagad	Duti Bagad	766	710	-56	-7%
20	Pithoragarh	Dharchula	Duti Bagad	Tham	32	33	1	3%
21	Pithoragarh	Dharchula	Navi	Navi	49	33	-16	-33%
22	Pithoragarh	Dharchula	Metali	Metali	853	912	59	7%
23	Pithoragarh	Dharchula	Kuti	Kuti	54	165	111	206%
24	Pithoragarh	Dharchula	Napala chchu	Napala chchu	27	31	4	15%
25	Pithoragarh	Dharchula	Raung Kong	Raung Kong	64	58	-6	-9%
26	Pithoragarh	Dharchula	Gunji	Gunji	51	106	55	108%
27	Pithoragarh	Dharchula	Bundi	Bundi	131	295	164	125%
28	Pithoragarh	Dharchula	Tankul	Tankul	147	172	25	17%
29	Pithoragarh	Dharchula	Pangla	Pangla	516	483	-33	-6%
30	Pithoragarh	Dharchula	Rung	Rung	248	208	-40	-16%
31	Pithoragarh	Dharchula	Jaykot	Jaykot	387	402	15	4%
32	Pithoragarh	Dharchula	Sirdang	Sirdang	343	406	63	18%
33	Pithoragarh	Dharchula	Sosa	Sosa	164	162	-2	-1%
34	Pithoragarh	Dharchula	Marchha	Marchha	52	98	46	88%
35	Pithoragarh	Dharchula	Kimkhola	Kimkhola	187	136	-51	-27%
36	Pithoragarh	Dharchula	Tidang	Tidang	50	105	55	110%
37	Pithoragarh	Dharchula	Baun	Baun	73	240	167	229%
38	Pithoragarh	Dharchula	Philam	Philam	15	74	59	393%
39	Pithoragarh	Dharchula	dhantu	dhantu	NA	NA	NA	NA
40	Pithoragarh	Dharchula	Bauling	Bauling	57	70	13	23%
41	Pithoragarh	Dharchula	Dugtu	Dugtu	82	106	24	29%
42	Pithoragarh	Dharchula	Himkhola	Himkhola	125	139	14	11%
43	Pithoragarh	Dharchula	Dar	Dar	245	275	30	12%
44	Pithoragarh	Dharchula	Khet	Khet	315	246	-69	-22%
45	Pithoragarh	Dharchula	Garguwa	Garguwa	550	507	-43	-8%
46	Pithoragarh	Dharchula	Khela	Khela	1015	984	-31	-3%
47	Pithoragarh	Dharchula	Syankuri	Syankuri	665	637	-28	-4%
48	Pithoragarh	Dharchula	Jumma	Jumma	1607	1730	123	8%
49	Pithoragarh	Dharchula	Ranthi	Ranthi	2107	2469	362	17%
50	Pithoragarh	Dharchula	Dharchula Dehat	Dharchula Dehat	NA	NA	NA	NA
51	Pithoragarh	Dharchula	Ramtoli	Ramtoli	386	226	-160	-41%
52	Pithoragarh	Dharchula	Galati	Galati	915	1169	254	28%
53	Pithoragarh	Dharchula	Khumati	Khumati	608	651	43	7%
54	Pithoragarh	Dharchula	Kalika	Kalika	1932	1491	-441	-23%
55	Pithoragarh	Dharchula	Chharchhum	Chharchhum	242	157	-85	-35%
56	Pithoragarh	Dharchula	Baluwakot	Baluwakot	2878	2791	-87	-3%
57	Pithoragarh	Dharchula	Payya Pauri	Payya Pauri	917	957	40	4%
58	Pithoragarh	Dharchula	Dhunga Toli	Dhunga Toli	577	545	-32	-6%
59	Pithoragarh	Dharchula	Baram	Baram	414	482	68	16%
60	Pithoragarh	Dharchula	Toli	Toli	968	854	-114	-12%
61	Pithoragarh	Dharchula	Bangapani	Bangapani	400	373	-27	-7%
62	Pithoragarh	Dharchula	Jarajibli	Jarajibli	678	707	29	4%
63	Pithoragarh	Dharchula	Kanar	Kanar	656	659	3	0%
64	Pithoragarh	Dharchula	Garvyang	Garvyang	91	149	58	64%
65	Pithoragarh	Dharchula	Bung Bung	Bung Bung	196	245	49	25%
66	Pithoragarh	Dharchula	Sirkha	Sirkha	151	283	132	87%
67	Pithoragarh	Dharchula	Sipu	Sipu	31	77	46	148%
68	Pithoragarh	Dharchula	Lumati	Lumati	186	197	11	6%
69	Pithoragarh	Dharchula	Suwa	Suwa	312	328	16	5%
विकासखण्ड धारचूला के सीमावर्ती प्राथमिक गांवों का जनसांख्यिकी योग					25071	26232	1161	5%

सीमावर्ती गांवों का जनसांख्यिकीय वर्गीकरण :— जनगणना वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के अनुसार विकासखण्ड धारचूला में भारत—चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित 69 गांवों को जनसंख्या के अनुसार 0, 1—9, 10—99 और 100 से अधिक में श्रेणीवार वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत आंकड़ों से निम्नवत बिन्दुओं की स्पष्टता होती है :—

विकासखण्ड धारचूला में जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत सीमावर्ती गांव												
विकासखण्ड	जनगणना वर्ष 2001						जनगणना वर्ष 2011					
	0	1-9	10-99	100>	NA	योग	0	1-9	10-99	100>	NA	योग
धारचूला	2	2	9	54	2	69	4	0	5	58	2	69
नामावली	गुमकाना, खिमलिंग	सांगरी ढकढुना, लुम	पुनला भटका, वतन, थम, नावी, नप्लच्यूं, गुंजी, मार्छा, फिलम, सिपू	गलगर, जिप्ती, छलमाछिलासु, ज्योति पांगू, धार पांगु, गो, उमचिया, तेजम, न्यू, सोबला, जम्कू, दूतीबगड, मेटली, रॉग कॉग, बुन्दी, टंकुल, पांगला, रंग, जयकोट, सिरडांग, सोसा, खिमयोला, टिडांग, बोन, बॉगलिंग, दुग्तू, हिमखोला, डर, खेत, गरगुवा, खेला, स्याकुरी, जुम्मा, रांथी, समतोली, गलाती, खुमती, कालिका, छारछुम, बलवाकोट, पयय पौड़ी, ढुगा तौली, बरम, तोली, बंगापानी,जाराजीबिली, कनार, गर्ब्यांग, बुंग बुंग, सिरखा, लुमती, सुवा	दांतू, धारचूला देहात	137	सांगरी ढकढुना, लुम, खिंमलिंग, गुमकाना	0	पुनला भटका, वतन, थम, नावी, नप्लच्यूं	गुंजी, मार्छा, फिलम, सिपू, गलगर, जिप्ती, छलमाछिलासु, ज्योति पांगू, धार पांगु, गो, उमचिया, तेजम, न्यू, सोबला, जम्कू, दूतीबगड, मेटली, रॉग कॉग, बुन्दी, टंकुल, पांगला, रंग, जयकोट, सिरडांग, सोसा, खिमयोला, टिडांग, बोन, बॉगलिंग, दुग्तू, हिमखोला, डर, खेत, गरगुवा, खेला, स्याकुरी, जुम्मा, रांथी, समतोली, गलाती, खुमती, कालिका, छारछुम, बलवाकोट, पयय पौड़ी, ढुगा तौली, बरम, तोली, बंगापानी,जाराजीबिली, कनार, गर्ब्यांग, बुंग बुंग, सिरखा, लुमती, सुवा	दांतू, धारचूला देहात	137
टिप्पणी							सांगरी ढकढुना, लुम 2011 में गैर—आबाद हुए					

1. विकासखण्ड धारचूला में जनगणना वर्ष 2001 की अपेक्षा जनगणना वर्ष 2011 हेतु जनशून्य वाले राजस्व ग्रामों का आंकड़ा 02 से बढ़कर 04 होना पलायन को दर्शाता है। राजस्व ग्राम गुमकाना और खिमलिंग वर्ष 2001 की अपेक्षा वर्ष 2011 में जनशून्य हुए।

2. जनगणना वर्ष 2001 की अपेक्षा जनगणना वर्ष 2011 हेतु राजस्व ग्राम गुंजी, मार्छा, फिलम और सिपू श्रेणी 10–99 से श्रेणी में उन्नत हुए। जो कि कुछ हद तक पलायन पर अंकुश को दर्शाता है।

जनगणना वर्ष 2011 और आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसांख्किीय बदलाव :– विकासखण्ड धारचूला के सीमावर्ती ग्राम पंचायतों हेतु जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या में हुए बदलाव को इस खण्ड में दर्शाया गया हैं। बदलाव के मुख्य अंश निम्नवत हैं :–

1. भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्ड धारचूला की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में वर्ष 2011 की जनगणना के सापेक्ष आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में जनसंख्या वृद्धिदर 23% रही, जबकि वर्ष 2001 के सापेक्ष वर्ष 2011 में यह आंकड़ा 3% है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि विकासखण्ड के सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में वर्ष 2011 से वर्ष 2022 के मध्य पलायन पर कुछ हद तक अंकुश लगा है।
2. 23% वृद्धिदर के उल्लिखित आंकड़ें में महिलाओं का योगदान लगभग 24% रहा, जो कि पुरूषों के अपेक्षा 2% अधिक है। जबकि वर्ष 2001 के सापेक्ष वर्ष 2011 में यह आंकड़ा 5% का था। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2022 के मध्य विकासखण्ड की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से महिलाओं द्वारा किये जा रहे पलायन पर अंकुश लगा है।
3. सीमावर्ती विकासखण्डों की ग्राम पंचायत जिप्ती और न्यू के अन्तर्गत उल्लिखित अवधि में जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रही जबकि दूतीबगड़, सिर्दाग, गर्ग्वा, खेला, जुम्मा, फ्यापौ़डी, तोली और स्यांकुरी में भी जनसंख्या वृद्धिदर अपेक्षाकृत कम है, किन्तु अवशेष 45 ग्राम पंचायतों में जनसंख्या वृद्धिदर थोड़ा बहुत अच्छी रही। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हो रहे पलायन पर अंकुश लगा है, ओर अधिक अंकुश लगाने के लिए सभी विभागीय योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने की आवश्यकता है।

धारचूला विकासखण्ड की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या में बदलाव का विवरण

क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या			जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या			बदलाव प्रतिशत		
				पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	पिथौरागढ	धारचूला	जिप्ती	246	239	485	310	328	638	-21%	-27%	-24%
2	पिथौरागढ	धारचूला	न्यू	180	195	375	229	224	453	-21%	-13%	-17%
3	पिथौरागढ	धारचूला	खेला	802	1006	1808	780	984	1764	3%	2%	2%
4	पिथौरागढ	धारचूला	दूतीबगड़	950	750	1700	914	743	1657	4%	1%	3%
5	पिथौरागढ	धारचूला	स्यांकुरी	620	655	1275	595	637	1232	4%	3%	3%
6	पिथौरागढ	धारचूला	गर्ग्वा	502	525	1027	479	507	986	5%	4%	4%
7	पिथौरागढ	धारचूला	जुम्मा	1740	1790	3530	1653	1730	3383	5%	3%	4%
8	पिथौरागढ	धारचूला	तोली	900	905	1805	847	854	1701	6%	6%	6%
9	पिथौरागढ	धारचूला	सिर्दाग	432	432	864	406	406	812	6%	6%	6%
10	पिथौरागढ	धारचूला	पय्यापौडी	939	1024	1963	849	957	1806	11%	7%	9%
11	पिथौरागढ	धारचूला	छारछुम	162	169	331	145	157	302	12%	8%	10%
12	पिथौरागढ	धारचूला	बलुवाकोट	2930	3071	6001	2664	2791	5455	10%	10%	10%
13	पिथौरागढ	धारचूला	रमतोली	251	250	501	228	226	454	10%	11%	10%
14	पिथौरागढ	धारचूला	कालिका	1535	1651	3186	1390	1491	2881	10%	11%	11%
15	पिथौरागढ	धारचूला	खेत	282	279	561	258	246	504	9%	13%	11%
16	पिथौरागढ	धारचूला	छलमाछिलासो	225	233	458	202	205	407	11%	14%	13%
17	पिथौरागढ	धारचूला	जम्कू	395	402	797	342	366	708	15%	10%	13%
18	पिथौरागढ	धारचूला	रांथी	2832	2839	5671	2463	2469	4932	15%	15%	15%
19	पिथौरागढ	धारचूला	बरम	670	530	1200	561	482	1043	19%	10%	15%
20	पिथौरागढ	धारचूला	धारपॉगूं	142	214	356	131	175	306	8%	22%	16%
21	पिथौरागढ	धारचूला	हिमखोला	142	181	323	134	139	273	6%	30%	18%
22	पिथौरागढ	धारचूला	दर	340	329	669	285	275	560	19%	20%	19%

23	पिथौरागढ	धारचूला	तॉकुल	194	215	409	160	172	332	21%	25%	23%
24	पिथौरागढ	धारचूला	सुवा	385	405	790	309	328	637	25%	23%	24%
25	पिथौरागढ	धारचूला	ज्योतिपॉगूं	127	165	292	122	110	232	4%	50%	26%
26	पिथौरागढ	धारचूला	उमचिया	428	415	843	347	319	666	23%	30%	27%
27	पिथौरागढ	धारचूला	मार्छा	110	125	235	87	98	185	26%	28%	27%
28	पिथौरागढ	धारचूला	बौगलिंग	75	89	164	59	70	129	27%	27%	27%
29	पिथौरागढ	धारचूला	दुगांतोली	620	685	1305	480	545	1025	29%	26%	27%
30	पिथौरागढ	धारचूला	जयकोट	515	495	1010	387	402	789	33%	23%	28%
31	पिथौरागढ	धारचूला	लुमती	240	270	510	189	197	386	27%	37%	32%
32	पिथौरागढ	धारचूला	बुंग बुंग	351	345	696	271	245	516	30%	41%	35%
33	पिथौरागढ	धारचूला	बंगापानी	680	420	1100	442	373	815	54%	13%	35%
34	पिथौरागढ	धारचूला	मेतली	1150	1230	2380	849	912	1761	35%	35%	35%
35	पिथौरागढ	धारचूला	कनार	855	910	1765	645	659	1304	33%	38%	35%
36	पिथौरागढ	धारचूला	जाराजीवली	830	1020	1850	628	707	1335	32%	44%	39%
37	पिथौरागढ	धारचूला	किमखोला	200	150	350	116	136	252	72%	10%	39%
38	पिथौरागढ	धारचूला	खुमती	780	993	1773	616	651	1267	27%	53%	40%
39	पिथौरागढ	धारचूला	गलाती	1376	1754	3130	1067	1169	2236	29%	50%	40%
40	पिथौरागढ	धारचूला	तिदॉग	225	193	418	191	105	296	18%	84%	41%
41	पिथौरागढ	धारचूला	बूंदी	535	410	945	370	295	665	45%	39%	42%
42	पिथौरागढ	धारचूला	पागला	666	696	1362	458	483	941	45%	44%	45%
43	पिथौरागढ	धारचूला	दुग्तू	194	170	364	128	106	234	52%	60%	56%
44	पिथौरागढ	धारचूला	बौन	378	372	750	237	240	477	59%	55%	57%
45	पिथौरागढ	धारचूला	गो	290	270	560	171	172	343	70%	57%	63%
46	पिथौरागढ	धारचूला	सीपू	110	130	240	59	77	136	86%	69%	76%
47	पिथौरागढ	धारचूला	रूंग	318	393	711	181	208	389	76%	89%	83%
48	पिथौरागढ	धारचूला	सोसा	294	302	596	147	162	309	100%	86%	93%
49	पिथौरागढ	धारचूला	गर्ब्यांग	435	421	856	277	149	426	57%	183%	101%
50	पिथौरागढ	धारचूला	कुटी	390	363	753	198	165	363	97%	120%	107%
51	पिथौरागढ	धारचूला	गुंजी	450	444	894	229	106	335	97%	319%	167%
52	पिथौरागढ	धारचूला	रौंग कौग	171	189	360	60	58	118	185%	226%	205%
53	पिथौरागढ	धारचूला	फिलम	245	220	465	77	74	151	218%	197%	208%
54	पिथौरागढ	धारचूला	नपलच्यू	204	206	410	43	31	74	374%	565%	454%
55	पिथौरागढ	धारचूला	नावी	320	295	615	45	33	78	611%	794%	688%
56	पिथौरागढ	धारचूला	दातू	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
57	पिथौरागढ	धारचूला	धारचूला देहात	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
58	पिथौरागढ	धारचूला	सिर्खा	NA	NA	NA	269	283	552	NA	NA	NA
योग				**31358**	**32429**	**63787**	**25779**	**26232**	**52011**	**22%**	**24%**	**23%**

ग्राम पचांयत स्तर पर पलायन :– राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की स्थिति पर आयोग द्वारा वर्ष 2018 एवं वर्ष 2022 में करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित विकासखण्ड धारचूला की ग्राम पंचायतों में पलायन सम्बन्धी मुख्य अंश निम्नवत तालिका के आंकड़ों से निम्नवत बिन्दुओं की स्पष्टता होती है।

1. भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटी धारचूला विकासखण्ड की कुल 58 ग्राम पंचायतों में से 55 ग्राम पंचायतें प्रथम तथा द्वितीय सर्वेक्षण के अनुसार पलायन से प्रभावित रही।
2. विकासखण्ड की कुल 58 ग्राम पंचायतों में से 33 ग्राम पंचायतों में प्रथम सर्वेक्षण की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन के आंकड़ों में कमी आई जबकि 21 ग्राम पंचायतों में पलायन के आंकड़ों में वृद्धि हुई।
3. ग्राम पंचायत खेत, गर्गुवा, खेला, जुम्मा और फ्यापौड़ी में वर्ष 2018 के सर्वेक्षण की अपेक्षा वर्ष 2022 में स्थायी पलायन का होना, पलायन का द्योतक है।
4. रमतोली, खुमती, तोली और लुमती ग्राम पंचायतें सर्वेक्षण वर्ष 2018 की अपेक्षा सर्वेक्षण वर्ष 2022 में स्थायी पलायन से अप्रभावित रही।

5. गो, गलाती, खुमती, छारछुम तथा तोली ग्राम पंचायतें प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में पलायन से अप्रभावित रही। अर्थात पलायन पर अंकुश लगा है।
6. ग्राम पंचायत सीपू के अन्तर्गत दोनों सर्वेक्षणों में 40–40 व्यक्तियों द्वारा पलायन किया गया।
7. धारचूला की 02 ग्राम पंचायत बरम और कनार के अन्तर्गत दोनों सर्वेक्षणों में पलायन का प्रभाव शून्य रहा।
8. धारचूला की कुल 58 सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में से 62% ग्राम पंचायतों में पलायन पर अंकुश लगा।

विकासखण्ड धारचूला के भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण 2018 और 2022 के अनुसार पलायन के प्रभाव में हुए बदलाव का विवरण

				द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (2022)			प्रथम सर्वेक्षण में पलायनवर्षवर्ष(2018)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	पिथौरागढ	धारचूला	बलुवाकोट	185	5	190	615	135	750	-430	-130	-560
2	पिथौरागढ	धारचूला	दूतीबगड़	14	0	14	365	0	365	-351	0	-351
3	पिथौरागढ	धारचूला	पय्यापौडी	112	12	124	361	0	361	-249	12	-237
4	पिथौरागढ	धारचूला	जाराजीवली	60	0	60	279	0	279	-219	0	-219
5	पिथौरागढ	धारचूला	खुमती	0	0	0	150	35	185	-150	-35	-185
6	पिथौरागढ	धारचूला	सिर्दाग	25	0	25	200	0	200	-175	0	-175
7	पिथौरागढ	धारचूला	गलाती	0	0	0	174	0	174	-174	0	-174
8	पिथौरागढ	धारचूला	स्यांकुरी	19	1	20	48	142	190	-29	-141	-170
9	पिथौरागढ	धारचूला	बंगापानी	50	0	50	190	0	190	-140	0	-140
10	पिथौरागढ	धारचूला	दुगांतोली	2	0	2	128	0	128	-126	0	-126
11	पिथौरागढ	धारचूला	तोली	0	0	0	79	47	126	-79	-47	-126
12	पिथौरागढ	धारचूला	गुंजी	42	0	42	160	0	160	-118	0	-118
13	पिथौरागढ	धारचूला	कालिका	180	11	191	230	55	285	-50	-44	-94
14	पिथौरागढ	धारचूला	जयकोट	35	0	35	115	0	115	-80	0	-80
15	पिथौरागढ	धारचूला	जिप्ती	14	0	14	85	0	85	-71	0	-71
16	पिथौरागढ	धारचूला	रूंग	45	0	45	105	0	105	-60	0	-60
17	पिथौरागढ	धारचूला	किमखोला	15	0	15	73	0	73	-58	0	-58
18	पिथौरागढ	धारचूला	लुमती	5	0	5	39	22	61	-34	-22	-56
19	पिथौरागढ	धारचूला	ज्योतिपॉगूं	60	0	60	108	0	108	-48	0	-48
20	पिथौरागढ	धारचूला	न्यू	120	0	120	165	0	165	-45	0	-45
21	पिथौरागढ	धारचूला	पागला	80	0	80	125	0	125	-45	0	-45
22	पिथौरागढ	धारचूला	जुम्मा	62	5	67	110	0	110	-48	5	-43
23	पिथौरागढ	धारचूला	नावी	95	0	95	135	0	135	-40	0	-40
24	पिथौरागढ	धारचूला	मेतली	250	0	250	287	0	287	-37	0	-37
25	पिथौरागढ	धारचूला	तॉकुल	6	0	6	35	0	35	-29	0	-29
26	पिथौरागढ	धारचूला	गर्गुवा	22	3	25	52	0	52	-30	3	-27
27	पिथौरागढ	धारचूला	हिमखोला	20	0	20	46	0	46	-26	0	-26
28	पिथौरागढ	धारचूला	छलमाछिलासो	20	0	20	45	0	45	-25	0	-25
29	पिथौरागढ	धारचूला	गो	0	0	0	20	0	20	-20	0	-20
30	पिथौरागढ	धारचूला	सोसा	80	0	80	100	0	100	-20	0	-20
31	पिथौरागढ	धारचूला	छारछुम	0	0	0	20	0	20	-20	0	-20
32	पिथौरागढ	धारचूला	धारपॉगूं	40	0	40	53	0	53	-13	0	-13

33	पिथौरागढ	धारचूला	रमतोली	15	0	15	0	27	27	15	-27	-12
34	पिथौरागढ	धारचूला	सीपू	40	0	40	40	0	40	0	0	0
35	पिथौरागढ	धारचूला	बरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पिथौरागढ	धारचूला	कनार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	पिथौरागढ	धारचूला	खेला	29	4	33	29	0	29	0	4	4
38	पिथौरागढ	धारचूला	मार्छा	35	0	35	30	0	30	5	0	5
39	पिथौरागढ	धारचूला	बुंग बुंग	5	0	5	NA	NA	NA	5	0	5
40	पिथौरागढ	धारचूला	रौंग कौग	160	0	160	150	0	150	10	0	10
41	पिथौरागढ	धारचूला	खेत	18	2	20	10	0	10	8	2	10
42	पिथौरागढ	धारचूला	दातू	35	0	35	20	0	20	15	0	15
43	पिथौरागढ	धारचूला	दुग्तू	39	0	39	20	0	20	19	0	19
44	पिथौरागढ	धारचूला	तिदॉग	45	0	45	25	0	25	20	0	20
45	पिथौरागढ	धारचूला	बौन	43	0	43	18	0	18	25	0	25
46	पिथौरागढ	धारचूला	सुवा	175	0	175	150	0	150	25	0	25
47	पिथौरागढ	धारचूला	दर	125	0	125	66	0	66	59	0	59
48	पिथौरागढ	धारचूला	बौगलिंग	90	0	90	16	0	16	74	0	74
49	पिथौरागढ	धारचूला	फिलम	105	0	105	20	0	20	85	0	85
50	पिथौरागढ	धारचूला	जम्कू	180	0	180	35	0	35	145	0	145
51	पिथौरागढ	धारचूला	नपलच्यू	195	0	195	40	0	40	155	0	155
52	पिथौरागढ	धारचूला	रांथी	160	0	160	NA	NA	NA	160	0	160
53	पिथौरागढ	धारचूला	उमचिया	220	0	220	56	0	56	164	0	164
54	पिथौरागढ	धारचूला	बूंदी	315	0	315	150	0	150	165	0	165
55	पिथौरागढ	धारचूला	गर्ब्यांग	318	0	318	150	0	150	168	0	168
56	पिथौरागढ	धारचूला	धारचूला देहात	170	0	170	NA	NA	NA	170	0	170
57	पिथौरागढ	धारचूला	कुटी	300	0	300	100	0	100	200	0	200
58	पिथौरागढ	धारचूला	सिर्खा	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
योग			**58**	**4475**	**43**	**4518**	**5822**	**463**	**6285**	**-1347**	**-420**	**-1767**

सीमावर्ती गांवों का पलायन के अनुसार वर्गीकरण :– आयोग द्वारा करवाये गये पलायन की स्थिति पर प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 और द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 के अनुसार विकासखण्ड धारचूला की भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित कुल 58 ग्राम पंचायतों में हुए पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुसार 0, 1–9, 10–99 और 100 से अधिक में श्रेणीवार वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत आंकड़ों से निम्नवत बिन्दुओं की स्पष्टता होती है :–

सीमावर्ती विकासखण्ड धारचूला की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों का पलायन से प्रभावित जनसंख्या के अनुसार वर्गीकरण												
विकासखण्ड	प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 में पलायनवर्ष						द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में पलायन					
	0	1-9	10-99	100>	NA	योग	0	1-9	10-99	100>	NA	योग
धारचूला	2	0	25	27	4	58	7	4	29	17	1	58

58
सिर्खा
उमचिया, न्यू, जम्कू, मेतली, कुटी, नपलच्यूं, रौग कौग, बूंदी, फिलम, दर, रांथी, धारचूला देहात, कालिका, बलुवाकोट, पययापौड़ी, सुवा, गर्व्यांग
जिप्ती, छलमाछिलासू, ज्योतिपॉगू,धारपांगू,वर्षदूतीबगड, नावी, गुंजी, पागला, रूंग, जयकोट सिर्दाग, सोसा, सीपू, मार्छा, किमखोला, तिदॉग, बौन, दातू, बौंगलिंग, दुग्तू, हिमखोला,खेत, गर्गुवा, खेला, जुम्मा, रमतोली, बंगापानी, जाराजीबिली, स्यांकुरी
तॉकुल, दुंगातोली, बुंग बुंग, लुमती
गो, गलाती, खुमती, छारछुम, तोली, बरम, कनार
58
रांथी, धारचूला देहात, बुंग बुंग, सिर्खा
ज्योतिपॉगू, न्यू, दूतीबगड, नावी, मेतली, कुटी, रौंग कौग, गुंजी, बूंदी, पागला, रूंग,वर्ष जयकोट, सिर्दाग, सोसा, जुम्मा, गलाती, कालिका, खुमती, बलुवाकोट, फ्यापौड़ी, दुंगातोली, तोली, बंगापानी, जाराजीबली, सुवा, स्यांकुरी, गर्व्यांग
जिप्ती, छलमाछिलासू, धारपांगू, गो, उमचिया, जम्कू, नपलच्यू, तॉकुल, सीपू, मार्छा, किमखोला, तिदॉग बोन, फिलम, दातू, बौंगलिंग, दुग्तू, हिमखोला, दर, खेत, गर्गुवा, खेला, समतोली, छारछुम, लुमती,
0
बरम, कनार
नामावली

1. सीमावर्ती ग्राम पंचायत गो और छारछुम का प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की श्रेणी 10–99 से हटकर द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की शून्य श्रेणी में अवनयन होना पलायन पर अंकुश को दर्शाता है।
2. सीमावर्ती ग्राम पंचायत गलाती, खुमती और तोली में हुए पलायन का प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की श्रेणी 100> से हटकर द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की श्रेणी शून्य में तथा सीमावर्ती ग्राम पंचायतें ज्योतिपॉगूं, दूतीबगड, नावी, गुंजी, पागला, रूंग, जयकोट, सिर्दाग, सोसा, जुम्मा, बंगापानी, जाराजीवली और स्यांकुरी में हुए पलायन का प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की श्रेणी 100> से सर्वेक्षण वर्ष 2022 की श्रेणी 10–99 में अवनयन होना भी पलायन की धारा पर लगे अंकुश का द्योतक है।
3. सर्वेक्षण वर्ष 2018 में पलायन की श्रेणी 10–99 एवं श्रेणी 100> में प्रभावित ग्राम पंचायत तॉकुल, लुमती और दुगांतोली का सर्वेक्षण वर्ष 2022 की श्रेणी 1–9 में अवनयन होना पलायन पर कुछ हद तक अंकुश को दर्शाता है।
4. पलायन से प्रभावित ग्राम पंचायत दर, फिलम, जम्कू, नपलच्यू और उमचिया का सर्वेक्षण वर्ष 2018 में पलायन की श्रेणी 10–99 से सर्वेक्षण वर्ष 2022 की श्रेणी 100> में उन्नत होना पलायन को दर्शाता है।
5. विकासखण्ड धारचूला की सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतों में पलायन का प्रभाव प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में 28% ऋणात्मक रहना, पलायन पर अंकुश का दर्शाता है।

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन के मुख्य कारण :– यह खण्ड भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत अवस्थित ग्राम पंचायतों में पलायन के मुख्य कारणों का विश्लेषण करता है। पलायन के मुख्य कारणों में लगभग 30%, 41% व 9% सर्वाधिक पलायन शिक्षा, आजीविका/रोजगार और चिकित्सा की सुविधाओं के अभाव में हुआ है। सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में हुए पलायन का कारणवार विस्तृत जानकारी निम्नवत तालिका में दी गई है।

प्रथम रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती जनपदों की ग्राम पचायतों से पलायन के मुख्य कारण (लगभग प्रतिशत में)											
क्र0 स0	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	आजीविका / रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाग (प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का आभाव (वर्तमान में)	इन्फ्रटक्चर (सड़क, बिजली, पानी, व अन्य का आभाव) (वर्तमान में)	कृषि भूमि में उत्पादकता / पैदावार की कमी (प्रमिशत)	परिवार / सगे सम्बन्धियों की देखा–देखी पलायन करना (प्रमिशत)	जंगली जापवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुचाने करने के कारण (प्रमिशत)	अन्य कोई विशेष कारण (प्रमिशत)	योग
उत्तराखण्ड			50.16%	8.83%	15.21%	3.74%	5.44%	2.52%	5.61%	8.48%	100%
पिथौरागढ़			42.81%	10.13%	19.52%	4.97%	4.66%	2.36%	4.08%	11.48%	100%
धारचूला			33.59%	5.88%	25.96%	3.21%	7.89%	2.64%	2.64%	18.18%	100%
1	धारचुला	जिप्ती	43%	2%	41%	0%	10%	0%	0%	3%	100%
2	धारचुला	छलमाछिलासो	10%	30%	26%	5%	16%	0%	13%	0%	100%
3	धारचुला	ज्योतिपॉगूं	13%	29%	33%	8%	0%	0%	17%	0%	100%
4	धारचुला	धारपॉगूं	17%	28%	31%	0%	10%	0%	14%	0%	100%
5	धारचुला	गो	25%	19%	19%	13%	19%	6%	0%	0%	100%
6	धारचुला	उमचिया	20%	7%	40%	3%	15%	0%	12%	3%	100%
7	धारचुला	न्यू	15%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	55%	100%
8	धारचुला	जम्कू	25%	10%	35%	5%	10%	0%	10%	5%	100%
9	धारचुला	दूतीबगड़	60%	10%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
10	धारचुला	नावी	70%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
11	धारचुला	मेतली	50%	17%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
12	धारचुला	कुटी	65%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
13	धारचुला	नपलच्यू	65%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
14	धारचुला	रौंग कौग	75%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
15	धारचुला	गुंजी	75%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
16	धारचुला	बूंदी	60%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
17	धारचुला	तॉकुल	40%	2%	43%	0%	13%	0%	0%	2%	100%
18	धारचुला	पागला	43%	2%	45%	0%	11%	0%	0%	0%	100%
19	धारचुला	रूंग	75%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
20	धारचुला	जयकोट	35%	2%	45%	0%	12%	0%	0%	6%	100%
21	धारचुला	सिर्दाग	60%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
22	धारचुला	सोसा	65%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
23	धारचुला	सीपू	25%	20%	30%	10%	15%	0%	0%	0%	100%
24	धारचुला	मार्छा	20%	20%	30%	10%	10%	10%	0%	0%	100%
25	धारचुला	किमखोला	10%	0%	10%	10%	20%	20%	20%	10%	100%
26	धारचुला	तिदॉग	21%	21%	21%	11%	11%	5%	11%	0%	100%
27	धारचुला	बौन	21%	21%	32%	11%	11%	5%	0%	0%	100%
28	धारचुला	फिलम	22%	11%	22%	11%	11%	6%	17%	0%	100%
29	धारचुला	दातू	20%	20%	25%	10%	5%	10%	10%	0%	100%
30	धारचुला	बौगलिंग	15%	20%	10%	10%	20%	10%	5%	10%	100%
31	धारचुला	दुग्तू	20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%	0%	100%
32	धारचुला	हिमखोला	17%	28%	34%	3%	7%	0%	10%	0%	100%
33	धारचुला	दर	20%	10%	40%	2%	20%	0%	5%	3%	100%
34	धारचुला	खेत	75%	12%	0%	0%	13%	0%	0%	0%	100%
35	धारचुला	गर्गुवा	18%	12%	35%	3%	25%	0%	7%	1%	100%
36	धारचुला	खेला	24%	2%	42%	6%	15%	1%	5%	5%	100%

37	धारचुला	जुम्मा	67%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
38	धारचुला	गलाती	57%	0%	43%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
39	धारचुला	रमतोली	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
40	धारचुला	कालिका	55%	2%	38%	2%	1%	0%	0%	2%	100%
41	धारचुला	खुमती	40%	2%	48%	2%	2%	0%	0%	6%	100%
42	धारचुला	छारछुम	40%	10%	15%	0%	5%	10%	0%	20%	100%
43	धारचुला	बलुवाकोट	30%	10%	15%	5%	30%	10%	0%	0%	100%
44	धारचुला	पय्यापौडी	25%	25%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
45	धारचुला	दुगांतोली	80%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
46	धारचुला	तोली	55%	0%	38%	1%	0%	1%	1%	5%	100%
47	धारचुला	बंगापानी	55%	9%	36%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
48	धारचुला	जाराजीवली	50%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
49	धारचुला	सुवा	38%	19%	34%	0%	9%	0%	0%	0%	100%
50	धारचुला	स्यांकुरी	15%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	50%	100%
51	धारचुला	गर्ब्यांग	60%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
52	धारचुला	लुमती	42%	1%	54%	1%	1%	0%	0%	1%	100%
	योग		41.21%	9.16%	29.85%	2.90%	8.09%	2.00%	3.18%	3.60%	100%

भारत–चीन सीमा की ग्राम पंचायतों में प्रवासियों की आयु का राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड में योगदान :– यह खण्ड विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित ग्राम पंचायतों में प्रवासियों की आयु का विश्लेषण करता है। प्रवासियों में लगभग 43 प्रतिशत से अधिक 26 से 35 आयुवर्ग के बीच है। सीमावर्ती ग्राम पंचायतों द्वारा राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड में दिये जा रहे योगदान की विस्तृत जानकारी निम्नवत तालिका एवं ग्राफ में दी गई है।

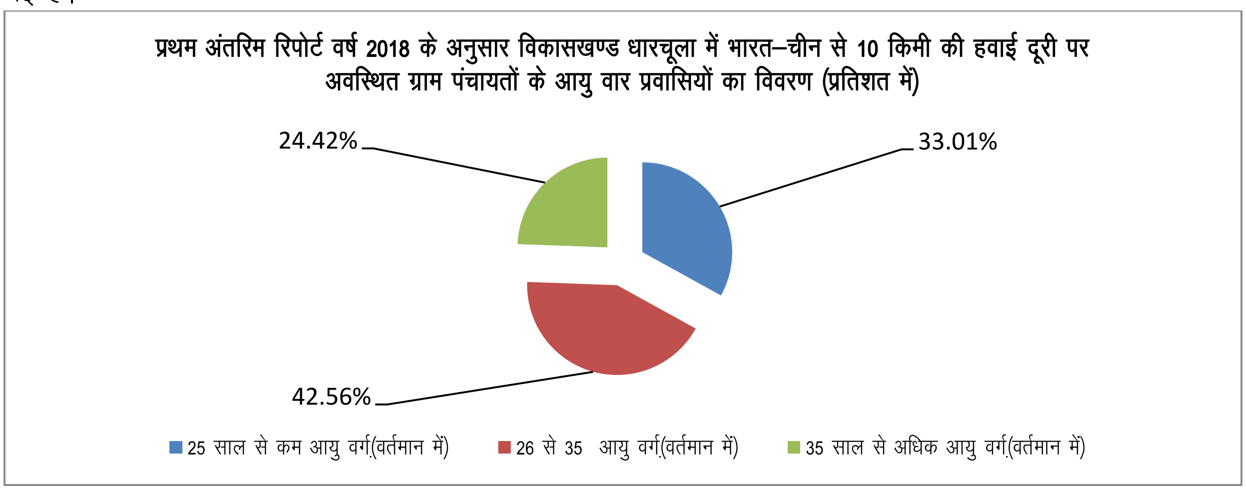

प्रथम अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों के प्रवासियों की आयुवार पलायन विवरण (प्रतिशत में)						
क्र0 स0	विकासखण्ड	ग्राम प्रचायत	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)			
			25 साल से कम आयु वर्ग(वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग(वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग(वर्तमान में)	योग
उत्तराखण्ड			28.66%	42.25%	29.00%	100%
पिथौरागढ़			28.32%	42.58%	29.10%	100%
धारचूला			30.25%	42.39%	27.36%	100%

1	धारचुला	जिप्ती	35.00%	40.00%	25.00%	100%
2	धारचुला	छलमाछिलासो	20.00%	65.00%	15.00%	100%
3	धारचुला	ज्योतिपॉगूं	33.64%	42.06%	24.30%	100%
4	धारचुला	धारपॉगूं	40.00%	50.00%	10.00%	100%
5	धारचुला	गो	66.67%	25.00%	8.33%	100%
6	धारचुला	उमचिया	40.00%	25.00%	35.00%	100%
7	धारचुला	न्यू	28.00%	62.00%	10.00%	100%
8	धारचुला	जम्कू	35.00%	40.00%	25.00%	100%
9	धारचुला	दूतीबगड़	25.00%	50.00%	25.00%	100%
10	धारचुला	नावी	30.00%	50.00%	20.00%	100%
11	धारचुला	मेतली	36.36%	45.45%	18.18%	100%
12	धारचुला	कुटी	30.00%	50.00%	20.00%	100%
13	धारचुला	नपलच्यू	30.00%	40.00%	30.00%	100%
14	धारचुला	रौंग कौग	25.00%	40.00%	35.00%	100%
15	धारचुला	गुंजी	25.00%	35.00%	40.00%	100%
16	धारचुला	बूंदी	30.00%	40.00%	30.00%	100%
17	धारचुला	तॉकुल	36.00%	45.00%	19.00%	100%
18	धारचुला	पागला	33.00%	45.00%	22.00%	100%
19	धारचुला	रूंग	35.00%	45.00%	20.00%	100%
20	धारचुला	जयकोट	35.00%	45.00%	20.00%	100%
21	धारचुला	सिर्दाग	25.00%	35.00%	40.00%	100%
22	धारचुला	सोसा	20.00%	40.00%	40.00%	100%
23	धारचुला	सीपू	50.00%	37.50%	12.50%	100%
24	धारचुला	मार्छा	33.33%	50.00%	16.67%	100%
25	धारचुला	किमखोला	40.00%	50.00%	10.00%	100%
26	धारचुला	तिदॉग	38.46%	38.46%	23.08%	100%
27	धारचुला	बौन	38.46%	23.08%	38.46%	100%
28	धारचुला	फिलम	33.33%	33.33%	33.33%	100%
29	धारचुला	दातू	33.33%	33.33%	33.33%	100%
30	धारचुला	बौगलिंग	31.91%	42.55%	25.53%	100%
31	धारचुला	दुग्तू	21.43%	57.14%	21.43%	100%
32	धारचुला	हिमखोला	17.65%	52.94%	29.41%	100%
33	धारचुला	दर	30.00%	35.00%	35.00%	100%
34	धारचुला	खेत	0.00%	42.86%	57.14%	100%
35	धारचुला	गर्गुवा	28.00%	36.00%	36.00%	100%
36	धारचुला	खेला	28.00%	33.00%	39.00%	100%
37	धारचुला	जुम्मा	50.00%	50.00%	0.00%	100%
38	धारचुला	गलाती	66.67%	33.33%	0.00%	100%
39	धारचुला	रमतोली	60.00%	40.00%	0.00%	100%
40	धारचुला	कालिका	23.81%	57.14%	19.05%	100%
41	धारचुला	खुमती	30.77%	46.15%	23.08%	100%

42	धारचुला	छारछुम	27.78%	50.00%	22.22%	100%
43	धारचुला	बलुवाकोट	30.00%	50.00%	20.00%	100%
44	धारचुला	पय्यापौडी	50.00%	25.00%	25.00%	100%
45	धारचुला	दुगांतोली	20.00%	30.00%	50.00%	100%
46	धारचुला	तोली	33.33%	44.44%	22.22%	100%
47	धारचुला	बंगापानी	31.82%	59.09%	9.09%	100%
48	धारचुला	जाराजीवली	25.00%	50.00%	25.00%	100%
49	धारचुला	सुवा	35.00%	45.00%	20.00%	100%
50	धारचुला	स्यांकुरी	30.00%	55.00%	15.00%	100%
51	धारचुला	गर्ब्यांग	25.00%	45.00%	30.00%	100%
52	धारचुला	लुमती	40.00%	13.33%	46.67%	100%
योग			**33.01%**	**42.56%**	**24.42%**	**100%**

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन के गन्तव्य :– विकासखण्ड धारचुला की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हुए पलायन हेतु प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नवत बिन्दुओं की स्पष्टता होती है। आंकड़ों का विवरण निम्नवत तालिका में प्रदर्शित किया गया है :–

1. विकासखण्ड धारचूला की भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में लगभग 6.2% राज्य और देश से बाहर का पलायन बढ़ना तथा संबंधित सभी ग्राम पंचायतों से जनपद मुख्यालय और राज्य के अन्य जनपदों की ओर हो रहे पलायन के आंकड़ों में गिरावट का होना चिन्तनीय विषय है। जो कि प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण हेतु पलायन गन्तव्यों के बदलते हुए आंकड़ों से स्पष्ट होता है।
2. दोनों सर्वेक्षणों के पलायन संबंधी गन्तव्यों में हुए बदलाव के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड की 26 ग्राम पंचायतों में जनपद के भीतर होने वाले पलायन के आंकड़ों में गिरावट तथा 25 ग्राम पंचायतों में जनपद के भीतर होने वाले पलायन के आंकड़ों में वृद्धि का होना पलायन पर अंकुश के साथ–साथ विकासखण्ड में पलायन के कुप्रभाव को भी दर्शाता है।

प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण के अनुसार विकासखण्ड धारचूला की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हो रहे पलायन के गन्तव्यों का बदलता स्वरूप

क्र0 स0	ग्राम पंचायत का नाम	नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश के बाहर	योग
प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018							
1	जिप्ती	40.0%	35.0%	15.0%	10.0%	0.0%	100%
2	छलमाछिलासो	12.2%	30.5%	42.7%	14.6%	0.0%	100%
3	ज्योतिपॉगूं	30.0%	45.0%	15.0%	10.0%	0.0%	100%
4	धारपॉगूं	14.7%	34.3%	19.6%	31.4%	0.0%	100%
5	गो	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	100%
6	उमचिया	45.0%	30.0%	20.0%	5.0%	0.0%	100%
7	न्यू	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100%
8	जम्कू	85.5%	8.0%	4.0%	2.0%	0.5%	100%
9	दूतीबगड़	0.0%	27.8%	55.6%	16.7%	0.0%	100%
10	नावी	2.0%	18.0%	50.0%	30.0%	0.0%	100%
11	मेतली	9.1%	36.4%	45.5%	9.1%	0.0%	100%
12	कुटी	5.0%	20.0%	50.0%	25.0%	0.0%	100%
13	नपलच्यू	0.0%	28.6%	57.1%	14.3%	0.0%	100%
14	रौंग कौग	0.0%	30.0%	60.0%	10.0%	0.0%	100%
15	गुंजी	1.0%	29.0%	60.0%	10.0%	0.0%	100%

16	बूंदी	4.5%	27.3%	45.5%	22.7%	0.0%	100%
17	तॉकुल	35.0%	40.0%	15.0%	10.0%	0.0%	100%
18	पागला	30.0%	45.0%	20.0%	5.0%	0.0%	100%
19	रूंग	10.0%	30.0%	40.0%	20.0%	0.0%	100%
20	जयकोट	25.0%	45.0%	20.0%	10.0%	0.0%	100%
21	सिर्दाग	10.0%	20.0%	50.0%	20.0%	0.0%	100%
22	सोसा	10.0%	30.0%	40.0%	20.0%	0.0%	100%
23	सीपू	14.3%	28.6%	57.1%	0.0%	0.0%	100%
24	मार्छा	20.0%	40.0%	40.0%	0.0%	0.0%	100%
25	किमखोला	15.0%	65.0%	20.0%	0.0%	0.0%	100%
26	तिदॉग	41.7%	41.7%	16.7%	0.0%	0.0%	100%
27	बौन	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100%
28	फिलम	20.0%	50.0%	30.0%	0.0%	0.0%	100%
29	दातू	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
30	बौगलिंग	42.0%	32.0%	26.0%	0.0%	0.0%	100%
31	दुग्तू	20.0%	40.0%	40.0%	0.0%	0.0%	100%
32	हिमखोला	0.0%	40.0%	40.0%	20.0%	0.0%	100%
33	दर	55.0%	30.0%	15.0%	0.0%	0.0%	100%
34	खेत	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100%
35	गर्गुवा	17.5%	26.3%	12.3%	43.9%	0.0%	100%
36	खेला	51.0%	45.0%	3.0%	1.0%	0.0%	100%
37	रांथी	NA	NA	NA	NA	NA	NA
38	जुम्मा	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100%
39	धारचूला देहात	NA	NA	NA	NA	NA	NA
40	गलाती	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100%
41	रमतोली	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100%
42	कालिका	0.0%	11.8%	29.4%	58.8%	0.0%	100%
43	खुमती	10.5%	15.8%	21.1%	52.6%	0.0%	100%
44	छारछुम	10.0%	30.0%	40.0%	20.0%	0.0%	100%
45	बलुवाकोट	0.0%	50.0%	30.0%	20.0%	0.0%	100%
46	पय्यापौडी	0.0%	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	100%
47	दुगांतोली	0.0%	20.0%	50.0%	30.0%	0.0%	100%
48	तोली	31.6%	52.6%	10.5%	5.3%	0.0%	100%
49	बरम	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
50	कनार	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
51	बंगापानी	9.1%	22.7%	54.5%	13.6%	0.0%	100%
52	जाराजीवली	10.0%	15.0%	50.0%	25.0%	0.0%	100%
53	सुवा	35.0%	35.0%	20.0%	10.0%	0.0%	100%
54	स्यांकुरी	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100%
55	गर्ब्यांग	1.0%	9.0%	70.0%	20.0%	0.0%	100%
56	बुंग बुंग	NA	NA	NA	NA	NA	NA
57	लुमती	23.8%	42.9%	14.3%	19.0%	0.0%	100%
58	सिर्खा	NA	NA	NA	NA	NA	NA
योग		**17.7%**	**28.7%**	**35.1%**	**18.5%**	**0.0%**	**100%**
द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022							
1	जिप्ती	11.0%	32.0%	29.0%	28.0%	0.0%	100%
2	छलमाछिलासो	0.0%	0.0%	70.0%	30.0%	0.0%	100%
3	ज्योतिपॉगूं	50.0%	30.0%	15.0%	5.0%	0.0%	100%

4	धारपॉगूं	35.0%	32.0%	18.0%	14.0%	1.0%	100%
5	गो	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
6	उमचिया	60.0%	25.0%	5.0%	1.0%	9.0%	100%
7	न्यू	55.0%	22.0%	17.0%	6.0%	0.0%	100%
8	जम्कू	45.0%	20.0%	10.0%	20.0%	5.0%	100%
9	दूतीबगड़	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	100%
10	नावी	10.0%	15.0%	55.0%	20.0%	0.0%	100%
11	मेतली	35.0%	15.0%	30.0%	20.0%	0.0%	100%
12	कुटी	15.0%	10.0%	50.0%	25.0%	0.0%	100%
13	नपलच्यू	35.0%	35.0%	25.0%	5.0%	0.0%	100%
14	रौंग कौग	20.0%	20.0%	30.0%	30.0%	0.0%	100%
15	गुंजी	30.0%	16.0%	25.0%	29.0%	0.0%	100%
16	बूंदी	0.0%	0.0%	5.0%	90.0%	5.0%	100%
17	तॉकुल	30.0%	35.0%	29.0%	5.0%	1.0%	100%
18	पागला	29.0%	35.0%	30.0%	5.0%	1.0%	100%
19	रूंग	35.0%	29.0%	30.0%	5.0%	1.0%	100%
20	जयकोट	45.0%	22.0%	18.0%	13.0%	2.0%	100%
21	सिर्दाग	35.0%	29.0%	30.0%	5.0%	1.0%	100%
22	सोसा	40.0%	30.0%	10.0%	10.0%	0.0%	100%
23	सीपू	0.0%	15.0%	35.0%	50.0%	0.0%	100%
24	मार्छा	35.0%	40.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100%
25	किमखोला	0.0%	30.0%	20.0%	50.0%	0.0%	100%
26	तिदॉग	5.0%	95.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
27	बौन	40.0%	30.0%	30.0%	0.0%	0.0%	100%
28	फिलम	5.0%	30.0%	35.0%	29.0%	1.0%	100%
29	दातू	30.0%	35.0%	15.0%	20.0%	0.0%	100%
30	बौगलिंग	55.0%	25.0%	18.0%	2.0%	0.0%	100%
31	दुग्तू	25.0%	30.0%	18.0%	27.0%	0.0%	100%
32	हिमखोला	55.0%	20.0%	15.0%	10.0%	0.0%	100%
33	दर	56.0%	18.0%	20.0%	5.0%	1.0%	100%
34	खेत	0.0%	0.0%	60.0%	40.0%	0.0%	100%
35	गर्गुवा	0.0%	0.0%	70.0%	30.0%	0.0%	100%
36	खेला	0.0%	10.0%	60.0%	30.0%	0.0%	100%
37	रांथी	40.0%	50.0%	5.0%	5.0%	0.0%	100%
38	जुम्मा	0.0%	0.0%	70.0%	30.0%	0.0%	100%
39	धारचूला देहात	45.0%	10.0%	5.0%	40.0%	0.0%	100%
40	गलाती	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
41	रमतोली	0.0%	35.0%	30.0%	35.0%	0.0%	100%
42	कालिका	0.0%	70.0%	20.0%	10.0%	0.0%	100%
43	खुमती	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
44	छारछुम	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
45	बलुवाकोट	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100%
46	पय्यापौडी	0.0%	0.0%	70.0%	30.0%	0.0%	100%
47	दुगांतोली	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100%
48	तोली	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
49	बरम	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
50	कनार	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
51	बंगापानी	20.0%	35.0%	25.0%	20.0%	0.0%	100%

52	जाराजीवली	10.0%	5.0%	40.0%	40.0%	5.0%	100%
53	सुवा	60.0%	15.0%	20.0%	5.0%	0.0%	100%
54	स्यांकुरी	10.0%	15.0%	55.0%	20.0%	0.0%	100%
55	गर्ब्यांग	80.0%	10.0%	6.0%	4.0%	0.0%	100%
56	बुंग बुंग	35.0%	30.0%	29.0%	5.0%	1.0%	100%
57	लुमती	10.0%	5.0%	40.0%	40.0%	5.0%	100%
58	सिर्खा	NA	NA	NA	NA	NA	NA
योग		**24.6%**	**22.2%**	**28.3%**	**23.9%**	**0.8%**	**100%**
प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण में बदलाव							
1	जिप्ती	-29.0%	-3.0%	14.0%	18.0%	0.0%	0.0%
2	छलमाछिलासो	-12.2%	-30.5%	27.3%	15.4%	0.0%	0.0%
3	ज्योतिपॉगूं	20.0%	-15.0%	0.0%	-5.0%	0.0%	0.0%
4	धारपॉगूं	20.3%	-2.3%	-1.6%	-17.4%	1.0%	0.0%
5	गो	-33.3%	-33.3%	-33.3%	0.0%	0.0%	-100.0%
6	उमचिया	15.0%	-5.0%	-15.0%	-4.0%	9.0%	0.0%
7	न्यू	55.0%	22.0%	-83.0%	6.0%	0.0%	0.0%
8	जम्कू	-40.5%	12.0%	6.0%	18.0%	4.5%	0.0%
9	दूतीबगड़	0.0%	-27.8%	-5.6%	33.3%	0.0%	0.0%
10	नावी	8.0%	-3.0%	5.0%	-10.0%	0.0%	0.0%
11	मेतली	25.9%	-21.4%	-15.5%	10.9%	0.0%	0.0%
12	कुटी	10.0%	-10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
13	नपलच्यू	35.0%	6.4%	-32.1%	-9.3%	0.0%	0.0%
14	रौंग कौग	20.0%	-10.0%	-30.0%	20.0%	0.0%	0.0%
15	गुंजी	29.0%	-13.0%	-35.0%	19.0%	0.0%	0.0%
16	बूंदी	-4.5%	-27.3%	-40.5%	67.3%	5.0%	0.0%
17	तॉकुल	-5.0%	-5.0%	14.0%	-5.0%	1.0%	0.0%
18	पागला	-1.0%	-10.0%	10.0%	0.0%	1.0%	0.0%
19	रूंग	25.0%	-1.0%	-10.0%	-15.0%	1.0%	0.0%
20	जयकोट	20.0%	-23.0%	-2.0%	3.0%	2.0%	0.0%
21	सिर्दांग	25.0%	9.0%	-20.0%	-15.0%	1.0%	0.0%
22	सोसा	30.0%	0.0%	-30.0%	-10.0%	0.0%	0.0%
23	सीपू	-14.3%	-13.6%	-22.1%	50.0%	0.0%	0.0%
24	मार्छा	15.0%	0.0%	-15.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25	किमखोला	-15.0%	-35.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
26	तिदॉग	-36.7%	53.3%	-16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
27	बौन	15.0%	-20.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%
28	फिलम	-15.0%	-20.0%	5.0%	29.0%	1.0%	0.0%
29	दातू	-36.7%	1.7%	15.0%	20.0%	0.0%	0.0%
30	बौगलिंग	13.0%	-7.0%	-8.0%	2.0%	0.0%	0.0%
31	दुग्तू	5.0%	-10.0%	-22.0%	27.0%	0.0%	0.0%
32	हिमखोला	55.0%	-20.0%	-25.0%	-10.0%	0.0%	0.0%
33	दर	1.0%	-12.0%	5.0%	5.0%	1.0%	0.0%
34	खेत	0.0%	0.0%	-40.0%	40.0%	0.0%	0.0%
35	गर्गुवा	-17.5%	-26.3%	57.7%	-13.9%	0.0%	0.0%
36	खेला	-51.0%	-35.0%	57.0%	29.0%	0.0%	0.0%
37	रांथी	40.0%	50.0%	5.0%	5.0%	0.0%	100%
38	जुम्मा	0.0%	0.0%	70.0%	-70.0%	0.0%	0.0%
39	धारचूला देहात	45.0%	10.0%	5.0%	40.0%	0.0%	100%

40	गलाती	0.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	0.0%	-100.0%
41	रमतोली	0.0%	35.0%	30.0%	-65.0%	0.0%	0.0%
42	कालिका	0.0%	58.2%	-9.4%	-48.8%	0.0%	0.0%
43	खुमती	-10.5%	-15.8%	-21.1%	-52.6%	0.0%	-100.0%
44	छारछुम	-10.0%	-30.0%	-40.0%	-20.0%	0.0%	-100.0%
45	बलुवाकोट	0.0%	-50.0%	-30.0%	80.0%	0.0%	0.0%
46	पय्यापौडी	0.0%	-25.0%	20.0%	5.0%	0.0%	0.0%
47	दुगांतोली	0.0%	-20.0%	-50.0%	70.0%	0.0%	0.0%
48	तोली	-31.6%	-52.6%	-10.5%	-5.3%	0.0%	-100.0%
49	बरम	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
50	कनार	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
51	बंगापानी	10.9%	12.3%	-29.5%	6.4%	0.0%	0.0%
52	जाराजीवली	0.0%	-10.0%	-10.0%	15.0%	5.0%	0.0%
53	सुवा	25.0%	-20.0%	0.0%	-5.0%	0.0%	0.0%
54	स्यांकुरी	10.0%	15.0%	-45.0%	20.0%	0.0%	0.0%
55	गर्ब्याग	79.0%	1.0%	-64.0%	-16.0%	0.0%	0.0%
56	बुंग बुंग	35.0%	30.0%	29.0%	5.0%	1.0%	100%
57	लुमती	-13.8%	-37.9%	25.7%	21.0%	5.0%	0.0%
58	सिर्खा	NA	NA	NA	NA	NA	NA
योग		**6.9%**	**-6.5%**	**-6.7%**	**5.4%**	**0.8%**	**0.0%**

विकासखण्ड धारचूला की ग्राम पंचायतें खेला, तोली, न्यू और गलाती में सर्वेक्षण वर्ष 2018 की अपेक्षा सर्वेक्षण वर्ष 2022 के अन्तर्गत गन्तव्यवार पलायन होने के सबसे अधिक गिरावट वाले आंकड़ें प्राप्त हुए। जो कि बढ़ते हुए पलायन का द्योतक है।

दोनों सर्वेक्षणों में पलायन गन्तव्यों के आंकड़ों में हुए सबसे अधिक गिरावट की दर प्राप्त करने वाली सीमावर्ती ग्राम पंचायतें		
गन्तव्यों का विवरण	ग्राम पंचायत का नाम	बदलाव प्रतिशत
नजदीकी कस्बों में	खेला	-51.0%
जनपद मुख्यालय	तोली	-52.6%
राज्य के अन्य जनपदों में	न्यू	-83.0%
राज्य से बाहर	गलाती	-100.0%
देश के बाहर	0	0

विकासखण्ड धारचूला की ग्राम पंचायतें गर्ब्याग, कालिका, जुम्मा बलुवाकोट और उमचिया में सर्वेक्षण वर्ष 2018 की अपेक्षा सर्वेक्षण वर्ष 2022 के अन्तर्गत गन्तव्यवार पलायन होने के सबसे अधिक वृद्धि वाले आंकड़ें प्राप्त हुए। जो कि पलायन पर अंकुश को दर्शाता है।

दोनों सर्वेक्षणों में पलायन गन्तव्यों के आंकड़ों में हुए सबसे अधिक वृद्धि की दर प्राप्त करने वाली सीमावर्ती ग्राम पंचायतें		
गन्तव्यों का विवरण	ग्राम पंचायत का नाम	बदलाव प्रतिशत
नजदीकी कस्बों में	गर्ब्याग	79.0%
जनपद मुख्यालय	कालिका	58.2%
राज्य के अन्य जनपदों में	जुम्मा	70.0%
राज्य से बाहर	बलुवाकोट	80.0%
देश के बाहर	उमचिया	9.0%

सीमावर्ती गांवों में सड़क सुविधा :– विकासखण्ड धारचूला की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 के अनुसार सड़क सुविधा से वंचित राजस्व ग्राम/तोक/मजरों की ग्राम पंचायतों का विवरण इस खण्ड में विवरण दिया गया है।

1. विकासखण्ड धारचूला में भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित 58 ग्राम पंचायतों में से 41 ग्राम पंचायतों के 114 राजस्व ग्राम/तोक/मजरों में सितम्बर 2022 तक सड़क सुविधा का अभाव है।

सर्वेक्षण 2022 में विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत सड़क मार्ग से वंचित सीमावर्ती राजस्व ग्राम/तोक/मजरों का विवरण					
जनपद	विकासखण्ड	सड़क मार्ग की दूरी (किमी में)			
		0–5	6–10	10 से अधिक	कुल योग
पिथौरागढ़	धारचूला	101	7	6	114
नामावली		नाबी, मेतली, जाराजीवली, बंगापानी, लुमती, बूंदी, कुटी, नपलच्यू, रौंगकौंग, गुंजी, गो, गर्ब्याग, रमतोली, रांथी, मार्छा, किमखोला, धारचूला देहात, गलाती, खुमती, फ्यापौड़ी, ढुगांतोली, दूतीबगड, तोली, बलुवाकोट, बौंगलिंग, सुवा, छारछुम, हिमखोला,गर्गुवा, खेत, खेला, सिर्दाग,धारपॉगूं, उमचिया और दर ग्राम पंचायत के 101 तोक	कालिका, सीपू और न्यू ग्राम पंचायत के 07 तोक	कनार, जम्कू और जुम्मा ग्राम पंचायत की 6 तोक	114

अध्याय–10

विकासखण्ड मुनस्यारी के प्राथमिक ग्रामों में

पलायन की स्थिति

भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार जनसांख्यिकी, जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोग द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण 2022 में जनसांख्यिकी बदलाव, आयोग द्वारा वर्ष 2018 एवं 2022 में करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार जनसांख्यिकी सहित पलायन की स्थिति संबंधी आंकड़ें इस अध्याय में प्रस्तुत हैं।

सीमावर्ती ग्राम :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनस्यारी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर 28 राजस्व ग्राम स्थित हैं। प्राप्त सूचना और आंकड़ों से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं :–

1. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर 28 राजस्व ग्राम मिलम, विल्जू, टौला, खिलांच, पांछू गूठ, गन्धर, ल्वॉ, मापा, मर्तोली, रिलकोट, लास्पा, पोंटिंग, रालम, बाता, निर्तोली, बौना, तोमिक, गोल्फा, टॉगा, बिन्दी, फर्वेकोट, लोदी, शिलिंग, सेरा, खर्तोली, दारमा, मदरमा और ढीलम अवस्थित हैं।
2. 28 राजस्व ग्रामों से 02 राजस्व ग्राम सुम्तू और पोंटिंग वर्तमान समय में गैर आबाद हैं।

जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 के मध्य जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित 28 प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 हेतु भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जनसांख्यिकी आंकड़ों से मुख्य बिन्दुओं की स्पष्टता होती है आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

1. खण्ड विकास अधिकारी, मुनस्यारी द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार लीलम ग्राम पंचायत का सुम्तू, तथा लास्पा ग्राम पंचायत का पोटिंग राजस्व ग्राम वर्तमान में गैर आबाद है।
2. विकासखण्ड मुनस्यारी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक सभी राजस्व ग्रामों में जनसंख्या वृद्धिदर कुछेक राजस्व ग्रामों का अपेक्षा अच्छी नहीं है। क्योंकि इन सभी प्राथमिक राजस्व ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के दशकों में जनसंख्या वृद्धिदर में 10% की दर से वृद्धि प्रतीत होती है। जो कि भारतीय सेना के सापेक्ष प्रदर्शित होती है। अन्यथा की स्थिति में जनसंख्या वृद्धिदर बहुत न्यूनतम है।
3. सीमावर्ती कुल 28 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से मुनस्यारी विकासखण्ड के अन्तर्गत 10 राजस्व ग्रामों की जनसंख्या में विगत दो दशकीय जनगणना में ऋणात्मक कमी देखी जा सकती है जबकि इन भू–भाग में दो राजस्व ग्राम जनशून्य भी हो चुके हैं।
4. निम्न तालिका में उल्लिखित 28 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से खिलांच, गन्धर और शिलिंग ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों में जनसंख्या वृद्धिदर अपेक्षाकृत कम ही है।
5. मुनस्यारी विकासखण्ड के अन्तर्गत भी निम्न तालिका में उल्लिखित 28 राजस्व ग्रामों में से लगभग आधे राजस्व ग्रामों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धिदर देखी जा सकती है। अर्थात विकासखण्ड में पलायन का प्रभाव स्पष्टता से देखा जा सकता है जो कि सीमावर्ती भू–भाग के लिए उचित नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड मुनस्यारी के भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य जनसांख्यिकी बदलाव								
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 की जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	Pithoragarh	Munsyari	Lilam	Milam	37	135	98	265%
2	Pithoragarh	Munsyari		Bilju	11	38	27	245%
3	Pithoragarh	Munsyari		Tola	20	56	36	180%
4	Pithoragarh	Munsyari		Khilach	19	20	1	5%
5	Pithoragarh	Munsyari		Sumatu	NA	0	0	0%
6	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Laspa	19	109	90	474%
7	Pithoragarh	Munsyari		Rilkot	10	39	29	290%
8	Pithoragarh	Munsyari		Lwa	30	10	-20	-67%
9	Pithoragarh	Munsyari		Pachhu Gunth	7	23	16	229%
10	Pithoragarh	Munsyari		Mapa	10	21	11	110%
11	Pithoragarh	Munsyari		Martoli	25	40	15	60%
12	Pithoragarh	Munsyari		Poting	NA	0	0	0%
13	Pithoragarh	Munsyari		Ganghar	9	14	5	56%
14	Pithoragarh	Munsyari	Ralam	Ralam	102	158	56	55%
15	Pithoragarh	Munsyari	Bona	Bona	348	344	-4	-1%
16	Pithoragarh	Munsyari	Tomik	Tomik	484	462	-22	-5%
17	Pithoragarh	Munsyari	Bata	Bata	168	154	-14	-8%
18	Pithoragarh	Munsyari		Nirtoli	160	142	-18	-11%
19	Pithoragarh	Munsyari	Tanga	Tanga	309	297	-12	-4%
20	Pithoragarh	Munsyari		Lodi	129	155	26	20%
21	Pithoragarh	Munsyari		Bindi	123	120	-3	-2%
22	Pithoragarh	Munsyari		Pharwakot	14	34	20	143%
23	Pithoragarh	Munsyari	Madarma	Madarma	163	204	41	25%
24	Pithoragarh	Munsyari	Darma	Darma	306	276	-30	-10%
25	Pithoragarh	Munsyari	Siling	Siling	314	321	7	2%
26	Pithoragarh	Munsyari		Sera	135	130	-5	-4%
27	Pithoragarh	Munsyari		Khartoli	147	132	-15	-10%
28	Pithoragarh	Munsyari	Dheelam	Dheelam	164	160	-4	-2%
विकासखण्ड मुनस्यारी के सीमावर्ती प्राथमिक गांवों का जनसांख्यिकी योग					**3263**	**3594**	**331**	**10%**

जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 के मध्य पुरूष जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार पुरूष जनसांख्यिकी हेतु उपलब्ध आंकड़ों से मुख्य बिन्दुओं की स्पष्टता होती है आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

1. विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित 28 राजस्व ग्रामों में से कुल 07 राजस्व ग्रामों में पिछले दो दशकीय जनगणना में पुरूष जनसंख्या वृद्धिदर में गिरावट के आंकड़ें प्राप्त हुए।
2. निम्न तालिका में उल्लिखित 28 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से खिलांच, पांछू गूठ, मापा और शिलिंग राजस्व ग्रामों में पुरूष जनसंख्या वृद्धिदर भी अपेक्षाकृत कम ही रही।
3. विकासखण्ड मुनस्यारी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक सभी राजस्व ग्रामों में पुरूष जनसंख्या वृद्धि 14% की दर के आंकड़ें प्राप्त होते है, जो कि भारतीय सेना के सहयोग के बिना बहुत ही खराब है।

जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड मूनस्यारी के भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य पुरूष जनसांख्यिकी बदलाव								
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल पुरूष जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल पुरूष जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 की कुल पुरूष जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	Pithoragarh	Munsyari	Lilam	Milam	28	118	90	321%
2	Pithoragarh	Munsyari	Lilam	Bilju	9	21	12	133%
3	Pithoragarh	Munsyari	Lilam	Tola	9	30	21	233%
4	Pithoragarh	Munsyari	Lilam	Khilach	9	13	4	44%
5	Pithoragarh	Munsyari	Lilam	Sumatu	NA	0	0	0%
6	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Laspa	14	64	50	357%
7	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Rilkot	10	35	25	250%
8	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Lwa	21	7	-14	-67%
9	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Pachhu Gunth	7	15	8	114%
10	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Mapa	7	14	7	100%
11	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Martoli	21	28	7	33%
12	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Poting	NA	0	0	0%
13	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Ganghar	5	5	0	0%
14	Pithoragarh	Munsyari	Ralam	Ralam	50	73	23	46%
15	Pithoragarh	Munsyari	Bona	Bona	164	164	0	0%
16	Pithoragarh	Munsyari	Tomik	Tomik	241	215	-26	-11%
17	Pithoragarh	Munsyari	Bata	Bata	75	71	-4	-5%
18	Pithoragarh	Munsyari	Bata	Nirtoli	88	81	-7	-8%
19	Pithoragarh	Munsyari	Tanga	Tanga	154	150	-4	-3%
20	Pithoragarh	Munsyari	Tanga	Lodi	65	81	16	25%
21	Pithoragarh	Munsyari	Tanga	Bindi	67	65	-2	-3%
22	Pithoragarh	Munsyari	Tanga	Pharwakot	9	21	12	133%
23	Pithoragarh	Munsyari	Madarma	Madarma	81	98	17	21%
24	Pithoragarh	Munsyari	Darma	Darma	138	123	-15	-11%
25	Pithoragarh	Munsyari	Siling	Siling	159	160	1	1%

26	Pithoragarh	Munsyari	Siling	Sera	68	57	-11	-16%
27	Pithoragarh	Munsyari	Siling	Khartoli	73	90	17	23%
28	Pithoragarh	Munsyari	Dheelam	Dheelam	84	82	-2	-2%
विकासखण्ड मुनस्यारी के सीमावर्ती प्राथमिक गांवों का जनसांख्यिकी योग					**1656**	**1881**	**225**	**14%**

जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य महिला जनसांख्यिकी बदलाव :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के अनुसार महिला जनसांख्यिकी हेतु उपलब्ध आंकड़ों से मुख्य बिन्दुओं की स्पष्टता होती है आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

1. धारचूला विकासखण्ड के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित 28 राजस्व ग्रामों में से कुल 10 राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत पिछले दो दशकीय जनगणना में महिलाओं की जनसंख्या वृद्धिदर में गिरावट के आंकड़ें प्राप्त होते हैं।
2. निम्न तालिका में उल्लिखित 28 प्राथमिक राजस्व ग्रामों में से मिलम, रिलकोट, पांछू गूट, मापा, मर्तोली, गन्धर, तोमिक, फर्वेकोट, शिलिंग और सेरा ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में महिला जनसंख्या वृद्धिदर भी अपेक्षाकृत कम ही रही।
3. विकासखण्ड मुनस्यारी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक सभी राजस्व ग्रामों में महिला जनसंख्या वृद्धि 7% की दर से बढ़ने के आंकड़ें प्राप्त होते है। अर्थात मुनस्यारी विकासखण्ड में लिगांनुपात और पलायन अधिक है।

जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड मुनस्यारी के भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित प्राथमिक ग्रामों में जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य महिला जनसांख्यिकी बदलाव								
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल महिला जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल महिला जनसंख्या	जनगणना वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 की कुल महिला जनसंख्या में बदलाव	बदलाव प्रतिशत
1	Pithoragarh	Munsyari	Lilam	Milam	9	17	8	89%
2	Pithoragarh	Munsyari	Lilam	Bilju	2	17	15	750%
3	Pithoragarh	Munsyari	Lilam	Tola	11	26	15	136%
4	Pithoragarh	Munsyari	Lilam	Khilach	10	7	-3	-30%
5	Pithoragarh	Munsyari	Lilam	Sumatu	NA	0	0	0%
6	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Laspa	5	45	40	800%
7	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Rilkot	0	4	4	100%
8	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Lwa	9	3	-6	-67%
9	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Pachhu Gunth	0	8	8	100%
10	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Mapa	3	7	4	133%
11	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Martoli	4	12	8	200%

12	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Poting	NA	0	0	0%
13	Pithoragarh	Munsyari	Laspa	Ganghar	4	9	5	125%
14	Pithoragarh	Munsyari	Ralam	Ralam	52	85	33	63%
15	Pithoragarh	Munsyari	Bona	Bona	184	180	-4	-2%
16	Pithoragarh	Munsyari	Tomik	Tomik	243	247	4	2%
17	Pithoragarh	Munsyari	Bata	Bata	93	83	-10	-11%
18	Pithoragarh	Munsyari	Bata	Nirtoli	72	61	-11	-15%
19	Pithoragarh	Munsyari	Tanga	Tanga	155	147	-8	-5%
20	Pithoragarh	Munsyari	Tanga	Lodi	64	74	10	16%
21	Pithoragarh	Munsyari	Tanga	Bindi	56	55	-1	-2%
22	Pithoragarh	Munsyari	Tanga	Pharwakot	5	13	8	160%
23	Pithoragarh	Munsyari	Madarma	Madarma	82	106	24	29%
24	Pithoragarh	Munsyari	Darma	Darma	168	153	-15	-9%
25	Pithoragarh	Munsyari	Siling	Siling	155	161	6	4%
26	Pithoragarh	Munsyari	Siling	Sera	67	73	6	9%
27	Pithoragarh	Munsyari	Siling	Khartoli	74	42	-32	-43%
28	Pithoragarh	Munsyari	Dheelam	Dheelam	80	78	-2	-3%
विकासखण्ड मुनस्यारी के सीमावर्ती प्राथमिक गांवों का जनसांख्यिकी विवरण					**1607**	**1713**	**106**	**7%**

सीमावर्ती गांवों का जनसांख्यिकीय वर्गीकरण :– जनगणना वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के अनुसार विकासखण्ड मुनस्यारी में भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित 28 गांवों को जनसंख्या के अनुसार 0, 1–9, 10–99 और 100 से अधिक में श्रेणीवार वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत आंकड़ों से निम्नवत बिन्दुओं की स्पष्टता होती है :–

1. विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत सीमावर्ती गांव पांछू गूंठ और गन्धर का जनगणना वर्ष 2001 की श्रेणी 1–9 से जनगणना वर्ष 2011 हेतु 10–99 की श्रेणी में उन्नत होना पलायन पर अंकुश को दर्शाता है।
2. जनगणना वर्ष 2001 की अपेक्षा जनगणना वर्ष 2011 हेतु राजस्व ग्राम मिलम और लास्पा का 10–99 की श्रेणी से की श्रेणी 100> में उन्नत होना भी पलायन पर अंकुश लगने का द्योतक है।

विकासखण्ड मुनस्यारी की सीमावर्ती राजस्व ग्रामों में पलायन का असर अन्य सीमावर्ती विकासखण्डों के राजस्व ग्रामों की अपेक्षा कम रहा।

विकासखण्ड मुनस्यारी में जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत सीमावर्ती गांव												
विकासखण्ड	जनगणना वर्ष 2001						जनगणना वर्ष 2011					
	0	1-9	10-99	100>	NA	योग	0	1-9	10-99	100>	NA	योग
मुनस्यारी	2	2	10	14	0	28	2	0	10	16	0	28

28
0
मिलम, लास्पा, रालम, बौना, तोमिक, बाता, निर्तोली, टॉगा, लोदी, बिन्दी, मदरमा, दारमा, शिलिंग, सेरा, खरतोली, ढीलम
बिल्जू, तोला, खिलांच, रिलकोट, ल्वॉ, पांछू गूंठ, मापा, मर्तोली, गन्धर, फर्वकोट
0
सुम्तू, पोंटिंग
28
0
रालम, बौना, तोमिक, बाता निर्तोली, टॉगा, लोदी, बिन्दी, मदरमा, दारमा, शिलिंग, सेरा, खरतोली, ढीलम
मिलम, बिल्जू, तोला, खिलांच, लास्पा, रिलकोट, ल्वॉ, मापा, मर्तोली, फर्वकोट,
पांछू गूंठ, गन्धर
सुम्तू, पोंटिंग
नामावली

जनगणना वर्ष 2011 और आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसांख्किीय बदलाव :– विकासखण्ड मुनस्यारी के सीमावर्ती ग्राम पंचायतों हेतु जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या में हुए बदलाव को इस खण्ड में दर्शाया गया हैं। बदलाव के मुख्य अंश निम्नवत हैं :–

1. भारत–चीन सीमावर्ती विकासखण्ड मुनस्यारी की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में वर्ष 2011 की जनगणना के सापेक्ष आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में जनसंख्या वृद्धिदर 40% रही, जबकि वर्ष 2001 के सापेक्ष यह आंकड़ा 10% है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि विकासखण्ड के सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में वर्ष 2011 से वर्ष 2022 के मध्य पलायन पर कुछ हद तक अंकुश लगा है।
2. 40% वृद्धिदर के उल्लिखित आंकड़ों में महिलाओं का योगदान लगभग 49% रहा, जो कि पुरूषों की अपेक्षा 16% अधिक है। जबकि वर्ष 2001 के सापेक्ष वर्ष 2011 में यह आंकड़ा 7% का था। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2022 के मध्य विकासखण्ड की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से महिलाओं द्वारा किये जा रहे पलायन पर कुछ हद तक अंकुश लगा है।
3. सीमावर्ती विकासखण्डों की ग्राम पंचायत बौना के अन्तर्गत उल्लिखित अवधि में जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रही जबकि ग्राम पंचायत तोमिक और टॉगा में भी जनसंख्या वृद्धिदर अपेक्षाकृत कम है, किन्तु अवशेष 8 ग्राम पंचायतों में जनसंख्या वृद्धिदर थोड़ा बहुत अच्छी रही। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हो रहे पलायन पर अंकुश लग रहा है, और अधिक अंकुश लगाने के लिए सभी विभागीय योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने की आवश्यकता है।

मुनस्यारी विकासखण्ड की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में जनगणना वर्ष 2011 एवं आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या में बदलाव का विवरण												
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की जनसंख्या			जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या			बदलाव प्रतिशत		
				पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	पिथौरागढ	मुनस्यारी	बौना	104	205	309	164	180	344	-37%	14%	-10%
2	पिथौरागढ	मुनस्यारी	तोमिक	243	268	511	215	247	462	13%	9%	11%
3	पिथौरागढ	मुनस्यारी	टॉगा	375	315	690	317	289	606	18%	9%	14%
4	पिथौरागढ	मुनस्यारी	लास्पा	198	110	308	168	88	256	18%	25%	20%
5	पिथौरागढ	मुनस्यारी	मदरमा	120	130	250	98	106	204	22%	23%	23%
6	पिथौरागढ	मुनस्यारी	रालम	102	104	206	73	85	158	40%	22%	30%

7	पिथौरागढ	मुनस्यारी	बाता	202	203	405	152	144	296	33%	41%	37%
8	पिथौरागढ	मुनस्यारी	लीलम	231	162	393	182	67	249	27%	142%	58%
9	पिथौरागढ	मुनस्यारी	दारमा	200	250	450	123	153	276	63%	63%	63%
10	पिथौरागढ	मुनस्यारी	शिलिंग	458	542	1000	307	276	583	49%	96%	72%
11	पिथौरागढ	मुनस्यारी	ढिमढिमियॉ	263	256	519	82	78	160	221%	228%	224%
योग				**2496**	**2545**	**5041**	**1881**	**1713**	**3594**	**33%**	**49%**	**40%**

ग्राम पंचायत स्तर पर पलायन :– राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की स्थिति पर आयोग द्वारा वर्ष 2018 एवं वर्ष 2022 में करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी मानते हुए 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित विकासखण्ड मुनस्यारी की ग्राम पंचायतों में पलायन सम्बन्धी मुख्य अंश निम्नवत तालिका के आंकड़ों से निम्नवत बिन्दुओं की स्पष्टता होती है।

1. भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटी मुनस्यारी विकासखण्ड की सभी 11 ग्राम पंचायतें वर्ष 2018 के सर्वेक्षण में नहीं तो वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में पलायन से प्रभावित रही।
2. विकासखण्ड की कुल 11 ग्राम पंचायतों में से 03 (बौना, तोमिक और टॉगा) ग्राम पंचायतों में प्रथम सर्वेक्षण के अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन के आंकड़ों में कमी आई जबकि 08 ग्राम पंचायतों में पलायन के आंकड़ों में वृद्धि हुई।
3. वर्ष 2018 के सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत शिलिंग, मदरमा और दारमा पलायन से अप्रभावित रही जबकि वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत टॉगा पलायन से अप्रभावित रही।
4. वर्ष 2018 के सर्वेक्षण की अपेक्षा वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत ढिमढिमियॉ और मदरमा स्थायी पलायन से प्रभावित होना पलायन के कुप्रभाव को दर्शाता है।
5. ग्राम पंचायत बाता, शिलिंग और दारमा वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के पलायन सर्वेक्षण में स्थायी पलायन से अप्रभावित रहना कहीं न कहीं पलायन पर अंकुश को दर्शाता है।
6. विकासखण्ड मुनस्यारी की 11 सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में से 07 ग्राम पंचायत (लास्पा, बौना, तोमिक, बाता, टॉगा, शिलिंग और दारमा) सर्वेक्षण वर्ष 2022 में स्थायी पलायन से अप्रभावित रहना पलायन पर अंकुश को दर्शाता है।
7. मुनस्यारी विकासखण्ड की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में वर्ष 2018 के सर्वेक्षण की अपेक्षा वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में 29% पलायन बढ़ा जिसमें स्थायी पलायन का योगदान 95% रहा अर्थात विकासखण्ड मुनस्यारी की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन का असर सीमावर्ती विकासखण्ड जोशीमठ और धारचूला की ग्राम पंचायतों से अपेक्षाकृत अधिक रहना, पलायन के कुप्रभाव को दर्शाता है।

विकासखण्ड मुनस्यारी के भारत–चीन सीमावर्ती प्राथमिक राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के अनुसार पलायन के प्रभाव में हुए बदलाव का विवरण

				द्वितीय सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2022)			प्रथम सर्वेक्षण में पलायन (वर्ष 2018)			द्वितीय व प्रथम सर्वेक्षण के पलायन में बदलाव		
क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल	अस्थायी	स्थायी	कुल
1	पिथौरागढ	मुनस्यारी	लीलम	12	8	20	NA	NA	NA	12	8	20
2	पिथौरागढ	मुनस्यारी	लास्पा	57	0	57	NA	NA	NA	57	0	57
3	पिथौरागढ	मुनस्यारी	रालम	8	12	20	NA	NA	NA	8	12	20
4	पिथौरागढ	मुनस्यारी	बौना	5	0	5	140	10	150	-135	-10	-145
5	पिथौरागढ	मुनस्यारी	तोमिक	25	0	25	98	12	110	-73	-12	-85

6	पिथौरागढ	मुनस्यारी	बाता	271	0	271	100	0	100	171	0	171
7	पिथौरागढ	मुनस्यारी	टॉगा	0	0	0	156	20	176	-156	-20	-176
8	पिथौरागढ	मुनस्यारी	ढिमढिमियॉ	197	45	242	30	0	30	167	45	212
9	पिथौरागढ	मुनस्यारी	शिलिंग	30	0	30	0	0	0	30	0	30
10	पिथौरागढ	मुनस्यारी	मदरमा	22	17	39	0	0	0	22	17	39
11	पिथौरागढ	मुनस्यारी	दारमा	20	0	20	0	0	0	20	0	20
योग			11	647	82	729	524	42	566	123	40	163

सीमावर्ती गांवों का पलायन के अनुसार वर्गीकरण :– आयोग द्वारा करवाये गये पलायन की स्थिति पर प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 और द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 के अनुसार विकासखण्ड मुनस्यारी की भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित कुल 11 ग्राम पंचायतों में हुए पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुसार 0, 1–9, 10–99 और 100 से अधिक में श्रेणीवार वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत आंकड़ों से निम्नवत बिन्दुओं की स्पष्टता होती है :–

6. सीमावर्ती ग्राम पंचायत शिलिंग, मदरमा और दारमा का प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की शून्य श्रेणी से हटकर द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की श्रेणी 10–99 में उन्नयन होना जहाँ एक ओर पलायन को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत टॉगा का वर्ष 2018 की श्रेणी 100> से अवनयन होकर वर्ष 2022 के सर्वेक्षण की श्रेणी शून्य में अवनत होना पलायन पर अंकुश का दर्शाता है।
7. सीमावर्ती ग्राम पंचायत ढिमढिमियॉ का प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की 10–99 श्रेणी से हटकर द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 की श्रेणी 100> में उन्नयन होना जहाँ एक ओर पलायन को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत बौना और तोमिक का वर्ष 2018 की श्रेणी 100> एवं 10–99 से अवनयन होकर वर्ष 2022 के सर्वेक्षण की श्रेणी 1–9 एवं 10–99 में अवनत होना पलायन पर अंकुश का दर्शाता है।
8. विकासखण्ड मुनस्यारी की सीमावर्ती प्राथमिक ग्राम पंचायतों में पलायन का प्रभाव प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018 की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 में अधिक हुआ।

सीमावर्ती विकासखण्ड मुनस्यारी की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों का पलायन से प्रभावित जनसंख्या के अनुसार वर्गीकरण												
विकासखण्ड	प्रथम सर्वेक्षण 2018 में पलायनवर्ष						द्वितीय सर्वेक्षण 2022 में पलायन					
	0	1-9	10-99	100>	NA	योग	0	1-9	10-99	100>	NA	योग
मुनस्यारी	3	0	1	4	3	11	1	1	7	2	0	11
नामावली	शिलिंग, मदरमा, दारमा,	0	ढिमढिमियॉं	बौना, तोमिक, बाता, टॉगा	लीलम, लास्पा, रालम,	11	टॉगा	बौना	लीलम, लास्पा, रालम, तोमिक, शिलिंग, मदरमा, दारमा	बाता, ढिमढिमियॉं	0	11

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन के मुख्य कारण :– यह खण्ड विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित ग्राम पंचायतों में पलायन के मुख्य कारणों का विश्लेषण करता है। पलायन के मख्य कारणों

में लगभग 32%, 22% व 18% सर्वाधिक पलायन पलायन शिक्षा, आजीविका/रोजगार और आधरभूत सुविधाओं के अभाव में हुआ है। सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में हुए पलायन का कारणवार विस्तुत जानकारी निम्नवत तालिका में दी गई है।

प्रथम रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती जनपदों की ग्राम पचायतों से पलायन के मुख्य कारण (लगभग प्रतिशत में)											
क्र0 स0	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	आजीविका/रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाग(प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का आभाव(वर्तमान में)	इन्फ्रेक्टक्चर(सड़क,बिजली,पानी, व अन्य का आभाव)(वर्तमान में)	कृषि भूमि में उत्पादकता/पैदावार की कमी(प्रमिशत)	परिवार/सगे सम्बन्धियों की देखा–देखी पलायन करना(प्रमिशत)	जंगली जापवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुचाने करने के कारण(प्रमिशत)	अन्य कोई विशेष कारण(प्रमिशत)	योग
उत्तराखण्ड			50.16%	8.83%	15.21%	3.74%	5.44%	2.52%	5.61%	8.48%	100%
पिथौरागढ़			42.81%	10.13%	19.52%	4.97%	4.66%	2.36%	4.08%	11.48%	100%
मुनस्यारी			48.20%	12.30%	26.36%	4.41%	2.34%	0.86%	1.55%	4.05%	100%
1	मुनस्यारी	बौना	25.53%	12.77%	21.28%	21.28%	8.51%	4.26%	2.13%	4.26%	100%
2	मुनस्यारी	तोमिक	18.18%	9.09%	27.27%	21.21%	6.06%	3.03%	6.06%	9.09%	100%
3	मुनस्यारी	बाता	24.47%	13.30%	53.19%	5.32%	2.13%	1.60%	0.00%	0.00%	100%
4	मुनस्यारी	टॉगा	27.59%	13.79%	17.24%	24.14%	6.90%	3.45%	3.45%	3.45%	100%
5	मुनस्यारी	ढिमढिमियॉ	16.53%	16.53%	41.32%	20.66%	0.00%	2.07%	2.07%	0.83%	100%
योग			**22.46%**	**13.10%**	**32.06%**	**18.52%**	**4.72%**	**2.88%**	**2.74%**	**3.52%**	**100%**

भारत–चीन सीमा की ग्राम पंचायतों में प्रवासियों की उम्र का राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड में योगदान :– यह खण्ड विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित ग्राम पंचायतों में प्रवासियों की आयु का विश्लेषण करता है। प्रवासियों में लगभग 43 प्रतिशत से अधिक 25 साल से कम आयुवर्ग के बीच है। सीमावर्ती ग्राम पंचायतों द्वारा राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड में दिये जा रहे योगदान की विस्तृत जानकारी निम्नवत तालिका एवं ग्राफ में दी गई है।

प्रथम अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार भारत–चीन सीमावर्ती ग्राम पंचायतों के प्रवासियों की आयुवार पलायन विवरण (प्रतिशत में)						
क्र0 स0	विकासखण्ड	ग्राम प्रचायत	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)			
			25 साल से कम आयु वर्ग.(वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग.(वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग.(वर्तमान में)	योग
उत्तराखण्ड			28.66%	42.25%	29.00%	100%
पिथौरागढ़			28.32%	42.58%	29.10%	100%
मुनस्यारी			25.28%	48.36%	26.36%	100%
1	मुनस्यारी	बौना	60.00%	20.00%	20.00%	100%
2	मुनस्यारी	तोमिक	34.78%	28.99%	36.23%	100%
3	मुनस्यारी	बाता	27.78%	62.50%	9.72%	100%
4	मुनस्यारी	टॉगा	65.22%	21.74%	13.04%	100%
5	मुनस्यारी	ढिमढिमियॉ	25.00%	56.25%	18.75%	100%
योग			**42.56%**	**37.89%**	**19.55%**	**100%**

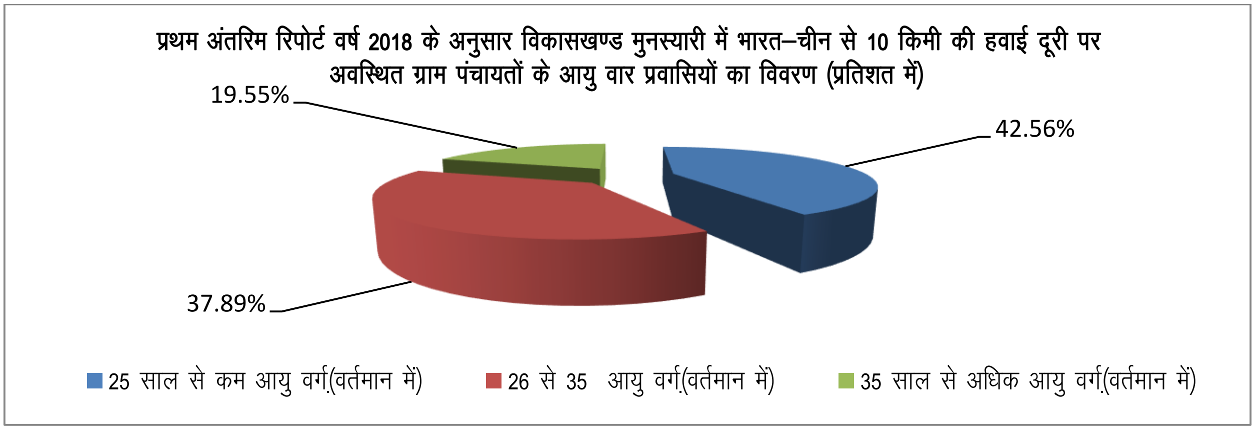

सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में पलायन के गन्तव्य :– विकासखण्ड मुनस्यारी की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हुए पलायन हेतु प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नवत बिन्दुओं की स्पष्टता होती है। आंकड़ों का विवरण निम्नवत तालिका में प्रदर्शित किया गया है :–

1. विकासखण्ड मुनस्यारी की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत प्रथम सर्वेक्षण की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण में नजदीकी कस्बों वाला पलायन लगभग 7.7% बढ़ा है। जबकि जनपद मुख्यालय वाला पलायन लगभग 22.4% घटना, विकासखण्ड से जनपद के भीतर वाले पलायन में लगभग 14.7% की कमी को दर्शाता है अर्थात पलायन का कुप्रभाव विकासखण्ड में अधिक है।
2. विकासखण्ड में विगत दोनों पलायन संबंधी सर्वेक्षणों में लगभग 16.3% राज्य के अन्य जनपदों की ओर पलायन में बदलाव का मिलना पलायन के कुप्रभाव को दर्शाता है।

विकासखण्ड मुनस्यारी में पलायन के कुप्रभाव पर अंकुश लगाने हेतु विभागीय योजनाओं को और प्रभावी ढंग से संचालन करने की आवश्यकता है।

प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण के अनुसार विकासखण्ड मुनस्यारी की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों से हो रहे पलायन के गन्तव्यों का बदलता स्वरूप							
क्र0 स0	ग्राम पंचायत का नाम	नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश के बाहर	योग
प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2018							
1	लीलम	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	लास्पा	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	रालम	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	बौना	50.0%	25.0%	15.0%	10.0%	0%	100%
5	तोमिक	33.3%	33.3%	26.7%	6.7%	0%	100%
6	बाता	43.8%	40.0%	12.5%	3.8%	0%	100%
7	टॉगा	41.7%	41.7%	12.5%	4.2%	0%	100%
8	ढिमढिमियॉं	28.7%	34.5%	25.3%	11.5%	0%	100%
9	शिलिंग	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%
10	मदरमा	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%
11	दारमा	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%

योग		**39.5%**	**34.9%**	**18.4%**	**7.2%**	**0%**	**100%**
द्वितीय सर्वेक्षण वर्ष 2022							
1	लीलम	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100%
2	लास्पा	15.0%	40.0%	35.0%	10.0%	0.0%	100%
3	रालम	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100%
4	बौना	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
5	तोमिक	83.0%	5.0%	10.0%	2.0%	0.0%	100%
6	बाता	35.0%	30.0%	29.0%	5.0%	1.0%	100%
7	टॉगा	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%
8	ढिमढिमियॉ	9.0%	15.0%	55.0%	21.0%	0.0%	100%
9	शिलिंग	80.0%	15.0%	3.0%	2.0%	0.0%	100%
10	मदरमा	70.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	100%
11	दारमा	80.0%	10.0%	5.0%	5.0%	0.0%	100%
योग		**47.2%**	**12.5%**	**34.7%**	**5.5%**	**0.1%**	**100%**
प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण में बदलाव							
1	लीलम	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100%
2	लास्पा	15.0%	40.0%	35.0%	10.0%	0.0%	100%
3	रालम	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100%
4	बौना	50.0%	-25.0%	-15.0%	-10.0%	0.0%	0%
5	तोमिक	49.7%	-28.3%	-16.7%	-4.7%	0.0%	0%
6	बाता	-8.8%	-10.0%	16.5%	1.3%	1.0%	0%
7	टॉगा	-41.7%	-41.7%	-12.5%	-4.2%	0.0%	-100%
8	ढिमढिमियॉ	-19.7%	-19.5%	29.7%	9.5%	0.0%	0%
9	शिलिंग	80.0%	15.0%	3.0%	2.0%	0.0%	100%
10	मदरमा	70.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	100%
11	दारमा	80.0%	10.0%	5.0%	5.0%	0.0%	100%
योग		**7.7%**	**-22.4%**	**16.3%**	**-1.7%**	**0.1%**	**0%**

सीमावर्ती गांवों में सड़क सुविधा :– विकासखण्ड मुनस्यारी की सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में आयोगीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 के अनुसार सड़क सुविधा से वंचित राजस्व ग्राम/तोक/मजरों की ग्राम पंचायतों का विवरण इस खण्ड में विवरण दिया गया है।

2. विकासखण्ड धारचूला में भारत–चीन सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित 11 ग्राम पंचायतों में से 06 ग्राम पंचायतों के 21 राजस्व ग्राम/तोक/मजरों में सितम्बर 2022 तक सड़क सुविधा का अभाव है।

सर्वेक्षण 2022 में विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत सड़क मार्ग से वंचित सीमावर्ती राजस्व ग्राम/तोक/मजरों का विवरण					
जनपद	विकासखण्ड	सड़क मार्ग की दूरी (किमी में)			
		0–5	6–10	10 से अधिक	कुल योग
पिथौरागढ़	मुनस्यारी	0	4	17	21
नामावली		0	बाता और ढिमढिमियॉ के 04 तोक	लीलम, रालम, शिलिंग और लास्पा के 17 तोक	21

अध्याय–11

राज्य के भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिकी

यह अध्याय भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों के विकासखण्ड भटवाड़ी, चमोली, धारचूला और मुनस्यारी में सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित सीमावर्ती ग्रामों में सामाजिक–आर्थिक विकास तथा मूलभूत सुविधाओं/सेवाओं हेतु करवाये गये सर्वेक्षण से आयोग को प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध की गई है। उक्त सर्वेक्षण ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से किया गया है जिसका सत्यापन एवं जांच संबंधित विकासखण्ड के सहायक खण्ड विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है।

मुख्य व्यवसाय :– आयोग द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य के भारत–चीन सीमा पर अवस्थित राजस्व ग्राम स्तर पर मुख्य व्यवसाय ''कृषि'' है, इसके बाद उद्यानीकरण और पशुपालन है। राजस्व ग्राम स्तर से प्राप्त आंकड़ों का औसत, सीमावर्ती विकासखण्डवार, नीचे दी गई सारणी और ग्राफ में प्रस्तुत किया गया हैं :–

भारत–चीन सीमा पर अवस्थित राजस्व ग्रामों में फरवरी 2024 में करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य व्यवसाय (औसतन)											
विकासखण्ड	अवस्थित राजस्व ग्राम	कृषि	उद्यानीकरण	पशुपालन	मनरेगा	मजदूरी	पर्यटन	सरकारी जॉब	प्राईवेट जॉब	अन्य	योग
भटवाड़ी	8	0.16%	66.33%	8.65%	2.20%	0.84%	15.00%	4.52%	2.30%	0.00%	100%
जोशीमठ	26	25.39%	2.46%	12.80%	18.30%	3.95%	14.82%	12.55 %	8.26%	1.46%	100%
मुनस्यारी	26	39.25%	0.71%	21.97%	14.41%	15.36 %	0.79%	3.19%	3.08%	1.23%	100%
धारचूला	65	27.00%	3.18%	18.71%	17.19%	13.29 %	2.73%	6.77%	5.20%	5.92%	100%
महायोग	**125**	**22.95%**	**18.17%**	**15.53%**	**13.03%**	**8.36%**	**8.34%**	**6.76%**	**4.71%**	**2.15%**	**100%**

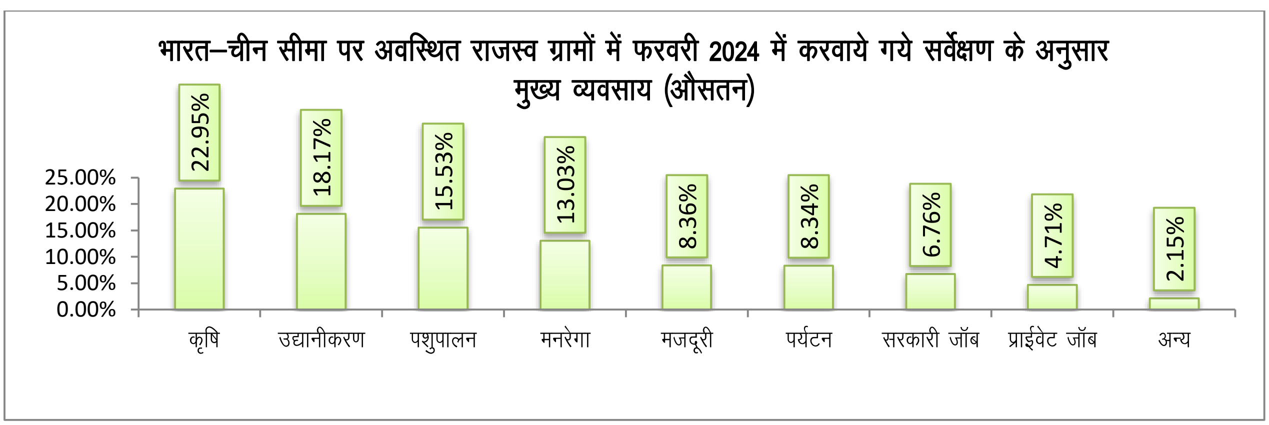

मुख्य व्यवसाय हेतु प्राप्त उपरोक्त आंकड़ों के विकासखण्डवार अध्ययन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं :–

1. विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि से औसतन 0.16% कम लोग ही जुडे हुए हैं जबकि विकासखण्ड के सीमावर्ती इलाकों में अधिकांश लोगों का उद्यानीकरण, पर्यटन और पशुपालन मुख्य व्यवसाय है।

2. विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत मुख्य व्यवसाय के रूप में अन्य कार्य एवं उद्यानीकरण औसतन 1.46% एवं 2.46% लोगों द्वारा बहुत कम अपनाया गया है क्योंकि विकासखण्ड के सीमावर्ती गांवों में अधिकांश लोगों का कृषि, मनरेगा, पर्यटन और पशुपालन मुख्य व्यवसाय है।
3. विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत मुख्य व्यवसाय के रूप में उद्यानीकरण एवं पर्यटन औसतन 0.71%व 0.79% लोगों द्वारा बहुत कम अपनाया गया है जबकि विकासखण्ड के सीमावर्ती गांवों में अधिकांश लोगों का कृषि, पशुपालन, मजदूरी और मनरेगा, मुख्य व्यवसाय है।
4. विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत मुख्य व्यवसाय के रूप में पर्यटन एवं उद्यानीकरण औसतन 2.73% व 3.18% लोगों द्वारा बहुत कम अपनाया गया है जबकि विकासखण्ड के सीमावर्ती गांवों में अधिकांश लोगों का कृषि, पशुपालन, मजदूरी और मनरेगा, मुख्य व्यवसाय है।
5. सीमावर्ती विकासखण्ड जोशीमठ, मुनस्यारी और धारचूला के सीमावर्ती गांवों में उद्यानीकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
6. मुनस्यारी और धारचूला सीमावर्ती विकासखण्डों के सीमावर्ती गांवों में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया दिया जाय।

मुख्य फसल :– राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका अधिकांशतय कृषि, बागवानी और पशुपालन पर निर्भर रहती है। जिसके वर्ष 2018 एवं वर्ष 2023 में आयोग द्वारा प्रकाशित अंतरिम रिपोर्ट के आंकड़ें भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं :–

आयोग की प्रकाशित अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार मुख्य व्यवसाय (औसतन)	
रिपोर्ट/मुख्य व्यवसाय	कृषि, उद्यानीकरण, पशुपालन
आयोग की अंतरिम रिपोर्ट 2018	48.34
आयोग की अंतरिम रिपोर्ट 2023	45.07

आयोग द्वारा भारत–चीन सीमावर्ती गांवों के अन्तर्गत फरवरी 2024 में करवाये गये सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अध्ययन से भी यही प्रमाण स्पष्ट हुआ कि सीमावर्ती गांवों में भी कृषि, उद्यानीकरण और पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय है। कृषि और उद्यानीकरण की विस्तृत जानकारी के लिए आयोग द्वारा मुख्य फसल के आंकड़ें भी एकत्रित किये गये। प्राप्त आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि भारत–चीन सीमा पर अवस्थित राजस्व ग्राम स्तर पर मुख्य फसल ''दाल और सब्जी उत्पादन'' है, जिनका आंकड़ा औसतन 41.12% है, जबकि संबंधित क्षेत्रों के अन्तर्गत झंगोरा मात्र 1.18% ही मुख्य फसल के रूप में उत्पादन हो रहा है। राजस्व ग्राम स्तर से प्राप्त आंकड़ों का औसत, सीमावर्ती विकासखण्डवार, नीचे दी गई सारणी और ग्राफ में प्रस्तुत किया गया हैं:–

भारत–चीन सीमा पर अवस्थित राजस्व ग्रामों में फरवरी 2024 करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य फसल (औसतन)									
विकासखण्ड	गेहूँ	धान	सरसों	मडुवा	झंगोरा	दाल	मसाले	सब्जी	अन्य	योग
भटवाड़ी	0.00%	0.00%	4.75%	0.00%	0.00%	85.00%	1.44%	8.81%	0.00%	100%
जोशीमठ	1.67%	1.67%	1.67%	7.00%	0.50%	26.96%	1.75%	25.29%	33.50%	100%
मुनस्यारी	12.14%	12.62%	22.44%	5.01%	0.54%	7.16%	1.26%	32.42%	6.42%	100%
धारचूला	18.46%	15.63%	6.17%	9.84%	3.70%	11.85%	7.73%	14.32%	12.30%	100%
महायोग	**8.06%**	**7.48%**	**8.76%**	**5.46%**	**1.18%**	**32.74%**	**3.05%**	**20.21%**	**13.05%**	**100%**

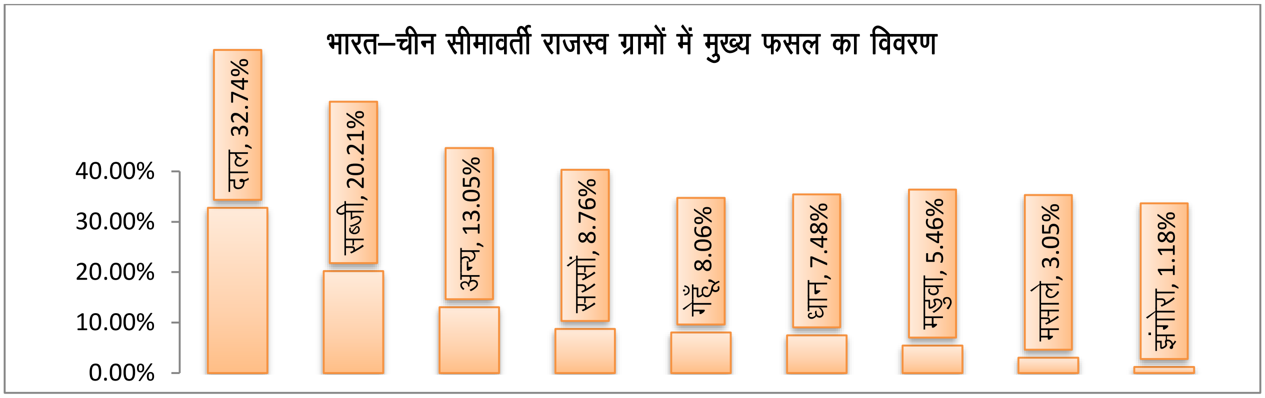

मुख्य फसल हेतु प्राप्त उपरोक्त आंकड़ों के विकासखण्डवार अध्ययन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं :–

1. विकासखण्ड भटवाड़ी में सीमावर्ती क्षेत्रों के अन्तर्गत मसाला उत्पादन सबसे कम औसतन 1.44% मुख्य फसल के रूप में अपनाया हुआ है। जबकि संबंधित क्षेत्रों की मुख्य फसल अधिकांशतः दाल है।
2. सीमावर्ती विकासखण्ड जोशीमठ में सीमावर्ती गांवों में झंगोरा उत्पादन अन्य विकासखण्डों की अपेक्षा सबसे कम औसतन 0.50% मुख्य फसल के रूप में अपनाया हुआ है। जबकि संबंधित गांवों की मुख्य फसल अधिकांशतः दाल और सब्जी है।
3. सीमावर्ती विकासखण्ड मुनस्यारी में सीमावर्ती गांवों में झंगोरा को सबसे कम औसतन 0.54% मुख्य फसल के रूप में उत्पादन किया जा रहा है। जबकि संबंधित गांवों की मुख्य फसल अधिकांशतः सब्जी और सरसों है।
4. सीमावर्ती विकासखण्ड धारचूला में सीमावर्ती गांवों में झंगोरा का सबसे कम औसतन 3.70% मुख्य फसल के रूप में उत्पादन किया जा रहा है। जबकि संबंधित गांवों की मुख्य फसल अधिकांशतः गेहूँ और धान है।
5. धारचूला विकासखण्ड की अपेक्षा अन्य सीमावर्ती विकासखण्डों के राजस्व ग्रामों में मुख्य फसल की ओर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

जंगली जानवरों का जोखिम :– आयोग द्वारा फरवरी 2024 में करवाये गये सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य के भारत–चीन सीमा पर अवस्थित राजस्व ग्राम स्तर पर ''भालू और लंगूर'' का जोखिम अधिक है, जिसका आंकड़ा औसतन 50.43% है, जबकि संबंधित क्षेत्रों के अन्तर्गत बाघ और तेंदुआ का जोखिम, चूहों के जोखिम से लगभग 2. 95% कम है, जो कि लगभग 6.35% है। राजस्व ग्राम स्तर से प्राप्त आंकड़ों का औसत, सीमावर्ती विकासखण्डवार, नीचे दी गई सारणी और ग्राफ में प्रस्तुत किया गया हैं :–

भारत–चीन सीमावर्ती राजस्व ग्राम में जंगली जानवरों का आंतक (लगभग प्रतिशत में)									
विकासखण्ड	बाघ	बंदर	सूअर	भालू	तेंदुवा	लंगूर	चूहा/साही	अन्य	योग
भटवाड़ी	1.13%	0.76%	3.75%	34.39%	1.39%	57.14%	1.44%	0.00%	100%
जोशीमठ	5.96%	9.44%	22.59%	27.68%	3.04%	2.18%	12.41%	16.70%	100%
मुनस्यारी	3.33%	23.11%	6.63%	41.67%	3.41%	10.93%	9.56%	1.37%	100%
धारचूला	2.04%	25.18%	16.61%	10.87%	5.10%	16.87%	13.78%	9.54%	100%
महायोग	**3.12%**	**14.62%**	**12.40%**	**28.65%**	**3.24%**	**21.78%**	**9.30%**	**6.90%**	**100%**

जंगली जानवरों के जोखिम हेतु प्राप्त उपरोक्त आंकड़ों के विकासखण्डवार अध्ययन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं :–

1. विकासखण्ड भटवाड़ी में सीमावर्ती गांवों के अन्तर्गत बाघ और तेंदुवा का जोखिम, औसतन 2.52% सूअर के आंतक से भी 1.23% कम है जबकि भालू और लंगूर का जोखिम अन्य जानवरों की अपेक्षा सबसे अधिक औसतन 91.53% है। जो कि सेब उत्पादकों के लिए अधिक जोखिम भरा है।
2. विकासखण्ड जोशीमठ में सीमावर्ती गांवों के अन्तर्गत तेंदुआ और लंगूर का जोखिम, औसतन 5.22% बाघ के आंतक से भी 0.74% कम है जबकि भालू और सूअर का जोखिम अन्य जानवरों की अपेक्षा सबसे अधिक औसतन 50.27% है। जो कि सीमावर्ती कृषकों के लिए अधिक जोखिम भरा है।
3. विकासखण्ड मुनस्यारी में सीमावर्ती गांवों के अन्तर्गत बाघ और तेंदुआ का जोखिम, औसतन 6.74% सूअरों के आंतक के लगभग समानान्तर है जबकि भालू और बंदर का जोखिम अन्य जानवरों की अपेक्षा सबसे अधिक औसतन 64. 78% है। जो कि सीमावर्ती कृषकों के लिए अधिक जोखिम भरा है।
4. विकासखण्ड धारचूला में सीमावर्ती गांवों के अन्तर्गत बाघ और तेंदुआ का जोखिम, औसतन 7.15% भालू के आंतक के लगभग 3.73% कम है जबकि बंदर, लंगूर और सूअर का जोखिम अन्य जानवरों की अपेक्षा सबसे अधिक औसतन 58.66% है। जो कि सीमावर्ती कृषकों के लिए अधिक जोखिम भरा है।
5. जंगली जानवरों के जोखिम को कम करने के लिए भारत–चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्नवत दी गई सारणीनुसार वन्यजीव विहार स्थापित किये जाय। विकासखण्ड में प्रस्तावित वन्यजीव विहार के अतिरिक्त जंगली जानवरों को अन्य विकासखण्ड में प्रस्तावित वन्यजीव विहार में स्थानान्तरित कर सुरक्षित किया जाय।

सीमावर्ती विकासखण्डों के गांवों में जंगली जानवरों के जोखिम को कम करने हेतु प्रस्तावित वन्यजीव विहार	
विकासखण्ड	वन्यजीव विहार
भटवाड़ी	भालू
जोशीमठ	सूअर
मुनस्यारी	बाघ
धारचूला	बंदर और लंगूर

सीमावर्ती गांवों में पर्यटन सुविधाओं का आच्छादन :– राज्य में पर्यटन सुविधाओं को और अधिक बढ़ाये जाने की अपार सम्भावनाएं हैं। जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र व्यापक योगदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक, प्राकृतिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। उक्त पर्यटन स्थलों के सबलता के साथ–साथ नये पर्यटन स्थलों की स्थापना हो और उनके आस–पास पर्यटन की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि सीमावर्ती पर्यटन अपने नये आयाम को प्राप्त कर पाये।

आयोग द्वारा फरवरी 2024 में करवाये गये सर्वेक्षण से पर्यटन सुविधाओं के लिए प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य के भारत–चीन सीमा पर अवस्थित ग्रामीण क्षेत्रों पर होटल और होमस्टे का योगदान अन्य सुविधाओं से अपेक्षाकृत सबसे अधिक 78% है। सीमावर्ती राजस्व गांवों से प्राप्त आंकड़ों का विवरण विकासखण्डवार एवं राजस्व ग्रामवार नीचे दी गई सारणी और ग्राफ में दर्शाया गया हैं।

भारत–चीन सीमावर्ती राजस्व ग्राम में पर्यटन सुविधाओं का विवरण (लगभग संख्या में)							
विकासखण्ड / सुविधाएं	होमस्टे	होटल	धर्मशाला	पेइंगैस्ट	अतिथि गृह	अन्य	योग
धारचूला	169	186	1	1	36	82	475
जोशीमठ	62	58	1	3	15	3	142

भटवाड़ी	43	72	1	3	3	0	122
मुनस्यारी	3	6	2	0	5	3	19
महायोग	**277**	**322**	**5**	**7**	**59**	**88**	**758**

भारत–चीन सीमावर्ती राजस्व ग्राम में पर्यटन सुविधाओं का अवरोही विवरण (लगभग संख्या में)											
क्र0सं0	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	होमस्टे	होटल	धर्मशाला	पेइंगेस्ट	अतिथि गृह	अन्य	योग
1	पिथौरागढ	धारचूला	दातू	दातू	30	10	0	0	5	5	50
2	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	धराली	धराली	8	30	1	0	0	0	39
3	चमोली	जोशीमठ	पांडुकेश्वर	पांडुकेश्वर	10	25	1	0	2	0	38
4	पिथौरागढ	धारचूला	नाबी	नाबी	25	5	0	0	2	5	37
5	चमोली	जोशीमठ	भ्यूंडार	पुलना चक भ्यूंडार	10	25	0	0	0	0	35
6	पिथौरागढ	धारचूला	बलुवाकोट	बलुवाकोट	0	35	0	0	0	0	35
7	पिथौरागढ	धारचूला	गुंजी	गुंजी	20	5	0	0	2	5	32
8	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	झाला	झाला	8	20	0	0	0	0	28
9	पिथौरागढ	धारचूला	कालिका	कालिका	0	27	0	0	0	0	27
10	पिथौरागढ	धारचूला	तिदांग	तिदांग	19	4	0	0	0	2	25
11	पिथौरागढ	धारचूला	सीपू	सीपू	15	2	0	0	5	2	24
12	पिथौरागढ	धारचूला	नपलच्यू	नपलच्यू	5	5	0	0	2	10	22
13	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	हर्षिल	हर्षिल	3	12	0	3	3	0	21
14	पिथौरागढ	धारचूला	दुतीबगड	दुतीबगड	0	15	0	0	1	0	16
15	पिथौरागढ	धारचूला	कुटी	कुटी	9	0	0	0	4	3	16
16	पिथौरागढ	धारचूला	पांगला	पांगला	5	6	0	0	0	5	16
17	पिथौरागढ	धारचूला	सुवा	सुवा	15	0	0	0	0	0	15
18	पिथौरागढ	धारचूला	गर्ब्यांग	गर्ब्यांग	3	10	0	0	1	1	15
19	पिथौरागढ	धारचूला	बूंदी	बूंदी	5	5	1	0	2	1	14
20	पिथौरागढ	धारचूला	बुंगबुंग	बुंगबुंग	0	10	0	0	2	2	14
21	पिथौरागढ	धारचूला	दुग्तू	दुग्तू	5	4	0	0	1	3	13
22	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	जसपुर	जसपुर (टकनौर)	7	5	0	0	0	0	12
23	चमोली	जोशीमठ	माणा	माणा	12	0	0	0	0	0	12
24	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	बगोरी	बगोरी	10	0	0	0	0	0	10
25	चमोली	जोशीमठ	गमशाली	गमशाली	7	0	0	0	2	1	10
26	पिथौरागढ	धारचूला	सिर्दांग	सिर्दांग	0	0	0	0	0	10	10
27	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	सुक्की	सुक्की	4	5	0	0	0	0	9
28	पिथौरागढ	धारचूला	गो	गो ढाकर	5	1	0	0	1	1	8
29	पिथौरागढ	धारचूला	धारचूला देहात	धारचूला देहात	0	8	0	0	0	0	8

30	पिथौरागढ	धारचूला	स्यांकुरी	स्यांकुरी	0	8	0	0	0	0	8
31	चमोली	जोशीमठ	भ्यूडार	भ्यूडार	5	2	0	0	0	0	7
32	पिथौरागढ	धारचूला	तॉकुल	तॉकुल	0	4	0	0	0	3	7
33	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लीलम	मिलम	1	4	0	0	1	0	6
34	पिथौरागढ	धारचूला	सिर्खा	सिर्खा	3	0	0	0	2	1	6
35	चमोली	जोशीमठ	कैलाशपुर	कैलाशपुर	3	0	0	0	2	0	5
36	चमोली	जोशीमठ	कोषा	कोषा	3	1	0	0	1	0	5
37	चमोली	जोशीमठ	मलारी	मलारी	3	1	0	0	1	0	5
38	पिथौरागढ	धारचूला	सोसा	सोसा	2	0	0	0	2	1	5
39	चमोली	जोशीमठ	फरकिया	फरकिया	1	2	0	0	1	0	4
40	पिथौरागढ	धारचूला	ज्योतिपॉगूं	ज्योतिपॉगूं	1	0	0	0	1	2	4
41	पिथौरागढ	धारचूला	रौंग कौग	रौंग कौग	0	2	0	0	1	1	4
42	पिथौरागढ	धारचूला	खेत	खेत	0	4	0	0	0	0	4
43	पिथौरागढ	धारचूला	पय्यापौडी	पय्यापौडी	0	4	0	0	0	0	4
44	पिथौरागढ	धारचूला	ढुगांतोली	ढुगांतोली	0	4	0	0	0	0	4
45	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	मुखवा	मुखवा	3	0	0	0	0	0	3
46	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लास्पा	मर्तोली	1	1	0	0	1	0	3
47	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	टॉगा	लोदी	0	0	0	0	0	3	3
48	चमोली	जोशीमठ	नीती	नीती	1	0	0	0	1	1	3
49	चमोली	जोशीमठ	तोलमा	तोलमा	1	1	0	0	1	0	3
50	चमोली	जोशीमठ	लाता	लाता	2	1	0	0	0	0	3
51	पिथौरागढ	धारचूला	जम्कू	जम्कू	0	3	0	0	0	0	3
52	पिथौरागढ	धारचूला	रुंग	रुंग	0	0	0	0	0	3	3
53	पिथौरागढ	धारचूला	मार्छा	मार्छा	0	0	0	0	0	3	3
54	पिथौरागढ	धारचूला	बौन	बौन	0	0	0	0	0	3	3
55	पिथौरागढ	धारचूला	फिलम	फिलम	0	0	0	0	0	3	3
56	पिथौरागढ	धारचूला	हिमखोला	हिमखोला	0	0	0	0	0	3	3
57	पिथौरागढ	धारचूला	रांथी	रांथी	0	3	0	0	0	0	3
58	चमोली	जोशीमठ	बाम्पा	बाम्पा	1	0	0	0	1	0	2
59	चमोली	जोशीमठ	कागा	गरपक	0	0	0	1	1	0	2
60	चमोली	जोशीमठ	कागा	कागा	0	0	0	1	1	0	2
61	चमोली	जोशीमठ	लामगबड	खीरोंलामबगड	2	0	0	0	0	0	2
62	चमोली	जोशीमठ	महेरगांव	महेरगांव	0	0	0	0	1	1	2
63	पिथौरागढ	धारचूला	जिप्ती	गालागाड	0	0	0	1	1	0	2
64	पिथौरागढ	धारचूला	छलमाछिलासो	छलमाछिलासो	0	0	0	0	0	2	2
65	पिथौरागढ	धारचूला	धारपॉगूं	धारपॉगूं	0	0	0	0	0	2	2

66	पिथौरागढ	धारचूला	दूतीबागड	थाम	0	2	0	0	0	0	2
67	पिथौरागढ	धारचूला	जयकोट	जयकोट	2	0	0	0	0	0	2
68	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लीलम	विज्लू	0	1	0	0	0	0	1
69	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लीलम	टौला	0	0	0	0	1	0	1
70	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लास्पा	लास्पा	1	0	0	0	0	0	1
71	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लास्पा	पांछू गूठ	0	0	0	0	1	0	1
72	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लास्पा	रिलकोट	0	0	1	0	0	0	1
73	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	रालम	रालम	0	0	0	0	1	0	1
74	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	दारमा	दारमा	0	0	1	0	0	0	1
75	चमोली	जोशीमठ	द्रोणागिरी	द्रोणागिरी	0	0	0	1	0	0	1
76	चमोली	जोशीमठ	औथहनुमानचट्टी	औथहनुमानचट्टी	1	0	0	0	0	0	1
77	पिथौरागढ	धारचूला	उमचिया	तिजम	0	0	0	0	1	0	1
78	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	मुखवा	नेलांग	0	0	0	0	0	0	0
79	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	मुखवा	जांदुग	0	0	0	0	0	0	0
80	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	पुराली	पुराली	0	0	0	0	0	0	0
81	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लीलम	खिलांच	0	0	0	0	0	0	0
82	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लीलम	सुम्तू	0	0	0	0	0	0	0
83	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लास्पा	ल्वॉ	0	0	0	0	0	0	0
84	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लास्पा	गन्धर	0	0	0	0	0	0	0
85	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लास्पा	मापा	0	0	0	0	0	0	0
86	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	लास्पा	पोटिंग	0	0	0	0	0	0	0
87	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	बौना	बौना	0	0	0	0	0	0	0
88	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	तोमिक	तोमिक	0	0	0	0	0	0	0
89	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	बाता	बाता	0	0	0	0	0	0	0
90	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	बाता	र्नितोली	0	0	0	0	0	0	0
91	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	टॉगा	टॉगा	0	0	0	0	0	0	0
92	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	टॉगा	बिन्दी	0	0	0	0	0	0	0
93	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	टॉगा	फर्वेकोट	0	0	0	0	0	0	0
94	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	ढिमढिमियॉ	ढीलम	0	0	0	0	0	0	0
95	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	शिलिंग	शिलिंग	0	0	0	0	0	0	0
96	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	शिलिंग	सेरा	0	0	0	0	0	0	0
97	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	शिलिंग	खर्तोली	0	0	0	0	0	0	0
98	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	मदरमा	मदरमा	0	0	0	0	0	0	0
99	चमोली	जोशीमठ	द्रोणागिरी	लमतोली	0	0	0	0	0	0	0
100	चमोली	जोशीमठ	फरकिया	रेवल चेक कुरकुटी	0	0	0	0	0	0	0
101	चमोली	जोशीमठ	लामगबड	अरूणी पटूणी	0	0	0	0	0	0	0
102	चमोली	जोशीमठ	जेलम	जेलम	0	0	0	0	0	0	0
103	चमोली	जोशीमठ	जेलम	जुम्मा	0	0	0	0	0	0	0
104	चमोली	जोशीमठ	तोलमा	पगरासू	0	0	0	0	0	0	0
105	चमोली	जोशीमठ	तोलमा	फागती	0	0	0	0	0	0	0
106	चमोली	जोशीमठ	थैग	थैग	0	0	0	0	0	0	0

107	चमोली	जोशीमठ	भल्लागांव	भल्लागांव	0	0	0	0	0	0	0
108	चमोली	जोशीमठ	भल्लागांव	सूकी	0	0	0	0	0	0	0
109	पिथौरागढ	धारचूला	जिप्ती	जिप्ती	0	0	0	0	0	0	0
110	पिथौरागढ	धारचूला	छलमाछिलासो	पुनलाभटका	0	0	0	0	0	0	0
111	पिथौरागढ	धारचूला	ज्योतिपॉगू	सांगडी ढकढोना	0	0	0	0	0	0	0
112	पिथौरागढ	धारचूला	धारपॉगूं	गुमकाना	0	0	0	0	0	0	0
113	पिथौरागढ	धारचूला	धारपॉगूं	तन्तागांव रौतो	0	0	0	0	0	0	0
114	पिथौरागढ	धारचूला	गो	खिमलिंग	0	0	0	0	0	0	0
115	पिथौरागढ	धारचूला	उमचिया	उमचिया	0	0	0	0	0	0	0
116	पिथौरागढ	धारचूला	उमचिया	वतन	0	0	0	0	0	0	0
117	पिथौरागढ	धारचूला	न्यू	न्यू	0	0	0	0	0	0	0
118	पिथौरागढ	धारचूला	न्यू	सोबला	0	0	0	0	0	0	0
119	पिथौरागढ	धारचूला	जम्कू	लुम	0	0	0	0	0	0	0
120	पिथौरागढ	धारचूला	मेतली	मेतली	0	0	0	0	0	0	0
121	पिथौरागढ	धारचूला	किमखोला	किमखोला	0	0	0	0	0	0	0
122	पिथौरागढ	धारचूला	बौंगलिंग	बौंगलिंग	0	0	0	0	0	0	0
123	पिथौरागढ	धारचूला	दर	दर	0	0	0	0	0	0	0
124	पिथौरागढ	धारचूला	गर्गुवा	गर्गुवा	0	0	0	0	0	0	0
125	पिथौरागढ	धारचूला	खेला	खेला	0	0	0	0	0	0	0
126	पिथौरागढ	धारचूला	जुम्मा	जुम्मा	0	0	0	0	0	0	0
127	पिथौरागढ	धारचूला	गलाती	गलाती	0	0	0	0	0	0	0
128	पिथौरागढ	धारचूला	रमतोली	रमतोली	0	0	0	0	0	0	0
129	पिथौरागढ	धारचूला	खुमती	खुमती	0	0	0	0	0	0	0
130	पिथौरागढ	धारचूला	छारछुम	छारछुम	0	0	0	0	0	0	0
131	पिथौरागढ	धारचूला	तोली	तोली	0	0	0	0	0	0	0
132	पिथौरागढ	धारचूला	बरम	बरम	0	0	0	0	0	0	0
133	पिथौरागढ	धारचूला	कनार	कनार	0	0	0	0	0	0	0
134	पिथौरागढ	धारचूला	बंगापानी	बंगापानी	0	0	0	0	0	0	0
135	पिथौरागढ	धारचूला	जाराजिवली	जाराजिवली	0	0	0	0	0	0	0
136	पिथौरागढ	धारचूला	लुमती	लुमती	0	0	0	0	0	0	0
योग					**277**	**322**	**5**	**7**	**59**	**88**	**758**

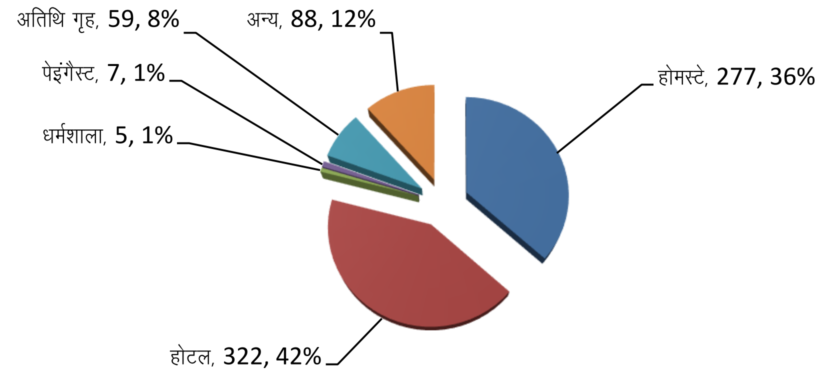

भारत–चीन सीमावर्ती राजस्व ग्राम में पर्यटन सुविधाओं का विवरण

सीमावर्ती गांवों में शिक्षा सुविधाओं का आच्छादन :– किसी भी स्थान विशेष के लिए शिक्षा के अभाव में सामाजिक–आर्थिक विकास की कल्पना करना सार्थक नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी देहरादून से 170 से 477 किमी की दूरी पर अवस्थित सीमावर्ती विकासखण्डों के अन्तर्गत उन राजस्व ग्रामों में शिक्षण सुविधाओं का सर्वेक्षण फरवरी 2024 में करवाया गया जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 10 किमी की हवाई दूरी बसे हुए हैं।

सर्वेक्षण से शिक्षण सुविधाओं के लिए प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि विकासखण्ड मुनस्यारी के सीमावर्ती गांवों में हाईस्कूल और इण्टर कॉलेज हेतु आंकड़ें शून्य प्राप्त होना, पलायन पर अंकुश लगाने के लिए शुभ संकेत नहीं है। सीमावर्ती राजस्व गांवों से प्राप्त आंकड़ों का विकासखण्डवार विवरण नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया हैं। आंकड़ों से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं :–

1. शिक्षण सुविधाओं के लिए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सीमावर्ती गांवों में लगभग 11 से 14 छात्र संख्या पर एक शिक्षक राजकीय प्राथमिक से राजकीय इण्टर कालेज में कार्य कर रहा है।
2. सीमावर्ती गांवों की भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी होती है कि वो एक दूसरे से काफी दूरी पर अवस्थित होते हैं जिसक कारण शिक्षण का लाभ लेने के लिए बच्चों को लगभग 5 किमी की दूरी हर रोज तय करनी पड़ती है। जो कि सर्वेक्षित 136 राजस्व ग्रामों की संख्या का निम्नवत सारणी में दिये गये आंकड़ों के साथ तुलना से समझा जा सकता है।

भारत–चीन सीमावर्ती राजस्व ग्राम में शिक्षण सुविधाओं का विवरण (लगभग संख्या में)								
विकासखण्ड / सुविधाएं	रा0 प्राथमिक		रा0 जूनियर		रा0 हाईस्कूल		रा0 इण्टर कॉलेज	
	शिक्षक	विद्यार्थी	शिक्षक	विद्यार्थी	शिक्षक	विद्यार्थी	शिक्षक	विद्यार्थी
धारचूला	250	2708	91	1077	80	1153	155	2103
जोशीमठ	20	210	7	33	8	112	8	105
भटवाड़ी	9	99	7	44	5	10	10	33
मुनस्यारी	10	139	4	36	0	0	0	0
महायोग	**289**	**3156**	**109**	**1190**	**93**	**1275**	**173**	**2241**

शिक्षण सुविधाओं से युक्त भारत–चीन सीमावर्ती राजस्व ग्रामों का विवरण				
विकासखण्ड / शिक्षण सुविधा	रा0 प्राथमिक	रा0 जूनियर	रा0 हाईस्कूल	रा0 इण्टर कॉलेज
	गांव के अन्दर	गांव के अन्दर	0 से 01 किमी. के अन्दर	0 से 05 किमी. के अन्दर
	सीमावर्ती राजस्व ग्राम की संख्या			
धारचूला	57	30	28	30
जोशीमठ	10	6	2	1
भटवाड़ी	7	4	3	5
मुनस्यारी	9	2	0	0
महायोग	**83**	**42**	**33**	**36**

सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं का आच्छादन :– भारत–चीन सीमा से सटे विकासखण्ड भटवाड़ी, जोशीमठ, मुनस्यारी और धारचूला में समुद्र तल से 940 मीटर से 4250 मीटर की ऊँचाई पर अवस्थित गांवों में बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के निवास करना जोखिम भरा है।

इस खण्ड में सर्वेक्षण से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 136 राजस्व ग्रामों के मध्य 20 स्वास्थ्य सुविधाएं 11 डॉक्टरों और 40 पैरामेडिकल स्टाफ के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। सीमावर्ती राजस्व गांवों से प्राप्त आंकड़ों का विकासखण्डवार विवरण नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया हैं।

भारत–चीन सीमावर्ती गांवों में चिकित्सा सुविधा का विवरण			
विकासखण्ड	स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या	डॉक्टरों की संख्या	पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या
धारचूला	11	6	19
जोशीमठ	7	3	16
भटवाड़ी	1	1	4
मुनस्यारी	1	1	1
योग	**20**	**11**	**40**

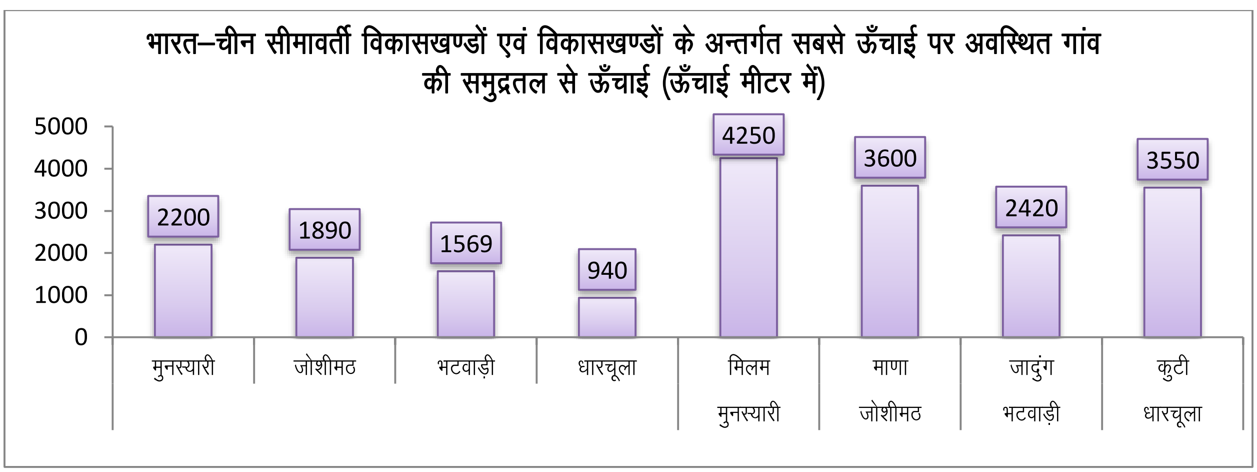

सीमावर्ती गांवों में पेयजल सुविधा का आच्छादन :– विकासखण्ड भटवाड़ी, जोशीमठ, मुनस्यारी और धारचूला में भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर अवस्थित गांवों में पेयजल सुविधा का विश्लेषण यह खण्ड प्रस्तुत करता है। आंकड़ों का विकासखण्डवार विवरण नीचे सारणी में दिये गये हैं:–

विकासखण्ड / सुविधा / दूरी	पेयजल की उपलब्धता दूरी	
	0 से 500 मी.	500 मी. से अधिक
धारचूला	63	2
जोशीमठ	24	2
भटवाड़ी	8	0
मुनस्यारी	11	15
योग	**106**	**19**

सीमावर्ती गांवों में ईंधन गैस, सरकारी सस्ता गल्ला और किराना दुकान की सुविधा का आच्छादन :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर विकासखण्ड भटवाड़ी, जोशीमठ, मुनस्यारी और धारचूला के अन्तर्गत अवस्थित गांवों में ईंधन गैस, सरकारी सस्ता गल्ला और किराना दुकान की उपलब्धता का विश्लेषण यह खण्ड प्रस्तुत करता है। आंकड़ों का विकासखण्डवार विवरण नीचे सारणी में दिये गये हैं:–

भारत–चीन सीमावर्ती गांवों में ईंधन गैस, सरकारी सस्ता गल्ला और किराना दुकान की उपलब्धता का विवरण						
विकासखण्ड / सुविधा / दूरी	ईंधन गैस की उपलब्धता		FPS की उपलब्धता		किराना दुकान की उपलब्धता	
	0 से 01 किमी के अन्दर	01 किमी. से बाहर	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
धारचूला	3	62	36	29	51	14
जोशीमठ	11	15	13	13	20	6
भटवाड़ी	8	0	6	2	5	3
मुनस्यारी	0	26	0	26	1	25
योग	**22**	**103**	**55**	**70**	**77**	**48**

सीमावर्ती गांवों में इन्टरनेट और सुरक्षा व्यवस्था का आच्छादन :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी पर सटे सीमावर्ती गांवों में इन्टरनेट और सुरक्षा व्यवस्था का विश्लेषण यह खण्ड प्रस्तुत करता है। आंकड़ों का विकासखण्डवार विवरण नीचे सारणी में दिये गये हैं। आंकड़ों से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं :–

1. इन्टरनेट और सुरक्षा व्यवस्था के लिए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सीमावर्ती गांवों में इन्टरनेट और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत–चीन सीमावर्ती गांवों में इण्टरनेट एवं सुरक्षा व्यवस्था का विवरण								
विकासखण्ड / सुविधा / दूरी	मनोरंजन की सुविधा				सुरक्षा व्यवस्था			
	इन्टरनेट की सुविधा		इन्टरनेट की गुणवत्ता		पटवारी चौकी		कोतवाली	
	हाँ	नहीं	सन्तोषजनक	असन्तोषजनक	0 से 01 किमी के अन्दर	01 किमी से अधिक	0 से 01 किमी के अन्दर	01 किमी से अधिक
धारचूला	25	40	5	20	12	53	5	60
जोशीमठ	18	8	13	5	1	25	1	25
भटवाड़ी	8	0	8	0	4	4	3	5
मुनस्यारी	5	21	2	3	0	26	0	26
योग	56	69	28	28	17	108	9	116

सीमावर्ती गांवों में सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव एवं पर्यटक स्थल :– भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किमी की हवाई दूरी सटे सीमावर्ती गांवों में सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव एवं पर्यटक स्थल का विवरण नीचे सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

भारत–चीन सीमावर्ती गांवों के अन्तर्गत सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों एवं पर्यटक स्थलों का विवरण		
विकासखण्ड / धार्मिक उत्सव एवं पर्यटन स्थल	प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक उत्सव	प्रसिद्ध धार्मिक / पर्यटन स्थल
धारचूला	12 वर्ष में कण्डाली उत्सव, छिपला केदार यात्रा, दशहरा महोत्सव, गुमिकंग, गौरा महोत्सव, कृषि मेला, दातू मैला, व्यास ऋषि मेला, जुमूलिपा जारो मेला, दबौचो मेला आदि।	श्री नारायण स्वामी, पंचाचूली, महादेव गुफा, लापा ग्लेशियर, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, आदि कैलाश, पार्वती सरोवर, गौरी कुण्ड, ऊँ पर्वत, मन्ती बुग्याल, रामा बुग्याल, छियालेख घाटी, हाथी पहाड, आदि।
जोशीमठ	माता मूर्ति मेला, घण्टाकर्ण मेला, लस्पा बगडवाल नृत्य, नन्दा अष्टमी, जाख देवता, अणू दाणै देवता, योगध्यान बद्री उत्सव, हेम कुण्ड साहिब यात्रा, आदि।	माता मूर्ति मंदिर, ब्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, भीम फल, गणेश गुफा, घण्टाकर्ण (मणि कौशका) मन्दिर, केशव प्रभाग, बसुधारा, संतोपंथ, चिनाब घाटी साहसिक ट्रेक रूट, टिमरासैण महादेव, गमशाली से फूलों की घाटी ट्रेक, गमशाली से माणा ट्रेक आदि।
भटवाड़ी	हरदूद सेलकु मेला, लोसर मेला, पाण्डव नृत्य मेला, आदि।	गंगा मंदिर (मां गंगा का शीत कालीन प्रवास मुखुवा में), अवाना बुग्याल, ज्वाल्पा देवी, सोमेश्वर देवता मंदिर, ऋषिवन बुग्याल, ब्रह्मीताल, कल्प केदार, जिण्डा बुग्याल सात ताल, नाग देवता मंदिर, पंचनाम देवता, पोखरी बुग्याल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, क्यारकोटी बुग्याल, रिंगाली देवी मंदिर, लाल देवता, बौद्ध मंदिर, कण्डारा बुग्याल, बंदर पूंछ ट्रैक ब्राह्मी ताल आदि।

मुनस्यारी	नन्दाअष्टमी, छिपला केदार आदि।	मिलम ग्लेशियर, सूरज कुण्ड, नन्दा देवी बेस कैंप, बनकटिया, रिलकोट नदी, वृद्धगंगा, शिथिला पर्वत, रालम ग्लेशियर, आदि।

सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ करने, पलायन पर अंकुश लगाने एव रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के उद्‌देश्य से विभिन्न विभागों के माध्यम से कई प्रकार की योजना का संचालन किया जा रहा है। जिनका संक्षिप्त जानकारी निम्नवत खण्ड में प्रस्तुत किया गया है।

अनुक्रमणिका		
क्र0 सं0	राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, निगम, संगठनों के नाम	जन कल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपर, कौशल विकास/शिक्षण प्रशिक्षण, योजनाओं/कार्यक्रमों, निवेशपरक नीतियों तथा मूलभूत सेवाओं का नाम एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उपयोग होने वाले प्रमाण पत्रों के नाम।
1	समाज कल्याण विभाग	1. वृद्धावस्था पेंशन, 2. निराश्रित विधवा पेंशन, 3. दिव्यांग पेशन, 4. तीलू रौतेली पेंशन योजना, 5. बौना पेंशन योजना, 6. किसान पेंशन, 7. परित्यक्ता पेंशन, 8. अनु.जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना, 9. निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना, 10. दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना, 11. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (भारत सरकार द्वारा संचालित), 12. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को कक्षा 01 से 08 तक की छात्रवृत्ति, 13. अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षा 09 तथा 10 की छात्रवृत्ति, 14. अनसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति, 15. पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति, 16. पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति, 17. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, 18. राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह का संचालन।
2	सैनिक कल्याण विभाग	1. पैन्यूरी ग्रांट, 2. मेडिकल ग्रांट, 3. विवाह हेतु अनुदान, 4. शिक्षा अनुदान, 5. वोकेशनल ट्रैनिंग अनुदान, 6. 100 प्रतिशत अशक्त बच्चों हेतु अनुदान, 7. निराश्रित अनुदान, 8. विशेष चिकित्सा सहायता, 9. भवन निर्माण हेतु लिये गये ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति, 10. मोबलिटि इक्विपमेन्ट सहायता, 11. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, 12. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. में प्रवेश, 13. वीरता पदक से अलंकृत सैनिको को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान राशि, 15. उत्तराखण्ड शहीद कोश अनुदान, 16. आवासीय सहायता अनुदान, 17. स्टाम्प ड्यूटी में छूट, 18. इंजीनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, 19. निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण, 20. निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण।
3	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	1. समेकित बाल विकास सेवायें (आई.सी.डी.एस), 2. किशोरी बालिका योजना, 3. मिशन शक्ति योजनान्तर्गत वन स्टॉप सेंटर, 4. मिशन शक्ति योजना–सामर्थ्य के अन्तर्गत प्रधानमंत्री मातृव्य वंदना योजना, 5. सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास), 6. नंदा गौरा योजना, 7. मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, 8. मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, 9. मुख्यमंत्री महालक्ष्मी महाकिट योजना, 10. मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, 11. तीलू रौतेली पुरस्कार, 12. सैनेटरी नैपकिन योजना, 13. आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष, 14. राष्ट्रीय महिला हैल्पलाईन 181।
4	महिला कल्याण विभाग	1. स्पॉसंरसिप योजना (90 प्रतिशत के.पो), 2. अनाथ बच्चों हेतु क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनाथ प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया, 3. राजकीय महिला कल्याण एवं

		पुनर्वास केन्द्र तथा महिला गृह में प्रवेश की प्रक्रिया, 4. शासकीय बाल देखरेख संस्थान, 5. दत्तक बच्चे ग्रहण करने की प्रक्रिया।
5	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	स्वरोजगार योजना ''अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु'', 2. मुख्यमंत्री हुनर योजना, 3. मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना, 4. अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100 प्रति.के.पो.), 5. अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना (100 प्रति.के.पो.), 6. अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना (100 प्रति.रा.पो.), 7. अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना, 8. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना, 9. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना।
6	श्रम विभाग	1. ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया, (असंगठित कामगारों का एकीकृत नेशनल डेटा बेस), 2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM), 3. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders) ।
7	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)	1. श्रमिक कार्ड एवं श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण, 2. पुत्र/पुत्री शिक्षा सहायता, 3. टूल–किट सहायता, 4. साईकिल/सिलाई मशीन सहायता, 5. सौर ऊर्जा सहायता, 6. छाता सहायता, 7. सैनेट्री नैपकीन, 8. शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता (02 किश्तों में), 9. भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु, 10. प्रसूति आर्थिक सहायता, 11. पुत्री विवाह आर्थिक सहायता, 12. निःशक्ता पेंशन, 13. वृद्धा पेंशन (60 वर्ष पूर्ण होने पर), 14. वृद्धा पेंशन (65 वर्ष पूर्ण होने पर), 15. कुटुम्ब पेंशन, 16. मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता।
8	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय अन्न योजना–गुलाबी राशन कार्ड), 2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार–सफेद राशन कार्ड), 3. राज्य खाद्य योजना (पीला राशन कार्ड), 4. मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना, 5. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना।
9	गृह (पुलिस) विभाग	1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनकी विधवाओं की मासिक/पारिवारिक पेंशन, 2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारियों को सम्मिलित रूप से अनुमन्य 'सम्मान पेंशन' योजना, 3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधु को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा, 4. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की पेंशन योजना, 5. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात् पेंशन दिये जाने की योजना, 6. आपाताकलीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा/डी.आई.आर. में कारागार में निरूद्व प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की ''लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन'' योजना, 7. आपाताकलीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा/डी.आई.आर. में कारागार में निरूद्व प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति को '' लोकतत्र सेनानी सम्मान पेंशन'' योजना।
10	न्याय विभाग (उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	1. विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना, 2. बहुउद्देशीय शिविरों/ जनजागरूकता शिविर/चिकित्सा शिविरों/विधिक सेवा शिविरों का आयोजन, 3. विशेष अभियान–''हमदर्द'', 4. ''उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020'', 5. ''विधिक सेवा रथ'' का संचालन/कार्यान्वयन।

11	बेसिक शिक्षा विभाग	1. निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक योजना, 2. निःशुल्क जूता एवं बैग योजना, 3. प्रधानमंत्री पोषण शक्तिनिर्माण (पी.एम. पोषण) योजना, 4. राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश पक्रिया।
12	माध्यमिक शिक्षा विभाग	1. आवासीय–राजीव गांधी नवोदय विद्यालय/राजीव गांधी अभिनव विद्यालय, 2. पंण्डित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार, 3. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल योजना) 4. डॉ शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति, 5. श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति, 6. आर.आई. एम.सी.छात्रवृत्ति (सैनिक छात्रवृत्ति), 7. प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति, 8. मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर कक्षा 11 एवं 12)।
13	समग्र शिक्षा परियोजना	1. ECCE (प्रारंम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा), 2. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका (छात्रावास), 3. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास, 4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 5. प्रधानमंत्री पोषण शक्तिनिर्माण (पी0एम0पोषण) योजना, 6. व्यावसाहियक शिक्षा कार्यक्रम।
14	उच्च शिक्षा विभाग	1. राज्य के मेधावी छात्रों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजना, 2. एन.डी.ए., आई.एम.ए., औ.टी.ए., आई.एन.ए, आई.ए.एफ., में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना, 3. मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरूस्कार योजना, 4. ऋषि एवं मिलन खोसला छात्रवृत्ति योजना, 5. प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिये जाने की योजना, 6. उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, 7. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रात्साहन योजना, 8. समर्थ पोर्टल https://uttarakhand.samarth.ac.in//index.php/site/login
15	संस्कृत शिक्षा विभाग	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम– 1. संस्कृत छात्र प्रतियोगिता, 2. अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन, 3. संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान, 4. अनुसूचित जाति एवं अनु जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना, 5. संस्कृत शोध छात्रवृत्ति योजना, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम – 1. पी.जी. डिप्लोमा , 2. सर्टिफिकेट, 3. मैरिट के आधार पर छात्रवृत्ति, 4. निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति
16	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग	1. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, 2. उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों/साहित्यकारों एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना, 3. लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता, 4. धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता, 5. अ0जा/जनजाति के व्यक्तियों के लिए पारम्परिक वाद्य यंत्रों, वेश–भूषा का क्रय करने हेतु सहयता, 6. भातखण्डे हिन्तुस्तानी संगीत महाविद्यालय।
17	प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा, विभाग	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की छात्रवृत्ति योजना संचालित हो रही हैः– 1. प्रगति, 2. सक्षम, 3. स्वनाथ।
18	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग	1. राज्य पोषित योजना एम्प्लॉयमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम (ELSTP) 2. दस्तकार प्रशिक्षण, 3. मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना।
19	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग	1. प्रान्तीय रक्षक दल (पी.आर.डी) स्वयंसेवकों की तैनाती, 2. खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, 3. युवा दलों को आर्थिक सहायता, 4. युवक मंगल दल स्वावलम्बन योजना, 5. महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दल का गठन, 6. ग्रामीण

		खेलकूद एवं स्वास्थ्य संबर्द्धन योजना, 7. युवाओं का साहसिक प्रशिक्षण।
20	खेल विभाग	1. खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, 2. खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर नकद पुरस्कार धनराशि, 3. राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार, 4. मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना, 5. खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, 6. राज्याधीन सेवाओं में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन/खिलाड़ियों को नौकरी, 7. विभाग के अन्तर्गत कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति, 8. भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता/पेंशन।
21	उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–शैक)	1. रिमोट सेंसिंग व जी.आई.एस. एप्लीकेशन पर ट्रेनिंग/क्षमता विकास कार्यक्रम/शोध कार्य।
22	उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र	1. E-Content का विकास एवं प्रसारण, 2- STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) की प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालन, 3. विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रर्मों का संचालन, 4. Experiential Learning के अन्तर्गत हैण्डस ऑन ट्रेनिंग तथा एक्स्पोजर विजिट।
23	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	1. आंचलिक विज्ञान केन्द्र, 2. सीमान्त पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव, 3. राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 4. उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम, 5. उत्तराखण्ड राज्य विकास एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूएसएसटीसी, 6. आर्टिफिशिल इंटैलीजेन्स, 7. सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली, 8. शोध अनुसंधान एवं विकास, 9. विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण, 10. यात्रा अनुदान।
24	उत्तराखण्ड जैव प्रोद्यौगिकी परिषद हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग)	कौशल विकास कार्यक्रम :– पादप ऊतक संवर्धन द्वारा पौध उत्पादन विधि एवं कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, हाइड्रोपोनिक एवं मृदारहित कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, पेयजल एवं मृदा गुणवत्ता जांच पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आण्विक जीवविज्ञान और आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिमालय वनस्पतियों से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद से औषधि निर्माण पर प्रशिक्षण।
25	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	महानिदेशेक चिकित्सा स्वास्थ्य की योजनायें :– 1. ईजा–बोई शगुन योजना, 2. कैंसर डे केयर सेंटर, 3. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, 4. चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया (दिव्यांगता प्रमाणित करने हेतु), 5. दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र (यू0आई0डी0 कार्ड) बनाने की प्रक्रिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड :– 1. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) 2. जननी सरक्षा योजना (JSY) 3. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृव्य अभियान (PMSMA) 4. प्रतिरक्षण कार्यक्रम, 5. बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, 6. किशोर स्वास्थ्य परामर्श क्लीनिक, 7. साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड गोली निशुल्क वितरण, 8. सैनिटरी नेपकिन वितरण, 9. निःशुल्क जांच योजना, 10. 108 आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा, 11. खुशियों की सवारी सेवा, 12. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, 13. निःशुल्क रक्त, 14. हीमोग्लोबिनपैथी 15. एकीकृत टोल फ्री 104 हेल्पलाईन, 16. राष्ट्रीय क्षःय उन्मूलन कार्यक्रम, 17. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTPC) 18. राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियत्रंण कार्यक्रम (NBCB) 19. राष्ट्रीय पैलियटिव केयर कार्यक्रम (NPPC) 20. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE)। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण 1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना), 2. राज्य सरकार स्वास्थ्य येाजना। राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान :– मानसिक संस्थान में रोगियों के पंजीकरण की प्रक्रिया।

26	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1. मेडिकल (स्नातक पाठ्यक्रम–एम.बी.बी.एस., परास्नातक पाठ्यक्रम–एम.डी./एमएस), 2. डेंटल पाठ्यक्रम (स्नातक पाठ्यक्रम, परास्नातक पाठ्यक्रम), 3. नर्सिंग पाठ्यक्रम (डिप्लोमा/स्नातक पाठ्यक्रम–ए.एन.एम, बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग, परास्नातक पाठ्यक्रम एम.एस.सी. एन.पी.सी.सी.), 4. पैरामैडिकल पाठ्यक्रम (डिप्लोमा/स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम)।
27	होम्योपैथी	1. 13 राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय, 71 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, 28 एन.एच.एम.विंग, 05 आर.सी.एच. तथा 04 त्वचा रोग केन्द्र 2. 27 होम्योपैथिक हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों की स्थापना, 3. होम्यापैथिक औषधि निर्माण तथा विक्रय के नवीन लाईसेन्स निर्गत तथा नवीनीकरण करना।
28	आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग	1. आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र (आयुष्मान भारत योजना), 2. आयुर्विद्या–आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ्य जीवनशैली, 3. सुप्रजा–आयुष के माध्यम से गर्भवती माताओं एवं नवजात बच्चों हेतु स्वास्थ्य लाभ, 4. योग वैलनेस केन्द्र।
29	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	1. प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम (PMEGP), 2. खादी वस्त्रों की विक्री पर छूट योजना।
30	पर्यटन विभाग	1. दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना, 2. ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना, 3. अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम–स्टे) पंजीकरण 4. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन विकास स्वरोजगार योजना, 5. उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2023 के अन्तर्गत प्राविधानित अनुदान।
31	ऊर्जा विभाग (उरेड़ा)	1. राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम, 2. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, 3. ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना, 4. Grid Connected Rooftop Phage-II योजना, MNRE भारत सरकार द्वारा संचालित।
32	यू.पी.सी.एल.	नये विद्युत मीटर (घरेलू) संयोजन/कनेक्शन की प्रक्रिया, एल.टी. संयोजन, एच.टी. संयोजन।
33	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	1. शूटिंग अनुमति प्रमाण–पत्र 2. फिल्मों को अनुदान।
34	ग्राम्य विकास विभाग	1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA), 2. दीनदयाल अन्त्योदय–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), 3. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY) 4. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) 5. रूरल बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स (RBI) 6. बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ने एवं संशोधन करने एवं हटाने की प्रक्रिया 7. सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 (SECC) सूची प्रक्रिया।
35	सहकारिता विभाग	1. दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, 2. मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, 3. मोटर साईकिल टैक्सी योजना, 4. ई–रिक्सा कल्याण योजना।
36	कृषि विभाग	1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kissan), 2. प्रधानमंत्री विकास मानधन योजना (PM-KMY), 3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), 4. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE), 5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM), 6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.), 7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

		(S.H.C.) 8. राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन योजना (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम) (NMSA-RAD), 9. परम्परागत कृषि विकास योजना (P.K.V.Y.), 10. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), 11. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAN), 12. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन, कस्टर हायरिंग सेन्टर/बड़े किसान हेतु (SMAM), 13. इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) कृषि विभाग–उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड।
37	उद्यान विभाग	1. उद्यान कार्ड बनाने की प्रक्रिया 2. फल विस्तार क्षेत्र 3. सब्जी क्षेत्रफल विस्तार, 4. मसाला क्षेत्रफल विस्तार, 5. पुष्प क्षेत्रफल विस्तार, 6. मशरूम उत्पादन 7. ट्यूबवैल स्थापना/पोण्ड निर्माण 8. ग्रीन हाऊस, 9. मौनपालन, 10 तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन, 11. खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबन्धन 12. टपक सिंचाई (ड्रिप) स्प्रिंकलर, 13. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, 14. उद्यानों की घेरबाड़ की योजना, 15. मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना, 16. वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना, 17. सेब की अति सघन बागवानी योजना, 18. मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना।
38	सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून	1. सगन्ध जागरूकता कार्यक्रम, 2. सगन्ध कृषक पंजीकरण, 3. सगन्ध कृषिकरण, 4. कृषिकरण अनुदान योजना, 5. मनरेगा के अन्तर्गत सगन्ध कृषिकरण 6. राज्य में सगन्ध पौधों की खेती कर रहे किसानो/संस्थाओं/समूहों को उनके उत्पाद के तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन, प्रसस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा, 7. गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट 8. सगन्ध तेलों/उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य, 9. सिडकुल, काशीपुर में स्थित एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योगों की स्थापना पर एमएसएमई विभाग द्वारा प्रोत्साहन।
39	पशुपालन विभाग	1. बकरी पालन, 2. भेड़ पालन, 3. गौ पालन, 4. महिला बकरी पालन, 5. कुक्कुट वैली की स्थापना , 6. ब्रॉयलर फॉर्म की स्थापना, 7. पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत वीर्य हेतु अनुदान, 8. गौसदनों की स्थापना।
40	डेरी विकास विभाग	1. राज्य समेकित सहकारी विकास योजना तथा गंगा गाय महिला डेरी योजना, 2. दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, 3. साइलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना।
41	रेशम विभाग	1. रेशम वृक्षारोपण, 2. कीटपालन उपकरण, 3. कीटपालन कक्ष।
42	मत्स्य विभाग	1. पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण, 2. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति उपयोजना, 3. मत्स्य पालन विवधीकरण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजना) 4. राज्य महिला मात्स्यिकी इनपुट योजना, 5. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, 6. दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)।
43	वन विभाग	1. महिला नर्सरी, 2. हमारा स्कूल हमारा वृक्ष, 3. हमारा पेड़ हमारा धन, 4. मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि।
44	आवास विभाग	1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक।
45	स्वजल परियोजना	1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण–शौचालय निर्माण), 2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण–अपशिष्ट प्रबन्धन)।
46	पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)	1. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था, 2. राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासरत बी.पी.एल./निर्धन परिवारों को रू0 100 में जल संयोजन उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित।

47	पंचायती राज विभाग	1. जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र 2. मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र, 3. परिवार रजिस्टर, 4. निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र, 5. शौचालय
48	राजस्व विभाग	1. स्थाई निवास प्रमाण पत्र, 2. उत्तरजीवी/पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, 3. पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र, 4. चरित्र प्रमाण पत्र ठेकेदारी/सामान्य हेतु, 5. हैसियत प्रमाण पत्र, 6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, 7. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी का उत्तराधिकारी होने संबंधी परिचय पत्र, 8. आय प्रमाण पत्र (आय प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए वैध होता है।), 9. (1) अनूसचित जाति प्रमाण पत्र (2) अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (3) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य की सेवाओं हेतु (अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र 03 वर्ष के लिए वैध हेाता है।) (4) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र भारत सरकार की सेवाओं हेतु (यह क्रीमी लेयर की श्रेणी में न आने तक, वैध होता है।) 10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र, 11. सामान्य जाति प्रमाण पत्र, 12. विरासत दर्ज कराना (मृत्यु होने की स्थिति में।) 13. दाखिल खारिज (क्रय–विक्रय), 14. खाता खतौनी में संशोधन, 15. जमीन का डिमार्केशन (सीमांकन) करने की प्रक्रिया/खेत की पैमाईश, नापजोख हेतु। 16. खसरा खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया, 17. नकल खसरा एवं नकल सजरा (भू–मानचित्र की प्रति) प्राप्त करना। 18. दैवीय आपदा आर्थिक सहायता।
49	परिवहन विभाग	1. वाहनों का पंजीयन कार्य, 2. चालक/परिचालक लाइसेंस संबंधी कार्य, 3. व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस संबंधी कार्य, 4. व्यवसायिक वाहनों परमिट संबंधी कार्य, 5. वाहन चालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण, 6. निजी क्षेत्रों में ओटोमेटेड़ फिटनेस टेस्टिंग को मान्यता, 7. निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण स्कूलों को मान्यता।
50	आधार सेवा केन्द्र	1. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों,, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016
51	कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड	मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया।
52	सूचना प्रोद्योगिकी (ITDA)	1. मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 पोर्टल https://cmhelpline.uk.gov.in/ पर आवेदन करने की प्रक्रिया, 2. अपुणि सरकार पोर्टल https://esevices.uk.gov.in/ , 3. आई. टी. पॉलिसी व संशोधन–2020।
53	कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC)	1. कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) खोलने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण, 2. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान।
54	नागरिक उड्डयन विभाग	उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)।
55	आपदा प्रबन्धन विभाग	1. आपदा के कारण मृत्यु, 2. हाथ–पैर, आंख या आखों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान, 3. जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो, 4. घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर पूर्णतः या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने या दो दिन से अधिक अवधि तक जल भराव से प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिए कपड़े व बर्तन या घरेलू सामान के लिए, 5. कृषि भूमि एवं अन्य की क्षति के लिए सहायता, 6. कृषि निवेश अनुदान (फसलों की क्षति के 33 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में), 7. 02 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों को निवेश अनुदान, 8.

		पशुपालनः– छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता, 9. मछली पालन, 10. हाथकरघा–कारीगरों को सहायता, 11. भवन (पूर्णतःक्षतिग्रस्त / नष्ट भवन), 12. सामुदायिक रडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति सम्बन्ध में।
56	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में जानकारी।
57	सेवा का अधिकार आयोग	सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के संबंध मे जानकारी।
58	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	उत्तराखण्ड राज्य में समूह ''ख'' व ''ग'' की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में।
59	अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, थानो रोड, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, रायपुर देहरादून।
60	राजकीय विभाग बोर्ड, आयोग	राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, संगठन व निगमों के नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल।

सीमावर्ती गांवों में सीमित सम्पर्क और बुनियादी ढ़ांचा को सुदृढ़ एवं विकसित करने के उद्देश्य से ''सीमान्त क्षेत्र विकास योजना'' भारत सरकार द्वारा संचालित की गई। वर्तमान समय के परिपेक्ष में उक्त योजना के स्थान पर फरवरी 2023 से ''वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम'' योजना संचालित हो रही है। सीमान्त क्षेत्र विकास योजना में सर्वप्रथम 0–10 किमी के सीमावर्ती क्षेत्र को ही संतृप्त किया जा रहा है तत्क्रम में 10 किमी से अधिक दूरी पर अवस्थित गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन पर अंकुश लगाने एवं संतृप्त विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ''मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना'' का जुलाई 2020 से सतत संचालन किया जा रहा है। दोनों योजनाओं के दिशा निर्देश निम्नवत हैं :–

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पांच जनपदों के 09 विकासखण्डों क्रमशः जनपद चमोली के जोशीमठ, जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी, जनपद उधमसिंहनगर के खटीमा, जनपद चम्पावत के चम्पावत तथा लोहाघाट एवं जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला, मुनस्यारी, कनालीछीना तथा मूनाकोट जो कि सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण हैं, में पलायन रोकने के उद्देश्य से इन विकासखण्डों के निवासियों को सामुदायिक / समग्र विकास आधारित आजीविका सृजन, स्वरोजगार हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा मूल्य संर्वधन, विपणन आदि आवश्यक सतत् आजीविका के संसाधन एवं सुविधाएं ससमय उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से राज्य के पांच जनपदों के 09 विकासखण्डों में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 0–10 किमी0 (अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी0 मानते हुए) पर अवस्थित गांवों को ही मूलभूत सुविधाओं से युक्त करने का प्रावधान है, साथ ही वहां के निवासियों को स्वरोजगार हेतु कौषल प्रषिक्षण तथा आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराने पर विषेश बल दिया गया है।

विशिष्ट परिस्थितियों में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) के तहत अधिकतम 50 किमी तक के गांवो को कुछ महत्वपूर्ण घटकों हेतु आच्छादित किये जाने की व्यवस्था भी की गई है किन्तु सर्वप्रथम 0–10 किमी तक के गांवो को विकास कार्यो के संतृप्तीकरण उपरांत ही 10–20, 20–30, 30–40 तथा 40–50 किमी को योजना के तहत लिये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार वर्तमान में 05 जनपदों के 09 सीमान्त विकासखण्डों में 10 किमी से अधिक दूरी पर अवस्थित गांवो में भी पलायन रोकने हेतु नवीन राज्य पोषित योजना प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता महसूस हुई।

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री सीमान्त विकास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 09 सीमान्त विकासखण्डों में आवासित परिवारों को सतत् आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए उनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन करना ताकि सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोका जा सके एवं रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिया जा सकें। इस योजना के तहत् इन 09 सीमान्त विकासखण्डों में गांवों में कृषि/बागवानी, पशुपालन आधारित सेक्टरों में आजीविका विकास, ग्रोथ सेन्टरों की नवाचार योजनायें, मॉडल गांवो का विकास आदि घटकों में इस योजना के तहत अनुमन्य कार्यो के अनुसार किया जायेगा। समस्त योजनायें सामुदायिक विकास की होगी। सामान्यतः कोई भी व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को इस योजना से प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं हेतु एम0जी0एन0आर0ई0जी0एस0 से परिवारों को युगपतीकरण के माध्यम से लाभान्वित किया जा सकता है। यद्यपि अति महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रकृति की योजनाओं पर इस मार्गनिर्देश के बिन्दु सं0 3.18 में उल्लिखित नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

मार्गदर्शक सिद्धान्त (Guiding Principle)

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बी0ए0डी0पी0 के माध्यम से सीमान्त जनपदों के 09 विकासखण्डों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए प्रथम गांव को शून्य मानते हुए 0–50 किमी दूरी तक अवस्थित गांवो हेतु मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना लागू होगी। यद्यपि सीमान्त क्षेत्र 0–10 किमी0 की परिधि में अवस्थित विकास कार्य हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार की बी0ए0डी0पी0 योजना के अनुमन्य कार्यों से इतर गतिविधियो को ही सम्मिलित किया जायेगा। इस योजना के तहत अनुमन्य कार्यों का विवरण इस योजना के मार्गनिर्देश के पैरा सं0 09 में उल्लिखित है।

3.1 ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सीमान्त विकास योजना का विभिन्न स्तर (राज्य/जनपद/विकासखण्ड) पर कार्यान्वयन मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था जैसा कि केन्द्र पोषित बी0ए0डी0पी0 हेतु निर्धारित है के अनुसार ही किया जायेगा। राज्य स्तर पर भी केन्द्रपोषित सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के साथ–साथ परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्य किया जायेगा। एस0पी0एम0यू0 द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनरेगा तथा अन्य सम्बन्धित विभागों (Line departments) के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु अन्य विभागीय योजनाओं साथ केन्द्राभिसरण तथा युगपतिकरण (Convergence & Dovetailing) किये जाने के प्रयास भी किये जायेंगे ताकि किये जाने वाले कार्यो में द्विधाभाव (Duplicity) न हो। मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन तृणमूल (Grassroot Level) स्तर पर पूर्णरूप से संबंधित विभागों/स्वयं सहायता समूहों/स्वयं सहायता समूह फेडरेशन/ग्रामीण युवाओं के समूहों/स्वायत्त परिषदों/अन्य स्थानीय निकायों/परिषदों/सरकारी उपक्रमों/सरकारी संस्थाओं/संस्थानों आदि द्वारा (Public Participation) के माध्यम से किया जायेगा।

3.2 इस योजना के मार्गनिर्देशानुसार सम्बन्धित रेखीय विभागों/राज्य सरकार के संस्थानों/निगम/परिषद/बोर्ड/सामुदायिक संगठनों के माध्यम से प्राप्त परियोजनाओं/योजनाओं के उचित प्रस्ताव सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग कर चयनित योजनाओं को अन्तिम अनुमोदन हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किया जायेगा, जिसका परीक्षण परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास द्वारा किया जायेगा तथा प्रस्तावों पर अंतिम अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन

की अध्यक्षता में गठित एस0एल0एस0सी0 द्वारा दिया जायेगा। अंतिम अनुमोदन हेतु प्रस्तावित योजनाओं का जनपदवार प्रस्तुतिकरण संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा एस0एल0एस0सी0 के सम्मुख दिया जायेगा।

3.3 राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी निम्नानुसार होगी :—

- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख / सचिव, ग्राम्य विकास – उपाध्यक्ष
- प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन – सदस्य
- प्रमुख सचिव / सचिव, गृह – सदस्य
- प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त – सदस्य
- प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यटन – सदस्य
- प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि – सदस्य
- प्रमुख सचिव / सचिव, पी0डब्लू0डी0 – सदस्य
- प्रमुख सचिव / सचिव (लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग) – सदस्य
- प्रमुख सचिव / सचिव, उद्यान – सदस्य
- प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा / पंयाचती राज – सदस्य
- प्रमुख सचिव / सचिव, स्वास्थ्य – सदस्य
- प्रमुख सचिव / सचिव, कौशल विकास – सदस्य
- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी – सदस्य
- परियोजना सम्न्वयक / अपर सचिव, ग्राम्य विकास – सदस्य
- विशेष आमंत्रित सदस्य – आवश्यकतानुसार

3.4 जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी निम्नाुसार होगी :—

- जिलाधिकारी अध्यक्ष
- मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता / नोडल अभियन्ता, लो.नि.वि. सदस्य
- मुख्य कृषि अधिकारी सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता / नोडल अभियन्ता ऊर्जा सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता पेयजल सदस्य
- जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य
- परियोजना अधिकारी, उरेडा सदस्य
- जिला पंयायत राज अधिकारी सदस्य
- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 सदस्य
- विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार

3.5 राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में बी0ए0डी0पी0 हेतु राज्य स्तरीय Empowered कमेटी गठित की गयी है जिसमें समस्त रेखीय विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिव सदस्य है। उक्त कमेटी के सम्मुख योजनाओं का प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत कर योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इस कमेटी के सदस्यों (विभिन्न विभागों से नामित अधिकारियो) द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/परियोजना/परियोजनाओं को संबंधित विभागीय योजनाओं के साथ युगपतिकरण/केन्द्राभिसरण किया जा सकता है। यद्यपि जनपदों द्वारा ऐसी योजनाओं की संस्तुत/प्रस्तावित नहीं की जानी चाहिए जो अन्य योजनाओं से सहायतित/आच्छादित हो सकती हों, तथापित केन्द्राभिसरण/युगपतिकरण हेतु योजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

3.6 सीमान्त विकास खण्डों के गांवो में आजीविका विकास के दृष्टिगत मूलभूत सामाजिक तथा भौतिक अवस्थापना सुविधाओं/अन्य आवश्यक सुविधाओं के मौजूदा ढांचे के अन्तराल के आंकलन हेतु एक आधारभूत सर्वेक्षण किया जायेगा। जिससे चयनित विकासखण्डों के गांवो में आवासित जन मानस के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु तदानुसार वृहद कार्ययोजना तैयार हो सकेगी। एवं भविष्य में आवश्यकतानुसार विकास हेतु विभिन्न रेखीय विभागों तथा ग्राम्य विकास विभाग की अन्य केन्द्र तथा राज्य पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन/केन्द्राभिसरण तथा युगपतिकरण में भी मदद करेगा।

3.7 प्रत्येक जनपद द्वारा क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण तथा सफलता की कहानियों/अभिनव प्रयास/संक्षिप्त नोट तथा फोटोग्राफ सहित राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

3.8 इस योजना के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु सूचना प्रबंधन तंत्र विकसित किया जायेगा जिस पर योजना की प्रगति संबंधी जानकारी नियमित अपडेट किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। ताकि इस योजना की अद्यतन प्रगति ऑनलाइन प्राप्त की जा सके।

3.9 योजना क्रियान्वयन की समय–सीमा योजना क्रियान्वयन हेतु विगत वर्ष से पहले के वर्ष में स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत उपयोग की जायोगी, अर्थात् वर्ष 2020–21 में स्वीकृत धनराशि का शत–प्रतिशत उपयोग वित्तीय वर्ष 2022–23 के 31 मार्च तक की जायेगी।

3.10 नोडल विभाग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल स्वीकृत योजना का अधिकतम 1 प्रतिशत धनराशि का उपयोग राज्य स्तर पर एस0पी0एम0यू0 के प्रशासनिक कार्य हेतु किया जायेगा। इस मद से किये जाने वाले अनुमन्य कार्य निम्नानुसार होंगे –

3.10.1 योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के प्रभावी मूल्यांकन/मध्यावधि/मूल्यांकन/तृपक्षीय मूल्यांकन विभागीय (Third Party Evaluation)/विभागीय मूल्यांकन तथा अनुश्रवण।

3.10.2 योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यावसायिक सेवाओं तथा प्रशासनिक मद पर।

3.10.3 प्रचार–प्रसार, अभिलेखीकरण, इस योजना में लग कार्मिकों के वेतन/मानदेय के साथ–साथ प्रशिक्षण पर, अध्ययन भ्रमण, बैठक/कार्यशाला आयोजन, कार्यालय/प्रशासकीय व्यय के साथ–साथ इस योजना के परिप्रेक्ष्य योजना (Prespective Plan)/तथा प्रारम्भिक कार्ययोजना (Initial Action Plan) तैयार करने में।

3.11 स्वीकृति उपरांत प्रत्येक जनपद को कुल आवंटित धनराशि का अधिकतम 01 प्रतिशत की धनराशि का उपयोग प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक कार्यों हेतु जनपद तथा संबंधित विकासखण्ड द्वारा किया जा

सकेगा। प्रशासनिक मद में मात्राकृत धनराशि का प्रयोग, राज्य की यंग प्रोफेशनल पॉलिसी के तहत यंग प्रोफेशनल की तैनाती पर उनके मानदेय, इस कार्यक्रम के उपयोग हेतु स्टेशनरी एवं इस योजना के कार्यों के जनपद स्तरीय मूल्यांकन/अनुश्रवण में ही व्यय किया जा सकेगा। केन्द्र पोषित बी0ए0डी0पी0 के प्रशासनिक मद का उपयोग भी कन्वजेंस हेतु नियमानुसार किया जा सकता है।

3.12 इस योजना की अधिकतम 2% धनराशि अध्यक्ष एस0एल0ई0सी0 के निवर्तन पर रखी जायेगी जो कि उनके स्वविवेकानुसार इन सीमान्त जनपदों के विकास कार्यों पर नियमानुसार व्यय की जा सकेगी। यदि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक उक्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में यह धनराशि विकासखण्डों को स्वीकृत अनुमन्य कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त की दी जायेगी।

3.13 इस योजना के वार्षिक आवंटन का अधिकतम 1 प्रतिशत की धनराशि उपयोग ग्रामीण उत्पादों के मूल्य संवर्धन, स्थानीय शिल्प के विकास तथा विभिन्न रोजगारपरक ऐजेन्सी के खाते में ही रहेगी। यदि उक्त धनराशि का उपयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में यह धनराशि विकासखण्डों को स्वीकृत अनुमन्य कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त कर दी जायेगी।

3.14 आजीविका विकास हेतु सामुदायिक अवस्थापना/परिसंपतियों के सृजन से संबंधित प्रस्तावों के संबंध जनपद स्तर पर जिला अधिकारी द्वारा प्रस्तावित कार्यों उपयोगकर्ता सामुदायिक संगठन आदि से स्पष्ट बचनबद्धता ली जानी चाहिये। ताकि सजृिमत परिसंपतियों के पूर्णतः उपयोग किये जाने की जबाबदेही सुनिश्चित रहे।

3.15 केन्द्र अथवा राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं जिनमें राज्य सरकार का अंश सामाहित हो, पर राज्यांश के रूप में इस योजना का उपयोग नहीं किया जायेगा।

3.16 शतप्रतिशत केन्द्रपोषित येाजनाओं के साथ इस योजना की योजना का उपयोगी नहीं किया जायेगा।

3.17 इस योजना के उपयोग के नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों/अनुमन्य तथा गैर अनुमन्य कार्यों आदि पर संशोधन, मार्गदर्शी सिद्धान्तों/नियमों आदि में अवक्रमण/प्रतिस्थापना संबंधी आदि निर्णय इस योजना हेतु राज्य स्तर पर गठित कमेटी के अनुमोदनोपरांत लिया जायेगा। यदि कोई नीतिगत निर्णय/संशोधन किया जाना नितांत आवश्यक हो तथा इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आहूत करने में समय लग रहा हो, तो ऐसी दशा में नोडल विभाग द्वारा अध्यक्ष इम्पावर्ड कमेटी से पत्रावली पर अनुमोदन लिया जायेगा तथा कमेटी की अग्रिम बैठक में इसका अनुमोदन लिया जायेगा।

3.18 सामान्यतः व्यक्तिगत कार्य को इस योजना से आच्छादन नहीं किया जायेगा किन्तु पलायन रोकने एवं दूरस्थ गांवो में आवासित नागरिकों को आजीविका संसाधनों एंव अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के दृष्टिगत ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रस्तावित कार्यों के मामले में मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

3.19 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गये प्राविधान तथा नियमों के तहत इस योजना से अनुसंशित/स्वीकृत/किये गये कार्यो के बारे में आम नागरिक को किसी भी घटक/विषय पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अतः इस योजना से हुये कार्यों की समस्त सूचनायें सार्वजनिक की जानी चाहिए।

3.20 योजना से संबंधित सूचना प्रोद्योगिकी कार्य यथा बेब आधारित सूचना/बेब आधारित मूल्यांकन तंत्र विकास व इस हेतु सॉफ्टवेटर विकास के कार्यों आदि पर।

योजना के नियोजन का स्वरूप :–

जनपद स्तर का नियोजन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धित जनपदों द्वारा किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित जिलाधिकारी का होगा।

योजना के क्रियान्वयन में लचीलापन (Flexibility):

5.1 इम्पावर्ड कमेटी द्वारा स्वीकृत की गई कार्ययोजना में यदि बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही हो तो ऐसी दशा में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव को योजना बदलाव के कारणों की तर्कसंगत आख्या एंव संस्तुति सहित ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा जिस पर नोडल विभाग द्वारा अध्यक्ष इम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति संबंधित जनपद को संसूचित की जायेगी।

5.2 राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी मॉडल गांव के विकास हेतु इस योजना के मार्ग निर्देशों में आवश्यकतानुसार शिथिलता प्रदान कर सकती है।

5.3 स्वरोजगार हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों के 24 क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम NSQF (National Skill Qualification Framework) स्तर के ही अनुमन्य होंगे।

वित्तीय प्रवाह (Fund Flow) :–

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारभ में योजनान्तर्गत सम्बन्धित जनपद को आवंटन की सूचना प्रेषित की जायेगी। वार्षिक कार्ययोजनाओं को जनपद स्तर से विधिवत अनुमोदित कर निर्धारित प्रपत्र में एस0पी0एम0यू0 ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। जिस पर राज्य स्तरीय एस0पी0एम0यू0 ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। जिस पर राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदोपरांत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तदानुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। धनराशि की अवमुक्ति दो किस्तों में की जायेगी। प्रारम्भिक वर्ष के उपरांत आगामी वर्ष के लिए धनराशि की अवमुक्ति अनुमोदित योजनाओं पर हुए व्यय की पुष्टि होने के आधार पर किया जायेगा। योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के लिए आवंटित की गई धनराशि का 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी तथा कुल अवमुक्त धनराशि का 80 प्रतिशत व्यय होने के उपरांत ही अगली किस्त संबंधित जनपद को अवमुक्त की जायेगी। किसी भी स्तर पर धनराशि का जमाव पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। वित्तीय अवमुक्ति हेतु नोडल विभाग धनराशि के समुचित तथा सुव्यवस्थित उपयोग हेतु जनपदों को सुसंगत दिशा निर्देश समय–समय पर पृथक से जारी कर सकता है। इस हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन आवश्यक होगा।

योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण :–

7.1 योजना क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग होगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में योजना की केन्द्रपोषित बी0ए0डी0पी0 हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी। इस समिति के सदस्य संयोजक प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे। जनपद स्तर पर योजना का नियोजन कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का सम्पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर केन्द्रपोषित बी0ए0डी0पी0 हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखण्उ अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन किया जायेगा।

7.2 योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र (Consolidated Utilization Certificate) प्रत्येक की 05 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य वित्तीय नियम (GFR-19A) के प्रारूप पर राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगा।

7.3 कार्य की गुणवत्ता एवं इससे संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र फीड बैक प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक उपयुक्त सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली (Social audit System) के माध्यम से कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा। इस हेतु राज्य में गठित USAATA के माध्यम से किया जायेगा।

7.4 राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन तथा मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जिलाधिकारियों के साथ इस योजना के तहत कार्यों की वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अथवा बैठक आहूत कर समीक्षा की जायेगी।

7.5 विकास की दृष्टि से ऐसे गांवो को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसमें सामुदायिक संगठन एवं उनके उच्च स्तरीय परिसंघों का निर्माण हो चुका हो।

7.6 योजनान्तर्गत ब्याज एवं बचत मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग एस0एल0ई0सी0 द्वारा अनुमोदित नवीन योजनाओं पर किया जा सकेगा। इस हेतु सम्बन्धित जनपद द्वारा उक्त धनराशि के सापेक्ष नवीन प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

7.7 योजनान्तर्गत एस0एल0ई0सी0 वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी। जिसमें योजनाओं की प्रगति सीमक्षा भी की जायेगी।

दिशा निर्देशों का लागू किया जाना –

8.1 यह दिशा निर्देश तत्काल लागू होंगे तथा भविष्य में दिशा निर्देशों में यदि अवक्रमण/ प्रतिस्थापना की आवश्यकता हो तो दिशा निर्देशों में अवक्रमण/प्रतिस्थापना का अधिकार ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन में निहित होगा जो किइस योजना हतु गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के अनुमोदनोपरांत यथा अनावश्यक संशोधन करेगा तथा समय–समय पर योजना के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हेतु पृथक से भी शासनादेश निर्गत किये जा सकेंगे।

8.2 इस योजना के दिशा निर्देशों से संबंधित स्पष्टीकरण अथवा इन दिशा निर्देशों में दिये गये प्राविधानों की व्याख्या पर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन का निर्णय अंतिम होगा।

अनुमन्य कार्य – योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

9.1 गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बी0ए0डीपी0 के माध्यम से सीमान्त जनपदों के 09 विकासखण्डों के अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए प्रथम गांव को शून्य दूरी मानते हुए 0–50 किमी दूरी तक अवस्थित गांव हेतु मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य अनुमन्य होंगे जिसमें बी0ए0डी0पी0 के परिशिष्ट – 1 में उल्लिखित अनुमन्य कार्य भी सम्मिलित होंगे :–

I. स्थापनीय युवाओं का कौशल विकास
II. सामुदायिक संगठनों यथा एस0एस0जी0/उत्पादक समूह (पी0जी0)/वी0पी0जी0/ए0सी0/वी0ओ0, सी0एल0एफ0 आदि हेतु स्थायी आजीविका सृजन के क्रियाकलाप।
III. अति आवश्यक सामुदायिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास
IV. आजीविका विकास हेतु तकनीकी हस्तान्तरण संबंधी क्रियाकलाप।
V. पर्यटन/सीमान्त पर्यटन को बढ़ावा।
VI. जैविक/समीन्त पर्यटन को बढ़ावा।
VII. ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना।

9.2 ऐसे अभिनव प्रयास/नवाचार/विशेष योजनायें जो सीमान्त क्षेत्रों में आजीविका विकास तथा पलायन रोकने में सक्षम हो यद्यपि राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदनापरांत ही ऐसी योजनाओं को अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

9.3 ऐसे महत्वपूर्ण घटक जो सीमान्त क्षेत्र विशेष के विकास के दृष्टिगत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी समय–समय पर समीक्षा उपरांत आवश्यक समझे, उन्हें मार्गनिर्देश में समिति के अनुमोदनोपरांत सम्मिलित किया जा सकेगा। तथा ऐसे अनुमोदित क्रियाकलापों का क्रियान्वयन अनुमन्य होगा।

9.4 व्यक्तिगत प्रकृति के कार्यों के मामले में मार्गनिर्देश के बिन्दु संख्या 3.18 के अनुसार स्वीकृत कार्य ही अनुमन्य होंगे।

9.5 मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित बी0ए0डी0पी0 योजना के इतर भी कुछ कार्य चिन्हित किये गये हैं जो केन्द्र की बी0ए0डी0पी0 योजना में सम्मिलित किये जा सकेंगे परन्तु, उक्त दोनों योजनाओं में दोहराव (Duplicacy) नहीं होगा।

1. भारत सरकार की बी0ए0डी0पी0 योजना में अनुमन्य कार्यों में समय–समय पर जारी किये गये संशोधन, इस योजना पर भी लागू होंगे।

सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुमत कार्यो/परियोजनाओं की निदर्शी सूची

(क) सड़के और पुल

- सड़कों का निर्माण और उन्नयन।
- पुलों और पुलियों का निर्माण।
- फुट सस्पेंशन पुलों का निर्माण।
- पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों की सुरक्षा के लिए रिटेनिंग दीवारों का निर्माण।

(ख) स्वास्थ्य अवसंरचना

i. सीमावर्ती जनगणना गांवो/बस्तियों में स्वाथ्य क्षेत्र में लगे सरकारी चिकित्सकों, पैरामेडिक्स, और अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण।
ii. आधाभूत अवसंरचना (एसएचसी/पीएचसी/सीएचसी) का निर्माण और उन्नयन।
iii. सरकारी मोबाइल डिस्पेंसरियों की स्थापना/एंबुलेंस की खरीद।
iv. सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद।

(ग) शिक्षा अवसंरचना

i. शिक्षा क्षेत्र में लगे सरकारी शिक्षकों और अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण।
ii. प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण और उनके उन्नयन/विस्तार जैंसे अतिरिक्त कक्षाओं, कंम्प्यूटर कक्षों और प्रयोगशालाओं का निर्माण।
iii. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रावासों/शयनागारों का निर्माण।

(घ) कृषि अवसंरचना

i. लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण।
ii. जल संरक्षण कार्यक्रम

(ड.) खेल अवसरंचना

i. खेल मैदानों का निर्माण/विकास।

ii. मिनी स्टेडियम का निर्माण।
iii. टेबिल टेनिस/बैडमिंटन/बास्केटबॉल/हैंडबॉल क लिए इंडोर कोर्ट का निर्माण।

(च) डीडब्ल्यूएस परियोजनाएं

- सरकारी स्कूलों/जनगणना कस्बों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं।

(छ) सामाजिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचा

- आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण
- सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।

(ज) मॉडल गांवो का विकास

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकार, हब और स्पोक मॉडल के आधार पर गांव में कई अवसंरचना विकास कार्य/परियोजनाएं शुरू कर सकती हैं।

(झ) लघु स्तरीय उद्योगों के लिए अवसंरचना का निर्माण

(ञ) बीएडीएस के तहत सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव।

(ट) प्रशासनिक व्यय

बीएडीएस के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रत्येक कार्य/परियोजना के प्राक्कलनों की जांच की जानी चाहिए तथा राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में सक्षम तकनीकी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और प्रत्येक कार्य/परियोजना के लिए उपयुक्त तकनीकी प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लागत का सार वार्षिक कार्य योजना के साथ राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मुख्य सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम : दिशानिर्देश (2020)

उद्देश्यः

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूरदराज एंव दुर्गम में रह रहे लोगों की विशेष विकास संबंधी और उनके अच्छे रहन–सहन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना तथा भागीदारी दृष्टिकोण विशेष रूप से छः विषयों से संबंधित क्षेत्रों–यथा–बुनियादी अवसंरचना, स्वास्थ्य अवसंरचना, शिक्षा, कृषि तथा जल संसाधनों, वित्तीय समावेशन तथा कौशल विकास के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र की विकास की योजनाओं/अन्य केन्द्रीय/राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश/स्थानीय योजनाओं के अभिसरण द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध करना है। सीमावर्ती क्षेत्रों में, आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान तथा जीवित रहने के लिए स्थायी भरण–पोषण के अवसरों से इन क्षेत्रों को अंदरूनी हिस्सों से जोड़ने में मदद मिलेगी, देश के द्वारा की जाने वाली देखभाल की सकारात्मक अवधारणाा बनेगी और लोंगो को सीमावर्ती क्षेत्रों मे रहने हेतु प्रोत्साहित करने मे मदद मिलेगी, परिणामस्वरूप हमारी सीमांए सुरक्षित एवं संरक्षित होंगी।

1. मूलभूत सिद्धांतः

निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मार्गदर्शन प्रदान करेंगेः

(क) सामरिक रूप से महत्वूपर्ण गांवो/नगरों (जैसा सीमा रक्षक बलों द्वारा चिन्हित किया जाए) में अवसंरचना विकास करने वाली परियोजनाओं को अधिमानता दी जाएगी।

(ख) सीमा रक्षक बलों को समस्त स्तरों (आयोजन/निष्पादन/निगरानी) पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के भाग के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

(ग) सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत निधियों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांवो/नगरों का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर की जांच समिति, संबंधित मंत्रालयों और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों के साथ योजनाओं और अन्य उपलब्ध संसाधनों को अभिसरण सुनिश्चित करेगी।

(घ) गृह मंत्रालय अन्य बातों के साथ–साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना विकास, उन्नत कनेक्टिविटी, बेहतर सामाजिक सेवाओं को प्रोत्साहित करने और स्थायी जीविका के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन, विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौशल विकास एंव उद्यमिता मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय आदि के साथ घनिष्ठ सहयोग स्थापित करते हुए कार्य करेगा।

(ड़) निर्माण कार्यों/परियोजनाओं का राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/केन्द्र सरकार के मौजूदा तंत्र के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारियों एवं सोशल ऑडिल मेकेनिज्म के माध्यम से नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाएगा।

(च) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिशानिर्देशों और मानदंडों में, यदि आवश्यक हो, छूट प्रदान करते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की चालू विकास संबंधी योजनाओं के माध्यम से संतृप्ति/कवरेज।

(छ) **<u>मध्यम अवधि की योजना:</u>** ऊपर उप–खण्ड (ग) में किए गए उल्लेख के अनुसार संसाधनों को एकत्रित करके चिन्हित की गई बस्तियों के विकास के लिए चार/पांच वर्ष की संभावित कार्य योजना तैयार की जायेगी। बाद में वर्षों के लिए वार्षिक योजना का खाका, समग्र संभावित योजना के दायरे में तैयार किया जाएगा। और उसमें अग्रेषित किए गए उद्देश्यों तथा अब तक के अनुभवों से प्राप्त सीखों के आधार पर आवश्यक संशोधनों और अन्य विकास संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया जाएगा। वार्षिक योजनांए उक्त की उप–श्रेणी योजनांए होंगी। पहले वर्ष के लिए संभावित योजना के साथ–साथ वार्षिक योजना भी प्रस्तुत की जाएगी। संबंधित राज्य, वर्ष 2023 तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संतृप्ति और अवसंरचना के सृजन की प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगे।

(ज) **<u>जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा:</u>** जिलों को परस्पर विकास संबंधी बदलावों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की चुनौती दी जाएगी तथा उनके निष्पादन को देखते हुए पुरस्कृत किया जाएगा।

(झ) **<u>व्यापक विकास:</u>** सीमावर्ती जिला के व्यापक विकास के लिए बीएडीपी के पास दो घटक होंगे–पहला लाभार्थियों की संतृप्ति और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सीमावर्ती जिलों में अवसंरचना का निर्माण सुनिश्चित करना और दूसरे घटक में विकास के वांछित स्तरों को प्रापत करने के लिए अभिसरण और कमियों को दूर करने के लिए सीमांत क्षेत्र विकास योजना (बीएडीएस) होगी।

2. कवरेजः

2.1 बीएडीपी एक महत्वपूर्ण केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में 16 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 111 सीमावर्ती जिलों के 396 ब्लॉकों को सम्मिलित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं, जैसे अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल। पहले काफी हद तक उसने परियोजना के वित्तपोषण के लिए एक 'स्टैंड–अलोन' वाहन के रूप में कार्य किया है; इसे अब एक कार्यक्रम में बदल दिया जाएगा, जिसमें व्यापक विकास का प्रयास शामिल है।

2.2 यह कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर पहली बस्ती से 0–10 कि.मी. की दूरी (क्रो–फ्लाई/हवाई दूरी) के भीतर स्थित सभी जनगणना गांवो/कस्बों, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्रों को कवर करेगा। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से पहले बस्तियों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, बीएडीपी के लिए शून्य रेखा होगी और देश के आंतरिक हिस्से की ओर 10 कि.मी. की दूरी की गणना इसी शून्य रेखा से की जाएगी। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकार बीएडीपी ऑनलाइन प्रबधंन प्रणाली (बीएडीपी ओएमएस) पर गांवों/कस्बों के मानचित्रण के लिए भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आवंटित किए गए गांवो/नगर के कोड (2011 की जनगणना) प्रस्तुत करेंगी।

2.3 0–10 कि.मी. क्षेत्र के भीतर, जनगणना गांवो, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में सीमा रक्षक बलों द्वारा सामरिक गांवो/कस्बों के रूप में चिन्हित किए गए क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

2.4 0–10 कि.मी. क्षेत्र को संतृप्त करने के पश्चात इस कार्यक्रम में 10–20/30/40/50 कि.मी. के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को लिया जा सकता है।

3. संचालन संबंधी दिशानिर्देश

3.1 राज्यों/केन्दशासित प्रदेशों को निधियों का आवंटन :

आठ पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंव सिक्किम) और 02 हिमालयी राज्यों (अर्थात हिमाचल तथा उत्तराखण्ड) के लिए बीएडीएस का वित्तपोषण का पैटर्न (अन्य महत्वपूर्ण केन्द्र द्वारा प्रायोजित की तरह) 90:10 (केन्द्र का हिस्साः राज्य का हिस्सा) के अनुपात में और शेष बचे छह राज्यों (अर्थात गुजरात, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) के बारे में यह अनुपात 60:40 (केन्द्र का हिस्साः राज्य का हिस्सा) होगा। जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के वित्तपोषण पैटर्न 90:10 (केन्द्र का हिस्साः केन्द्रशासित प्रदेश का हिस्सा) के अनुपात में होगा तथा लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश (विधान मंडल रहित केन्द्रशासित प्रदेश) के लिए केन्द्र का हिस्सा 100 प्रतिशत होगा।

3.2 किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों का आवंटन निम्नानुसार होगाः

(क) बीएडीएस के अंतर्गत कुल आवंटित निधियों का 10 प्रतिशत अंश आरक्षित रखा जाएगा (जिसे बीडीएस आरक्षित निधि कहा जाएगा) तथा इसे बेहतर तरीके से निष्पादन कर रहे राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

(ख) भारत–चीन से सटे राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों (अर्थात अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम तथा उत्तराखण्ड) को भारत–चीन से सटे सीमावर्ती जिलों में निर्माण कार्यों/परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कुल आवंटित निधियों का 10 प्रतिशत अंश अतिरिक्त रूप से आवंटित किया जाएगा।

(ग) शेष 80 प्रतिशत निधि को 40:60 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा और 40 प्रतिशत निधि आठ पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटित की जाएंगी तथा 60 प्रतिशत निधि शेष बचे आठ सीमावर्ती राज्यों और दो केन्द्रशासित प्रदेशों को आंवटित की जाएंगी। निधियों का आवंटन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाएगाः

i. अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई (33 प्रतिशत अधिमान);

ii. 0 से 10 किमी. के दायरे में (एक सीमावर्ती ब्लॉक की सीमा में) स्थित जनगणना गांवो, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्रों को कवर करते हुए सीमावर्ती बेल्ट का क्षेत्र (33 प्रतिशत अधिमान);

iii. अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0 से 10 किमी. के दायरे के अंदर स्थित जनगणना गांवो/अर्ध–शहरी तथा शहरी क्षेत्रों के आबादी (33 प्रतिशत अधिमान);

(इन राज्यों का आवंटन, समग्र निधि आवंटन को देखते हुए प्रो–राटा आधार पर बढ़ाया/कम किया जाएगा)

3.3 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन निम्नानुसार योजना तैयार करेंगेः

(क) बीएडीएस पर निधियों का उपयोग, प्रथम वरीयता पर, सीमा पर 'जीरो' लाइन के समीप जनगणना गांवो/कस्बों में विकास संबंधी कार्यो/परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किया जाएगा।

(ख) सीमा रक्षक बल अपने–अपने क्षेत्रों में सामारिक दृष्टि से प्राथमिकता तय करेंगे और इसे राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के प्राधिकारियों तथा गृह मंत्रालय को अग्रेषित करेंगे। सीमा रक्षक बलों द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार सामरिक महत्व के सीमावर्ती गांवो/कस्बो को सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त किया जाएगा।

3.4 वित्तपोषण का पैटर्न, केन्द्र द्वारा प्रायोजित महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए लागू भारत सरकार के वर्तमान मानकों के अनुसार होगा।

3.5 बीएडीपी दिशानिर्देशों के प्रावधान का अनुपालन न किए जाने के कारण निर्मुक्त न की जा सकी निधियों पर राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारें किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगी।

3.6 साधारणतया बीएडीएस निधियों का उपयोग मूलभूत सुविधाओं में ऐसी महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए किया जाएगा, जिन्हें किसी विकास संबंधी मंत्रालय की किसी नियमित स्कीम के तहत कवर न किया जा रहा हो। बीडीएस के तहत आवर्ती व्यय उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

3.7 बीएडीपी से संबधित अधिकार–प्राप्त समिति को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी भी योजना के किसी भी मानक को शिथिल करने की शक्ति प्राप्त होगी, ताकि अपेक्षित बुनियादी विकास/लाभ बीएडीपी के अंतर्गत कवर होने वाली सीमावर्ती आबादी तक पहुंचाया जा सके।

3.8 मूलभूत भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में कमियों की पहचान करने के लिए सीमावर्ती गांवो/कस्बों अनिवार्य रूप से एक बेसलाइन सर्वेक्षण तथा स्थानिक संसाधन मानचित्रण की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। संबंधित राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारें बीएडीएस सहित भारत सरकार की विकास संबंधी योजनाओं के माध्यम से इन कमियों की भरपाई करेंगी।

3.9 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारें बीएडीपी के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के दायरे में एक नोडल विभाग, प्रकोष्ठ नामित करेंगी। बीएडीपी के कार्य को देखने वाले विभागाध्यक्ष, बीएडीपी के नोडल अधिकारी होंगे। राज्य–केन्द्रशासित प्रदेश सरकार, संबंधित विभाग का निदेशक/उपसचिव स्तर (अथवा समकक्ष स्तर) का एक सहायक नोडल अधिकारी भी नामित करेगी।

3.10 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश, व्यक्तिगत/पारिवारिक/सामुदायिक लाभ के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में, बुनियादी सुविधाओं से संबंधित योजनाओं सहित केंद्रीय/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की तथा विशेष योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करेंगे। खराब योजना/अनुचित कारणों के चलते यदि कोई कार्य, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा तय की गई तारीख के अंदर पूरा नहीं किया जा सकेगा, तो अनुमोदित कार्य (कार्यों) की धनराशि के बराबर की राशि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सराकर को भविष्य में जारी की जानी वाली निधियों से काट ली जाएगी।

3.11 बीएडीएस के अंर्तगत सृजित समस्त संम्पत्तियां संबंधित/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार की संपत्ति होंगी। बीएडीएस के तहत कोई भी संपत्ति केवल सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर ही सृजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पूवोत्तर राज्यों के संबंध में, बीएडीएस के तहत संपत्तियां निर्मित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रय/उपहार विलेख के माध्यम से सामुदायिक/व्यक्तिगत भूमि अधिकार में ली जाएगी। तथापि, बीएडीएस के तहत भूमि क्रय करने के लिए किसी प्रकार की निधि उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।

3.12 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा भौतिक संपत्तियों की देख–रेख की जाएगी और उनकी मरम्मत करायी जाएगी। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र द्वारा एक वित्तीय वर्ष में आवंटित निधियों का अधिकतम 10 प्रतिशत अंश, बीएडीएस के तहत सृजित संपत्तियों के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बीएडीएस मे तहत संपित्तयों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों में, निष्पादनकर्ता एजेंसी द्वारा कार्य/परियोजना के पूरा किए जाने की तिथि के बाद कम से कम तीन वर्षों तक रख–रखाव दायित्व, एक अंतनिर्हित घटक होना चाहिए।

3.13 बीएडीएस के तहत गैर–सरकारी संगठनों/निजी संस्थाओं को निधियां प्रदान नहीं करायी जानी चाहिए।

3.14 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा वर्तमान सामान्य वित्तीय नियामवली के मानदंडो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. <u>निर्माण कार्यों/परियोजनाओं का चयनः</u>

4.1 संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/जिला, अंतराष्ट्रीय सीमा के नजदीक पहली बस्ती से 0से 10 किमी0 की बेल्ट में, इस कार्यक्रम में सम्मिलित गांवों/कस्बों/बस्तियों के विस्तृत विकास हेतु योजना तैयार करेंगा। वे यथा अपेक्षित केन्द्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, दोनों सरकारों से, यदि आवश्यक हो, तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित योजना के दिशानिर्देशों में सुधार करते हुए संसाधनों को अभिसरित करेंगें ।

4.2 प्रस्तावों में, वार्षिक कार्य योजना के लिए वित्तपोषण के संसाधनों सहित संबंधित वर्ष के लिए एक विस्तृत वार्षिक कार्य योजना सम्मिलित की जाएगी।

4.3 कार्यो/परियोजनाओं की सूची, जिन्हें सीमा क्षेत्र विकास योजना (बीएडीएस) के अंतर्गत लिया जा सकता है, अनुलग्नक–1 पर है। बीएडीएस के अंतर्गत कार्यों/परियोजनाओं का केंन्द्र–बिन्दु समुदाय के लाभ पर होना चाहिए।

4.4 बीएडीपी दिशानिर्देशों के दायरे के अंदर, वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सीमा रक्षक बलों द्वारा संस्तुत सामरिक महत्व की परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान करेंगें, जिन्हें उच्च सामरिक और सुरक्षा मान्यता के चलते तथा बेहतर एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु चिहिन्त किया गया है ।

4.5 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा बीएडीपी के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त की अध्यक्षता में गठन किया जा सकता है।

4.6 गृह मंत्रालय द्वारा यथा–संसूचित अस्थायी आवंटन के आधार पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें चार वर्ष की संभावित कार्य योजना कें अनुसार बीएडीएस की वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगी तथा बीएडीपी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष, अधिकतम 15 जनवरी तक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर की जांज समिति, जिसकी अध्यक्षता राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे, से विधिवत अनुमोदित कराकर, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगी। बीएडीपी का कार्य देखने वाला नोडल अधिकारी अथवा उससे वरिष्ठ कोई अधिकारी इस आशय का एक प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि बीएडीएस की वार्षिक कार्य योजना को तैयार करते समय स्थानीय सांसद, विधान सभा के सदस्य से परामर्श कर लिया गया है और यह कि बीएडीएस के तहत हाथ मे लिए गए कार्यो/परियोजनाओं का किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य/केन्दशासित प्रदेश की योजनाओं के साथ कोई दोहराव/आवृत्ति नहीं है। संबंधित राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश प्रस्तावित कार्यों/परियोजनाओं के संबंध में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के सक्षम तकनीकी प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त करेंगे और वार्षिक कार्य योजना के साथ–साथ 'लागत का सार' प्रस्तुत करेंगे।

4.7 बीएडीएस के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं क लिए राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकार के पास शत प्रतिशत भूमि उपलब्ध होनी चाहिए और किसी भी परिस्थति में भूमि अधिग्रहण के लए बीएडीएस के अंतर्गत आवंटित निधियों का कोई हिस्सा उपयोग नहीं किया जायेगा। इसके अलावा, बीएडीएस के तहत विभिन्न परियोजनाओं की सिफारिश करते समय, यथा प्रयोज्य विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों जैसे, वन, पर्यावरण और अन्य स्थानीय मंजूरी आदि को पहले से ही संसाधित किया जाना चाहिए।

4.8 बीएडीएस के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो/परियोजनाओं के अनुमानों की जांच की जानी चाहिए और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में सक्षम तकनीकी प्राधिकाण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और प्रत्येक कार्य/परियोजना की 'लागत का सार' उपयुक्त तकनीकी प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, वार्षिक कार्य योजना के साथ राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.9 बीएडीएस के लिए वार्षिक कार्य योजना मे कार्यो/परियोजनाओं को तभी अनुमोदित किया जाएगा जब परियोजनाएं/कार्य सामरिक आवश्यकताओं के अनुरूप हों। कार्यो/परियोजनाओं को इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित शर्तो पर अनुमोदित किया जाएगाः

i प्रत्येक कार्य 10 लाख रूपये या उससे अधिक की राशि का होना चाहिए (बड़ी एंव महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा);

ii जहां भी लागू हो, कम से कम 4 वर्षों के कार्यों को भौतिक और वित्तीय तरीके से चरणबद्ध किया गया हो;

iii आवंटन हेतु पहली प्राथमिकता उत्तरोत्तर वार्षिक कार्य योजना मे पहले से चल रहे कार्यों को मिलेगी;

iv राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले पिछले वित्तीय वर्षों के प्रतिबद्ध उत्तरदायित्वों को लिया जाएगा।

4.10 मॉडल गांवः मॉडल गांवो के निर्माण के प्रस्ताव बीएडीएस की वार्षिक कार्य योजना के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

4.11 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ऐसी निधियों को विनियमित करने वाले दिशा–निर्देशों के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) घटकों/निधियों, जिला खनिज कोष (डीएमएफ)

और उपलब्ध किसी भी अन्य निधि को सम्मिलित करके बीएडीपी कार्यों के लिए निधि प्रवाह में वृद्धि कर सकते हैं।

5. अधिकार–प्राप्त समितिः

5.1 बीएडीपी के दिशानिर्देशों, भौगोलिक क्षेत्रों जिनके भीतर बीएडीपी लागू किया जाता है जैसे नीतिगत मामले, निधियो का आंवटन, कार्य/परियोजनाओं के निष्पादन के तौर–तरीके आदि, गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित बीएडीपी की एक अधिकार–प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। बीएडीपी की अधिकार–प्राप्त समिति की संरचना इस प्रकार हैः

संरचनाः

i सचिव (बीएम), सीमा प्रबंधन विभाग–अध्यक्ष
ii सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय–सदस्य
iii प्रधान सलाहकार, नीति आयोग–सदस्य
iv अपर/विशेष सचिव और वित्त सलाहकार (गृह), गृह मंत्रालय–सदस्य
v सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग–सदस्य
vi सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय–सदस्य
vii सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय–सदस्य
viii सचिव (एसईएंडएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय–सदस्य
ix सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर), जल शक्ति मंत्रालय–सदस्य
x सचिव, एमएनआरई–सदस्य
xi सचिव, ऊर्जा मंत्रालय–सदस्य
xii सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय–सदस्य
xiii सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय–सदस्य
xiv सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय–सदस्य
xv सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय–सदस्य
xvi सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय–सदस्य
xvii बीएडीपी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव–सदस्य
xviii महानिदेशक, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स–सदस्य
xix संयुक्त सचिव (के), गृह मंत्रालय–सदस्य
xx संयुक्त सचिव (एनई), गृह मंत्रालय–सदस्य
xxi अन्य मंत्रालयों के विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्ति आवश्यकतानुसार–सदस्य
xxii संयुक्त सचिव (बीएम–II), गृह मंत्रालय–सदस्य सचिव

5.2 इन दिशा–निर्देशों के दायरे के भीतर अधिकार–प्राप्त समिति (ईसी) बीएडीपी के दायरे से संबंधित नीतिगत मामलों, संबंधित राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश में भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण, जिसके भीतर बीएडीपी को लागू किया जाएगा, कार्यान्वयन के तौर–तरीके, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश को धन आवंटन के फार्मूलू पर पहुंचन आदि के लिए उत्तरदायी होगी। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी।

5.3 बीएडीपी संबंधी अधिकार–प्राप्त समिति को बीएडीपी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकरी के अनुमोदन से किसी भी विकासात्मक मंत्रालय की किसी भी योजना के किसी भी मानक में छूट देने का अधिकार होगा।

5.4 बीएडीपी अधिकार–प्राप्त समिति, अंतर–मंत्रालयी मुद्दों को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सीमा अवसंरचना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसीबीआई) के समक्ष रखने की सिफारिश कर सकते हैं।

5.5 अधिकार–प्राप्त समिति, बीएडीएस के अंतर्गत आधारित आरक्षित निधियों/बचत (यदि कोई हो) का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन देकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत करने का निर्णय ले सकती है।

5.6 अधिकार–प्राप्त समिति सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत सरकार की सभी व्यक्तिगत/परिवार/सामुदायिक लाभ योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।

5.7 बीएडीपी संबंधी अधिकार–प्राप्त समिति के अध्यक्ष को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के साथ बीएडीपी दिशा–निर्देशों के किसी भी प्रावधान में छूट देने का अधिकार होगा।

6. राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश स्तरीय जांच समिति (एसएलएसीसी/यूटीएलएससी):

6.1 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रतिनिधित्व के साथ राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) पर राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग जांच समिति (एसएलएसीसी/यूटीएलएससी) होगी, तथापि संबंधित बीजीएफ से प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। यह समिति इन दिशानिर्देशों के अनुरूप पंचवर्षीय दृष्टिकोण और वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन के साथ–साथ बीएडीपी की प्रगति की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी। समिति से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह बीएडीपी कवरेज क्षेत्र में जनशक्ति (डॉक्टर/शिक्षक आदि) की उपलब्धता सहित नीति और अन्य अड़चनों पर ध्यान देगी।

6.2 एक वित्तीय वर्ष के दौरान बीएडीएस के तहत राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश को आवंटित की गई राशि में से 2.5 तक की राशि आरक्षित रखी जाएगी तथाउसे बीएडीपी/प्रशासनिक व्यय के तहत कार्य करने के लिए मुख्य सचिव/अध्यक्ष/राज्य/केन्दशासित प्रदेश स्तरीय जांच समिति (एसएलएसीसी/यूटीएलएससी) के अधीन रखा जाएगा। मुख्य सचिव/अध्यक्ष, राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश स्तरीय जांच समिति (एसएलएसीसी/यूटीएलएससी) के अधीन आरक्षित राशि में से ही 1 प्रतिशत (राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के कुल वार्षिक आवंटन का) तक की राशि प्राशसनिक व्यय के लिए आरक्षित रखी जा सकती है जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रूपए होगी।

6.3 अधिकार/प्राप्त समिति/अध्यक्ष, अधिकार–प्राप्त समिति अर्थात सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बिना राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा पहले से अनुमोदित कार्यो/परियोजनाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

7. निधि प्रवाहः

7.1 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को निधियां व्यय की पृष्टि तथा कार्यो/परियोजनाओं की अनुमोदित सूची प्राप्त होने के आधार पर जारी की जाएंगी। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश को पिछले वित्तीय वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक जारी निधियों के लिए 100 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा कराना अपेक्षित होगा। अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को 31 मार्च, 2019 तक जारी निधियों के संबंध में 100 उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा कराना अपेक्षित होगा। लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र के समकक्ष राशि को जारी की जा रही निधियों में से काट लिया जाएगा। काटी गई राशि वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक संगत उपयोगित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की जाएगी। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों का वित्तीय वर्ष 30 सितम्बर के बाद शेष राशि पर कोई दावा नहीं होगा और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा संगत उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण बची राशि को बीएडीएस के तहत 'बचत' के रूप में माना जाएगा और इस राशि को निधि के निर्गम के लिए सभी शर्तो को पूरा करने वाले अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों को जारी कर दिया जाएगा।

7.2 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा बीएडीपी के लिए एक पृथक बजट शीर्ष और बैंक खाता खोला जायेगा। भारत सरकार से निधियों के प्राप्त होने पर, राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा इसे तत्काल कार्यान्वयन एजेन्सियों को जारी कर दिया जाना चाहिए तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी भी स्तर पर निधियों को रोके रखना सख्त मना है और सामान्य वित्तीय नियमावली के मौजूदा मानकों का अनुपालन राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

8. निगरानी और समीक्षा :

8.1 सीमावर्ती क्षेत्रों में पूरे किए गए कार्यो की वार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा, सीमावर्ती जिले की ग्राम सभा अथवा इसी तरह के स्थानीय निकायो/संबंधित बीजीएफ के प्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी को भी उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में वर्तमान स्थिति बताने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

8.2 सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास से संबंधित कार्यों पर स्वतंत्र फीडबैक प्राप्त करने के लिए विभिन्न जिलों में प्रभारी अधिकारी नामित किए जाएंगे। उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

8.3 बीएडीपी के तहत, कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जांच समिति जिम्मेदार होगी और इस कार्य के लिए वह अपने प्राशासनिक कर्मचारियों/लाइन विभागों और उनके अधीन अन्य एजेन्सियों का उपयोग करेगी।

8.4 तिमाही प्रगति आख्या (क्यूपीआर) बीएडीपी ऑनलाइन प्रबधंन प्रणाली के माध्यम से तिमाही समाप्त होने के बाद 15 वें दिन तक सीमा प्रबंधन विभाग को कार्य/परियोजना–वार भेजी जानी चाहिए। वर्ष–वार समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष समाप्त होने के एक माह के भीतर सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के निर्धारित प्रोफॉर्मा (जीएफआर–12सी), जैसा कि अनुलग्नक–II में दिया गया है, में भेजे जाने चाहिए। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा निम्नानुसार तिमाही प्रगति रिपोर्टे प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(क) 31 मार्च को समाप्त तिमाही — 15 अप्रैल तक
(ख) 30 जून को समाप्त तिमाही — 15 जुलाई तक
(ग) 30 सितम्बर को समाप्त तिमाही — 15 अक्टूबर तक
(घ) 31 दिसम्बर को समाप्त तिमाही — 15 जनवरी तक

8.5 सीमा जनगणना गांव/बस्ती में बीएडीएस के तहत सृजित परिसंपत्तियों की सूची विश्लेषणात्मक उद्देश्यों आदि के लिए राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा तैयार की जाएगी। सभी परियोजनाओं की जियो–मैपिंग होगी और इन्हें बीएडीपी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड किया जाएगा। गत दस वर्षों के दौरान बीएडीपी के तहत निष्पादित सभी परियोजनाओं को जियो–मैपिंग होनी चाहिए। और इन्हें भुवन प्लेटफार्म पर विशेष थिमटिक लेयर पर अपलोड किया जाना चाहिए।

8.6 प्रत्येक बीएडीएस परियोजना स्थल पर एक प्रदर्शन (डिस्पले) बोर्ड रखा जायेगा। जिसमें भारत सरकार के बीएडीएस के अंतर्गत पूरे किए जा रहे/पूरे कर लिए गए (वास्तविक और वित्तीय कार्यक्षेत्र सहित परियोजना के ब्यौरे देते हुए) कार्यों को इंगित किया गया हो।

8.7 बीजीएफ की भूमिका

i क्षेत्र में तैनात अधिकारी उनके जिले/ब्लॉक में किए जा रहे बीएडीएस कार्यों की प्रगति के बारे में स्वतंत्र फीडबैक प्रदान करेंगे।

ii क्षेत्र मे तैनात बीजीएफ अधिकारी को बीएडीएस कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा करने का कार्य भी सौंपा जा सकता है।

9. बीएडीपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों की लेखा परीक्षा

9.1 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों को बीएडीएस के अंतर्गत किए गए कार्यों की नियमित लेखा परीक्षा सी एंड ए जी द्वारा वार्षिक रूप से करानी होगी और सी एंड ए जी लेखा परीक्षा पूरी होने के पश्चात बीएडीएस के तहत व्यय के संबंध में सी एंड ए जी द्वारा की गई टिप्पणियां गृह मंत्रालय को भेजी जाएंगी। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारें बीएडीएस के अंतर्गत प्राप्त निधियों का महालेखाकार द्वारा वार्षिक तौर पर लेखा परीक्षण करायेंगी और लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र एवं राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकार की अनुपालन रिपोर्ट गृह मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष 31 वर्ष 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेंगी। बीएडीएस के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो/परियोजनाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा का कार्यकारी सारांश प्रस्तुत करने संबंधी प्रोफॉर्मा अनुलग्नक–III में दिया गया है।

9.2 बीएडीएस लेखाओं की सैंपल जांचः गृह मंत्रालय, राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा अनुरक्षित बीएडीपी लेखाओं की सैंपल जांच करा सकता है, जिससे कि बीएडीएस को निधियां जारी करने से संबंधित किन्हीं समस्याओं का समाधान किया जा सके जिसमें आवश्यकतानुसार लेखाओं का समायोजन और बीएडीएस की निधियों के उपयोग की समीक्षा भी शामिल है।

9.3 वर्तमान सामान्य वित्तीय नियमावली दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी स्तर पर जमा बीएडीएस निधियों पर अर्जित ब्याज को बीएडीएस के अंतर्गत अतिरिक्त संसाधन माना जाएगा और इसका उपयोग बीएडीपी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता जनगणना ग्रामों में कार्यो/परियोजनाओं हेतु किया जाएगा। इस संबंध में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा गृह मंत्रालय को एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकार के सहायता अनुदान से मिला सारा ब्याज और अन्य आय या

अग्रिम को, खातों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद तत्काल राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश स्तर पर अनुरक्षित विशिष्ट बीएडीएस खाते में जमा किया गया है।

9.4 ये दिशानिर्देश दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

अनुलग्नक– I

सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुमत कार्यो/परियोजनाओं की निदर्शी सूची

(क) सड़के और पुल

- सड़कों का निर्माण और उन्नयन।
- पुलों और पुलियों का निर्माण।
- फुट सस्पेंशन पुलों का निर्माण।
- पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों की सुरक्षा के लिए रिटेनिंग दीवारों का निर्माण।

(ख) स्वास्थ्य अवसंरचना

- सीमावर्ती जनगणना गांवो/बस्तियों में स्वाथ्य क्षेत्र में लगे सरकारी चिकित्सकों, पैरामेडिक्स, और अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण।
- आधाभूत अवसंरचना (एसएचसी/पीएचसी/सीएचसी) का निर्माण और उन्नयन।
- सरकारी मोबाइल डिस्पेंसरियों की स्थापना/एंबुलेंस की खरीद।
- सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद।

(ग) शिक्षा अवसंरचना

- शिक्षा क्षेत्र में लगे सरकारी शिक्षकों और अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण।
- प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण और उनके उन्नयन/विस्तार जैंसे अतिरिक्त कक्षाओं, कंम्प्यूटर कक्षों और प्रयोगशालाओं का निर्माण।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रावासों/शयनागारों का निर्माण।

(घ) कृषि अवसंरचना

- लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण।
- जल संरक्षण कार्यक्रम

(ड.) खेल अवसरंचना

- खेल मैदानों का निर्माण/विकास।
- मिनी स्टेडियम का निर्माण।
- टेबिल टेनिस/बैडमिंटन/बास्केटबॉल/हैंडबॉल क लिए इंडोर कोर्ट का निर्माण।

(च) डीडब्ल्यूएस परियोजनाएं

- सरकारी स्कूलों/जनगणना कस्बों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाए।

(छ) सामाजिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचा

- आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण
- सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।

(ज) मॉडल गांवो का विकास

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकार, हब और स्पोक मॉडल के आधार पर गांव में कई अवसंरचना विकास कार्य/परियोजनाएं शुरू कर सकती हैं।

(झ) लघु स्तरीय उद्योगों के लिए अवसंरचना का निर्माण

(ञ) बीएडीएस के तहत सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव।

(ट) प्रशासनिक व्यय

बीएडीएस के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रत्येक कार्य/परियोजना के प्राक्कलनों की जांच की जानी चाहिए तथा राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में सक्षम तकनीकी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और प्रत्येक कार्य/परियोजना के लिए उपयुक्त तकनीकी प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लागत का सार वार्षिक कार्य योजना के साथ राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अध्याय–12

सीमान्त क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने, पलायन पर अंकुश लगाने एवं रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिये जाने के लिए सिफारिशें

भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमारेखा से 10 किमी की हवाई दूरी पर स्थित राजस्व ग्रामों में सीमित संसाधनों एवं बुनियादी ढ़ांचे के संतृप्त विकास के लिए आयोग इस अध्याय में इन क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने, पलायन पर अंकुश लगाने एवं रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से निम्नवत सिफारिशें प्रस्तुत कर रहा है।

विशेष सिफारिशें

1. वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन ग्रामों का चयन किया गया है उनको केन्द्र मानकर आस–पास के ग्रामों को कलस्टर के रूप में विकसित किए जाने से लाभ होगा।
2. उत्तराखण्ड के भारत–चीन सीमा के चारों विकास खण्ड़ों के विकास के लिए विशेष योजना बनायी जाए जिसमें सभी विभागों की भागीदारी हो ताकि सीमांत क्षेत्रों का तीव्रगति से विकास हो तथा पलायन पर अंकुश लगे।
3. सीमांत क्षेत्रों में नियुक्त सभी कार्मिकों के आवास के लिए विशेष प्रावधान करने से उनको ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर काम करने की सुविधा होगी।
4. नेलांग और जादुंग के ग्रामीणों को भी अपने गांव जाने के लिए पास लेना पड़ता है, इसे व्यावहारिक किया जाना चाहिए। पास बनाने का कार्यालय यदि हर्षिल में हो तो सीमान्त दर्शक यात्री बढ़ सकते हैं। इन विस्थापित गांवों का पुनर्वास भी धीरे–धीरे हो सकता है।
5. सेब और अन्य स्थानीय फलों की नर्सरी हर्षिल में ही विकसित की जाय। उच्चस्तर का बीज एवं उर्वरक उपलब्ध हो, हिमाचल की निर्भरता समाप्त हो।
6. सीमांत ग्रामों में नेटवर्क Connectivity का अभाव है। सीमांत क्षेत्रों में भारतीय टेलीकॉम कम्पनियों को टावर लागने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने से यह कमी पूरी होगी।

ग्राम्य विकास

संबंधित क्षेत्रों में पलायन पर अंकुश लगाने में ग्राम्य विकास विभाग का अमूल्य योगदान रहता है क्योंकि विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक रोजगार के साथ आजीविका के स्थिर संसाधन भी स्थानीय निवासियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सम्बन्धित क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नवत बिन्दुओं पर कार्य करने की आवश्यकता है।

1. सीमांत ग्रामों में मनरेगा के लिए अनुमन्य 100 दिनों के स्थान पर 200 दिन का रोजगार दिये जाने के प्राविधान पर विचार किया जाना चाहिये।

2. मनरेगा में बागानों की भूमि सुधारीकरण एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्राविधान किया जाय ताकि ग्रामीणों को जंगली जानवरों के आंतक से मुक्ति एवं भूमि सुधारीकरण की समस्या से निदान हो सके।
3. संबंधित क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूहों को और अधिक संबल प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को पैकेजिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और विपणन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ना चाहिए।
4. उन ग्रामों की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है जिन ग्रामों ने ग्रामीण विकास की योजनाओं में दूसरे ग्रामों की अपेक्षा कम प्रगति हुई हो।
5. उन सभी ग्रामों का ध्यान ग्रामीण आजीविका योजना की ओर किया जाना अपेक्षित होगा जिनकी प्रगति ग्रामीण आजीविका मिशन में कम है। आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका उत्पन्न करवाने में अहम भूमिका निभा रही है।
6. ग्राम पंचायत स्तर पर आजीविका पैदा करने के लिए प्रत्येक विकासखण्ड़वार विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाय, जिससे ग्रामवासियों को आय उत्पन्न करने हेतु आजीविका मिल सके। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम्य विकास विभाग एवं अन्य रेखीय विभागों का सहयोग लिया जाय।

कृषि

उत्तराखण्ड की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए परम्परागत रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि में सुधार एवं उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में डिजिटल प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण मशीनों के संदर्भ में जानकारी, आवश्यक ज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न आयामों के संदर्भ में कार्य किया जाना उचित होगा। वस्तुतः इन सभी प्रयासों से कृषि को आधुनिक तकनीकी से जोड़ते हुए किसानों के साथ–साथ कृषि कार्यों में लगे सभी समुदाय लाभान्वित हो सकेंगे।

सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निम्नवत बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से विभागीय योजनाओं में लागू किया जाना होगा, ताकि कृषि के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ करने, पलायन पर अंकुश लगाने एव रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिलेगा।

1. कई ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई युक्त पानी की बड़ी समस्या है, यहां की कृषि वर्षा पर आधारित रहती है, समय पर वर्षा न होने से पूरी फसल विफल हो जाती है। सिंचाई की सुविधाओं तक पहुँच न होना कृषि के मार्ग में बहुत बड़ा व्यवधान है। वस्तुतः कृषि में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है।
2. ग्रामीण किसानों की दूसरी सबसे बड़ी अधिक समस्या वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त होने वाली तैयार–फसल होती है। इस नुकसान की भरपाई हेतु एक सशक्त बीमा कार्यक्रम को लागू करके समाधान किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों द्वारा अपनी फसल में जो भी निवेश किया गया है वह पूरी तरह से सुरक्षित है।
3. किसानों को सीधे बाजारों से संबद्ध कर दिया जाए तो उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा सकता है। जिसके लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिये। एक डिजिटल मार्केटप्लेस का निर्माण करके इनपुट लागत में कमी की जा सकती है। इसका एक लाभ यह होगा कि बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कीटों और बीमारियों के फार्म–स्तरीय निदान, पोषण संबंधी सलाह इत्यादि के विषय में किसानों को समय–समय पर डिजीटल रूप से सूचित किया जा सकता है।
4. भूमि की सुचारू खेती के लिए नवीनतम कृषि उपकरणों को खेत में लाकर कृषि दक्षता में सुधार किया जा सकता है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि सुधार कानूनों को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। जिससे वास्तविक कृषक भूमि का मालिक बन सके तथा भूमि की जोत का आकार भी बहुत छोटा न हो। ऐसा होने से कृषको को कृषि कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और कृषि में सुधार होगा।
6. कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी को प्रोत्साहन देने के लिए किसान को पर्याप्त सुख–सुविधाएं उचित शर्तो पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जिससे कि वे आधुनिक औजार व रासायनिक खादें, आदि क्रय कर सकें।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि को वैज्ञानिक ढंग से किए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसके लिए किसानों को सरकारी प्रशिक्षकों द्वारा समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
8. ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों को मिश्रित खेती को अपनाना चाहिए। कृषि के साथ–साथ पशुपालन, डेरी, फल एवं सब्जी उत्पादन आदि कार्यो को बढ़ावा देकर मिश्रित खेती की जानी चाहिए।
9. पर्वतीय जनपदों में कृषकों के बिखरी जोत के साथ–साथ जंगली जानवरों द्वारा किये जा रहे नुकसान से किसानों द्वारा लगाई गई लागत से भी कम आय का प्राप्त होना कृषि क्षेत्र के लिए उचित संकेत नहीं हैं। विभाग के घेरबाड़ कार्यक्रम में व्यक्तिगत के साथ–साथ सामूहिक तथा बजट बढ़ाये जाने का प्राविधान किया जाय, ताकि अधिक से अधिक किसानों को कृषि भूमि को आच्छादित किया जाय।
10. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का भी विस्तार कृषि क्षेत्र में किया जाना चाहिए।
11. जंगली जानवरों से खेती को हो रहे नुकसान के लिए ठोस योजना होनी चाहिए ।

उद्यान

संबंधित क्षेत्र सर्दियों में सर्वाधिक हिमाच्छादित रहते हैं जिस कारण पर्यटन के साथ–साथ कृषि, बागवानी और पशुपालन के लिए अपनी अलग ही पहचान और महत्व रखते है। परिणामस्वरूप संबंधित क्षेत्रों में उद्यानीकरण के माध्यम से रोजगार उपलब्धता की अपार सम्भावनाएं हैं। क्योंकि उत्तराखण्ड का सर्वाधिक सेब उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। इन क्षेत्रों में उद्यानीकरण व्यवसाय को और अधिक मजबूत करने के लिए, निम्नवत बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से विभागीय योजनाओं के विस्तारीकरण–शिथलीकरण–सरलीकरण में लागू किया जाना चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों में उद्यानीकरण को नया आयाम मिलेगा।

1. इन क्षेत्रों में अधिकांशतया सेब का उत्पादन किया जा रहा है किन्तु सेब उत्पादकों को उचित मार्गदर्शन एवं विपणन के अभाव में उचित उत्पादन एवं मूल्य नहीं मिल रहा हैं। इसके लिए सेब के पौध हेतु ट्रीटमेन्ट, दवाई, स्प्रै, उन्नत प्रजाति के पौध और खाद देने की समय सारणी (सेड्यूल) प्रति वर्ष विभाग द्वारा उत्पादकों को समय से पूर्व उपलब्ध करायी जानी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण तापमान में बदलाव हो रहा है।
2. विभाग द्वारा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट में अधिक डिमाण्ड वाले सेब की उन्नत प्रजाति ही आगामी समय में रोपण हेतु उत्पादकों को उपलब्ध किये जाय, जो कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन दे, और सेब उत्पादकों को अच्छा मुनाफा मिल सके। क्योंकि अधिकांश सेब उत्पादकों के पास अब परिवार विभाजन के कारण भूमि जोत कम हुई है।
3. इन क्षेत्रों में ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना गठित ''सेब उत्पादक समूह'' के माध्यम से यदि किया गया, तो भविष्य में सेब उत्पादकों को अच्छा मुनाफा होगा, इसके लिए ''सेब उत्पादक समूह'' को प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान हो।
4. इन क्षेत्रों में लंगूर आदि जंगली जानवरों का आंतक बढ रहा है, कारणवश सेब के उत्पादन में गिरावट होना स्वाभाविक है। अर्थात संबंधित क्षेत्रों में जंगली जानवरों के कारण हो रहे नुकसान पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। इसके लिए डेमस गुलाब जैसे कंटीले प्रजाति की वायो दीवार या सोलर फेंसिंग आदि अन्य प्रकार के निर्माण ''मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना'' की उप योजना ''मुख्यमंत्री सीमान्त खेत सुरक्षा योजना'' कृषि और उद्यान विभाग के माध्यम से किया जाना, उत्पादकों को नई उम्मीद की सौगात देना होगा।

5. इन क्षेत्रों में अखरोट, चरी और नाशपाती के साथ–साथ सब्जी उत्पादन को भी बढ़ावा दिये जाने के लिए उन्नत प्रजाति के पौध एवं बीज उपलब्ध किये जाने पर जोर दिया जाय। जिससे ग्रामीणों को आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होगा।
6. इन क्षेत्रों के सेब को अलग–अलग नाम के ब्रांड से सेब बेचा जा रहा है, जो कि संबंधित क्षेत्र के प्रचार–प्रसार में अवरोध का काम कर रहा है। अर्थात संबंधित क्षेत्र का सेब ''संबंधित वैली/उत्तराखण्ड'' के नाम से ही बेचा जाय, जिससे संबधित क्षेत्र का प्रचार–प्रसार और मार्केटिंग तो बढ़ेगा ही, साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा।
7. इन क्षेत्रों में फ्लोरीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजाति के फूल स्वाभाविक रूप से पैदा होते हैं, जो कि औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं।
8. सीमावर्ती विकासखण्ड जोशीमठ, मुनस्यारी और धारचूला के सीमावर्ती गांवों में उद्यानीकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
9. नर्सरी/पौधशाला के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को उत्पन्न किये जाने की अधिक सम्भावनायें हैं। विभाग को चाहिए कि रूचिकर उद्यमियों को चिन्हित कर प्रशिक्षित किया जाय तत्पश्चात उन्नत किस्म के बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध करवा कर नर्सरियों का विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से अनुश्रवण किये जाने का प्राविधान होना उचित होगा।
10. विभाग को फल, सब्जी तथा मसाला उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, उत्तम किस्म के पौध एवं बीज उपलब्ध करवाने के साथ–साथ विपणन की ठोस नीति के साथ कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। उद्यानीकरण में रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं, जिसके लिए विभाग को संजीदगी के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करना होगा।
11. फल प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या कम है अलग–अलग मौसम में फलों की उपलब्धता के आधार पर प्रसंस्करण इकाईयाँ स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
12. उद्यानिकी की सभी गतिविधियों/बागवानी को बीमा की श्रेणी में लाया जाय ताकि उद्यमी को जोखिम से राहत मिल सके।

जड़ी-बूटी विकास

संबंधित क्षेत्रों में औषधीय जड़ी–बूटी के अन्तर्गत रोजगार के अपार आयाम मौजूद हैं। परिणाम स्वरूप संबंधित क्षेत्रों में कई प्रकार की जड़ी–बूटी पाई जाती है। उक्त क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए निम्नवत कारकों पर कार्य किया जाना आवयश्क होगा क्योंकि भविष्य में मानव उपयोगी चीजों में बढ़ते अत्यधिक कैमिकल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भारत में ही नहीं विश्व में भी आयुर्वेदिक औषधियों की मांग एवं मार्केट बढ़ेगा।

1. स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना अति अपेक्षित है क्योंकि संबंधित क्षेत्रों में जड़ी–बूटी क्षेत्र को विकसित कर आसानी से स्थानीय मूल निवासियों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है जिससे मूल निवासियों के आजीविका के स्रोत में अतिरिक्त आय का संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। अर्थात संबंधित क्षेत्रों को सरलतम रूप से हिमालयन जड़ी–बूटी हब के रूप में विकसित किया जा सकता है।
2. जड़ी–बूटी को और अधिक विकसित किये जाने के लिए संबंधित क्षेत्रान्तर्गत हिमालयन जड़ी–बूटी क्रय विक्रय केन्द्र स्थापित किये जाय। ताकि जड़ी–बूटी का उत्पादन एवं दोहन करने वाले ग्रामीणों को उचित मूल्य मिल सके।
3. इन क्षेत्रों के युवाओं को मूल्य संबर्धन के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, ताकि संबंधित क्षेत्रों के युवा जड़ी–बूटी को प्रसंस्करण कर और अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें।
4. इन क्षेत्रों में जड़ी–बूटी उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने के लिए जड़ी–बूटियों के लिए न्यूनतम–अधिकतम मूल्य सलेब का निर्धारण हर वर्ष हो जिससे काला बाजारी की संभावना से भी निजात मिलेगा।

मत्स्य पालन

सीमावर्ती संबंधित क्षेत्रों में मत्स्यपालन को भी और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निम्नवत बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से विभागीय योजनाओं में लागू किया जाना होगा, ताकि इन क्षेत्रों में मत्स्यपालन के सहयोग से संबंधित क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ करने, पलायन पर अंकुश लगाने एव रिर्वस पलायन को बढ़ावा मिलेगा।

1. मत्स्य पालन को बढ़ावा दिये जाने के लिए सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत मत्स्य पालकों की बीमा कराए जाने की नीति बने, जिससे प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के दौरान मत्स्य पालकों को मुआवजा मिल सके।
2. मत्स्य पालन से रोजगार को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का होना अतिआवश्यक है, मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध न होने के कारण मत्स्य पालन व्यवसाय में मत्स्य पालकों को काफी नुकसान होता है।
3. मत्स्य पालको ंकी आर्थिकी में सुधार करने के लिए मत्स्य पालकों को उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज उपलब्ध कराएं जाने चाहिए।
4. मछलियों के स्वास्थ्य संबन्धी मामलों हेतु जैसे बीमारी हो जाने पर चिकित्सक को समय पर उपलब्ध करवाया जाना उचित होगा।
5. मछलियों हेतु कृत्रिम चारा उत्पादन इकाईयों की स्थापना की जानी चाहिए।
6. मत्स्य पालन की तकनीकी जानकारी हेतु ब्लॉक/तहसील स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
7. मत्स्य बीज की आपूर्ति हेतु मत्स्य विभाग द्वारा समय–समय पर बीज उपलब्ध कराने चाहिए।
8. ग्रामीण मत्स्य पालकों को मिश्रित मछली पालन की तकनीकी हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे मत्स्य पालक सामान्य के मुकाबले 5 गुना अधिक मछलियो का उत्पादन कर सकें। मिश्रित मत्स्य पालन से 1 साल में 2 बार मत्स्य उत्पादन किया जा सकता है।
9. हिम वाले क्षेत्रों में ट्राउट मछली पालन किये जाने की अच्छी सम्भावना होती है क्योंकि यह मछली 15 डिग्री से कम तापमान में जिंदा रहती है। अर्थात् उत्तराखण्ड के चारों सीमान्त जनपदों में ट्राउट मछली पालन को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए, यह ग्रामीणों की आर्थिकी संवारने और स्वरोजगार का बड़ा माध्यम हो सकता है।
10. सीमान्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु कलस्टर बनाकर तालाब निर्माण किया जाना चाहिए।

डेयरी

उत्तराखण्ड में डेयरी उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए किसानों की आजीविका में सुधार, रोजगार सृजित करना, कृषि औद्योगीकरण और व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करना और जनता के लिए पोषण बढ़ाने जैंसे विकास लक्ष्यों को पूरा करने में काफी हद तक सफल रहा है। छोटे और बड़े पैमाने पर किसान, सहकारी समितियाँ, निजी डेरियां, दूध प्रसंस्करण इकाईयाँ, वितरकों द्वारा डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार किसानों का समर्थन करने और डेरी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र को भी और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निम्नवत बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से विभागीय योजनाओं में लागू किया जाना होगा, ताकि इन क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ करने, पलायन पर अंकुश लगाने एव रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिलेगा।

1. डेयरी सहकारी संस्थाओं द्वारा सीमान्त क्षेत्रों के ग्रामीणों को पशुपालन और डेयरी उद्योग के वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे डेयरी के क्षेत्र में पशुपालकों को नये तरीको से व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी एवं डेयरी व पशुपालन के क्षेत्र में बदलाव आयेगा।

2. नयी तकनीकों द्वारा डेयरी व्यवसाय के संचालन को डिजिटल बनाने, दूध की बर्बादी कम करने, दूध उत्पादन में सुधार करने, पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी करने, दूध उत्पादन में विसंगतियों का पता लगाने और मौसम की स्थिति की भविष्यवाणी करने, आदि कार्यों में मदद की जा सकती है। जिससे डेयरी उद्योग में प्रौद्योगिकी की भूमिका का विस्तार होगा।
3. सीमान्त जनपदों में दुग्ध उत्पादकता की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा पशुपालकों हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त दुधारू पशुओं एवं उन्नत नस्ल के अधिक से अधिक दुधारू गौवंश इकाईयों की स्थापना की जानी चाहिए।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध व्यवसाय को बढाने हेतु सरकार द्वारा सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक को पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था हो, जिससे दुग्ध उत्पादको को प्रोत्साहित किया जा सके।
5. पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल हेतु सीमान्त क्षेत्रों में पशु चिकित्सा संस्थान/केन्द्र खोले जाने चाहिए, जिससे पशुओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवायें मिल सकेंगी। नियमित और आवधिक टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप बछड़ों की मृत्यु दर में कमी आयेगी एवं विभिन्न पशु रोगों की भी रोकथाम होगी।
6. सन्तुलित आहार खिलाने पर दुधारू पशु अपनी आनुवांशिक क्षमता के अनुरूप दूध का उत्पादन करते हैं। सीमान्त क्षेत्रों में डेयरी विकास में लगे छोटे किसानों और कृषि मजदूरों को चारा समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे पशुओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। दुग्ध उत्पादकों को उन्नत किस्मों के उच्च गुणवत्ता चारा बीज उपलब्ध करा कर चारे की पैदावार बढ़ाने, साइलेज बनाने एवं चारा संवर्धन किया जाना चाहिए।
7. दूध उत्पादकों को दुधारू पशुओं के लिए राशन संतुलन एवं पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देने हेतु प्रशिक्षित स्थानीय जानकार व्यक्ति परामर्श सेवाओं द्वारा उनके घर–घर जाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
8. दूध को उचित तरीके से इकट्ठा करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की गाँव आधारित दूध संकलन प्रणाली स्थापित करना तथा उसका विस्तार किया जाना चाहिए।
9. गाय, भैंस आदि जानवरो में दुग्ध की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए साइलेज एक बेहतरीन और सस्ता चारा विकल्प है। सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को साइलेज उपलब्ध करवाया जाना चाहिए जिससे उन्हें एक सस्ते व बेहतरीन चारा उपलब्ध हो सके।

उद्योग

संबंधित क्षेत्रों में छोटे–छोटे उद्यमों को ओर अधिक मजबूती देने एवं स्थापित करने के लिए, निम्नवत बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से विभागीय योजनाओं के विस्तारीकरण–शिथलीकरण–सरलीकरण में लागू किया जाना होगा, ताकि इन क्षेत्रों में औद्योगीकरण को नया आयाम मिलेगा।

1. उद्योग विभाग को ''सीमान्त क्षेत्र उद्यम नीति'' तैयार करनी चाहिए।
2. सीमान्त क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए अनुदान राशि को अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक रखना चाहिए। क्योंकि संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ अन्य जगह के मुकाबले बहुत विषम होती हैं।
3. सीमावर्ती क्षेत्रों में बेरोजगारों को चिह्नित करते हुए शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने एवं ऋण अदायगी विगत तीन साल बाद, किये जाने का प्राविधान हो।
4. विभाग को अन्य रोजगारपरक विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में तीन प्रकार के उद्यम स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।
    - सीमावर्ती उत्पादन आधारित :– ग्रामीण उत्पाद यथा बिस्कुट, नमकीन, टॉफी, चाकलेट, चिप्स, झाडू, रस्सी, प्राकृतिक सोपीस,, मसाले, रोली–चन्दन, लाठी, लट्ठे, ऊनी उत्पाद, भृज की मिठाई, शुद्ध कृषि उत्पाद, उच्च

नस्ल के कुत्ते, स्थानीय उत्पादों की मिठाई, आदि को अन्तिम गांव के उत्पाद नाम से प्रचारित किया जाना राज्य के प्रथम ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना होगा।

- पर्यटन आधारित :– पर्यटन उद्योग हेतु हर ग्राम की अपनी विशेषता होती है उन्हें उभारने व दुनिया को बताने की आवश्यकता है। राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा एवं राज्य का प्रथम गांव दर्शन विशयक नीति निर्धारण किया जाना अपेक्षित होगा।
- उद्योग आधारित :– बुनाई, लोहार, बढ़ई, दर्जी, स्वर्णकार, प्लंबर, इलेक्ट्रशियन, पेंटर, मूर्तिकार, फर्नीचर, दौना–पत्तल उद्योग, आदि को विकसित किये जाने की अपार संभावनायें हैं।

पर्यटन

संबंधित क्षेत्रों में पर्यटन के अन्तर्गत रोजगार हेतु अपार सम्भावनाएं हैं। उक्त क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए निम्नवत कारकों पर कार्य किया जाना आवयश्क होगा।

1. सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सबलता के साथ नये पर्यटन स्थलों की स्थापना हो और उनके आस–पास पर्यटन की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि सीमावर्ती पर्यटन (Border Tourism) अपने नये आयाम को प्राप्त कर पाये। विशेषकर विकासखण्ड मुनस्यारी और धारचूला के सीमावर्ती गांवों में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।
2. सीमान्त क्षेत्रों के अन्तर्गत ट्रैकिंग संबंधी आधारभूत सुविधाओं का सुव्यवस्थित किया जाय। तत्क्रम में संबंधित क्षेत्रों से संबंधित मनमोहक ट्रेकों यथा कण्डारा बुग्याल, खड़ा पत्थर, चौडू, बन्दर पूँछ, ब्रह्मीताल, भू–बुग्याल, लिगूं शिवलिंग, रालम, मिलम ग्लेशियर, खलिया टॉप, नीति घाटी, औली, वृद्ध बद्री, फूलों की घाटी, आदि कैलाश, ओम पर्वत, आदि को विकसित किया जाय साथ ही स्थानीय गाइडों को ट्रैकिंग संबंधी प्रशिक्षण एवं हेल्पिंग इन्स्ट्रूमेंट उपलब्ध कराये जायें।
3. पर्यटन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्रों में ''हिमालयन योगध्यान प्रवृष्टि योजना'' का शुभारम्भ किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए वित्तपोषण का प्राविधान न्यूनतम ब्याजदरों पर किया जाना इनर लाइन से संबंधित क्षेत्रों में ईको पर्यटन के माध्यम से ग्रामीणों अथवा युवाओं को स्वरोजगार की धारा से जोड़ना होगा।
4. ''सीमा दर्शन'' उत्तराखण्ड के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। जिसके लिए ''सीमा दर्शन'' एरिया में नेटवर्क सुविधा होनी नितान्त आवश्यक है। सीमा पास के मानकों में स्थानीय निवासियों को आधारकार्ड के आधार पर छूट दिये जाने का प्राविधान हो।
5. संबंधित क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना से लाभान्वित होने के लिए स्थानीय ग्रामीण पूर्ण मनोयोग से तैयार है किन्तु बैंकों द्वारा कई दस्तावेजों एवं औपचारिकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया अपनाये जाने से होमस्टे योजना को प्रसारित होने में अवरोध हो रहा है। इस प्रक्रिया का सरलीकरण करना चाहिये।
6. पर्यटक आमतौर पर होमस्टे में रहने के लिए एक मील या अधिक की दूरी पर चलना/चढ़ना पसन्द नहीं करते हैं, आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए गांवों को मोटरमार्गों से जोड़ने की आवश्यकता है।
7. ऐसे क्षेत्र जहां कई होमस्टे हैं, वहां जंगल ट्रेल, ट्रैकिंग मार्ग और अन्य सुविधाएं विकसित होनी चाहिए।
8. प्रदेश में साहसिक पर्यटन में रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं जिसके लिए इन जनपदों के सभी विकासखण्ड़ों में सर्वेक्षण कर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
9. टूरिज्म पर सूचना का अभाव है। इससे पर्यटकों को असुविधा होती है। सूचना प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाईट या वेब एप बनाया जाना चाहिए जिससे सभी पर्यटकों को टूरिज्म गंतव्य पर तुरन्त सभी सूचनाऐं मिल सके।
10. पर्यटन से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों पर बल देकर इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इनमें महिलाओं की संख्या कौशल विकास कार्यक्रमों में बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

11. ट्रेकिंग और हाइकिंग एक नियमित गतिविधि बनी हुई है। गतिविधि में विनियमन और सार्वजनिक–निजी समन्वय की आवश्यकता है क्योंकि यह क्षेत्र में एक लोकप्रिय गतिविधि है। ट्रेकिंग और हाइकिंग को वन्य जीवन और बर्ड वॉचिंग को ट्रेकिंग और हाइकिंग से भी जोड़ा जा सकता है।
12. स्थानीय उत्पादों की माँग को बढ़ाते हुए होटल उद्योग के साथ संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। अधिकतम खरीद स्थानीय रूप से की जानी चाहिए, जिससे स्थानीय किसानों के लिए एक सुनिश्चित बाजार बन सके और स्थानीय समुदायों तथा होटल उद्योग के बीच एक साझेदारी भी स्थापित हो सके।
13. प्रकृति आधारित पर्यटन (ईको–टूरिज्म) के विकास की अपार सम्भावना है। प्रकृति–पर्यटन के लिए विशिष्ट गंतव्य और रमणीक स्थानों पर आधारित उप–योजनाएं विकसित की जा सकती हैं, जिसमें प्रकृति–पर्यटन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि उन्हें लाभ मिल सके।
14. इन संरक्षित क्षेत्रों के आस–पास रहने वाले स्थानीय समुदाय के प्रकृति आधारित पर्यटन में शामिल होने की आवश्यकता है। इससे आजीविका उत्पादन में मदद मिलेगी और उन्हें वन्यजीव संरक्षण और संरक्षण में शामिल किया जाएगा।

वन विभाग

1. वन विभाग को जंगली जानवरों से खेती को हो रहे नुकसान से बचाने के लिये ठोस कदम उठाने होंगे।
2. नाप भूमि में पेड़ों के कटान की अनुमति की प्रक्रिया सरल हो।

शिक्षा

सीमान्त जनपदों के दूरदराज क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम है। सीमान्त गांवों के ढांचे को मजबूत करने के लिए यहां की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठायें जाने आवश्यक हैं।

प्रथम रिपोर्ट के अनुसार पलायन के मुख्य कारणों में शिक्षा के लिए सीमावर्ती ग्राम पंचायतों द्वारा राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर लगभग 29% का योगदान दिया गया है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की और आवश्यकता है। क्योंकि संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा निम्न होने के कारण अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों की उत्तम/अच्छी शिक्षा की चाह में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करवाया जा रहा है या किया जा रहा है। जिसके कारण आगामी वर्षों में पलायन का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर निरन्तर होना भी स्वाभाविक है। जिसका शीघ्रता से समाधान किया जाना आवश्यक है। इसलिए संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए, निम्नवत बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से विभागीय योजनाओं के विस्तारीकरण–शिथलीकरण–सरलीकरण में लागू किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा के स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो सके।
उक्त परिस्थिति के मुख्य कारक :–

1. शिक्षा में प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक विषयवार अध्यापकों का अभाव होना।
2. शिक्षा व्यवस्था को सुचारू संचालन हेतु कक्षावार कमरों का अभाव होना।
3. शिक्षण संबंधी सुविधाओं/सामाग्री का समय पर उपलब्ध ना होना।
4. आवागमन संबंधी आधारभूत/मूलभूत सुविधाओं का अभाव।
5. अध्यापकों को शिक्षणेत्तर कार्यो के अतिरिक्त अन्य विभागीय सर्वेक्षण कार्य दिये जाने से शिक्षण कार्य में अवरोध होना।
6. कई विद्यालयों का कार्यभार एकल अध्यापक के पास होना।
7. अध्यापक के पास पठन–पाठन संबंधी कार्यो के अतिरिक्त कार्यालय संबंधी कार्यों का अतिरिक्त प्रभार होना। (मिड–डे–मील, अभिलेखों का रखरखाव, विभागीय सूचनाओं का आदान–प्रदान करना)

8. दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की आधारभूत/मूलभत आवश्यकताओं एवं जरूरतों की पूर्ति, तैनाती स्थान पर उपलब्ध ना होना।
9. अधिकांश अध्यापकों का निवास स्थान, विद्यालय से काफी दूर होना
10. शिक्षा के लिए आधुनिक सयंत्रों, तकनीकी एवं कनेक्टीविटी का अभाव।
11. शिक्षण कार्य में निगरानी एवं अनुश्रवण का अभाव होना।
12. उपरोक्त स्थितियों के मध्यनजर यदि समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों के युवा शहर क्षेत्रों के युवाओं की तुलना में पिछड़ते चले जायेंगे। परिणाम स्वरूप ग्रामीण युवा बेरोजगारों के समूह में सम्मिलित होके, मजबूरी में रोजगार–स्वरोजगार के संसाधनों की तलाश/खोज में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करेगा और करता भी रहेगा। साथ ही कुछेक समय बाद अपने परिवार के अन्य जनों को भी शहरी क्षेत्र की ओर हो रहे पलायन की धारा में सम्मिलित करेगा और करता भी रहेगा। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति दिनों–दिन खराब होती जा रही है।

उक्त कारकों के समाधान हेतु सिफारिशें:– इन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र को भी और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निम्नवत बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से विभागीय योजनाओं में लागू किया जाना होगा, ताकि इन क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली शिक्षा के अभाव में हो रहे पलायन पर अंकुश लग सके।

1. सीमान्त जनपदों के सीमान्त विकासखण्डों में केन्द्रीय विद्यालयों को खोला जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा के स्तर में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है।
2. स्कूलों में रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना उचित होगा, रोजगार सृजन के लिए स्कूली शिक्षा के दौरान ही बच्चों को कौशल विकास/व्यावसायिक शिक्षा/तकनीकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिससे छात्र बिजनेस और तकनीकी की शिक्षा को शुरूआत से ही समझ सके।
3. प्राथमिक शिक्षा यदि बेहतर हो तो आगे की शिक्षा के बेहतर होने की सम्भावना भी बढ़ जाती है। प्राथमिक स्तर पर कम से कम दो शिक्षको को तैनात करने का लक्ष्य रखा जाय, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
4. विद्यालयों मे आधारभूत सुविधाओं जैसे अच्छे विद्यालय भवन निर्माण, कक्षा में बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर सुविधा, पीने का पानी, हाथ धोने हेतु हैण्डवॉस सिस्टम, लाइब्रेरी, डिजिटल क्लास रूम, खेलने हेतु पार्क, बालक–बालिकाओं हेतु अलग–अलग शौचालय, विद्यालय की चारदीवारी एवं विद्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
5. विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है, शिक्षकों एवं छात्रो की उपस्थिति को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन/बायोमैट्रिक करवाए जाने का प्राविधान हो।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश छात्र धन के अभाव में 10 वीं या 12 वीं शिक्षा के बाद अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं। ऐसे छात्रों के लिए सब्सिडी/अनुदान की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे कोई भी गरीब छात्र अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें।
7. आज का युग कम्प्यूटर का युग है, हर क्षेत्र में कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, अतः प्रत्येक छात्र को बेसिक कम्प्यूटर की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सभी विद्यालयों में सरकार को निःशुल्क बेसिक कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
8. स्कूली शिक्षा के साथ–साथ खेल को भी महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं, खेल हमारे शारीरिक एवं मानसिक दोनो के ही विकास का स्रोत हैं। अतः प्रत्येक स्कूल में पढ़ाई के साथ–साथ समय–समय पर खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए।
9. संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा के सुधार हेतु विभाग द्वारा स्मार्ट विद्यालय और क्लास के विजन को पूर्ण संसाधनों के साथ विद्यालय स्तर पर उतारना चाहिए।
10. अध्यापकों से शिक्षण कार्य के सिवाय अन्य सर्वेक्षण कार्य ना करवाये जाय, एकल अध्यापक से तो बिल्कुल नहीं।

11. शिक्षण संबंधी पठन–पाठन की पुस्तकों का समय से उपलब्धता हेतु ठोस नीति बने।
12. विद्यालयों में मिड–डे–मील, अभिलेखों का रखरखाव, विभागीय सूचनाओं का आदान–प्रदान जैसी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु अवस्थापना संवर्ग में आउटसोर्सिंग से नियुक्ति का प्राविधान किया जाय।
13. विद्यालयों में आधुनिक तकनीकी (स्मार्ट क्लास रूम) का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य को और अधिक रोचक एवं आकर्षित बनाया जा सकता है। जिसके लिए विद्यालय क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टीविटी का होना सुनिश्चित किया जाय।

चिकित्सा

उत्तराखण्ड के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य को लेकर हमेशा समस्या बनी रहती है। यहां के सीमान्त जनपदों के गांवो तक पहुंचना कठिन है और उनमें से कई गांवो की आबादी भी बहुत कम है। मानसून में भूस्खलन से सड़के अवरूद्ध हो जाती हैं। जिसके चलते मरीज को बेहतर इलाज के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर रूख करना पड़ता है। सीमित बुनियादी ढांचे, चिकित्सा उपकरणों की कमी, राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी और डॉक्टरों की बड़ी रिक्तियों के कारण लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहता है।

प्रथम रिपोर्ट के अनुसार पलायन के मुख्य कारणों में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव में सीमावर्ती ग्राम पंचायतों का राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर लगभग 14% का योगदान है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव में और सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि संबंधित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत खराब होने के कारण ग्रामीणों द्वारा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की चाह में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया जा रहा है। कारणवश आगामी वर्षों में भी पलायन का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर निरन्तर होना स्वाभाविक है। जिसका शीघ्रता से समाधान किया जाना आवश्यक है। संबंधित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए, निम्नवत बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से विभागीय योजनाओं के विस्तारीकरण–शिथलीकरण–सरलीकरण में लागू किया जाना चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं ओर अधिक बेहतर हो पायेगी।

1. इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को और अधिक मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं में स्वीकृत सभी पदों की पदापूर्ति की जाय, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिल सकेगा। पदापूर्ति हेतु उपनल के साथ–साथ आउटसोर्स का भी सहयोग लिया जा सकता है।
2. स्वास्थ्य सेवाओं के अन्दर पंजीकृत हो रहे रोगियों को सभी प्रकार की दवाईयाँ अस्पताल एवं जन औषधि केन्द्र पर ही उपलब्ध करायी जाय। ताकि मंहगी हो रही चिकित्सा सेवा सस्ती हो सके।
3. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्सरे, अल्टासाउड, खून की जांच, ई0सी0जी0, आदि आवश्यक जांचों की सुविधाएं With technician के साथ उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया जाय।
4. राज्य के सीमान्त क्षेत्रों के ग्रामीणों को अस्पतालों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच हो।
5. स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह है कि ग्रामीण/सीमान्त क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सक, नर्स आदि की भारी कमी है। सरकार द्वारा सीमान्त क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों को अधिक वेतन दिये जाने का प्राविधान किया जाना चाहिए। जिससे कि उनको इन क्षेत्रों में काम करने में रूचि हो।
6. सीमान्त क्षेत्रों के गांवो मे उचित दूरी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना आवश्यक है।